सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2018–19

भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ''गणतंत्र दिवस 2019 समारोह'' के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ''गणतंत्र दिवस 2019 समारोह'' के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए

जनजातीय विकास के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप

अधिकारों की सुरक्षा	आर्थिक विकास	शिक्षा	स्वास्थ्य	सामाजिक सशक्तिकरण	संस्कृति, शिल्प, विरासत, फसलों का संवर्धन

पेयजल	आवास	स्वच्छता	संपर्क	खेलों का संवर्धन	सिंचाई

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय	1-9
2	मंत्रालय के कार्यकलाप – एक सिंहावलोकन	10-12
3	कार्यकलापों की विशेषताएं	13-22
4	अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा	23-37
5	अनुसूचित जनजातियां तथा अनुसूचित क्षेत्र	38-45
6	जनजातीय विकास रणनीति तथा कार्यक्रम	46-57
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	58-63
8	शिक्षा के संवर्धन हेतु कार्यक्रम	64-77
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	78-79
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	80-87
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	88-91
12	जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता	92-97
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	98-100
14	स्वैच्छिक कार्यों के संवर्धन हेतु कार्यक्रम	101-109
15	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करना	110
16	जेंडर बजटिंग	111-114
17	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	115-116
18	लोक शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	117-118
19	विभागीय लेखांकन	119-121
20	नागरिक/ग्राहक चार्टर	122-130

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	संगठनात्मक चार्ट– जनजातीय कार्य मंत्रालय	133
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों की सूची	134
3क	जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीम–वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय	135-136
3ख	वर्ष 2018–19 के लिए स्कीम–वार बजट आवंटन तथा 31.03.2019 तक व्यय	137
4क	अनुसूचित जनजातियों की लिंग तथा निवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जनसंख्याः जनगणना 2011	138-139
4ख	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कुल जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	140
4ग	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की लिंग अनुपात संबंधी संरचना	141
4घ	कुल जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनसंख्या 2011	142
4ङ	15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक स्तर – स्नातक तथा इससे ऊपर	143
4च	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी, पीएचसी एवं सीएचसी) की स्थिति	144
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम	145
4ज	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	146
4झ	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर[2]	147
4ञ	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश के उनके मुख्य स्रोत	148
4ट	मकान परिसर में शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की प्रतिशतता	149

4ठ	ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकान जनगणना की शर्त के अनुसार हैं	150
4ड	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार	151
4ढ	15 वर्ष तथा इससे अधिक के अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशत वितरण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में सामान्य सिद्धांत एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण (पीएस + एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं	152
4ण	2014–2016 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अपराध/अत्याचार	153-154
4त	अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार)– 2016	155-156
4थ	मानव तस्करी से संबंधित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले (आईपीसी) –2016	157
4द	अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले	158-162
4ध	अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले उप–जिलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तथा जिले–वार सूची	163-186
4न	अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रमुख समुदाय : जनगणना 2011	187-194
5क	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश/संशोधन	195-197
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	198-210
5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची	211-235
5घ	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति	236
5ङ	वर्ष 2014–15 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों का विवरण	237
6क	2016–17 से 2018–19 के लिए मंत्रालय/विभाग–वार जनजातीय उप–योजना आवंटन	238-241
6ख	वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक राज्य जनजातीय उप–योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा टीएसपी आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे	242-243
6ग	क्रियाकलापों की व्याख्यात्मक सूची	244-246
6घ	वर्ष 2008–09 से 2018–19 के दौरान जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत निर्मुक्त निधियां	247-248

6ङ	वर्ष 2008–09 से 2018–19 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त निधि अनुदान	249
6च	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि का विवरण	250
7	दिनांक 31.03.2019 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन की स्थिति	251
8क	50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले उप–जिलों और ब्लॉकों की सूची	252-268
8ख	ईएमआर की सूची (ब्लॉक–वार) (31.03.2019 तक)	269-279
8ग	2018–19 के दौरान ईएमआरएस के लिए राज्य–वार निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण	280
8घ	अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे	281
8ङ	अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे	282
9क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	283-284
9ख	वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास की स्कीम के तहत राज्यों को निर्मुक्त राशि का सारांश	285
10क	'टीआरआई को सहायता' स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्मुक्तियां	286
10ख	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	287-288
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) वर्ष 2018–19 के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी	289
12	वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान एमएफपी के संचालनों के लिए "जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन तथा विकास हेतु संस्थागत समर्थन" की स्कीम जो पूर्व में "राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान" के नाम से जानी जाती थी, के तहत निर्मुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरे	290
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान तथा अधिकार क्षेत्र	291

14क (i)	"अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की स्कीम के तहत 2016–17 से 2018–19 के दौरान निधि पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची	292-312
14 क (ii)	अनुसूचित जन–जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे	313
14ख (i)	"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के तहत 2016–17 से 2018–19 के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य वार सूची	314-317
14ख (ii)	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे	318
15	वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त राशि	319
16	वर्ष 2018–19 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियां	320-321
17	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	322-323
18	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों की सूची	324-325
19	लेखा–परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट की स्थिति जिनका कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित है	326

शब्दावली

शब्द / छोटा रुप	अर्थ / पूरा रुप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
एएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएफटीआरआई	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्यागिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सीओ	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जन–शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीएसपीएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
एफटीएस	फाइल ट्रैकिंग प्रणाली
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटीडीपी / आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना / एजेंसी
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एमएडीए	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमएएन	महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
एमईएस	मॉडयूलर रोजगारक्षम कौशल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु–उद्देशीय जनजातीय विकास परियोजना
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनडीसीएसपी	राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र शास्त्री पार्क
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर–इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप–केन्द्र
टीएसएस को एससीए	जनजातीय उप– स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता
एससीएसवीई	स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसएचजी	स्व–सहायता समूह
एसपीएआरआरओडब्ल्यू	स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व–शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय सलाहकार परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
ट्राइफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि.
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप–स्कीम
टीएसएस	जनजातीय उप–स्कीम
यूसी	उपयोग प्रमाण–पत्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएल	सम स्रोत निर्धारक
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
डब्लूएएन	विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

v/;k; 1

tutkrh; dk;Z ea=ky;% ,d ifjp;

,frgkfld i"BHkwfe

1-1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि–विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत वंचित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के समेकित सामाजिक – आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:–

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. सितम्बर, 1985 से मई, 1998 तक कल्याण मंत्रालय।
3. मई, 1998 से सितम्बर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

vf/kns'k

1-2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961' के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैं:–

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा;
2. जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण;
3. जनजातीय कल्याण से संबद्ध स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन एवं विकास;
4. ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित, अनुसूचित जनजातियां;
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास;

5 क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

fVIi.kh जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों की सम्पूर्ण नीति, आयोजना तथा समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा। इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि तथा उनका समन्वयन भी, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में, नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा।

6 (क) अनुसूचित क्षेत्र[2],

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम:

7 (क) आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा तथा

(ख) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देशों के मुद्दे।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

9. नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध हैं, के मामलों में अपराधों के संबंध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर।

1. दिनांक 17.03.2006 की संशोधन श्रृंखला संख्या 285 के माध्यम से डाला गया।
2. दिनांक 26.02.2012 की संशोधन श्रृंखला संख्या 300 के माध्यम से संशोधित किया।

10. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर जनजातीय उप–योजना की निगरानी।"

Hkwfedk

1-3 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय पोषण के माध्यम से सहायता प्रदान करने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर को पाटने हेतु निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक उपायों के जरिए उनके प्रयासों की संपूर्ति करता है। संस्थान निर्माण के माध्यम से आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित ये स्कीमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

laxBu

1.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्री के समग्र निर्देशन में कार्य करता है और इनकी सहायतार्थ दो राज्य मंत्री हैं। सचिव, मंत्रालय के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा इनकी सहायता के लिए दो संयुक्त सचिव, एक उप–महानिदेशक तथा एक आर्थिक सलाहकार नियुक्त हैं। वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आंतरिक वित्त तथा बजट के मामलों में सहायता प्रदान करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में सहायता करते हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 142 है तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 110 है। समूह "क" के 45 पद, समूह "ख" (राजपत्रित/अराजपत्रित) के 60 पद, समूह "ग" के 37 पद जिसमें पूर्ववर्ती समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट vuqyXud&1 में दिया गया है।

ç'kklu

1-5 मंत्रालय के स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले, मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम तथा इस मंत्रालय के संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि की स्थापना संबंधी मामलों पर भी इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1-6 जनजातीय कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन में स्थित है तथा शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे सांख्यिकी, आर्थिक (नीति विश्लेषण) टीएसपी प्रभाग, अनुदान प्रभाग, एनसीएसटी प्रभाग, शिकायत अनुभाग, एफआरए प्रभाग, जीविकोपार्जन प्रभाग तथा हिन्दी अनुभाग भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रान्ति भवन में अवस्थित है

jk"Vªh; lwpuk dsUæ ¼,uvkbZlh½

1-7 jk"Vªh; lwpuk dsUæ ¼,uvkbZlh½ dk eq[; dk;Zdyki fuEukuqlkj g%

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अनुप्रयोग /परियोजनाओं के विकास तथा इनके प्रचालनों के लिए सहायता प्रदान करना तथा रखरखाव।
- एलएएन/एमएएन/डब्ल्यूएएन/इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव तथा इनकी साइबर हमलों से सुरक्षा। बैकअप के रूप में एमटीएनएल तथा पीजीसीआईएल से लीज लाइनों के माध्यम से एनआईसी मुख्यालय से इंटरनेट एनआईसी नेट की संयोजकता।
- वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) की सुविधा की पहुंच प्रगति (अति सक्रिय अभिशासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन) तथा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों तक बढ़ायी गयी है।
- ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईसीटी सहायता प्रदान करना तथा उनकी वेबसाइट और आईसीटी सेवाओं का रखरखाव।

1-8 orZeku ifj;kstukvksa@oscl kbVksa dk flgkoykdu

- मंत्रालय की अधिकारिक वेब साइट **<https://tribal.nic.in** और **https://tribal.gov.in>:** 'भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू)' के अनुसार डिजाइन और विकसित की गई हैं (सीएफएम के आधार पर) तथा अद्यतन हैं। वेबसाइट को स्वीकृति आदेश (पीएफएमएस से

3. दिनांक 17.03.2006 की संशोधन श्रृंखला संख्या 285 के माध्यम से डाला गया।

स्कीम–वार प्रचालन अनुसार) अपलोड करने के लिए अनुप्रयोग स्तर और डाटा बेस स्तर पर वेबसाइट को संशोधित किया गया है। वेबसाइट द्विभाषीय है और बाह्य लिंकों सहित उपयोगी सामग्री/लिंकों से परिपूर्ण है। वेबसाइट, एनआईसी क्लाउड सर्वर प्रौद्योगिकी पर परिचायक है। जीआईजीडब्ल्यू की अनुपालना के लिए एसटीक्यूसी सुरक्षा लेखा प्रमाणित है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट के लिए फरवरी 2019 में प्रमाण–पत्र भी प्रदान किया गया है।

- çR;{k ykHk gLrkarj.k ¼MhchVh½ **<https://dbttribal.gov.in>:** पूर्व में हम डीबीटी मिशन द्वारा विकसित 'डीबीटी एप' का उपयोग कर रहे थे जो आंकड़ों का बड़ी मात्रा में प्रबंधन नहीं कर सकता था और कार्यान्वयन के दौरान कुछ अन्य मुद्दे भी आलोक में आए थे। तब मंत्रालय ने अपनी सभी आठ डीबीटी स्कीमों के लिए अपना स्वयं का डीबीटी – एमआईएस एप्लीकेशन जो एक सामान्य पोर्टल है, विकसित करने का निर्णय लिया, जिसके माध्यम से आवश्यक डीबीटी आंकड़े सभी राज्यों से एकत्रित किए जाएंगे और आवश्यक संक्षिप्त सूचना वेब–सेवा के माध्यम से डीबीटी मिशन को भेजी जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2019 में डीबीटी एमआईएस पोर्टल भी आरम्भ किया गया है और 'क्लाउड वी एम' एनडीसी, शास्त्री पार्क में आरंभ की गई है।

- jk"Vªh; v/;srkòfÙk ¼ih,p-Mh@,e-fQy½ वर्ष 2017–18 के दौरान मंत्रालय ने यूजीसी (वर्ष 2017–18 से पूर्व) के माध्यम से राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों के संवितरण के बजाय इनके संवितरण के लिए अपना स्वयं का पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया। केनरा बैंक, पीएफएमएस और यूजीसी प्राधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत मंत्रालय ने अपना स्वयं का पोर्टल विकसित किया है और वर्ष 2017–18 के दौरान ऑनलाइन आवेदन भी प्राप्त किए गए थे। वर्ष 2018–19 के लिए आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व पोर्टल को पुनः परिष्कृत और संशोधित किया था जैसे आवेदन के प्रपत्र, प्रमाणीकरण, एसएमएस समेकन, पूछताछ आदि। मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार एनएफएस छंटनीकृत विद्यार्थियों के सत्यापन के लिए नया मापदंड विकसित किया जा रहा है जिसमें विश्वविद्यालय/संस्थान विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन ¼**https://tribal.nic.in/nfs**½ प्रस्तुत दस्तावेजों और ब्यौरों का सत्यापन कर सकेंगे।

- ,lVhlh&,evkbZ,l **<https://stcmis.gov.in>** जनजातीय उपयोजना के तहत निधियों के आवंटन, इसके उपयोग तथा निर्दिष्ट लाभों की पहुंच के लिए वेब आधारित अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) सूचना प्रणाली है, जो अलग–अलग केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रशासित की जा रही है। पोर्टल को लगातार परिष्कृत किया जा रहा है और अब मंत्रालय/विभाग सफलता के प्रमाणों जैसे फोटो, विडियो, ऑडियो तथा दस्तावेजों आदि को स्कीम तथा स्थान–वार अपलोड कर सकते हैं। यह पोर्टल वास्तविक निष्पादन लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों और वास्तविक परिणामों तथा उपलब्धियों के मामले में समान निष्पादन और उपलब्धियों का प्रबंधन करने में सक्षम है।

- bZ&v,fQl **<e-file+e-office>** में सभी मापदण्डों को कार्यान्वित करके इसका प्रशासन तथा उपयोगकर्ताओं के लिए, सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। e=ky; rFkk blds lHkh laxBuksa esa bls dk;kZfUor gqA मंत्रालय के सभी कार्मियों तथा अधिकारियों और इससे जुड़े सभी संगठनों को ई–ऑफिस में प्रशिक्षण दिया गया है तथा मंत्रालय में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। (यूआरएल: http://mta.eoffice.gov.in)

- tutkrh; dk"k@fojklr **http://tribal.nic.in/repository:** यह पोर्टल मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है। इस कोष में फोटो, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेजों, संबंधित बाह्य लिंको के माध्यम से जनजातीय लोगों की संस्कृति उनकी आजीविका, अलग–अलग श्रेणियों आदि को देखा जा सकता है। मंत्रालय ने इसे अपलोड करने के लिए राज्यों को प्राधिकृत किया है। मंत्रालय के नोडल अधिकारी, राज्यों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को अनुमोदित करते हैं। हमारे भारतीय जनजातीय लोगों के संबंध में इस पोर्टल को आकर्षक ढंग से डिजाइन किया गया है।

- ,uthvks vuqnku iksVZy½ एनजीओ अनुदान पोर्टल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए ऑन लाइन ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से सहायता अनुदान स्कीम के तहत एनजीओ/वीओ प्रस्तावों को तैयार करने के लिए है। एनजीओ/वीओ द्वारा ऑन लाइन आवेदन

प्रणाली में दर्ज एनजीओ विशिष्ट आईडी, नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ वेब सेवा के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह पोर्टल एनजीओ/वीओ द्वारा दर्ज प्रस्तावों के मंत्रालय से राज्य सरकार तथा इसके व्युत्क्रम में आदान–प्रदान और स्वीकृति पत्र तैयार होने तक मंत्रालय के अंदर आन्तरिक प्रसंस्करण के लिए स्वचालित है। इस पोर्टल को एसएमएस सेवा के साथ भी एकीकृत किया गया है जो एनजीओ/वीओ को भेजी जाती है। इस पोर्टल को एनआईसी क्लाउड सर्वर प्रौद्योगिकी के तहत मेजबान बनाया गया है। (यूआरएल:**http://ngogranstsmots.gov.in**½

- ,utholk niZ.k½ (नीति आयोग का पोर्टल) सभी एनजीओ तथा वीओ का पंजीकरण 'एनजीओ दर्पण' पोर्टल पर किया जाता है। एनजीओ की विशिष्ट आईडी प्रमाणीकरण के लिए इस पोर्टल को जनजातीय कार्य मंत्रालय के **http://ngogranstsmots.gov.in** पोर्टल के साथ वेब–सेवा के माध्यम से सम्मिलित किया जाता है।

- 2012 ds l'kks/ku fu;eksa ds vuqlkj ou vf/kdkj vf/kfu;e fuxjkuh ç.kkyh dk l`/kkj½ इस अनुप्रयोग के अंतर्गत विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम सभा, उप मण्डल, तथा जिला स्तर से व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों प्रकार के दावे प्राप्त किए जाते हैं। वन अधिकार अधिनियम– 2016 के अनुसार 'एप्लीकेशन' में संशोधन की आवश्यकता है तथा विकास में प्रयुक्त एस/डब्ल्यू 'टूल्स' पुराने हो गए हैं। अब 'एप्लीकेशन' ,Qvkj, ,evkbZ,l ¼l'kks/ku fu;ekoyh] 2012 ds lkFk ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2016½ अद्यतन प्लेटफार्म, रूपरेखा तथा डाटाबेस रूपान्तरण के साथ सुधारे/विकसित किए जा रहे हैं। (जावा–जेडीके/ जेआरई 8.0, स्प्रिंग 4, हाइबर नेट, माईएसक्यूएल 5, गूगल चार्ट, अजेक्स) तथा एलजी निदेशिका आदि का उपयोग (यूआरएल : **http://forestrights.nic.in**)

- QksVks çfr;ksfxrk iksVZy ½ मंत्रालय ने फोटो प्रतियोगिता के लिए एक पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है जो विकासाधीन है। यह पोर्टल मुख्य रूप से जनजातीय श्रेणी के प्रमाण–पत्र (अज.जा., अ. जा. तथा अन्य) के लिए है।

- eksckby ,i & जनजातीय डायरी : ¼**http://tribaldiaries.gov.in**½½ मोबाइल एप को एनआईसी क्लाउड, शास्त्री पार्क से संचालित किया जा रहा है, 'एप्लीकेशन' को तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखा–परीक्षा के उपरांत इसे अपलोड किया गया है तथा इसकी जांच कर ली गई है।

- jk"Vªh; lemæikjh; Nk=o`fÙk ¼,uvks,l½: "वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु मंत्रालय ने अपना निजी पोर्टल विकसित किया है। वर्ष 2018–19 के लिए 'एप्लीकेशन का नमूना' करने से पूर्व पोर्टल को पुनः परिष्कृत, संशोधित किया था जैसे आवेदन के परिपत्र, विधिमान्यकरण, एसएमएस एकीकरण, आवेदक के प्रश्नों के उत्तर देना आदि (भुगतान विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा) यूआरएलः **https://tribal-nic-in/nos**

- okbZQkbZ dh LFkkiuk½ सम्मेलन कक्ष सहित सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च गति की वाईफाई कनेक्टिविटी का उपयोग करने के लिए मंत्रालय में कुल 5 (पांच) अलग–अलग स्थानों पर वाइफाई स्थापित किए गए हैं।

- VkbZQM½ ई–ऑफिस/ई–फाइल, जीईएम, उपस्थिति प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग ढांचा, ई–कॉमर्स पोर्टल (ऑनलाइन खरीदारी संबंधी खुदरा बाजार) आदि जैसी विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीजीओ से ट्राइफेड – मुख्यालय तक एनआईसीएनईटी 20 एमबीपी वाली लीज लाइन कनेक्टिविटी आरम्भ की गई है।

- ,,e,l&,evkbZ,l½ एजेंडा निगरानी प्रणालीः सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के एजेंडा (कार्यसूची) की लगातार साप्ताहिक (निगरानी) के लिए विशेष रूप से निर्मित तथा कार्यान्वित एप्लिकेशन है। **http://10-25-122-32/mtaams**

- oLrq lwph ç.kkyh पीएचपी में विकसित की गई है। इसे क्लाउड (स्टेजिंग) पर नियोजित किया गया है तथा इसे कार्यान्वित और चालू कर दिया गया है। इस मंत्रालय के अधिकारियों तथा आंतरिक कार्मिकों हेतु उपभोज्य मदें जारी करने तथा स्टॉक के रखरखाव में इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। **http://10-25-122-32:8080/inventory**

- bl&Nk=o`fÙk;ksa ds fy, dsaæh–r jk"Vªh; bl&Nk=o`fÙk iksVZy ¼,u,lih 2-0½ एमआईएस अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर छात्रवृत्ति हेतु कार्यान्वित किया जाता है।

- अन्य ई–गवर्नेंस एप्लीकेशंस जैसे कि **http://bhavishya.gov.in** (पेंशन, स्वीकृतियां और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली), **limns.gov.in** (न्यायिक मामलों के डिजिटाइजेशन के लिए वेब एप्लीकेशन), **pgportal.gov.in** (शिकायत निपटान और मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए पोर्टल), **e-smiksha.gov.in** (बैठकों में लिए गए निर्णयों की मॉनीटरिंग अनुवर्ती कार्रवाई) ई–निविदा, ई–सेवा पंजी, SPARROW, ई–आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, 'आधार' आधारित उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि का कार्यान्वयन।

fgUnh dk çxkeh ç;kx

1-9 हिन्दी के संघ की राजभाषा होने के कारण जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न है। मंत्रालय का हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के सभी अनुभागों से अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री के हिन्दी अनुवाद का कार्य करने के साथ राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी कार्य देखता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है। मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी के लिए नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए साधन तथा तरीके बताए जाते हैं और राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के तहत लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। मंत्रालय के अधिकतर अधिकारी तथा कार्मिक हिन्दी में प्रवीण हैं अथवा हिन्दी का कार्य–साधक ज्ञान रखते हैं।

1-10 भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा निगरानी और अनुवाद में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.) एक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के अनुमोदित पद हैं (कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का एक पद दिनांक 18.10.2018 से रिक्त है)।

jktHkk"kk vf/kfu;e@fu;e rFkk okf"kZd dk;Øe dk dk;kZUo;u

1-11 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में दिये जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के साथ शत–प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करने के यथासंभव प्रयास किए गए हैं। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इस मंत्रालय के अधिकारियों /कर्मचारियों की हिन्दी में सरकारी काम करने की हिचक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय के अनुभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए राजभाषायी निरीक्षण भी किए गए।

मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की गई हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत बने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं तथा मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने 18 अगस्त, 2018 से 20 अगस्त, 2018 तक मॉरीशस में आयोजित किए गए 11वें 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

fgUnh i[kokM+k

1-12 मंत्रालय में 1 से 15 सितम्बर, 2018 के दौरान 'हिन्दी पखवाड़े' का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी स्वरचित कविता पाठ, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी में तत्काल भाषण (एक्सटेम्पर), हिन्दी टंकण, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद–विवाद, अनुवाद, वर्ष के दौरान हिन्दी में कार्य करने के लिए एक प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सचिव (जनजातीय कार्य) विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए

lrdZrk dk;Zdyki

1-13 मंत्रालय में, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशा.) के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखते हैं। एक निदेशक तथा एक अवर सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

1-14 मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। दिनांक 29.10.2018 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शास्त्री भवन में तथा निदेशक (सीएंडएलएम तथा एफआरए) ने अगस्त क्रांति भवन में मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शपथ दिलाई। जनजातीय कार्य मंत्रालय की सत्यनिष्ठा रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नियमित रूप से भेजी जा रही है।

yksd f'kdk;r fuokj.k ra=

1-15 दिनांक 05.02.2019 से मंत्रालय में श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। शिकायत निदेशक के ब्यौरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की ऑनलाइन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय आदि के माध्यम से तथा सीधे ऑनलाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान ऑनलाइन किया जा रहा है।

ukxfjd@xzkgd pkVZj

1-16 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 20 में दिए गए हैं।

1-17 इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सामाजिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता के उपयोग के माध्यम से प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्रणाली सृजित की गई है।

x.kra= fnol lekjksg

1.18 वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड और समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों एक महिला और एक पुरुष, को आमंत्रित करता है।

वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस उत्सव के दौरान 22 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सम्पर्क अधिकारियों के साथ 28 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों से जनजातीय अतिथियों (30 पुरुषों तथा 25 महिलाओं) ने भाग लिया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विश्व युवक केन्द्र, चाणक्यपुरी में उनका स्वागत किया गया। जनजातीय अतिथियों ने माननीय राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा गणतंत्र दिवस परेड, 26 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट तथा 28 जनवरी, 2019 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली में भाग लिया। जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों के सम्मान में माननीय जनजातीय मंत्री द्वारा रात्रि भोज के अलावा एक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई थी।

x.kra= fnol lekjksg] 2019 dk vk;kftr dk;Øe dk nkjku tutkrh; dykdkjk }kjk uR;

lalnh; LFkk;h lfefr

1-19 लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के तहत अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा 73–क के निर्देशों और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 266 के तहत अध्यक्ष, राज्य सभा के निर्देशों के अनुसरण में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2017–18) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय

स्थायी समिति से संबंधित मंत्रालय की 38वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दिनांक 02.04.2018 और 05.04.2018 को क्रमशः लोक सभा तथा राज्य सभा में वक्तव्य दिया था।

1-20 'जनजातीय कार्य मंत्रालय की जनजातियों हेतु शैक्षिक स्कीमों' के संबंध में समिति की 49वीं रिपोर्ट में सरकार द्वारा कृत कार्रवाई के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 56वीं रिपोर्ट दिनांक 08.08.2018 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की।

1.21 जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदान मांगों 2018–19' के संबंध में समिति की 52वीं रिपोर्ट में सरकार द्वारा कृत कार्रवाई के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 59वीं रिपोर्ट दिनांक 09.08.2018 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की।

1-22 श्री रमेश बैस की अध्यक्षता में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 16.10.2018 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता सम्बंधी स्थायी समिति (2017–18) द्वारा 'जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के कार्यकरण का आकलन' विषय की जांच के संबंध में इस मंत्रालय के प्रतिनिधियों से साक्ष्य लिए।

1-23 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग ने दिनांक 10.10.2018 को 'भारत में वनों की स्थिति' विषय पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य/विचार लिए।

ijke'kZnk=h lfefr dh cSBd

1-24 वर्ष 2018–19 के दौरान, "अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे" से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 09.10.2018 को तथा 'अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए, दिनांक 03.01.2019 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय से संबंधित परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थीं।

jk"Vªh; vuqlwfpr tutkfr foÙk vkSj fodkl fuxe ¼,u,lVh,QMhlh½

1-25 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। इस निगम को जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25, (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम, ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

jk"Vªh; vuqlwfpr tutkfr vk;ksx ¼,ulh,lVh½

1-26 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338–क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य–अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों के वंचन और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं।

tutkrh; fodkl e foKku rFkk çk|kfxdh dk mi;kx

1-27 जनजातीय लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के विचार के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के परामर्श से निम्नलिखित पहलों का अनुसरण किया जा रहा है :—

(क) जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्रों के विषयगत मानचित्र के संबंध में डेटाबेस की तैयारी करना,

(ख) खगोलीय आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेत में तालाबों/मछली के तालाबों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना

(ग) विकासात्मक योजना के लिए जनजातीय जिलों के अंतर्गत उपयुक्त जलाशयों की पहचान करना।

1-28 जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय मानचित्र तथा विषयगत मानचित्रण संगठन (एनएटीएमओ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से 'भारत—राज्यों/जनजातीय जनसंख्या वाले जिलों', के संबंध में मानचित्र बनाने की प्रक्रिया में भी है।

iapk;rh jkt lLFkku ¼ihvkjvkb½@iapk;r ¼vulfpr {k=k rd foLrkj½ vf/kfu;e] 1996 ¼ilk½

1-29 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को अन्य बातों के अलावा संविधान के भाग IX तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, जैसा कि इसे अधिदेशित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रित तथा भागीदारी वाला स्थानीय स्व—शासन प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय तथा सेवाओं की कुशल सुपुर्दगी के साथ अंतर्वेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण, सामर्थ्य तथा जवाबदेही, पंचायती राज मंत्रालय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसे लागू करने हेतु पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को अधिनियमित किया।

1-29-1 संविधान की 5वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के साथ—साथ इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों से सरोकार रखती है। पेसा अधिनियम, 1996 का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ संशोधनों तथा अपवादों के साथ संविधान के भाग IX तक किया जाता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना में विद्यमान हैं।

1-29-2 इन क्षेत्रों में इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को लोगों की परंपराओं तथा रीति—रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद हल करने के प्रथागत तरीके की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए "सक्षम" माना जाता है। ग्राम सभाओं के पास गांव की पंचायतों की योजनाओं को अनुमोदित करने, स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने, निधियों के उपयोग प्रमाण—पत्र जारी करने, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों तथा कार्यकरणों को नियंत्रित करने की अनिवार्य कार्यकारी शक्ति है तथा जनजातीय उपयोजना सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों के पास भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के मामलों में अनिवार्य रूप से परामर्श करने, लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस, खनन पट्टे नियमित करने; भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति शराब की बिक्री/उपभोग को विनियमित और प्रतिबंधित करने तथा अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने और लघु वन उत्पाद के स्वामित्व का अधिकार भी है।

dk;LFky ij efgyk depkfj;k d ;ku mRihMu dh jkdFkke d lc/k e f'kdk;r lfefr

1-30 इस मंत्रालय में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में एक शिकायत समिति गठित की गई है। सुश्री मीरा रंजन शेरिंग, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार समिति की अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018—19 के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

v/;k; 2

tutkrh; dk;Z ea=ky; dk dk;Zdyki & ,d flgkoyksdu

2-1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विकास के लिए संपूर्ण नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय जनसंख्या की समावेशी और सतत वृद्धि हासिल करने का प्रयास करता है। मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करती हैं तथा उन्हें पूरा करती हैं और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील अंतर को भरती हैं। यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक संवर्धन तथा सामाजिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न विकासीय उपायों के रूप में उनके प्रयासों को पूरा करता है। ये स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2-2 मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास हेतु सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान तथा जनजातीय उप–योजना को केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें चलाता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची vuqyXud&2 में दी गयी है।

2-3 मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है जबकि इनके ब्यौरे अनुवर्ती अध्यायों में दिये गये हैं।

2-4 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, इसलिए वर्ष के दौरान विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रतिधारण को बढ़ाने तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी छात्रवृतियों के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों , एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करते हुए अवसंरचना के प्रावधान के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कीमों को कार्यान्वित करते हुए शिक्षा के विकास के प्रयास किए गए थे।

2-5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित किए गए हैं जो 480 विद्यार्थियों की क्षमता वाले हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें न केवल उच्च तथा व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों और सरकारी तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाती है अपितु गैर–अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक उन्हें पहुंच भी प्रदान करती है।

2-6 'अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है ताकि माध्यमिक/ उच्चतर स्तर की शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर को कम किया जा सके। यद्धपि 'आश्रम विद्यालय' एक अन्य स्कीम है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के अनुकूल वातावरण तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है।

2-7 व्यवसायिक प्रशिक्षण की स्कीम का उद्देश्य

अनुसूचित जनजाति के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्कीम में दिनांक 01.04.2009 से संशोधन किया गया है तथा नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 30,000/– रुपए की दर से, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों या संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। संशोधित स्कीम के प्रावधान राज्य के साथ–साथ एनजीओ द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए भी समान रूप से लागू हैं।

2-8 कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना 01.07.2012 से आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहायता करने का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटनाओं को कम से कम किया जा सके तथा मैटिकपूर्व स्तर की कक्षा IX तथा X में अजजा के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर सत्र के चरणों में उन्हें प्रगति करने का बेहतर मौका मिल सके।

2-9 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम को छात्रवृत्ति की दर, आयसीमा तथा विषयों के समूहीकरण के कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु यह केन्द्र द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी है।

2-10 यह मंत्रालय, विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्चतर अध्ययनों हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2-11 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति स्कीमों नामतः 'राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति' तथा 'उच्च श्रेणी शिक्षा' की निगरानी एवं कार्यान्वयन पर उचित नियंत्रण को सुसाध्य बनाने और इसके स्तरों, जिसमें समय ज्यादा लगता है, को समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने इन दोनों स्कीमों को "अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति" नामक एकल केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम में मिला दिया है।

2-12 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम के तहत यह मंत्रालय अनुमोदित "संरक्षण– सह–विकास (सीसीडी) योजनाओं" के अनुसार पीवीटीजी के लिए प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु पीवीटीजी जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रदान करता है।

2-13 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत मंत्रालय ने आवासीय विद्यालयों, गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, मोबाइल डिस्पेंसरी, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, कृषि प्रशिक्षण इत्यादि को कवर करते हुए परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।

2-14 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित किया गया एक शीर्ष संगठन है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

2-15 जनजातीय संस्कृति, आदत तथा भाषा की भिन्नता/ विशिष्टता के उच्च संरक्षण एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता देता है। अनुसंधान एवं प्रलेखन (जनजातीय संस्कृति का संरक्षण), प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (कानूनी/संवैधानिक प्रावधान पर) तथा कार्यकर्ताओं और जनजातीय प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण (सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम) के क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

2-16 "न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए तंत्र व लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" स्कीम वर्ष 2013–14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ताकि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों और अन्य परम्परागत वन निवासियों जिनकी आजीविका लघु वन उत्पादों के संग्रहण व बिक्री पर निर्भर करती है, उनके लिए बहु अपेक्षित सुरक्षा नेट और सहायता दी जा सके।

प्रारम्भ में, यह स्कीम 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में कार्यान्वित की गई थी तथा इसमें दस एमएफपी मदों को शामिल किया गया था। अक्टूबर, 2016 में इस स्कीम के दिशा–निर्देशों को विभिन्न हितधारकों तथा ट्राइफेड के साथ परामर्श के पश्चात् संशोधित किया गया था एवं स्कीम के प्रारम्भ से ही

एक भाग के रूप में उभरे 10 एमएफपी वस्तुओं की एमएसपी के संशोधन के दौरान 14 और एमएफपी वस्तुओं को शामिल किया गया था। तत्पश्चात, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ की सिफारिशों के आधार पर एवं एमएफपी के लिए आयोजित विस्तृत अध्ययन के पालन में मूल रूप से वर्तमान 10 वस्तुओं की एमएसपी को 21 नवम्बर, 2017 को संशोधित किया गया तथा अतिरिक्त सूची में से एक मद पलाश के फूल (नम) को इसकी बहुत छोटी जीवन अवधि के कारण हटाया गया है। इस मूल्य संशोधन के परिणामस्वरूप 5 एमएफपी वस्तुएं नामतः साल के बीज, साल के पत्ते, चिरौंजी फली सहित, रांगिनी लाख तथा कुसुमी लाख की एमएसपी में वृद्धि की गई है। अब स्कीम में पहले से विद्यमान एमएफपी मदों के एमएसपी के संशोधन तथा अतिरिक्त एमएफपी मदों के समावेशन के लिए एमएफपी मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ की सिफारिशों के अनुसार, इस मंत्रालय ने दिनांक 11.01.2019 को एमएफपी मदें जो इस स्कीम का भाग बन गई हैं, के एमएसपी को संशोधित किया है और उनके एमएसपी के साथ इस स्कीम में छब्बीस (26) अतिरिक्त एमएफपी मदों के समावेशन की घोषणा की है। अतः अब यह स्कीम 49 एमएफपी मदों का प्रबंध करती है।

2-17 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) एक बहु–राज्यीय सहकारी समिति है, जिसकी स्थापना बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी। यह देश में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करती है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

2-18 जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनुदान जनजातीय लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 23 राज्यों को निर्मुक्त किया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) में विचार किए जाने के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार–सह–आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2-19 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर के उत्थान तथा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए 27 राज्यों को अनुदान जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक गतिविधियों में अंतर भरने के लिए हैं। यह विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है तथा राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2-20 मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य समुदायों को अनुसूचित /गैर–अनुसूचित करना है। संविधान, राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा व विकास की विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। अनुसूचित जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों को अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को उन वर्तमान प्रविधियों के अनुसार प्रसंस्कृत किया जाता है, जिनकी अनुमति 15.06.1999 को दी गई थी एवं जिनको दिनांक 25.06.2002 को पुनः संशोधित किया गया था।

v/;k; 3

dk;Zdykiksa dh fo'ks"krk,a

;ktuk@Ldhe ifj0;; rFkk bld mi;kx

3-1 वर्ष 2018–19 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजटीय आवंटन 5957.18 करोड़ रूपये है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा 5954.78 करोड़ रूपये की कुल निर्मुक्ति की गई थी जो बजट अनुमान का 99.95% है।

3-2 वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय के स्कीम–वार ब्यौरे vuyXud&3d के अनुसार हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान बजट अनुमान तथा व्यय के स्कीम–वार ब्यौरे vuyXud&3[k में दिए गए हैं।

ifj;kstuk eY;kdu lfefr

3-3 वर्ष 2018–19 के दौरान जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए), अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और पीवीटीजी के विकास की स्कीम के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 27 राज्यों के साथ परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकें आयोजित की गई थीं तथा उपर्युक्त स्कीमों के तहत अतिरिक्त प्रस्तावों पर विभिन्न राज्यों के साथ भी बैठकें आयोजित की गईं थीं।

3-4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदानों के लिए वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान कुछ अनुमोदित कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (आवर्ती तथा अनावर्ती लागत)
- प्राथमिक / अपर प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन / अतिरिक्त अवसंरचना
- अजजा बालकों तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण
- सीएचसी / पीएचसी के लिए अस्पताल भवन का निर्माण / वृद्धि / सुदृढ़ीकरण
- न्यूनतम तीन वर्ष की जीवन अवधि के साथ स्वास्थ्य उपस्कर का प्रावधान
- कौशल विकास
- जनजातीय घरेलू आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इसका विस्तार।
- कृषि पहल / जैविक खेती का संवर्धन।
- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना।
- मुर्गी पालन / डेयरी / सुअर पालन / मछली पालन / भेड़ / बकरी पालन आदि को आय सृजनकारी गतिविधि के रूप में बढ़ावा
- भवन अवसंरचना तथा उपकरण सहित पशु पालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों / परियोजनाओं पर ध्यान देना।
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान।
- साफ पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए निधियां प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा।

3-5 स्कीमों / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति के आकलन हेतु सितम्बर 2018 में सभी राज्य सरकारों के साथ मध्यावधि समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं थीं। परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा स्वीकृत कार्य / गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए नवम्बर, 2018 में राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

3-6 ईएमआरएस के विद्यार्थियों के बीच प्रथम राष्ट्रीय स्तर की ईएमआरएस संगीत प्रतियोगिता वर्ष 2018 में आयोजित की गई। प्रतियोगिता विद्यालय स्तर, इसके बाद क्षेत्रीय / राज्य स्तर तथा अंत में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई जो जमशेदपुर, झारखण्ड में 30 से 31 अक्टूबर, 2018 तक आयोजित की गई थी।

çFke jk"Vªh; Lrj dh bZ,evkj,l laxhr çfr;ksfxrk esa bZ,evkj,l dy'kh] mÙkjk[k.M ds fo|kFkhZ

3-7 'अंडर–17' श्रेणी के तहत विशेष रूप से ईएमआरएस के विद्यार्थियों के लिए 14 से 16 जनवरी 2019 तक जीएमसी बालयोगी स्टेडियम, गाचीबाउली, हैदराबाद में प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता–2019, आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था तथा इसकी मेजबानी जनजातीय कल्याण विकास विभाग, तेलंगाना जनजातीय आवासीय शिक्षा संस्थान सोसाइटी (टीटीआरईआईएस) द्वारा की गई थी।

14 ls 16 tuojh] 2019 rd gSnjkckn esa çFke jk"Vªh; [ksy izfr;ksfxrk esa Hkkx ysrs gq, fofHkUu bZ,evkj,l dh ckfydk,a

3-8 çR;{k ykHk gLrkarj.k ¼MhchVh½

- सभी शामिल स्कीमों के संदर्भ में मासिक रिपोर्ट को डीबीटी भारत पोर्टल पर अद्यतन किया जा रहा है।
- इन स्कीमों के लाभार्थी–वार आंकड़े एकत्रित करने तथा मंत्रालय स्तर पर एमआईएस बनाने के लिए इस मंत्रालय के स्थानीय एनआईसी सर्वर पर डीबीटी ऐप इंस्टाल किया गया है।

MhchVh ,evkbZ,l Nk=ofÙk iksVZy ¼dbttribal.gov.in½

मंत्रिमण्डल सचिवालय के तहत डीबीटी मिशन ने डीबीटी भारत पोर्टल पर मैट्रिक–पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल किया है और यह मांग की है कि लाभ, लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रदान किए जाने चाहिएं तथा लाभार्थी के आंकड़े आवधिक रूप से डीबीटी पोर्टल पर डाले जाने चाहिए। दिनांक 09.03.2018 को माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा के पश्चात मंत्रालय को एमआईएस पोर्टल विकसित करने के लिए कहा गया एवं दिनांक 15.06.2018 को लक्ष्य प्राप्ति की तिथि प्रदान की गई। सभी राज्यों के सहयोग से पोर्टल को सार्वजनिक डोमेन पर पहले ही लांच किया गया था। यह पोर्टल न केवल डीबीटी मिशन की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा बल्कि इसे बजट की निर्मुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी तैयार किया गया है एवं इसमें संस्थानों, लाभार्थियों तथा राज्यों को वृहद एसएमएस / ई–मेल सूचना प्रदान करने की सुविधा के साथ शिकायत निवारण प्रणाली भी है। पत्राचार एवं फाइलों को अपलोड करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक विंडो प्रदान किया गया है।

पोर्टल, लाभार्थी सूचना एकत्रित करने के लिए एक सामान्य रिपोर्टिंग प्रारूप प्रदान करता है और प्रणाली डेटा बेस, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए लाभार्थी ब्यौरे के केन्द्रीय कोष के रूप में कार्य करेगा।

वर्तमान में, अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए राज्यों द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग को लाभार्थियों के आंकड़े या तो पेन ड्राइव या ई–मेल / सीडी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यह न केवल अधिक समय लेता है बल्कि मंत्रालय द्वारा आंकड़ों की जांच में अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों के पास आवेदन आमंत्रित करने तथा विभिन्न समय सीमाओं के साथ छात्रवृत्तियां संवितरित करने के लिए विभिन्न तंत्र हैं। 19 राज्यों के पास स्वयं के छात्रवृत्ति पोर्टल हैं, 7 राज्य राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) अपना रहे हैं तथा 4 राज्य निम्नलिखित के अनुसार मैन्युअल रूप से कार्य कर रहे हैं।

उनके पोर्टल पर छात्रवृत्तियां आमंत्रित करने के लिए राज्य की वर्तमान प्रणाली को बिना बाधित किए लाभार्थियों के आंकड़े को वेब सेवाओं, एक्सेल / सीएसवी फाइल या मैन्युअल इन्ट्री के माध्यम से हस्तांतरित करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा मिजोरम सहित नौ राज्यों ने वेब सेवाएं विकसित की हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए गुजरात तथा आंध्र प्रदेश द्वारा मांगी गई कुल निधियों को निर्मुक्त किया गया है। एनआईसी संबंधित राज्य इकाइयों के सहयोग से एनआईसी पोर्टल के उपयोग द्वारा राज्यों के लिए वेब सेवाएं तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कुछ राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वेब सेवा सुविधाओं को तैयार करने के अग्रिम चरण में हैं।

राज्यों, विद्यार्थियों, संस्थानों के लिए शिकायत निपटान प्रणाली हेतु मॉडयूल भी स्थापित किये गये हैं जो उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को अपलोड करने संबंधी प्रश्नों के लिए प्रत्येक राज्य को एक विंडो प्रदान करेगा। पोर्टल में निम्नलिखित सुविधा भी होगी :

- संस्थानों, लाभार्थियों तथा राज्यों को भारी संख्या में एसएमएस / ई–मेल सूचना
- वास्तविक समय के साथ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ एकीकृत थ्रेड आधारित ऑनलाइन शिकायत प्रणाली
- ड्रिल डाउन डैशबोर्ड तथा एमआईएस रिपोर्टें

सभी राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने नोडल अधिकारियों को पोर्टल पर पंजीकृत किया है तथा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए आंकड़े तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

jk"Vªh; Nk=ofÙk iksVZy

3-9 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन, जांच, अंतिम चयन तथा पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति सीधे वितरित करने के लिए एकल विंडो प्रदान करने हेतु अजजा के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की स्कीम के तहत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त किये गये हैं।

3-10 अजजा के विद्यार्थियों के लिए पूर्व सूचीबद्ध 159 संस्थानों के अलावा चालू वर्ष में उच्च श्रेणी शिक्षा की स्कीम में 87 अतिरिक्त संस्थानों को शामिल किया गया है।

fon's k esa mPprj f'k{kk d fy, jk"Vh; lekikjh; Nk=ofÙk Ldhe

3-11 वर्ष 2017–18 से आगे अभ्यर्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु पोर्टल को विकसित किया गया तथा इस मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे पूर्ण रूप से कार्यशील किया गया।

3-12 vttk d fo|kFkh;k d fy, jk"Vh; v/;rkofÙk

- पोर्टल को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया तथा इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट पर संचालित किया गया।
- लाभार्थियों को यथासमय भुगतान करने के लिए केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- प्राविधिक रूप से चयनित अध्येतावृत्ति के विद्यार्थियों के ब्यौरों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय सत्यापन मॉडयूल तैयार किया गया है।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायत मॉडयूल तैयार किया गया।

vulfpr tutkfr;k d dY;k.k d fy, dk;jr LofPNd lxBuk dk lgk;rk vunku

3-13 इस स्कीम के तहत वर्ष 2018–19 के दौरान 23 राज्यों में 183 आवासीय विद्यालयों में 43,706 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला, 18 राज्यों में 89 छात्रावासों से 11,450 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला और 11 राज्यों में 108 सचल–औषधालयों को निधि–पोषित किया गया था जिससे 12,02,193 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिला। 10 राज्यों में 46 अस्पतालों को निधि–पोषित किया गया है जिससे 10,51,775 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिला तथा 5 राज्यों में 10 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों को निधि–पोषित किया गया है जिससे 301 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला।

3-14 इसके अतिरिक्त, कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत 7 राज्यों में 10,359 अनुसूचित जनजाति (अजजा) की बालिका लाभार्थियों को कवर करने वाले 74 शैक्षिक परिसरों के लिए 22.65 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

fo'k"k :i l detkj tutkrh; leg ¼ihohVhth½ d fodkl dh Ldhe

3-15 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम कार्यकलापों जैसे आवासन, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु पालन, संपर्क सड़कों का निर्माण, बिजली के लिए ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्रोतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य नवीन कार्यकलाप के लिए 18 राज्यों / अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी को कवर करती है। वर्ष 2018–19 के दौरान परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए 14 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

fofHkUu jkT;k@l?k jkT;{k=k e tutkrh; vul/kku lLFkkuk dk lgk;rk

3-16 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस वृहद परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित किए गए हैं तथा टीआरआई के सुदृढ़ीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चालू वर्ष अर्थात वर्ष 2018–19 के दौरान टीआरआई योजना के बजट को 80.00 करोड़ रुपये से 100.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन कराने, कार्मिकों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण और जनजातीय विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, प्रसार हेतु बेसलाइन आंकड़ों का संग्रहण, जनजातीय त्यौहार आयोजित करने, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने, विनिमय दौरों के लिए सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, सरकार उन राज्यों में जहां जनजातीय लोग रहते थे तथा उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और उनके आगे नहीं झुके, वहां स्थाई संग्रहालय बनाना चाहती है तथा इसकी योजना बना रही है। सरकार अलग–अलग राज्यों में ऐसे संग्रहालय बनाने के लिए कार्य करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि हमारे जनजातीय लोग बलिदान करने में किस प्रकार आगे थे। गुजरात तथा झारखण्ड में राष्ट्रीय महत्व वाले आधुनिकतम जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। मंत्रालय ने ऐसे संग्रहालयों के निर्माण के लिए 4

अन्य राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल तथा मध्य प्रदेश का भी चयन किया है। ब्यौरे निम्नलिखित rkfydk 3-1 में दिये गये हैं:

rkfydk 3-1% tutkrh; Lor=rk lsukuh laxzgky; dk LFkku] ifj;kstuk ykxr] tutkrh; dk;Z e=ky; dk va'knku ,oa jkT;ksa dks fueqä dh xbZ fuf/k;ka

Ø-la-	jkT;	LFkku	ifj;kstuk ykxr	tutkrh; dk;Z e=ky; dh çfrc)rk	fueqä fuf/k;ka
1.	गुजरात	गरुड़ेश्वर, राजपीपला	102.55	50.00	24.38
2.	झारखंड	रांची	36.66	25.00	10.00
3.	आंध्र प्रदेश	लंबासिंगी	35.00	15.00	7.50
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	25.66	15.00	4.65
5.	केरल	कोझिकोड	16.16	15.00	7.50
6.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	38.26	15.00	6.93
			dqy	**135.00**	**60.96**

मंत्रालय ने जनजातीय कोष के रूप में उपयोग के लिए एक वेब–पेज (www.tribal.nic.in/repositroy) विकसित किया है जिसमें उनकी उत्पत्ति का स्थान, जीवनशैली, भोजन संबंधी आदतें, वास्तुकला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्यों तथा अन्य मानवजाति विज्ञान के ब्यौरों के संबंध में दस्तावेज, लोकगीत, फोटो, वीडियो डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए गये हैं।

jk"Vªh; vuqlwfpr tutkfr foÙk ,oa fodkl fuxe ¼,u,lVh,QMhlh½

3-17 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों का प्रोन्नयन करने के लिए अभिप्रेरक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष, 2018–19 के दौरान निगम ने 1,13,483 लाभार्थियों के लिए 481.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसमें अजजा के 70,197 लाभार्थियों के लिए सावधि ऋण योजना के अंतर्गत 359.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। दिनांक 31.03.2019 तक निगम ने विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 293.32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

U;wure leFkZu ewY; ¼,e,lih½ ds ek/;e ls y?kq ou mRikn ¼,e,Qih½ ds foi.ku gsrq ra= vkSj ,e,Qih ds fy, ewY; J`a[kyk dk fodkl

3-18 "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" की एक स्कीम अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों, जिनकी आजीविका पूरी तरह से एमएफपी के संग्रहण एवं विक्रय पर आधारित है, के लिए अति आवश्यक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2013–14 में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना तब सक्रिय हो जाती है जब एमएफपी का बाजार मूल्य एमएफपी के अधिसूचित एमएसपी से कम हो जाता है।

Hkkjrh; tutkrh; lgdkjh foi.ku fodkl la?k fyfeVsM ¼VkbQsM½

3-19 ट्राइफेड पूरे देश में अपनी खुदरा दुकानों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ट्राइफेड ने 31.12.2018 तक 18.44 करोड़ रूपये का व्यापार किया है।

3-20 विपणन विकास गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

- ट्राइफेड ने 53 स्वयं की 'ट्राइब्स इंडिया' दुकानों तथा 33 वस्तु प्रेषण आधारित दुकानों तथा 14 फ्रेंचाइजी दुकानों की श्रृंखला स्थापित की है।
- ट्राइफेड ने पूरे देश में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा इसकी बिक्री के लिए लगभग 84 छोटे तथा मध्यम स्तरीय 'आदि महोत्सव' आयोजित किए हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा ट्राइफेड ने इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा दिल्ली में "आदि महोत्सव" के नाम से 4 राष्ट्रीय जनजातीय उत्सवों का आयोजन भी किया।
- ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा इसकी बिक्री के लिए हमारे देश के विभिन्न स्थानों में लगभग 148 प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।
- 18.38 करोड़ रूपये के जनजातीय उत्पादों की खरीद की गई है।
- ट्राइफेड ने 1027 जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं / उत्पादनकर्ताओं को पैनल में शामिल किया है, जिसमें विभिन्न हस्तशिल्पों तथा हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति के लिए जनजातीय कलाकारों के साथ कार्यरत व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय एसएचजी, संगठन / एजेंसियां / एनजीओ शामिल हैं।

ÞU;wure leFkZu ewY; ¼,e,lih½ ds ek/;e ls y?kq ou mRikn ¼,e,Qih½ ds foi.ku gsrq ra= ,oa ,e,Qih ds fy, ewY; J`a[kyk dk fodklß dh Ldhe dk dk;kZUo;u

3-21 वर्ष 2013–14 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई लघु वन उत्पाद स्कीम (एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जनजातियों को उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था। आरंभ में, योजना में 9 राज्यों में 10 एमएफपी शामिल थे। बाद में इसे सभी राज्यों में तथा 24 एमएफपी के लिए विस्तारित किया गया। योजना को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एसएलए को परिक्रामी निधि प्रदान करता है। यदि कोई हानि हो, तो केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। वर्तमान में, योजना में 49 एमएफपी शामिल हैं तथा यह सभी राज्य में लागू है।

tutkrh; dk;Z ea=ky; }kjk ?kksf"kr U;wure leFkZu ewY;

3.22 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 11/01/2019 की अधिसूचना के माध्यम से सभी राज्यों में लागू 49 एमएफपी के लिए नयूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। एमएफपी तथा एमएसपी के ब्यौरे निम्नलिखित rkfydk 3-2 में दिये गये हैं:–

rkfydk 3-2½ y?kq ou mRikn rFkk mudk U;ure leFku eY;

Ø-l-	,e,Qih dk uke	,e,lih ¼:-çfr fd-xk-½	Ø-l-	,e,Qih dk uke	,e,lih ¼:-çfr fd-xk-½
1.	beyh ¼cht lfgr½ टैमारिंडस इंडिका	31	25	rst iÙkk ¼l[kk½ (सिन्नामेमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	33
2.	txyh 'kgn (वाइल्ड हनी)	195	26	tkeu dk l[kk cht (साइजियमकुमिनि)	36
3.	xkn djk;k स्टेरकुल्या यूरेंस	98	27	vkeyk dk l[kk xnk ¼cht jfgr½ (फायलांथस एमबिलिका)	45
4.	djt dk cht पोंगामिया पिन्नाटा	19	28	fHkykok (सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	8
5.	lky dk cht शोरिया रोबुस्टा	20	29	jhBk ¼l[kk½ (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	12
6.	egvk dk cht मधुकालोंगीफोलिया	25	30	Hkko cht ¼veyrkl½ (कासिया फिसुला)	11
7.	lky dk iÙk शोरिया रोबुस्टा	30	31.	vtu Nky (टर्मिनालिया अर्जुना)	18
8.	cht lfgr fpjkth dh Qyh बुचानानियालांजन	109	32.	dkde ¼l[kk½ (गारसिनिया इंडिका)	25
9.	gjhfrdk टरमिनालिया चेबुला	15	33.	fxyk; (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	21
10(क).	jfxuh yk[k	130	34.	dkp dk cht (मकुना प्रुरेंस)	18
10(ख).	dlleh yk[k	203	35.	fpjk;rk (स्वेरशिया चीराटा)	29
11.	dle dk cht (शैलिककेरा ओलियोसा)	20	36.	o;fcfMx @ okofMx ¼l[kk cht½ (एमबिलिया रिब्स)	81
12.	uhe dk cht (आजादीरस्टा इंडिका)	23	37.	/kokbQy l[kk Qy (वुडफोर्डीया फ्लोरिबंडा)	32
13.	ivkn dk cht (कासिया टोरा)	14	38.	uDl okfedk (स्ट्राइक्नोस नक्स वोमिका)	36
14.	cgMk (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17	39.	cu rylh dk iÙk ¼l[k½ (ओसीम्म टेनुइफ्लोरम)	19
15.	igkMh >kMw ?kkl (थायसानोलेना मैक्सिमा)	30	40.	'khjuh (हेमीडेसमस इंडिकस)	30
16.	l[kh f'kdkdk;h dh Qyh (अकैसिया कॉनसिन्ना)	43	41.	cdy ¼l[kh Nky½ (मीमुसोपस इलेंगी)	40
17.	ck;y xnk ¼l[kk½ (ऐगले मार्मेलोस)	27	42.	dVt ¼l[kh Nky½ (होलरहेना पुबेसिन्स/एच.एनीडायसेन्टेरिका)	27

Ø-l-	,e,Qih dk uke	,e,lih ¼:- çfr fd-xk-½	Ø-l-	,e,Qih dk uke	,e,lih ¼:- çfr fd-xk-½
18.	ukxjeksFkk (सायपरस रोटुंडस)	27	43.	ukuh @ vky ¼lw[kk Qy½ (मोरिंडा सिट्रीफोलिया)	15
19.	'krkojh dh tM+ ¼lw[kh½ (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	92	44.	lkukikBk @ L;kuskd dh Qfy;k (ओरोक्सीलम इंडिकम)	18
20.	xqMekj@e/kqukf'kuh (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	35	45.	pukSBh ds cht (अबरूस प्रिकाटोरियस)	39
21.	dkyes?k (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	33	46.	dfygkjh ¼lw[kk dan½ (ग्लोरियोसा सुपरबा)	27
22.	beyh ¼cht jfgr½ (टैमारिंडस इंडिका)	54	47.	edks; ¼lw[kk Qy½ (सोलानम निग्रम)	21
23.	xqXxqy (स्टेरकुल्यारेंस)	700	48.	vikx ikS/kk (ऐकिरांथिस असपेरा)	24
24.	egqvk ds Qy ¼lw[kk½ (मधुकलोंगी फोलिया)	17	49.	lqxa/kea=h tM+ @ dan (होमालोमिना एरोमैटिक)	33

jkT; Lrjh; i{kiks"k.k dk;Z'kkyk

3-23 राज्यों के नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों को एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम के संबंध में अवगत कराने तथा उन्हें स्कीम के तहत भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि स्कीम को लाभार्थियों की बड़ी संख्या को कवर करने के लिए विस्तृत किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों में ट्राइफेड द्वारा ''लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की योजना को अगले स्तर पर ले जाने'' के विषय पर राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्याशालाएं आयोजित की गई थीं।

3-24 वर्ष के दौरान 17 राज्य सरकारों ने स्कीम के तहत भाग लेने के लिए ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं तथा अन्य तीन राज्यों ने स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए अपने नोडल विभाग तथा राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियों की घोषणा की है। इसके साथ स्कीम के तहत भाग लेने वाले राज्यों की संख्या 7 से बढ़कर 20 से अधिक हो गई है।

vuqlwfpr tutkfr ,oa vU; ijaijkxr ou fuoklh ¼ou vf/kdkjksa dh ekU;rk½ vf/kfu;e] 2006

3-25 दिनांक 31.03.2019 तक एफआरए के तहत कुल 42,37,853 दावे दर्ज किए गए, जिसमें से 87.72% दावों का निपटान किया जा चुका है तथा 19,64,048 अधिकार–पत्र जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा को सबसे ज्यादा अधिकार–पत्र जारी करने का गौरव प्राप्त है, जो 4,36,776 है (4,30,212 व्यक्तिगत तथा 6564 सामुदायिक अधिकार–पत्र)

vkfn egksRlo & 2018

3-26 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइफेड के सहयोग से 16 नवंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2018 तक एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया था। जनजातीय शिल्प, संस्कृति, पाक कला तथा वाणिज्य की भावना का उत्सव मनाने, इसको संजोने तथा बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम जी ने दिल्ली हाट, आईएनए में ''आदि महोत्सव'' का उद्घाटन किया। इस उत्सव को दिल्ली के लाखों निवासियों के साथ 15 दिनों तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इस उत्सव ने जनजातीय कलाकारों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया। इसमें सुंदर साड़ियां, पोशाक सामग्री, आभूषण, बांस तथा बेंत के उत्पाद, चित्रकला तथा सैंकडों अन्य वस्तुएं शामिल थीं।

3-27 20 राज्यों से 1000 से अधिक कारीगरों, 80 जनजातीय शैफ तथा 14 नृत्य मण्डलियों और 250 से अधिक कलाकारों ने महोत्सव में भाग लिया। महोत्सव की विशेषताएं – महुआ शराब बनाने का जीवंत प्रदर्शन, टीएए रास तथा कैंडी महुआ इमली चटनी आदि; लाख की चूडियां बनाने का जीवंत प्रदर्शन; चार विभिन्न चित्रकला विधि अर्थात वोर्ली, पिथोरा, गौंद तथा सौरा का चित्रकला प्रदर्शन; जनजातीय वस्त्रों, फैशन वस्तुओं का फैशन–शो आदि थीं। महोत्सव में साड़ियों का विरासत संग्रह, सूती, ऊनी तथा रेशम के जैकेट्स सहित पुरूषों के लिए वस्त्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखण्ड से कुर्ते; छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से घण्टी – धातु; गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश से चित्रकला; हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू एवं कश्मीर से ऊनी कपड़े; विभिन्न राज्यों से शहद, मसाले, सूखे फल आदि; हिमाचल, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से जनजातीय आभूषण; मणिपुर, राजस्थान से मिट्टी के बर्तन; राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से घर सजाने के सामान; गुजरात, तेलंगाना, झारखण्ड से बैग संग्रह; पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, केरल से घांस की चटाई तथा नारियल–जटा संग्रह जैसे जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था।

3-28 प्रत्येक संध्या को शाम 6.30 बजे से शाम 8.30 बजे तक जनजातीय संगीत तथा नृत्य प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर एक मनोहर स्टेज तैयार किया गया था। उत्सव की एक खास विशेषता यह थी कि जनजातीय भारतीय व्यंजन को विशेष जनजातीय शैफ द्वारा पुनः तैयार किया गया तथा शहरी स्वाद के अनुसार आनंदकर रूप में प्रस्तुत किया गया। नगदी रहित (कैश लेस) की राष्ट्रीय आकांक्षा के क्रम में जनजातीय व्यापार स्टाल ने क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया। दिल्ली के लोगों ने इसका विशेष रूप से आनंद लिया।

3-29 30 नवंबर, 2019 को दिल्ली हाट में आदि महोत्सव के समापन समारोह में पूरे देश से जनजातीय मास्टर शिल्पकारों द्वारा दस्तकारी उत्पादों की ट्राइब्स इंडिया की पंचतंत्र श्रृंखला के लिए माननीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी ने 6 बार की महिला विश्व बॉक्सिंग चौंपियन तथा ब्रांड अम्बेसडर सुश्री मैरीकॉम को भी सम्मानित किया।

3-30 देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न अवधियों के दौरान उत्सव का आयोजन ट्राइफेड के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आयोजित किया गया था। आदि महोत्सव की कुछ झलकियां नीचे दी गयी हैः

ekuuh; tutkrh; dk;Z ea=h Jh tq,y vkjke th 6 ckj dh efgyk fo'o c,fDlax pSfEi;u rFkk VkbZEl bfM;k ds mRiknksa dh iqjLdkj Jh[kyk dh czkaM vEcslMj lqJh eSjhd,e dkWe lEekfur djrs gq,A

v/;k; 4

vuqlwfpr tutkfr;ksa dh :ijs[kk

tula[;k

4-1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ तथा अजजा महिलाओं की जनसंख्या 5.20 करोड़ है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो xkQ 4-1 में दर्शाई गई है स्पष्ट करती है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या की वृद्धि दर (25%) अनुसूचित जनजाति के पुरूष की वृद्धि दर (23%) से अधिक है।

लिंग और आवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या vuqyXud&4d में दी गई है। भारत में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

xkQ 4-1% vuqlwfpr tutkfr dh tula[;k eas o`)% 2001&2011 (% में)

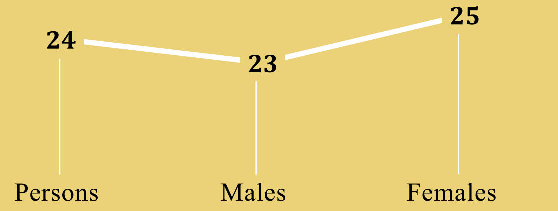

–वार प्रतिशत और कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता का विवरण vuqyXud 4[k में दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का क्रम rkfydk&4-1 में दिया गया है।

rkfydk 4-1% vuqlwfpr tutkfr;ksa ds vuqikr ds vk/kkj ij jkT;ksa@la?k jkT;{ks=kksa dk Øe% tux.kuk 2011

'kh"kZ 5 jkT;@la?k jkT; {ks=	
लक्षद्वीप	94.8%
मिजोरम	94.4%
नागालैण्ड	86.5%
मेघालय	86.1%
अरुणाचल प्रदेश	68.8%

uhps ds 5 jkT;@la?k jkT;{ks=	
उत्तर प्रदेश	0.6%
तमिलनाडु	1.1%
बिहार	1.3%
केरल	1.5%
उत्तराखंड	2.9%

fyax vuqikr

4-2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग अनुपात 990 है जो 943 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात भी वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिला हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का उच्च लिंग अनुपात दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात 924 दर्शाया है। वर्ष 2001 और 2011 में आवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात vuqyXud&4x में दिया गया है।

cky fyax vuqikr

4-3 अनुसूचित जनजातियों के सम्बंध में 0–6 वर्ष आयु समूह में बाल लिंग अनुपात 2001 में 972 से 2011 में 957 तक कम हुआ है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लिंग अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लिंग अनुपात, जो 1000 लड़कों के प्रति 914 लड़कियां हैं, की तुलना में अधिक है।

lk{kjrk nj

4-4 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से 2011 में 59% तक सुधार हुआ है। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49.4% तक बढ़ी है। कुल जनसंख्या के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अंतर है। वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 के लिए व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में साक्षरता दरों में अंतर जैसा xkQ 4-2 में दर्शाया गया है, प्रगति सूचक गिरावट दर्शाता है। वर्ष 1961 के बाद की जनगणना के आधार पर साक्षरता दरें निम्नलिखित rkfydk 4-2 में दी गई हैं।

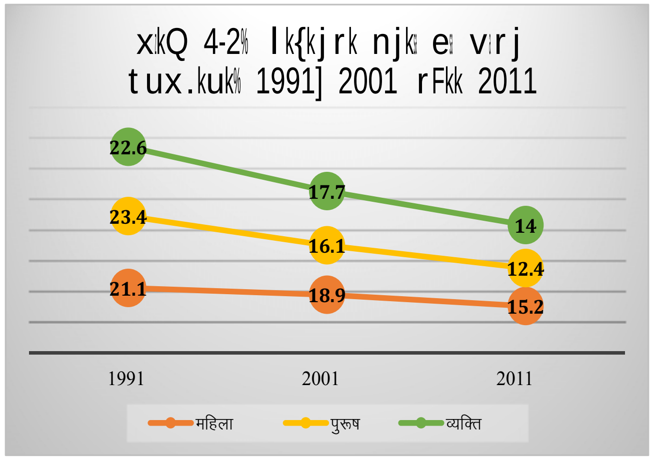

rkfydk 4-2% vuqlfpr tutkfr vkSj lHkh dh lk{kjrk nj						
o"kZ	lHkh			vuqlfpr tutkfr;k		
	O;fä	iq#"k	efgyk	O;fä	iq#"k	efgyk
1961	28.30	40.40	15.35	8.53	13.83	3.16
1971	34.45	45.96	21.97	11.30	17.63	4.85
1981	43.57	56.38	29.76	16.35	24.52	8.04
1991	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19
2001	64.84	75.26	53.67	47.10	59.17	34.76
2011	73.00	80.90	64.60	59.00	68.50	49.40

lzkr% Hkkjr ds egkiathd dk dk;kZy;

4-5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशत बिन्दुओं से अधिक अंतर दर्शाया है। तथापि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की है। कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर और अंतरों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे vuqyXud& 4?k में दिए गए हैं।

4-6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "सामाजिक उपभोग: शिक्षा" पर कराए गए 71वें सर्वेक्षण (जनवरी–जून, 2014) के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 67% है तथा सभी श्रेणियों के लिए अनुरूपी आंकडा 76% है।

4-7 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर 15 वर्षों तथा उससे अधिक आयु के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे vuqyXud&4M- में दिए गए हैं। भारत के लिए वर्गीकृत, लिंग–वार अलग–अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10–14 वर्ष, 15–19 वर्ष, 20–24 वर्ष की आयु), किशोर (10–19 वर्ष) तथा युवा (15–24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है, निम्नलिखित rkfydk 4-3 में दी गई है:

rkfydk 4-3% lk{kjrk nj

lHkh Jf.k;k ¼vk;q leg½	dqy			vuqlfpr tkfr			vuqlfpr tutkfr		
	0;fä	i#"k	efgyk	0;fä	i#"k	efgyk	0;fä	i#"k	efgyk
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10–14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15–19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20–24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10–19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15–24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

;ok lk{kjrk nj

4-8 जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के अनुसार सभी तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए अखिल भारत स्तर पर युवा साक्षरता दर xkQ 4-3 में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं में साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 75 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की युवा पुरुष साक्षरता दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला युवा साक्षरता दर ने महत्वपूर्ण 20 प्रतिशत बिन्दुओं का उछाल दर्शाया है। तथापि, सारी जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दर के बीच अभी भी अंतर विद्यमान है।

xkQ 4-3% ;ok lk{kjrk nj ¼15&24 o"k½ & vf[ky Hkkjr tux.kuk 2001 rFkk 2011

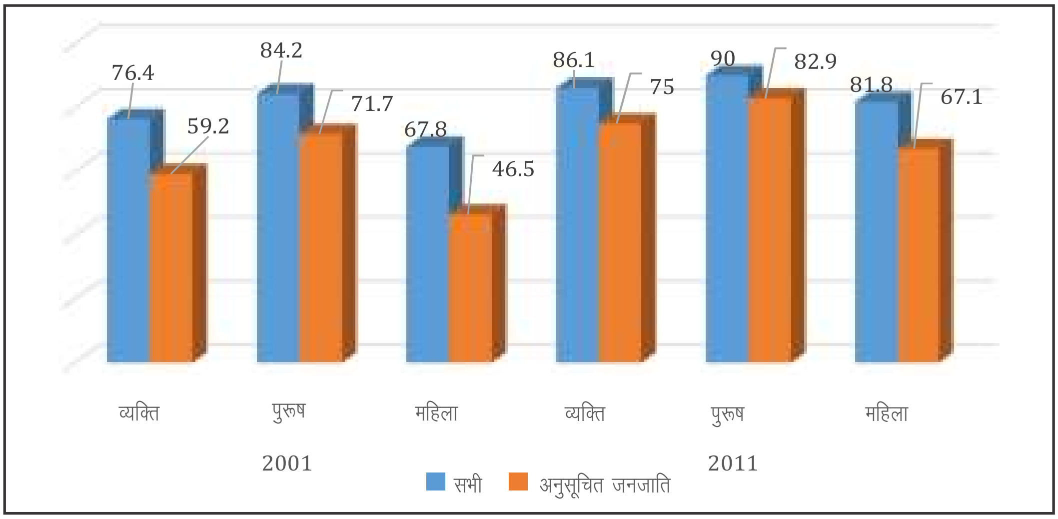

ldy ukekdu vuikr ¼thbvkj½

4-9 वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे rkfydk 4-4 में दिए गए हैं। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात rkfydk 4-5 में दिया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में प्राथमिक (I-V), प्रारम्भिक (I-VIII), माध्यमिक (IX-X) तथा उच्च माध्यमिक (XI-XII) स्तरों पर जीआईआर में कमी आई है। अजजा बालिकाओं के लिए जीईआर उच्च प्राथमिक (VI-VIII) स्तर पर वर्ष 2014–15 में 93.2% से 2016–17 में 97% तक, माध्यमिक (IX-X) स्तर पर 2014–15 में 71.7% से 2016–17 में 74.4% तक और उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) स्तर पर वर्ष 2014–15 में 37.6% से 2016–17 में 42.6% तक बढ़ा है। तथापि, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर नामांकन अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ा है। उच्च शिक्षा के संबंध में अजजा जीईआर में भी सुधार हुआ है।

rkfydk 4-4% vu|lfpr tutkfr d fo|kfFk;k d fy, ldy ukekadu vuikr ¼thbvkj½

Lrj@o"k	çkFkfed ¼I - V½ 6&10 o"k			mPp çkFkfed ¼VI-VIII½ 11&13 o"k			çkjfHkd ¼I-VIII½ 6&13 o"k		
	Nk=	Nk=k,i	dy	Nk=	Nk=k,i	dy	Nk=	Nk=k,i	dy
2014-15	110.3	107.7	109.0	92.0	93.2	92.6	103.8	102.6	103.2
2015-16	107.5	105.2	106.3	94.3	96.1	95.2	102.8	102.0	102.4
2016-17	102.6	100.6	101.6	94.6	97.0	95.7	99.8	99.4	99.6

rkfydk 4-5% vu|lfpr tutkfr d fo|kfFk;k d fy, lEi.k nkf[kyk vuikr

Lrj@o"k	ek/;fed ¼IX-X½ 14&15 o"k			mPprj ek/;fed ¼XI-XII½ 16&17 o"k			mPp f'k{kk 18&23 o"k		
	Nk=	Nk=k,i	dy	Nk=	Nk=k,i	dy	Nk=	Nk=k,i	dy
2014-15	71.1	71.7	71.4	39.4	37.6	38.5	15.2	12.3	13.7
2015-16	73.0	74.4	73.7	43.4	42.2	42.8	15.6	12.9	14.2
2016-17	72.7	74.4	73.5	42.7	42.6	42.7	16.7	14.2	15.4
2017-18	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	17.0	14.9	15.9

vkdMk d lkr%

fo|ky; f'k{kk d fy,% शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), एनयूइपीए

mPprj f'k{kk d fy,% उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

fVli.k% विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकडे अनंतिम हैं।

उप. नहीं: उपलब्ध नहीं

çkFkfed Lrj d fy, thbvkj dh ifjHkk"kk% आयु के असंगत प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल नामांकन जो दिए गए विद्यालय वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय आयु (6—10 वर्ष) की जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त की जाती है।

fyx lekurk lpdkd ¼thihvkb½

4-10 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) ने माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के साथ—साथ उच्च शिक्षा स्तर पर सुधार दर्शाया है। तथापि, यह माध्यमिक स्तर पर स्थिर है। आंकडें नीचे rkfydk 4-6 में दिए गए हैं:

rkfydk 4-6% vu|lfpr tutkfr d fo|kfFk;k d fy, fyxh; lekurk lpdkd ¼thihvkb½

Lrj@o"k	ek/;fed ¼IX-X½	mPprj ek/;fed ¼XI-XII½	mPp f'k{kk
2015-16	1.02	0.97	0.83
2016-17	1.02	1.00	0.85
2017-18	उप. नहीं	उप. नहीं	0.87

vkdMk d lkr%

fo|ky; f'k{kk d fy,% शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), एनयूइपीए

mPprj f'k{kk d fy,% उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

fVli.k% विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

उप. नहीं: उपलब्ध नहीं

Ldwy f'k{kk esa MªkWi&vkmV nj

4-11 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा में ड्रॉप–आउट दरों में 2011–12 से 2013–14 तक के दौरान अलग–अलग कक्षाओं में लगातार गिरावट आई है। ब्यौरे नीचे तालिका 4.7 में दिए गए हैं:

rkfydk 4-7% vuqlwfpr tutkfr ds fo|kfFkZ;ksa dh fo|ky; f'k{kk esa MªkWi&vkmV nj

o"kZ@d{kk,a	d{kk,a I-V			d{kk,a I-VIII			d{kk,a I-X		
	Nk=	Nk=k,a	dqy	Nk=	Nk=k,a	dqy	Nk=	Nk=k,a	dqy
2011-12	36.1	34.4	35.3	57.3	57.1	57.2	64.4	67.6	65.9
2012-13 (अ)	33.3	31.2	32.3	50.6	47.5	49.2	63.2	62.2	62.7
2013-14 (अ)	31.9	30.7	31.3	49.8	46.4	48.2	63.2	61.4	62.4

स्रोतः शैक्षिक आंकड़े एक नजर में, स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

वर्ष 2013–14 के लिए कक्षा I से V हेतु ड्रॉप आउट दर

$$= 1 - \frac{\text{2014 के दौरान कक्षा V में नामांकन}}{\text{2010 के दौरान कक्षा I में नामांकन}} \times 100$$

ijh{kk ifj.kke

4-12 वर्ष 2016 के दौरान, 65.0% तथा 68.2% अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मुक्त (ओपन) बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की है।

सभी श्रेणियां और अनुसूचित जनजाति के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यार्थीयों के उत्तीर्ण की प्रतिशतता क्रमशः rkfydk 4-8 rFkk rkfydk 4-9 में दर्शाए गए हैं।

rkfydk 4-8% o"kZ 2011&2016 ds nkSjku ek/;fed ijh{kk mÙkh.kZ dh çfr'krrk

o"kZ	lHkh Jsf.k;ka			vuqlwfpr tutkfr;ka		
	Nk=	Nk=k,a	dqy	Nk=	Nk=k,a	dqy
2011(V)	73.3	76.7	74.8	62.4	61.7	62.1
2012 (V)	74.4	78.0	76.0	61.5	61.2	61.4
2013 (V)	75.8	80.1	77.8	64.2	64.8	64.5
2014 (V)	77.6	81.0	79.2	65.1	63.8	64.5
2015 (V)	77.5	80.6	78.9	65.0	63.2	64.1
2016 (V)	77.7	79.8	78.7	65.2	64.9	65.0

rkfydk 4-9% o"kZ 2011 & 2016 ds nkSjku mPprj ek/;fed ijh{kk mÙkh.kZ dh ifr'krrk

o"kZ	lHkh Jsf.k;ka			vuqlwfpr tutkfr;ka		
	Nk=	Nk=k,a	dqy	Nk=	Nk=k,a	dqy
2011(V)	70.8	81.0	75.3	63.9	68.4	65.8
2012 (V)	75.2	82.8	78.5	66.6	72.0	68.9
2013 (V)	75.0	83.0	78.5	66.7	72.0	69.0
2014 (V)	75.8	84.1	79.5	67.9	73.7	70.6
2015 (V)	75.2	84.1	79.2	65.8	72.2	68.9
2016 (V)	74.3	82.2	77.9	65.5	71.4	68.2

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय
अ– अनंतिम

LokLF; lwpdkad

4-13 वर्ष 2015–16 के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–4 के अनुसार, सभी श्रेणियों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातियों हेतु शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) तथा महिलाओं में खून की कमी की स्थिति xkQ 4-4 में दर्शाई गई है।

xkQ 4-4

LokLF; lwpdkad ,u,Q,p,l&4 ¼2015&16½

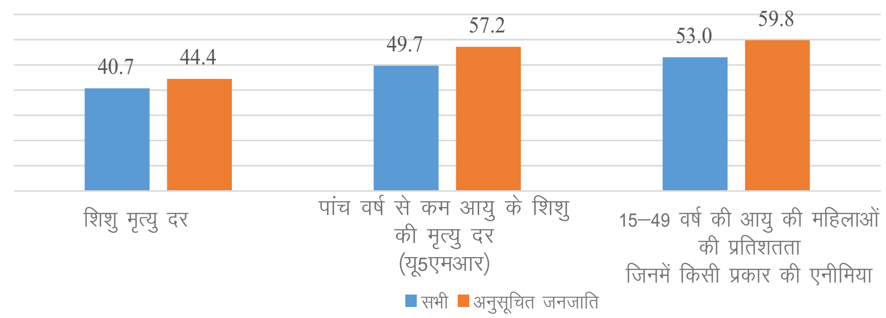

xkQ 4-5 दर्शाता है कि एनएफएचएस–3 (2005–06) तथा एनएफएचएस–4 (2015–16) के आधार पर सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया में वर्ष 2005–06 से 2015–16 तक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

xkQ 4-5% LokLF; lwpdkadk dh rqyuk

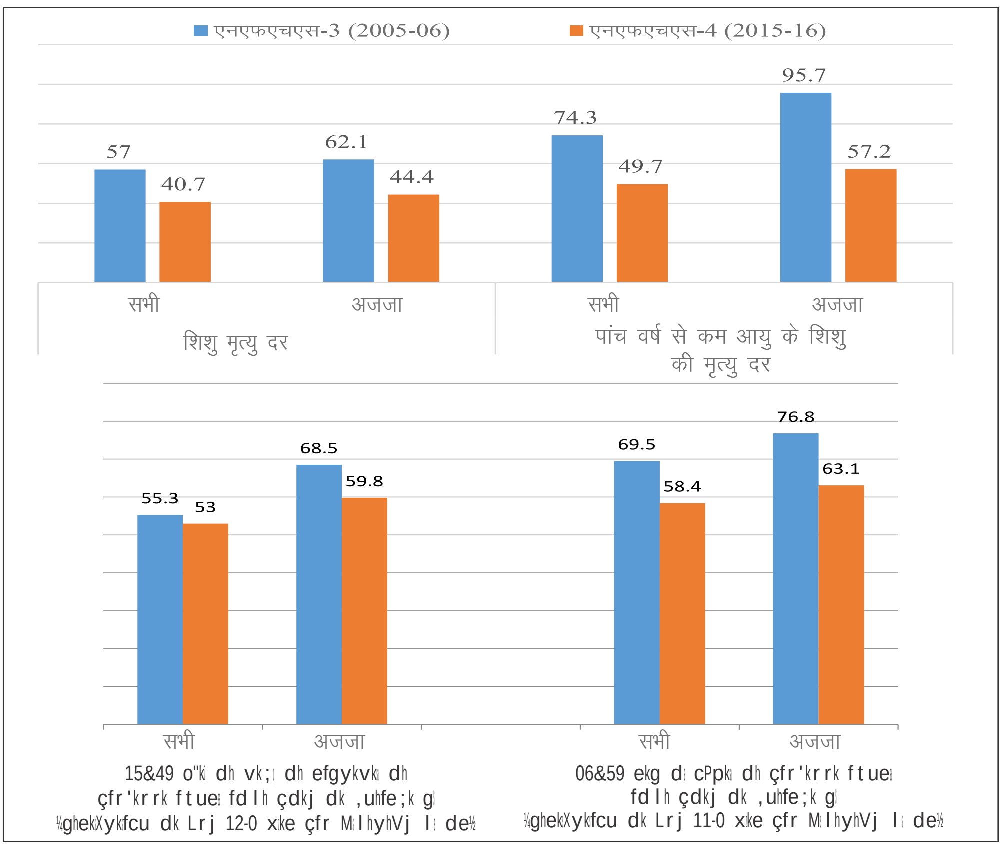

vkdMksa dk lzksr% स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

[1]आईएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्म के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या है।

[2]यू5एमआर इस आयु समूह में वर्ष के दौरान प्रति 1000 बच्चों पर, आयु 0–4 वर्ष के बीच बच्चों की मृत्यु की संख्या है।

5 o"k l de vk;| d vu|lfpr tutkfr d cPpk dh ik"k.k fLFkfr

4-14 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रमशः 2005–06 और 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–3 और 4 के आंकड़ों पर आधारित, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिशत पोषण की स्थितिः रूकी हुई वृद्धि (आयु के अनुसार कद), कमजोर (कद के अनुसार वजन) और कम वजन (आयु के लिए वजन) के अनुसार कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित ग्राफ 4.6 में दिए गए हैं।

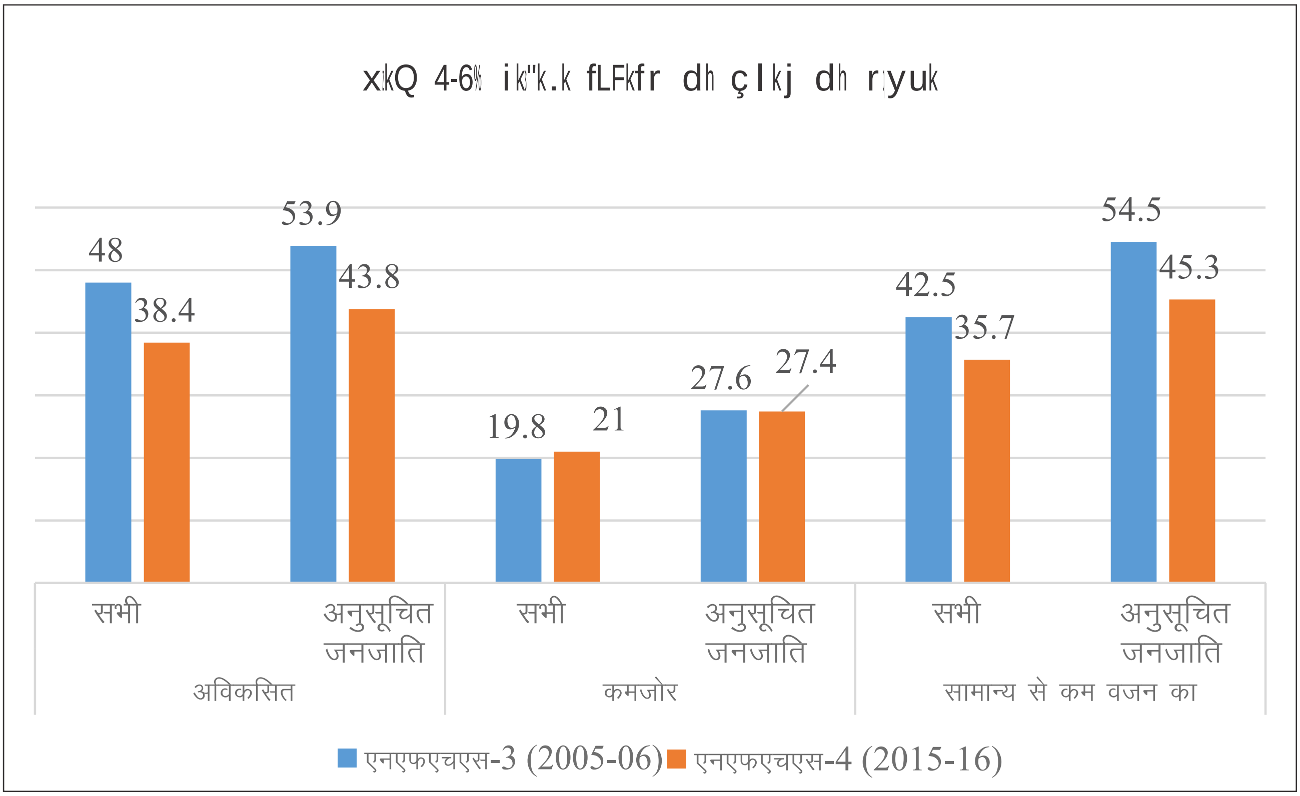

cPpk dk Vhdkdj.k doj|t

4-15 12–23 माह के अनुसूचित जनजाति और सभी श्रेणियों के बच्चे जिन्हें पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त हुआ है तथा जिनका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति rkfydk 4-10 में नीचे दी गई है। बच्चों का टीकाकरण तब पूरा हुआ माना जाता है जब उन्हें तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन, काली खांसी (परटूसिस) तथा टिटनेस (डीपीटी) के टीके, पोलियो माइलिटिस (पोलियो) की तीन खुराक (जन्म के समय पोलियो के टीके को छोड़कर); और 12 माह की आयु तक खसरा की 1 खुराक दे दी जाती है।

rkfydk 4-10% 12&23 ekg vk;| d vtk rFkk lHkh Jf.k;k d cPpk dh çfr'krrk ftudk lEi|.k Vhdkdj.k g|vk g @ dkbZ çfrj{k.k ugh g|vk g

lkr	lEi|.k ifrj{k.k		dkbZ Vhdkdj.k ugh	
	lHkh	vtk	lHkh	vtk
एनएफएचएस–3 (2005–06)	43.5	31.3	5.1	11.5
एनएफएचएस–4 (2015–16)	62.0	55.8	6.0	9.2

स्रोतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

lLFkkxr çlfr

4-16 xkQ 4-7 में दिए गए आंकडे दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसूति की प्रतिशतता वर्ष 2005–06 में 17.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 68 प्रतिशत हो गई है। वहीं सभी श्रेणियों के लिए कुशल स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा कराई गई प्रसूतियां वर्ष 2005–06 से 2015–16 की अवधि के दौरान 25.4 प्रतिशत से 71.5 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। दोनों मामलों में सभी महिलाओं की तुलना में, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए लगभग 10 प्रतिशत का अंतर है।

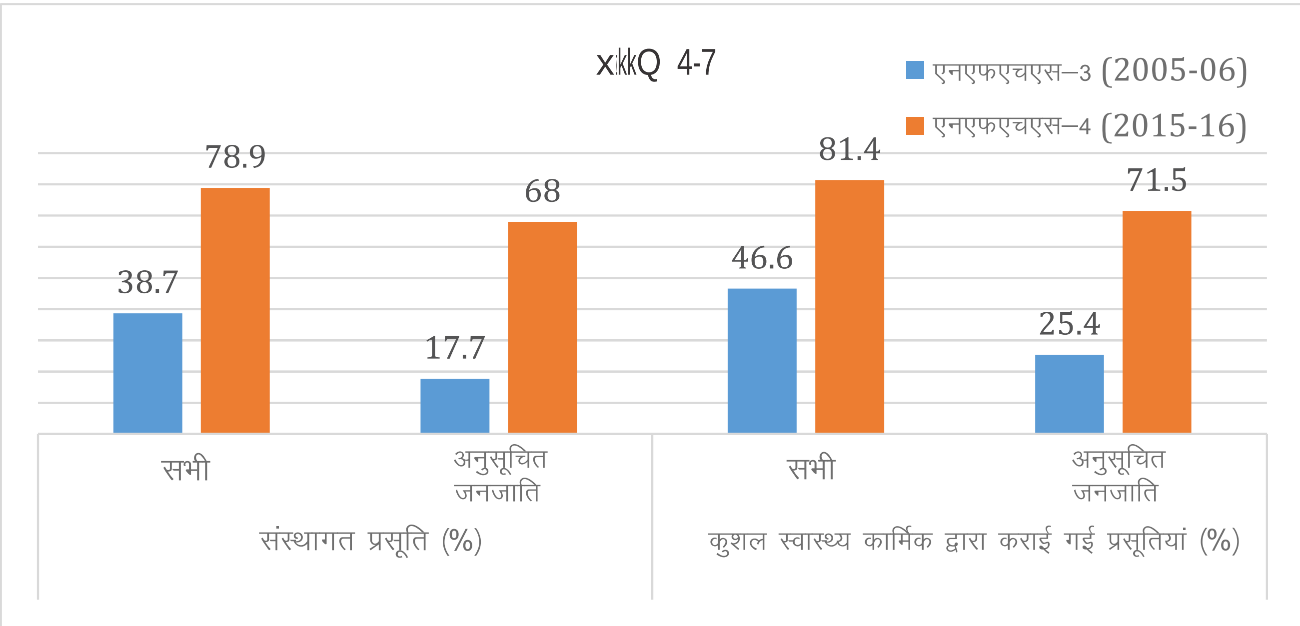

tutkrh; {k=k e LokLF; vol jpuk

4-17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित आंकडों के अनुसार 31 मार्च, 2018 तक 28091 उपकेन्द्र (एससी), 3971 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) तथा 1017 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) कार्यरत हैं। वर्ष 2015 से 2018 तक विद्यमान उपकेन्द्रों की संख्या में 133 की वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 14 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 19 की वृद्धि हुई है। आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च, 2018 तक जनजातीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 5935 उपकेन्द्रों, 1187 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 275 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। इसके अलावा, राजस्थान (1238), मध्य प्रदेश (1213), महाराष्ट्र (945), कर्नाटक (822) और असम (453) में उप–केंद्रों की संख्या में बहुत कमी आई है। मध्य प्रदेश में 381 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है, इसके पश्चात झारखंड में 228 तथा राजस्थान में 224 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मामले में मध्य प्रदेश सर्वाधिक (74) की कमी दर्शाता है, इसके पश्चात महाराष्ट्र (45) तथा राजस्थान (43) का स्थान है।

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए निर्धारित मानकों का उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की जाती है, जो निम्नलिखित तालिका 4.11 में दी गई है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे vuyXud & 4p में दिए गए हैं।

rkfydk 4-11

dUæ	tul[;k ekud	
	lery {k=	igkMh@tutkrh;@ef'dy {k=
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

4-18 अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के स्वीकृत पदों के 10.8 प्रतिशत पद 31.03.2018 तक रिक्त हैं। ब्यौरे vuqyXud&4N में दिए गए हैं। गुजरात में 1380 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला)/एएनएम की कमी है। इसके पश्चात त्रिपुरा (282) तथा तमिलनाडु (240) का स्थान आता है। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरो की संख्या वर्ष 2015 के समान 4298 है। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की कमी की स्थिति छत्तीसगढ़ (229) में सबसे अधिक है इसके बाद ओडिशा (100) तथा गुजरात (63) का स्थान है। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2018 तक जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदों का 18.8 प्रतिशत और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों का 27.3 प्रतिशत रिक्त है। ओडिशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 589 नर्सिंग कार्मिकों की कमी उच्चतम है, इसके बाद झारखण्ड (429) तथा महाराष्ट्र (316) का स्थान है। ब्यौरे vuqyXud&4t rFkk 4> में दिए गए हैं।

xjhch vuqeku

4-19 पूर्व के योजना आयोग ने उन वर्षों के गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान उपलब्ध कराए हैं जिनके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण दिए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में संपूर्ण जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 13.7 प्रतिशत लोगों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 24.1 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 और 2011–12 के लिए राज्य–वार ब्यौरे नीचे rkfydk 4-12 में दिए गए हैः

rkfydk 4-12½ o"kZ 2009&10 rFkk 2011&12 ds nkSjku xjhch js[kk ls uhps vuqlwfpr tutkrh; tula[;k dh çfr'krrk ¼rsanqydj i)fr½

Ø-l-	jkT;	xzkeh.k		'kgjh	
		2009-10	**2011-12**	**2009-10**	**2011-12**
1	आंध्र प्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	vf[ky Hkkjr	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

vu|lfpr tutkfr d ifjokjk dh çfr'krrk vkj mudh çdk'k dh 0;oLFkk d lkr&vu|lfpr tutkfr ,o lHkh lkekftd leg dh ,d r|yukRed rLohj

4-20 जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण भारत की तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। इसके पश्चात मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। लक्षदीप में 99.7% परिवारों के लिए प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दमन व दीव (96.6%), हिमाचल प्रदेश (94.5%), अंडमान और निकोबार द्वीप (94%) तथा गोवा (93.8%) का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। सिक्किम का स्थान (91.5:) है, इसके पश्चात मिजोरम (84.3%) तथा नागालैंड (81.2%) का स्थान है। बिहार तथा ओडिशा एक विकृत तस्वीर दर्शाते हैं, जहां बिहार में कुल परिवारों के 16.4% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के केवल 11.5% परिवार (न्यूनतम) तथा ओडिशा में कुल परिवार के 43% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के 15.6% परिवार बिजली का उपयोग करते हैं। बिहार तथा ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवार मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं (विस्तृत तालिका vu|yXud & 4¥ में देखें)

vu|lfpr tutkfr d ifjokjk dh çfr'krrk ftud edkuk e 'kkpky; rFkk Luku?kj dh lfo/kk g& vu|lfpr tutkfr rFkk lHkh lkekftd leg dh r|yukRed rLohj

4-21 जनगणना, 2011 के आंकडों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में से 46.9% के पास जिसमें से 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 0.1 प्रतिशत परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में शौच के लिए जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर, लक्षद्वीप सबसे ऊपर है क्योंकि उसके (98.3%) परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय की सुविधा है कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं जिनके पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम (91.9%), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (88.2%), सिक्किम (85.9%), मणिपुर (78.4%), नागालैंड (74.8%) तथा केरल (71.4%) हैं। ओडिशा अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1% के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22% है। जम्मू और कश्मीर में सभी परिवारों के 8.9 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 5.2 प्रतिशत मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कई अन्य राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर और दादर व नगर हवेली में इस रीति का उपयोग किया जा रहा है। ब्यौरे vu|yXud&4 V में दिए गए हैं।

tux.kuk dh fLFkfr;k d vu|lkj vu|lfpr tutkrh; ifjokjk dk çfr'kr ftud ikl ?kj g& vu|lfpr tutkfr;k vkj lHkh lkekftd leg dh r|yukRed rLohj

4-22 जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 53 प्रतिशत की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों है जिनके पास अच्छे मकान हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत और असम 32 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग से रसोई है उनके 61.3 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7 प्रतिशत पर इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में हैं वे पेयजल के मुख्य स्त्रोत के निकट अवास्थिति अनुसूचित जनजातीय परिवारों/घरों की प्रतिशतता अंडमान व निकोबार में (97.9 प्रतिशत) हैं इसके बाद नागालैंड (96.8 प्रतिशत), लक्षद्वीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.2 प्रतिशत) और गोवा (90.2 प्रतिशत) पर है। घर के भीतर रसोई रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (21.1 प्रतिशत) इसके बाद बिहार (34.4 प्रतिशत) झारखंड (34.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (36.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0

प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। राज्य–वार ब्यौरे vuqyXud&4 B में दिए गए हैं।

4-23 जनगणना 2011 के अनुसार, यह देखा गया है कि देश के सभी परिवारों में अधिकांश 47 प्रतिशत के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा है वहीं 20 प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है। राज्य–वार ब्यौरे vuqyXud&4M में दिए गए हैं। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान पेयजल उपलब्धता के विभिन्न स्रोत दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण rkfydk 4-13 में दिया गया है।

rkfydk 4-13 vt tk ifjokjk d fy, i;ty d lkr

(संख्या % में)

tux.kuk	i;ty lkr dk LFkku	'kkf/kr lkr l Vi uy }kjk tykifr	gSMiEi	VîcoSy @ ckjoSy	dqvk	rkykc @ikS[kj @>hy	unh@ ugj	lkrk	vU; lkr
2001	कुल	20.0	35.8	5.9	28.4	1.4	3.2	3.9	1.5
	परिसर में	52.4	18.2	4.2	24.3	0.7	0.0	0.0	0.4
	परिसर के नजदीक	17.1	44.1	5.9	26.3	1.0	2.2	2.6	0.8
	दूर	8.5	28.7	6.7	34.9	2.5	6.9	8.5	3.4
2011	कुल	24.5	39.1	7.8	21.0	1.1	2.0	3.1	1.3
	परिसर में	54.1	20.9	8.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	परिसर के नजदीक	22.5	46.8	7.5	18.0	1.1	1.3	2.0	0.9
	दूर	9.8	39.1	7.7	28.2	1.9	4.2	6.5	2.6

स्रोतः जनगणना 2001 तथा 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

Hk& lifÙk

4-24 जनवरी से दिसम्बर 2013 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें चक्र में किए गए भूमि एवं पशुधन सर्वेक्षण के आधार पर एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में परिवारों द्वारा स्वामित्व का अनुमानित कुल क्षेत्र, प्रति स्वामित्व वाले 0.592 हेक्टेयर भूमि के आकार के औसत के साथ 92.369 मिलियन हेक्टेयर था। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा ग्रामीण भारत में स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के लिए 13.06 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 9.23 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45.68 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 32.03 प्रतिशत था। प्रति परिवार द्वारा स्वामित्व प्राप्त भूमि का औसत क्षेत्र अनूसूचित जनजातियों के लिए 0.650 हेक्टेयर, अनुसूचित जातियों के लिए 0.272 हेक्टेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.603 हेक्टेयर और अन्यों के लिए 0.816 हेक्टेयर था। प्रत्येक परिवार सामाजिक समूह के लिए जोत भूमि श्रेणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों के आबंटन का ब्यौरा नीचे rkfydk 4-14 में दिया गया है।

rkfydk 4-14% çR;sd ?kjsyw lkekftd leg ds fy, Hkw&lEifÙk ds vkdkj Js.kh }kjk ifjokjksa ds vkcaVu dh çfr'krrk

Hkw&lEifÙk dh Js.kh ¼Hkwfe vkdkj oxZ gSDVs;j esa½	?kjsyw lkekftd leg				
	vtTkk	vtk	vfio	vU;	lHkh ¼lwlfpr ugha lfgr½
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भूमिहीन (≤ 0-002)	9.41	7.18	6.98	7.40	7.41
अत्यल्प (0.002–1.000)	68.83	85.70	75.25	70.22	75.42
लघु (1.000–2.000)	14.64	4.77	10.43	11.31	10.00
अर्ध–मध्यम (2.00–4.00)	5.74	1.84	5.12	7.18	5.01
मध्यम (4.000–10.000)	1.36	0.48	1.99	3.34	1.93
वृहत (>10.000)	0.03	0.03	0.23	0.55	0.24
सभी आकार	100	100	100	100	100

lzksr% ,u,l,l fjiksVZ la[;k 571 : Hkkjr esa ifjokj LokfeRo vkSj ifjpkyu Hkw&lEifÙk

4-25 परिवारों का उच्चतम अनुपात (75.42%) भू–संपत्ति की सीमांत श्रेणी से संबंधित है और परिवारों का सबसे कम अनुपात बड़े संपत्ति (0.24%) से संबंधित है। इस पैटर्न को सभी परिवार सामाजिक समूहों में देखा गया है।

4-26 rkfydk 4-15 में दिए गए आंकड़े ये दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मामले में परिवारों का सर्वोच्च प्रतिशत (50.95%) कृषि में स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। इसके पश्चात मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार (32.90%) की श्रेणी से संबंधित है, जबकि परिवारों का सबसे कम प्रतिशत (0.75%) में स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। यह पैटर्न अनुसूचित जाति के अलावा सभी सामाजिक समूहों में देखा गया है।

rkfydk 4-15 fofHkUu lkekftd leqgksa esa ifjokj oxhZdj.k }kjk ifjokjksa ds forj.k dh çfr'krrk

lkekftd leg	ifjokj oxhZdj.k }kjk ifjokjksa ds forj.k dh çfr'krrk						dqy
	esa Lojkstxkj çkIr				etnwjh@osru Hkksxh jkstxkj	vU;	
	—f"k	i'kqikyu	vU; —f"k dk;Zdyki	xSj&—f"k m|e			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अजजा	50.95	0.75	3.70	5.54	32.90	6.17	100.00
अजा	30.88	1.50	4.79	11.41	43.22	8.19	100.00
अपिव	42.58	2.17	2.81	13.44	31.23	7.77	100.00
अन्य	49.90	1.67	3.49	11.27	24.82	8.85	100.00
सभी	42.92	1.75	3.47	11.59	32.36	7.91	100.00

lzksr% ,u,l,l dh fjiksVZ la[;k 571% Hkkjr esa ifjokj LokfeRo vkSj ifjpkyu Hkw&tksr

4-27 rkfydk 4-16 में दी गई अखिल भारतीय स्तर पर परिवार सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि के संवितरण की प्रतिशतता यह संकेत करती है कि अनुमानित परिवारों की प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति (11.89%) के लिए सबसे कम है और स्वामित्व प्राप्त भूमि की क्षेत्र प्रतिशतता अनुसूचित जाति (9.23%) के लिए सबसे कम थी। अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (0.650 हेक्टेयर) अनुसूचित जाति (0.272 हेक्टेयर) के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (0.603 हेक्टेयर) की तुलना में अधिक है।

rkfydk 4-16 lkekftd lewg }kjk çfr ifjokj LokfeRo çkIr Hkwfe dk lforj.k

lwpd	vtatk	vtk	v-fi-o-	vU;	lHkh*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिवारों की प्रतिशतता	11.89	20.06	44.82	23.23	100.00
अनुमानित भूमि का कुल क्षेत्र	12.062	8.528	42.190	29.588	92.369
घर के स्वामित्व वाले औसत क्षेत्र	13.06	9.23	45.68	32.03	100.00
प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.650	0.272	0.603	0.816	0.592
सामाजिक समूह के वह मामले जो दर्ज नहीं किए गए वह भी शामिल है, मिलियन हेक्टर					
lzksr% ,u,l,l fjiksVZ la[;k% 571% Hkkjr esa ifjokj LokfeRo vkSj ifjpkyu Hkw&tksr					

jkstxkj

Jfed tula[;k dk vuqikr ¼MCY;wih vkj½

4-28 श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा कराए गए पांचवें वार्षिक रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) पहलू तथा सामान्य प्रमुख एवं अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस) पहलू पर आधारित अलग–अलग सामाजिक समूहों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) rkfydk 4-17 में दिए गए हैं।

अखिल भारतीय स्तर पर, सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) के दृष्टिकोण पर आधारित डब्ल्यूपीआर सबसे अधिक 54.2% के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग था उसके बाद 50.6% के साथ अनुसूचित जाति, 47.8% के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 44.0% अन्य समुदाय के तहत थे।

rkfydk 4-17

अखिल भारत (प्रतिशत में)

igyw	vuqlwfpr tkfr	vuqlwfpr tutkfr	vfio	vU;
;wih,l	50.6	54.2	47.8	44.0
;wih,l,l	53.7	60.0	50.4	45.5

vYi jkstxkj

4-29 अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति है जहां काम के लिए लोग उपलब्ध हैं तथा उन्हें काम मिल भी जाता है, परन्तु आंशिक रूप से मिलता है। 15 वर्ष तथा ऊपर की आयु वाले कामगारों का संवितरण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में वे सामान्य प्रमुख एवं अनुषंगी स्थिति दृष्टिकोण (पीएस़एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं, xkQ 4-8 में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि अखिल भारत स्तर पर सभी श्रेणियों के 60.6% जो संदर्भित अवधि के दौरान 12 माह के लिए काम करते हैं की तुलना में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति लगभग 46% है। अखिल भारत स्तर पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अल्प रोजगार सभी श्रेणियों के 35.5% की तुलना में लगभग 51.3% है।

xkQ 4-8% o"k 2015&16 d fy, 15 o"k rFkk Åij dh vk;q d dkexkjk dk lforj.k tk 12 ekg d fy, miyC/k g ijUrq okLro e mUgkus lkekU; çeq[k ,o vuq"kxh fLFkfr –f"Vdk.k ¼ih,l,l,l½ d vuqlkj dk;l fd;kA

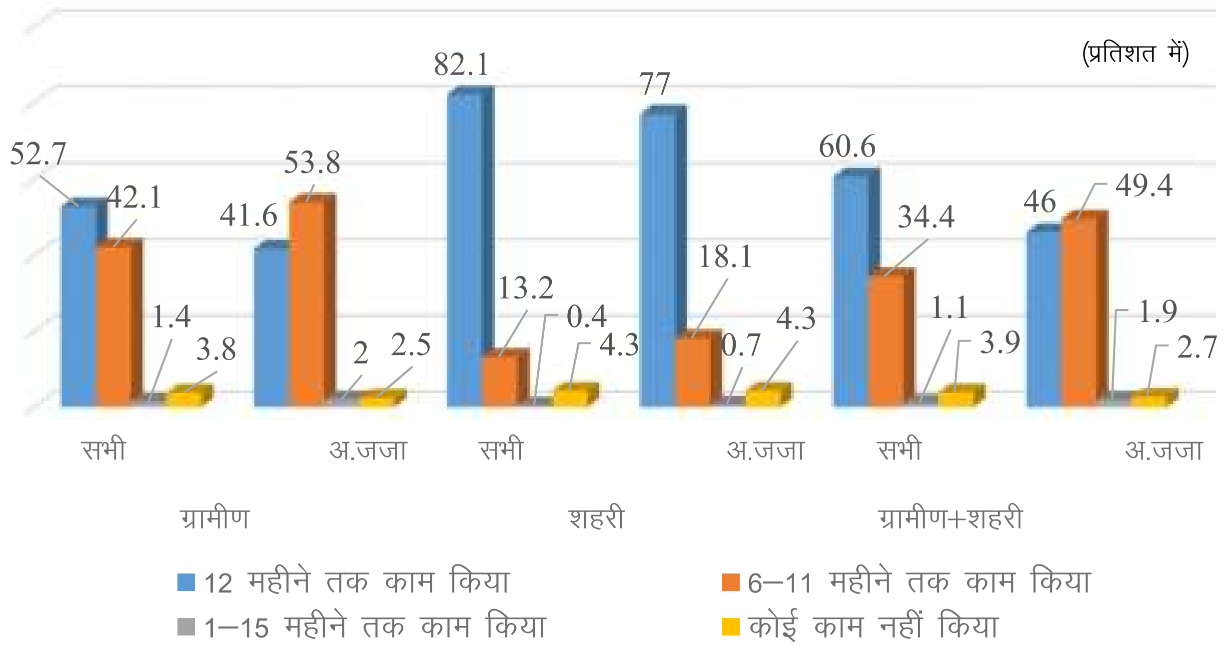

ग्रामीणशहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के 15 वर्ष तथा ऊपर के कामगार जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में जो सामान्य प्रधान एवं अनुषंगी स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, उनका राज्यक्षेत्र–वार संवितरण vuyXud&4< में दिया गया है।

cjkstxkjh nj

4-30 बेरोजगारी दर का तात्पर्य उन व्यक्तियों का अनुपात है जो काम के लिए उपलब्ध हैं परन्तु संदर्भित अवधि के दौरान जिन्हें काम नहीं मिलता है। सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) दृष्टिकोण के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अखिल भारत स्तर पर बेरोजगारी दर 5.2% थी जो सभी चार सामाजिक समूहों में सबसे अधिक थी। अनुसूचित जाति तथा अन्य श्रेणी प्रत्येक के मामले में बेरोजगारी 5.0% अनुमानित की गई थी। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत न्यूनतम बेरोजगारी दर 4.4% रिकार्ड की गई थी।

lkekU; çeq[k fLFkfr ¼;ih,l½ dh ifjHkk"kk% यूपीएस पहलू सर्वेक्षण की तिथि पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति से संबंधित है। कार्यकलाप की स्थिति जिस पर व्यक्ति ने अवधि के दौरान सापेक्षिक रूप से लम्बा समय (183 दिन अथवा अधिक) बिताया है, को उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख कार्यकलाप स्थिति माना जाता है।

lkekU; çeq[k rFkk vuq"kxh fLFkfr ¼;ih,l,l½% सामान्य प्रमुख तथा अनुषंगी स्थिति पहलू प्रमुख स्थिति का विस्तार है। यदि एक व्यक्ति पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या अधिक की अवधि के लिए किसी आर्थिक कार्यकलाप में लगा है तो वह व्यक्ति इस पहलू के तहत कार्यरत माना जाता है।

Hkkjr e vuqlfpr tutkfr dh tula[;k d fo#) fd, x, vijk/k

4-31 वर्ष 2016 के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की सबसे अधिक संख्या (1823 मामले) की सूचना दी है जो 27.8% है इसके पश्चात 18.2% (1195 मामलों) के साथ राजस्थान तथा 10.4% (681 मामलों) के साथ ओडिशा का स्थान है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे vuyXud&4.k में दिए गए हैं। 2014 से 2016 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न rkfydk 4-18 में दिए गए हैं।

rkfydk 4-18% vuqlwfpr tutkfr;ksa ds çfr vijk/k@vR;kpkj

vijk/k 'kh"kZ	vijk/k ?kVuk		vijk/k nj	
	2015	2016	2015	2016
vtk ds f[kykQ vR;kpkj	6276	6568	6.0	6.3

अपराध शीर्ष–वार मामले दर्शाते हैं कि वर्ष 2016 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के प्रति अपराधों/अत्याचारों के मामलों की रिपोर्ट की गई सबसे अधिक संख्या 'बलात्कार' (974 मामले) है जो 14.8% है इसके पश्चात 12.7% (835 मामलों) के साथ 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की भावना के साथ उन पर हमला' तथा 2.5% (163 मामलों) के साथ 'अपहरण' है। अपराध शीर्ष–वार ब्यौरे vuqyXud&4r में दिए गए हैं।

4-32 मानव तस्करी मामलों (आईपीसी) संबंधी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान पश्चिम बंगाल ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों की सबसे अधिक संख्या (3579) सूचना दी है इसके पश्चात राजस्थान (1422) तथा गुजरात (548) हैं। पश्चिम बंगाल ने मानव तस्करी की राष्ट्रीय औसत दर 0.6% की तुलना में उच्चतम दर (3.8%) रिपोर्ट की है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले vuqyXud&4Fk में दिए गए हैं।

dsUæh—r gLr{ksi ds fy, fpfàr ftys] mi&ftys rFkk leqnk;

çkFkfedrk okys ftys

4-33 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण एवं विकास के लिए केन्द्रीकृत रूप में उपाय योजना बनाने के लिए 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है तथा उन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

- çkFkfedrk 1% वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 14 जिलों सहित 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 94 जिले।
- çkFkfedrk 2% वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 7 जिलों सहित 25% या इससे अधिक किंतु 50% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 69 जिले।
- çkFkfedrk 3% 25% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले शेष 14 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले।

58% अनुसूचित जनजातियां (6.10/10.45 करोड़) प्राथमिकता 1 और 2 वाले जिलों में रहती है अर्थात 163 (94+69) जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या इससे अधिक है। 177 प्राथमिकता वाले जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे vuqyXud& 4n में दिए गए हैं।

672 mi&ftys

4-34 जनगणना, 2011 के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार 672 उप–जिलों को चिह्नित किया गया है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% तथा 10 हजार से अधिक है। 672 उप–जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे vuqyXud&4/k में दिये गए हैं।

çeq[k vuqlwfpr tutkfr leqnk;

4-35 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदाय देश के अलग–अलग राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में फैले हुए हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अंदर कुछ अनुसूचित जनजाति के समुदाय प्रत्येक राज्य में 5% जनसंख्या से अधिक संख्या में है। इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार चिह्नित तथा समेकित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदायों में से 111 समुदाय प्रत्येक में (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का) 5% से अधिक की संख्या में है। ये 111 समुदाय अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 803.25 लाख अर्थात् 76.8% जोड़े जाते हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे vuqyXud & 4u में दिए गए हैं।

v/;k; 5

vu|lfpr tutkfr;k vkj vu|lfpr {k=

vu|lfpr tutkfr;k

5-1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

5-2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय को अनुसूचित जाति माना जाए।

5-3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्रों में, विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालातों में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों तक में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कहा जाता था), जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं :–

(क) कृषि–पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी,

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या,

(ग) बहुत ही कम साक्षरताय तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर।

çe|[k tutkfr;k

5-4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक जनजातियां अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य में अर्थात् 62 है।

tutkfr;k dk vu|lphdj.k ,o xj&vu|lphdj.k

5-5 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है"। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5-6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5-7 अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5-8 किसी विशेष राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातिं

के रूप में एक समुदाय का पहला विनिर्देश राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश द्वारा संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के साथ परामर्श के बाद होता है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची vuyXud&5 d में दी गई है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया है।

5-9 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं–

- आदिम लक्षणों के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

5-10 इन मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर)1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, चंदा समिति, 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5-11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची vuyXud 5&[k में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

0;fä ;k dh vu|lfpr tutkfr dh fLFkfr dk irk yxkuk

5-12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए:–

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं:

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है,

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है,

(iv) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है,

5-13 वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति/समुदाय को उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है।

5-14 राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता–पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5-15 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला

जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

fookg d ek/;e l vu|lfpr tutkfr d nko

5-16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

vu|lfpr tutkfr dk çek.k&i= tkjh djuk

5-17 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकते हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप–कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतन भोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप–मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (जो प्रथम श्रेणी के वेतन भोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

(iv) उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथाध्या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, का उप–मण्डलीय अधिकारी।

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह)।

fcuk mfpr lR;kiu d vu|lfpr tutkfr d çek.k&i= tkjh dju okys vf/kdkfj;k d fy, nM

5-18 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

vU; jkT;k@l?k jkT;{k=k l vk, çokfl;k dk vu|lfpr tutkfr d çek.k&i= tkjh dju dh çfØ;k dk mnkj cukuk

5-19 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके माता/पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके माता/पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाण–पत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए हैं।

vu|lfpr tutkfr;k d fofufn"V vkn'kk e lekos'k] mll viotu rFkk vU; l'kk/kuk gr nkok d fu/kkj.k d fy, çfof/k;k

5-20 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रविधियों को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को पुनः संशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया

जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है) की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने/से अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो प्रविधियों के अनुसार मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शामिल करने/अपवर्जन के मामले जिसका राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र अथवा आरजीआई, अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

vu|lfpr {k=

5-21 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत समीपवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनूसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

ikpoh vu|lph

5-22 संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग–ग की धारा 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"अनुसूचित क्षेत्रदृ (1) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या

ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा, और ऐसे किसी आदेश में ऐसे अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप–पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

vu|lfpr {k= dh ?kk"k.kk d| fy, ekud

5-23 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं–

(i) जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,

(ii) सघनता तथा क्षेत्र का औचित्यपूर्ण आकार,

(iii) व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला ,ब्लाक या तालुका हो, तथा

(iv) निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपर्युक्त मानक संविधान में इस रूप में तैयार नहीं किए गए हैं, परंतु ये सुस्थापित हो गए हैं।

vuqlwfpr {ks=ksa dh doj;t

5-24 वर्तमान में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची अनुलग्नक–5 ग में दी गई है।

vuqlwfpr {ks=ksa dks fy, ykxw dkuwu

5-25 संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान, जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल से संबंधित है निम्नानुसार दिए गए हैं :

(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप–पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकेगा, जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशिष्टतया और उसके पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम –

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का निषेध या प्रतिबंधित कर सकेंगे,

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे,

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप–पैरा (2) में निर्दिष्ट हैं, राज्यपाल, संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियमन का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजातीय सलाहकार परिषद वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद से परामर्श नहीं कर लिया हो।"

jk"Vªifr dks jkT;iky }kjk fjiksVZ

5-26 संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

5-27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना को वार्षिक रूप से राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2013–14 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक – 5 घ में दिया गया है।

tutkrh; lykgdkj ifj"kn

5-28 5वीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के प्रावधान के अनुसार, ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से यथासंभव निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और

उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे, जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

5-29 जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) सभी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में गठित कर ली गई हैं। यद्यपि तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, तो भी उन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की हैं। वर्ष 2014–15 के बाद से राज्यों द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक –5 ड. में दिया गया है।

vu|lfpr {k=k dh ?kk"k.kk d fy, vf/klpuk

5-30 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :

Øe l-	vkns'k dk uke	vf/klpuk dh rkjh[k	jkT; ¼jkT;ka½ dk uke ftl d fy, ykxw g
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ.9)	26.1.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 (सं.आ.30)	2.6.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सं.आ.50)	9.9.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सं.आ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सं.आ.109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सं.आ.114)	12.2.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सं.आ.123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सं.आ.192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सं.आ.229)	11.4.2007	झारखंड
11	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं.आ.270)	19.5.2018	राजस्थान

5-31 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्रफल मूल बिहार राज्य से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ.109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए

एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में दिनांक 11.04.2007 को अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) द्वारा पुनः परिभाषित किया गया है। राजस्थान राज्य के संबंध में अनूसूचित क्षेत्र 12 फरवरी, 1981 के सं.आ. 114 को रद्द करते हुए दिनांक 19 मई, 2018 के अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं.आ. 270) के माध्यम से नए संवैधानिक आदेश को लागू करते हुए घोषित किए गए थे।

NBh vuqlwph

5-32 संविधान के अनुच्छेद 244 (2) तथा 275 (1) के तहत छठीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान है। छठीं अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं।

,dh—r tutkrh; fodkl ,tsalh ¼vkbZVhMh,½ @ ,dh—r tutkrh; fodkl ifj;kstuk ¼vkbZVhMhih½ la'kksf/kr {ks= fodkl mikxe ¼ekMk½ i,dsVl rFkk DyLVlZ

5-33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप–योजना के माध्यम से प्रशासनिक समर्थन तथा विकास प्रयासों के संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों के हितों की सुरक्षा के उपागम पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक उपायों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) की शुरूआत की। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 10,000 जनजातीय जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत या अधित सघनता वाले छोटे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान न्यूनतम लगभग 5,000 की कुल जनजातीय सघनता वाली आबादी वाले छोटे क्षेत्रों तथा जहां अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सघनता 50 प्रतिशत या अधिक है, को शामिल करने के लिए क्लस्टर चिह्नित किए गए थे। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 193 आईटीडीपी / आईटीडीए घोषित किए हैं।

5-34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) एक अथवा अधिक विकास ब्लॉकों के आकार का क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे ब्लॉकों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक है। संपूर्ण विकास ब्लॉकध्पंचायत समिति आईटीडीपी की न्यूनतम संघटन इकाई है। जिले में एक अथवा अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आईटीडीपी का क्षेत्र एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईटीडीपी का नाम सामान्यतः इसके मुख्यालय के स्थान अथवा जिला जहां इसका मुख्यालय स्थित है, के नाम पर किया जाएगा।

5-35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) जो जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र वाला संबंधित प्राधिकरण है को आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तेलंगाना राज्यों में ऐतिहासिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। अतः आईटीडीए (अर्थात एजेंसी अथवा प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (सम्पूर्ण ब्लॉक/पंचायत अथवा प्राधिकरण) माडा तथा क्लस्टर पॉकेट पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। जिले की फैली हुई जनजातीय आबादी को भी संबंधित जिले के आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5-36 संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट 10,000 या अधिक की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगी तथा माडा क्षेत्रों में एक से अधिक राजस्व गांवों को शामिल करते हुए गांवों में सबसे अधिक जनसंख्या के प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति के नाम पर गांव का नाम रखा जाना चाहिए।

5-37 क्लस्टर 5,000 की कुल जनसंख्या के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता

वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगा तथा क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सर्वोच्च प्रतिशत वाले गांव के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा।

5-38 vkVhMhih@vkbVhMh,] ekMk i,dV l] DyLVl dh jkT;&okj lph fuEuku|lkj nh xb g%

Øe l[;k	jkT;@l?k jkT;{k=	l[;k		
		vkbVhMhih@vkbVhMh,	ekMk i,dV	lDyLVj
1	आंध्र प्रदेश	5	41	17
2	असम	19	-	-
3	बिहार	-	7	-
4	छत्तीसगढ़#	19	9	2
5	गुजरात#	9	1	-
6	हिमाचल प्रदेश#	5	2	-
7	जम्मू–कश्मीर	-	-	-
8	झारखंड#	14	34	7
9	कर्नाटक	5	-	-
10	केरल	7	-	-
11	मध्य प्रदेश#	31	30	6
12	महाराष्ट्र#	16	44	24
13	मणिपुर	5	-	-
14	ओडिशा#	22	46	14
15	राजस्थान#	5	44	11
16	सिक्किम	4	-	-
17	तमिलनाडु$	9	-	-
18	तेलंगाना	3		
19	त्रिपुरा*	-	-	-
20	उत्तर प्रदेश	1	1	-
21	उत्तराखंड	-	-	-
22	पश्चिम बंगाल$	12	-	1
	l?k jkT;{k=			
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	-
24	दमन और दीव	1	-	-
	dy	**193**	**259**	**82**

*त्रिपुरा में कोई आईटीडीपी नहीं है। वहां त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषदें (टीटीएएडीसी) हैं। छठीं अनुसूची के प्रावधान संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से त्रिपुरा को दिए गए थे, जैसा 2006 में त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

#अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

$केवल जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

v/;k; 6

tutkrh; fodkl j.kuhfr rFkk dk;Øe

i"BHkkfe

6.1 जनगणना 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग हैं। आजादी के बाद से जनजातीय विकास, सरकार का केन्द्र बिन्दु रहा है। जनजातीय लोगों के बीच विकास की वांछित गति प्राप्त करने में चुनौतियां रही हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी परम्परागत जीवनशैलियों, अधिवासों की सुदूरता, बिखरी हुई जनसंख्या तथा विस्थापन की वजह से है। जनजातीय लोगों के त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) (अब अनुसूचित जनजाति घटक के रूप में ज्ञात) रणनीति अपनाई गई थी। यह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विकास के सभी क्षेत्रों में परिव्यय तथा लाभों के प्रवाह को चौनेलाइज करने की परिकल्पना करती है। टीएसपी निधियां जनजातीय विकास के लिए निधियों का समर्पित स्रोत हैं। अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) एक बहु–आयामी रणनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका आदि के लिए सहायता शामिल है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना विकास का प्रमुख भाग और देश में जनजातीय लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय अंतरों को भरने के रूप में इन पहलों के लिए अपना योगदान प्रदान करता है। टीएसपी रणनीति के माध्यम से किए गए प्रयासों से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि से संबंधित विभिन्न सूचकांकों के संबंध में जनजातीय लोगों के लिए कुछ सुधार किए गए हैं। तथापि, मानव विकास सूचकांकों में अनुसूचित जनजातियों और सभी के बीच अभी भी महत्वपूर्ण अंतर है, जैसा rkfydk 6-1 में दर्शाया गया है:

rkfydk 6-1

Ø-l-	l:drd	lHkh	v-t-tk-
1.	साक्षरता दर (% में)	72.99	58.9
2.	स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की औसत वार्षिक दर (माध्यमिक) (% में) (पी)	17.06	24.68
3.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर)	40.7	44.4
4.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर)	9.4	13.4
5.	संस्थागत प्रसूतियां (प्रतिशत में)	78.9	68.0
6.	बाल टीकाकरण (संपूर्ण टीकाकरण) (% में)	43.5	31.3
7.	कामगार जनसंख्या अनुपात (प्रति 1000 व्यक्ति)	452	392

lkr % tux.kuk 2011] 'kf{kd lkf[;dh 2018 ,d utj e] ,u,Q,p,l&4 ¼2015&16½

6-2 बजट 2018–19 के अनुसार, 37 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में 'जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)' निधियां हैं जो 299 अलग–अलग स्कीमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जनजातीय विकास का प्रबंध करती हैं, जैसा बजट की व्यय रूपरेखा के विवरण 10ख में प्रतिबिम्बित है। सभी मंत्रालयों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 24,005.00 करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31,920.00 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2018–19 में 37803.26 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

6-3 गत पांच वर्षों के दौरान जनजातीय उप–योजना निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

rkfydk 6-2 % tutkrh; mi&;kstuk fuf/k;k

(करोड़ रुपए में)

vuqlfpr tutkfr ?kVd	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग	16,111	15,628	19,873	25,999	37,803
राज्य घटक	83,167	96,369	1,11,435	1,39,290	1,52,494
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत निधियां	3,850	4,550	4,799	5,293	6,000
dqy%	**103,128**	**116,547**	**136,107**	**170,582**	**1,96,297**

xkQ 6-1

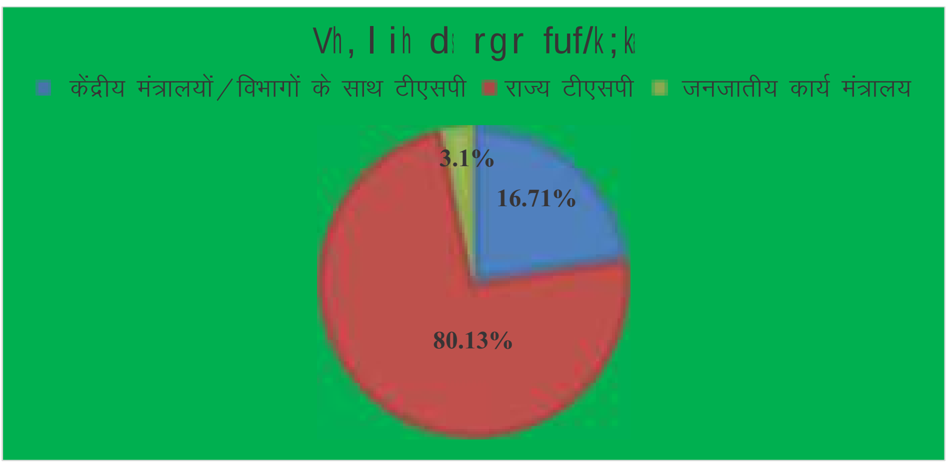

vuqlfpr tutkfr ?kVd ¼,lVhlh½@tutkrh; mi&;kstuk dh fuxjkuh

6-4 जनवरी, 2017 में कार्य आवंटन नियमावली (एबीआर) को संशोधित किया गया है जिसके द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा तैयार रुपरेखा तथा तंत्र पर आधारित केन्द्रीय मंत्रालयों की एसटीसी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेश दिया गया है। जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) / अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा http://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लगाई गई है। यह रूपरेखा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे ही आंकड़े प्राप्त करती है और आवंटनों की तुलना में व्यय के माध्यम देखने के लिए हमें निविष्टियां प्रदान

करती है। वास्तविक निष्पादन की निगरानी तथा पहलों के परिणाम भी इस प्रणाली में शुरू किए गए हैं। चालू परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए एमआईएस में अनुकूलित प्रपत्र विकसित किया गया है। इसके अलावा, समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी पदनामित किए गये हैं। उत्पादन एवं परिणाम के संबंध में आंकड़े अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रत्यय–पत्रों की साझेदारी की गई है।

6-5 दिनांक 31.03.2019 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा कुल आवंटित एसटीसी राशि का 86.75% निर्मुक्त किया जा चुका है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयासों से एसटीसी व्यय की प्रवृत्ति वर्ष 2016–17 में संशोधित अनुमान चरण में कुल आवंटन के 85% से वर्ष 2017–18 में 96% तक बढ़ी है।

6-6 पूर्व की जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) (अब एसटीसी के रूप में ज्ञात) के तहत निधियों का चिह्नन पूर्व के योजना आयोग द्वारा डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में गठित कार्यदल, 2010 द्वारा संस्तुत मानदण्डों के अनुसार जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) की वृहद रणनीतियों के अंतर्गत उनके योजना आवंटन के प्रति संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया था। कार्यदल ने अलग–अलग चिह्नन के लिए सिफारिश की थी अर्थात कुल 28 मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल उनकी योजना परिव्यय के प्रति विभिन्न दरों पर चिह्नन करना। योजना तथा गैर–योजना के समन्वय के पश्चात वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2016 माह में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एसटीसी निधियों के चिह्नन हेतु प्रतिशतता संशोधित की थी तथा दो नए केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात कौशल विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय को शामिल किया था। निधियों के चिह्नन के मामले पर नीति आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनः विचार–विमर्श किया गया है तथा अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों के लिए आवंटन प्रतिशतताओं पर पुनर्विचार किया गया है और कुछ नए मंत्रालय/विभाग अर्थात पशुपालन विभाग, डेयरी और मछली पालन विभाग, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, औषध विभाग तथा शहरी मामले मंत्रालय इस एसटीसी परिधि में शामिल किए गए हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

rkfydk 6-3

Ø-l-	ea=ky;@foHkkx dk uke	o"kZ 2018 esa uhfr vk;ksx dh vuqlkj ¼%½ fuf/k;ksa fpfàr djuk
1.	दूरसंचार विभाग	4.30
2.	कपड़ा मंत्रालय	8.60
3.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय	8.60
4.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30

5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30
6.	संस्कृति मंत्रालय	4.30
7.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	4.30
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4.30
9.	पर्यटन मंत्रालय	4.30
10.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4.30
11.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	4.30
12.	खान मंत्रालय	4.30
13.	इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70
14.	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.60
15.	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग	8.60
16.	कोयला मंत्रालय	8.60
17.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60
18.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	8.60
19.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.60
20.	खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय	8.60
21.	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60
22.	पंचायती राज मंत्रालय	8.60
23.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	8.60
24.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	8.60
25.	भूमि संसाधन विभाग	10.0
26.	पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय	10.0
27.	विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	10.7
28.	ग्रामीण विकास विभाग	17.5
29.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.60
30.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.0

31.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60
32.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60
33.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	8.60
34.	वाणिज्य मंत्रालय	4.30
35.	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30
36.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30
37.	विद्युत मंत्रालय	8.60
38.	उर्वरक विभाग	4.30
39.	औषध विभाग	4.30
40.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30
41.	शहरी विकास मंत्रालय	4.30

6-7 वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक टीएसपी निधियों के मंत्रालय/विभाग–वार आवंटन के ब्यौरे vuqyXud&6d में दिए गए हैं।

6-8 केन्द्रीय टीएसपी के लिए दिशा–निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, अंतरों का आंकलन करना तथा अन्तरों को भरने के लिए स्कीमों को उन्मुख करना है।
- टीएसपी के तहत तैयार की गयी स्कीमों को अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों / परिवारों / अधिवासों को प्रत्यक्ष तथा मात्रात्मक लाभ देना चाहिए।
- दर्शायी गयी प्रतिशतता को केवल न्यूनतम तथा निम्न प्रतिशतता के रुप में माना जाए।
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक चिन्हित करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों / विभागों में टीएसपी इकाई के मुखिया के रुप में पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।
- नोडल इकाइयों, जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जानी है, सभी मंत्रालयों / विभागों में स्थापित किए जाय जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थनकारी स्टाफ के साथ एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत चिन्हित करने के लिए बाध्य हैं।

6-9 जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा नीति आयोग एसटीसी निधियों वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करते रहे हैं। दिनांक 13.04.2018 तथा 25.06.2018 को बैठकें आयोजित की गई थीं जिसके पश्चात 12–13.07.2018 तथा 29–30.11.2018 को सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें हुई थीं। उक्त बैठकों में मंत्रालयों/विभागों के लिए यह दोहराया गया है कि एसटीसी निधियां प्रचलित निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार होनी चाहिए। यह दोहराया गया था कि डीईए द्वारा निर्धारित आवंटन प्रतिशतता का पालन किया जाए। परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरों सहित एसटीसी निधियों से स्वीकृत कार्य की वास्तविक प्रगति की साझेदारी के लिए भी कहा गया था।

jkT; Vh, l ih

6-10 पूर्व के योजना आयोग ने 18 जून, 2014 को राज्यों/

संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों को संशोधित किया है। दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया गया है जो कुल योजना परिव्यय में से राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के अनुपात से कम नहीं है। दिशा–निर्देश, जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किए जाने तथा व्यवस्था, सेवा सुपुर्दगी के परिणामों के साथ–साथ मानकों को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतों के मसौदे की सम्पूर्ण निगरानी को पुनः अनुबद्ध करते हैं। टीएसपी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार टीएसपी के लिए चिह्नित / आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :

i. टीएसपी के तहत व्यय, सामान्य प्रावधानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास की कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जो महत्पूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं में अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होनी चाहिए।

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अनुपात से अधिक तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी की समस्याओं के अनुसार कुल योजना परिव्ययों से चिह्नित की गई हैं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं–ईएपी तथा किसी अन्य योजना के तहत निवेशों को बिना छोड़े)।

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले, कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिए। अतः टीएसपी निधियों के आकार की सूचना प्रत्येक विभाग की टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास सीधे अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने के लिए योजनाएं नही हैं, उन्हें कोई भी सांकेतिक आवंटन नहीं होगा।

v. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिक निधियां आंवटित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. भौतिक सुदूरता तथा दुर्गम घाटियों में जनजातीय अधिवासों के कारण, सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय मानक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझौता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कौशल मूल्यांकन शुरू करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे तथा गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे।

viii. संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का तालमेल अन्य स्कीमों / कार्यक्रमों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण/अभिसरण सुनिश्चित है।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. अन्यत्र उपयोग की रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां क्रियाशील मुख्य शीर्ष / उप–मुख्य शीर्षों के तहत एक पृथक लघु शीर्ष के अंतर्गत चिन्हित की जाएंगी।

6-11 गत तीन वर्षों अर्थात 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के लिए राज्यों द्वारा टीएसपी निधियों का आवंटन एवं व्यय vuyXud & 6[k पर दिया गया है। ब्लॉक वर्ष 2010–13 (जब कुल 165691.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे) से 2014–17 (जब कुल 327574.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे) के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के कठोर अनुनय का परिणाम राज्यों द्वारा राज्य जनजातीय उप–योजना निधियों के व्यय में महत्वपूर्ण 98% की वृद्धि थी।

6-12 ,lVhlh @ Vh,l,l fuf/k;ksa dk vkdyu

rkfydk 6-4
dsUæh; e=ky;ksa@foHkkxksa }kjk ,lVhlh@Vh,l,l vkoVu

o"kZ	,lVhlh e=ky;ks@foHkkxks dk dqy ;kstuk vkoVu	vkoVu	0;;	Vh,l,l@,lVhlh vkoVu ds lUnHkZ esa 0;; dk %	,lVhlh e=ky;ks@foHkkxks ds dqy ;kstuk@Ldhe vkoVu ds lUnHkZ esa ,lVhlh vkoVu dk %
2014-15 (वास्तविक)	236508.72	19961.29	19436.85	97.37	8.4
2015-16 (वास्तविक)	275174.59	20177.62	20024.66	99.24	7.3
2016-17 (वास्तविक)	380035.71	24671.58	20956.40	84.94	6.5
2017-18 (संशोधित अनुमान)	443406.47	31292.20	30020.25	95.94	7.1
2018-19 (बजट अनुमान)	511402.18	37803.26	32792.54	86.75	7.4

rkfydk 6-5
jkT; ljdkj }kjk Vh,lih vkoVu

o"kZ	dqy jkT; ;kstuk@Ldhe ifj0;;	Vh,lih vkoVu	Vh,lih vkoVu dk %	Vh,lih 0;;	dqy jkT; ;kstuk ifj0;; ds lEcU/k esa 0;; dk %	dqy Vh,lih vkoVu ds lEcU/k esa 0;; dk %
2014-15	804040.04	83167.17	10.34	63305.95	7.87	76.12
2015-16	920960.84	96369.02	10.46	74050.15	8.04	76.84
2016-17	1040788.12	111434.73	10.70	89145.25	8.57	80.00
2017-18	1568917.59	1412928.53	9.05	116833.14	7.44	82.32
2018-19*	1813538.24	152493.65	8.41	5542.35	0.003	0.036

*अंनतिम आंकड़े

tutkrh; mi&;kstuk dk fo'k"k dUæh; lgk;rk ¼Vh,l,l dk ,llh,½

6-13 जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) भारत सरकार से (वर्ष 1977–78 से अब तक), 100 प्रतिशत अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर प्रभारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान के अलावा, एक मतदान मद) तथा जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए एक योगदान है। यह अनुदान आईटीडीपी, आईटीडीए, माडा, क्लस्टर, पीवीटीजी और फैली हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। पहले टीएसएस को एससीए 23 राज्यों को कवर करती थी : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों तक टीएसएस को एससीए की कवरेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय तथा नागालैण्ड आदि चार राज्यों जिन्हें अभी तक इस स्कीम के लाभों से बाहर रखा गया था, को शामिल कर लिया गया है।

6-14 Vh,l,l dk ,llh, d mí'; g%

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी पहुंच को बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास।
- आवास सहित जनजातीय क्षेत्रों / स्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर जीवन गुणवत्ता (प्रधानमंत्री आवास योजना / राज्य योजनाओं के तहत ज्यादातर कवर किया जाना है)।
- गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादनशील परिसंपत्ति और आय सृजनकारी अवसरों का निर्माण।
- अन्य क्षेत्रों के समान अवसरों को हासिल करने, अधिकार और अधिकार–पत्र प्राप्त करने और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्षमता की वृद्धि, और
- शोषण और दमन के विरुद्ध सुरक्षा।

6-15 मुख्यतः गैर–आवर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों (कम–से–कम 3 वर्ष की जीवन अवधि वाले अवसंरचना और उपकरणों सहित) को इन स्कीमों के तहत सहायता दी जाती है। ऐसे कार्यक्रमों / स्कीमों के आवर्ती घटक राज्य निधियों / टीएसपी आवंटन द्वारा वहन किए जाते हैं। समान आजीविका पद्धति / परंपरागत व्यवसाय वाले अ.ज.जा. समुदाय (अर्थात जनजातीय पारिवारिक अर्थ–व्यवस्था के लिए समान आय स्रोत) को टीएसएस को एससीए के तहत आयोजना के उद्देश्य से एक साथ मिला देना चाहिए। सड़क संपर्क, बिजली, पेय–जल, मुख्य सिंचाई परियोजना, आवास जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों में राज्य योजना निधियों के मुख्य भाग में दिए जाने के कारण टीएसएस को एससीए के तहत निधियन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। टीएसएस को एससीए के तहत निधियों की स्वीकृति के लिए विचार किए जाने वाले क्रियाकलापों की विस्तृत सूची vuqyXud&6x में दी गई है।

6-16 वर्ष 2018–19 के लिए 1350 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान), की तुलना में 31.03.2019 तक टीएसएस को एससीए के तहत 1345.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2008–09 से 2018–19 तक निधियों का वर्ष–वार आवंटन और निर्मुक्ति vuqyXud&6?k में दी गई है।

ifj;kstuk eY;kdu lfefr ¼ih,lh½

6-17 मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) तथा अनुच्छेद 275(1) अनुदान के तहत राज्य सरकारों की परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) तंत्र आरम्भ किया गया है। समिति की अध्यक्षता राज्य सरकारों, वित्तीय सलाहकार, योजना आयोग आदि के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा की जाती है। इसने राज्यों के साथ परामर्श, मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के तालमेल, मूल्यांकन तथा निधि की निर्मुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सीमित वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता की है। टीएसएस को एससीए के तहत स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय टीएसपी आवंटन और राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा भी की जाती है।

6-18 ifj;kstuk eY;kdu lfefr ¼ih,lh½ dk xBu fuEukulkj g%

(1) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
(3) संबंधित राज्य सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, आयुक्त जनजातीय विकास/समाज कल्याण और योजना विभाग (विशेष रूप से जनजातीय विकास के साथ कार्यरत)	सदस्य
(4) निदेशक, वित्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
(5) आर्थिक सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
(6) अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य संयोजक

6-19 ouc/kq dY;k.k ;kstuk

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने पूरे देश की जनजातीय जनसंख्या के सम्पूर्ण विकास के लिए 'वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई)' आरम्भ की है। वनबंधु कल्याण योजना रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाई गई है। यह प्रक्रिया संसाधनों और संस्थागत तंत्र के उपयुक्त तालमेल के माध्यम से संवेदनशील अंतरों पर प्रहार करते हुए परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के साथ सम्पूर्ण देश की जनजातीय जनसंख्या के लिए वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है। वर्ष 2014–15 में, वनबंधु कल्याण योजना के तहत 100.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसे अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 राज्यों को जारी किया गया था। वर्ष 2015–16 के दौरान 21 राज्यों को उनकी भावी योजना के आधार पर 200.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2016–17 में, केवल 1.00 करोड़ रुपये का टोकन प्रावधान किया गया था जिसे राजस्थान राज्य सरकार को जारी किया गया था।

वर्ष 2016–17 से वनबंधु कल्याण योजना के तहत निधियों का अलग आवंटन बंद कर दिया गया है और यह परिकल्पना की गई है कि वीकेवाई रणनीति के तहत निधि की आवश्यकता टीएसपी (अब अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के रूप में ज्ञात) निधियों से पूरी की जाएगी जो संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत विशेष निधि आवंटन के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका आदि के लिए समर्थन सहित क्षेत्रीय विकास का प्रबंध करती है। स्कीमों को युक्ति संगत बनाने के भाग के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित स्कीमों/उपायों का तालमेल वनबंधु कल्याण योजना के अंब्रेला कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2016–17 से प्रभावी है :

(i) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास

(ii) लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

(iii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(iv) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा

(v) निगरानी एवं मूल्यांकन

(vi) जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)

(vii) वनबंधु कल्याण योजना

6-20 भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत 27 राज्यों को 100 प्रतिशत वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इसका भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदानों को छोड़कर एक लेखा मद) और जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों एवं प्रयासों के लिए योगदान है।

6-21 o"kZ 2018&19 ds fy, ctV

rkfydk 6-6

¼djksM+ #i, esa½

Ldhe	ctV vuqeku 2018&19	la'kksf/kr vuqeku 2018&19	fueqZä ¼31-03-2019 rd½
संविधान का अनुच्छेद 275 (1)*	1800.01	1820.00	1819.81
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवटीजी) के विकास के लिए स्कीम	260.00	250.00	250.00

*प्रशासनिक व्यय सहित

वर्ष 2008–09 से 2018–19 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत निधियों की राज्य–वार निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण (प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) vuqyXud & 6 3 में तथा पीवीटीजी के विकास के तहत (वर्ष 2011–12 से 2018–19 के दौरान) विवरण vuqyXud&6 p में दिया गया है। वर्ष 2008–09 से 2018–19 के दौरान अनुच्छेद 275 (1) के तहत निधियों का वर्ष–वार आवंटन तथा गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों का आवंटन एवं निर्मुक्ति xzkQ 6-2 rFkk 6-3 में दी गई है।

xkQ 6-2 vuqPNsn 275 ¼1½ ds rgr vkoaVu ¼c-v-½ rFkk fuf/k;ksa dh fueqZfä dk fooj.k

¼djksM+ #i, esa½

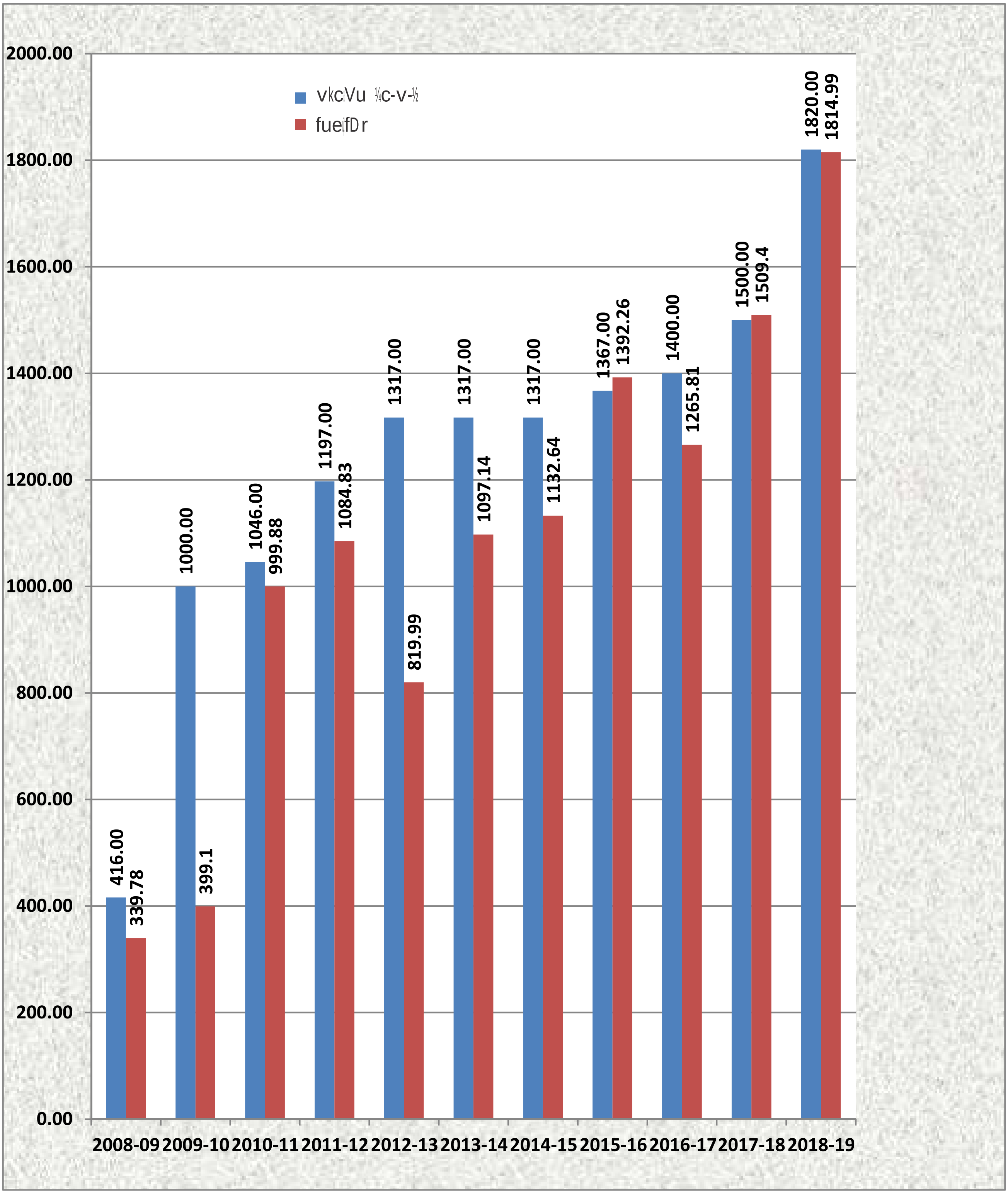

xkQ 6-3 vuPNn 275 ¼1½ d rgr xr ikp o"kk d nkjku vkoVu ¼c-v-½ rFkk fuf/k;k dh fuefä

¼djkM #i, e½

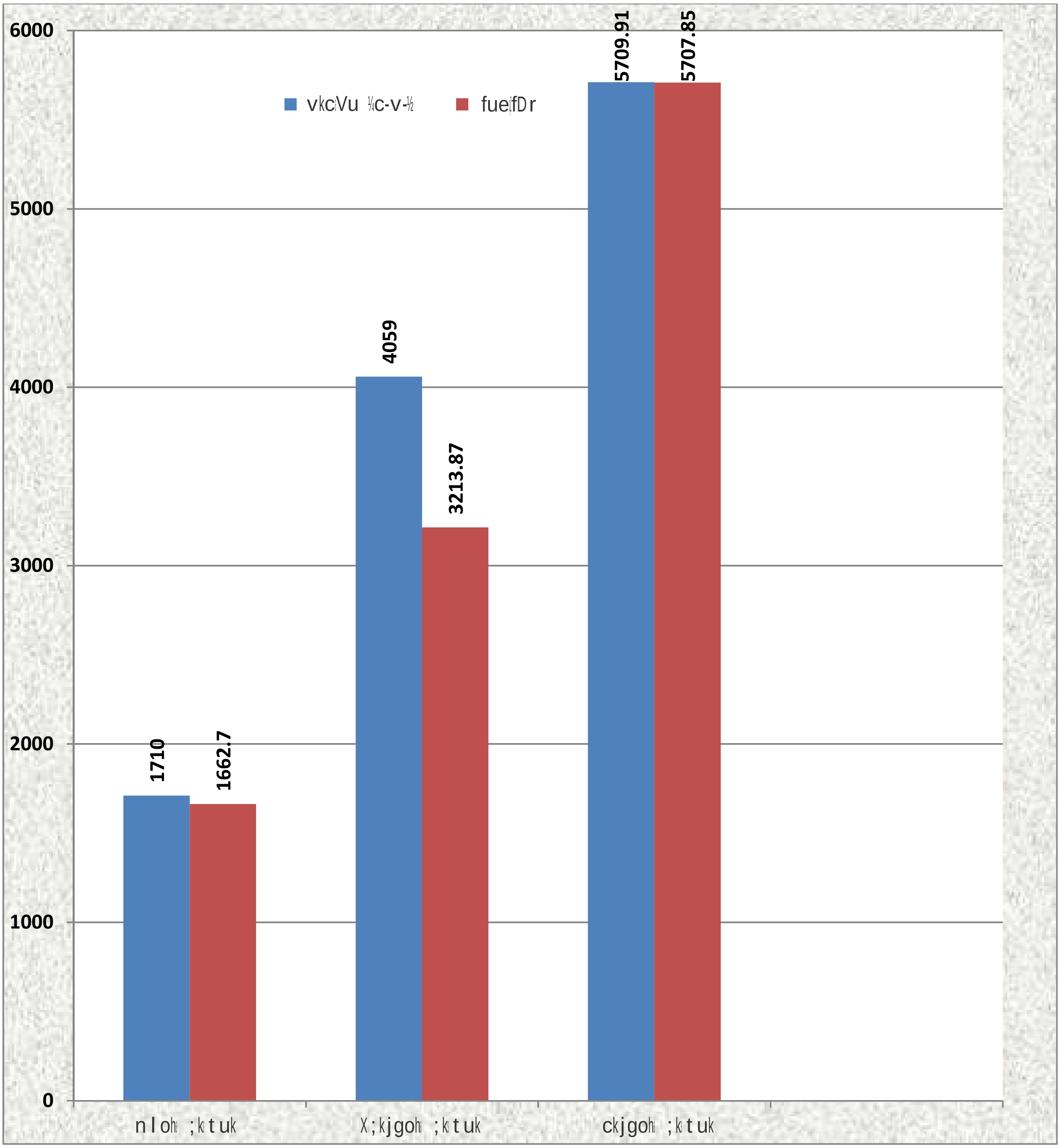

v/;k; 7

vuqlwfpr tutkfr rFkk vU; ijaijkxr ou fuoklh ¼ou vf/kdkjksa dh ekU;rk½ vf/kfu;e] 2006

i`"BHkwfe

7-1 वन अनेक जनजातीय लोगों तथा अन्य वन समुदायों के लिए आजीविका, पहचान, रीति–रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रही वनवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वनवासी सदियों से वन भूमि के अधिभोक्ता रहे थे। तथापि, वन्य पर्यावरण तंत्र की उत्तरजीविता और स्थिरता, उनके लिए परस्पर अविभाज्य होने के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

7-2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत से लोकाचार से पारिस्थितिक स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वनक्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रूप से रह रहे हैं, वैधानिक ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर–अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा उनकी आधुनिक नियामक ढांचे की सामान्य अज्ञानता, जिन क्षेत्रों से वे संबंधित हैं तथा जिन पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकारों को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधन के स्वरुप में शामिल किया। भूमि जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे तथा सम्पन्न थे, वहां से निष्कासन का डर व अवधि की असुरक्षा ही जनजातीय समुदायों के भावनात्मक रूप के साथ–साथ वास्तविक रूप से वनों और वन भूमि से विस्थापित होने का शायद सबसे बड़ा कारण था। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता है और इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम के प्रावधान प्रचालन में आये।

7-3 अधिनियम, वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से भी आगे जाता है और वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं, स्थानीय संस्थाओं को किसी भी समुदायिक वन स्रोतों, की रक्षा, पुनः सृजन, संरक्षण तथा प्रबंधन का अधिकार देता है। संसाधन प्रशासन में अपने आप यह एक निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में सही अर्थों में मील का पत्थर होने के साथ यह अधिनियम, सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तीकरण को सरल बनाने की व्यवस्था करता है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े सकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

vuqlwfpr tutkfr rFkk ijEijkxr ou fuoklh ¼ou vf/kdkjksa dh ekU;rk½ vf/kfu;e dh çeq[k fo'ks"krk,a

7-4 वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

(1) अधिनियम की धारा 3 उन अधिकारों को सूचीबद्ध करती है, जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे। ये वन अधिकार हैं:

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व–कृषि हेतु व्यक्तिगत या साझा कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार,

(ख) सामुदायिक अधिकार जैसे 'निस्तार', जिस भी नाम से जाना जाता हो सहित भूतपूर्व रियासतों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त अधिकार।

(ग) गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र लघु वन उत्पादों के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा विक्रय का अधिकार।

(घ) मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतू या चरवाहा समुदायों की परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच जैसे सामुदायिक अधिकार।

(ड.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

(च) लंबित दावों वाले किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमि में अथवा पर अधिकार।

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

(ज) सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर–सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के व्यवस्थापन तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे उन्हें राजस्व–गांवों में रिकार्ड, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

(झ) सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित किसी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनः सृजन या संरक्षण या प्रबंध करने का अधिकार।

(ञ) अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हों या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हों।

(ट) जैव–विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव–विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार, जैसा भी मामला हो, जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु किसी भी प्रजाति के जंगली जानवर का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

(ड) वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित पुनर्वास के बदले में अधिकार।

(2) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान हैं तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा किया जाना शामिल है।

(3) इस अधिनियम की धारा 4(1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देती है तथा इन्हें प्रदान करती है।

(4) अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुनरूस्थापन हेतु प्रावधान है, जिसमें विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसा शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकार धारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अपरिवर्तनीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनःस्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं

तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनःस्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनःस्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकार धारकों को पुनःस्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग के लिए बाद में पुनः बदला नहीं जाएगा।

(5) अधिनियम की धारा 4(3) के तहत इस शर्त के अध्याधीन है वन अधिकारों की मान्यता और प्रदायगी कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा कर लिया था। धारा 4(4) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

(6) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से हटाया या बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

(7) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या साझा कब्जे के तहत वनभूमि को अधिग्रहीत करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अधीन क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी भी स्थिति में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि वन अधिकार सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त होंगे।

(8) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकते हैं कि राज्य के विकास कार्यों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर इस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(9) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्रामसभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा; (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती जलग्रहण–क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थतिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो; (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहें, तथा (घ) यह सुनश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों, जंगल और जैव–विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करती है, की रोकथाम का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

10. इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय–IV) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप–मण्डल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप–मण्डल स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उप–मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक

राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) है।

11. अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

13. धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय–IV में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

14. अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

vf/kfu;e dk dk;kZUo;u dh fLFkfr

7-5 वन अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.03.2019 तक दायर दावों की कुल संख्या 42,37,853 है जिसमें से 87.72% दावे निपटा दिए गए हैं और 19,64,048 अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। अधिकार पत्रों की उच्चतम संख्या जारी करने की ओडिशा की विशिष्टता है जो 4,36,776 (4,30,212 व्यक्तिगत तथा 6564 सामुदायिक अधिकार पत्र) है। इस अधिनियम के तहत 31.03.2019 तक दावों की संख्या (राज्य–वार) पर वितरित अधिकार पत्रों की प्रतिशतता के संबंध में रैंकिंग दर्शाने वाला विवरण vu|yXud & 7 में दिया गया है।

o"kZ dk nkSjku e=ky; }kjk dh xbZ igy

7-6 जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियों को हल करने के लिए स्पष्टीकरण और समाधान के लिए निदेश प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण करके तथा अन्य सभी क्षेत्रों में त्रुटियों के लिए सहायता देते हुए कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की निगरानी को सुदृढ़ करने का भी प्रयास कर रहा है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं:

❖ मंत्रालय सभी राज्यों में अधिकारों की मान्यता तथा अधिकार पत्र प्रदान किए जाने में हुई प्रगति की नियमित निगरानी करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के रुप में सभी राज्यों से नियमित अद्यतन जानकारी मांगी जाती है जो प्रत्येक माह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित भी की जाती है। मासिक प्रगति रिपोर्ट, अधिक/कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों की पहचान करने और आवश्यक हस्तक्षेप में भी सहायक होती है। इस दिशा में मंत्रालय द्वारा इस वर्ष निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई थीं:–

❖ सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में लाइन मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकारों के साथ लगातार अनेक बैठकें आयोजित की गईं, जो निम्नानुसार दर्शाई गई हैं:–

✓ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के विपथन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सलाहकार (एसजेई), नीति आयोग के दिनांक 18–04–2018 के ई–मेल पत्र के अनुसरण में 01.05.2018 को दिल्ली में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई थी।

✓ तमिलनाडु में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा के लिए दिनांक 03.05.2018 को चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

✓ वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 11.05.2018 को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई थी।

❖ पूर्वोत्तर राज्य (त्रिपुरा और असम को छोड़कर) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का निरंतर अनुशीलन कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 18.04.2018 के अपने पत्र में इन राज्यों को एफआरए के कार्यान्वयन में संवर्धन का

निदेश दिया है। इसी प्रकार सिक्किम में 18–19 मई, 2018 को पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में समीक्षा–सह–परामर्श का आयोजन किया गया था जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में एफआरए के कार्यान्वयन से सम्बंधित मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया गया था।

- सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) सभी प्रधान सचिवों/राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के प्रभारी सचिवों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जारी अधिकारों के रिकॉर्ड़ों के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय की टिप्पणियों और अवलोकनों का पालन करने के लिए कहा गया है।
- ग्राम सभा, उप–मण्डल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के स्तर पर लम्बित मामलों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 07.06.2018 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने राज्य सरकारों से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दायर वन अधिकार दावों के विलम्बित होने के अलग आंकड़े प्रदान करने के लिए कहा है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के समक्ष दावों के रद्द होने का मुद्दा दोबारा उठाया है और दिनांक 29.06.2018 के अपने पत्र के माध्यम से लम्बित और निरस्त दावों की स्वतः समीक्षा करते हुए प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाते हुए मुद्दे का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2018 के अपने पत्र के माध्यम से प्राप्त, निपटाए गए, स्वीकृत दावों और दी गई भूमि हेतु एफडीएसटी तथा ओटीएफडी के लिए अलग आंकड़े रखने हेतु भी राज्य सरकारों को कहा है।
- चूंकि अग्रणी वन मशीनरी (वन–अधिकारियों) सहित राज्य सरकारों के वन विभाग, वन अधिकार अधिनियम के सफल तथा सुचारू कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2018 के अपने पत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ–साथ राज्य सरकारों से वन अधिकारियों और कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए विशेष उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों पर सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआर) के मान्यता तथा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को तेज करने पर बल दे रहा है।
- वन अधिकार धारकों को निरंतर आजीविका के साधन प्रदान करने हेतु उनके लिए मान्यता के पश्चात सहायता अपरिहार्य है। अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उनकी संबंधित स्कीमों और प्रयासों के माध्यम से वन अधिकार धारकों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 13.07.2018 के अपने पत्र के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों उदाहरणार्थ कृषि मंत्रालय, पशु पालन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू–संसाधन विभाग आदि का अनुशीलन किया है।
- सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.03.2019 को ली गई बैठक में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी।

vkxs dh jkg

7-7 अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में करोड़ों जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की क्षमता है। इस मंत्रालय तथा सभी हितधारकों के नियमित समर्थन और ग्राम सभाओं एवं कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सभी स्तरों पर दिशा–निर्देश द्वारा निरंतर प्रयासों से वन अधिकार अधिनियम की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सकती है।

यह आशा की जाती है कि वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेष रुप से सामुदायिक वन अधिकारों की पहचान, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, पीवीटीजी के अधिवास अधिकार, घुमन्तू और देहाती समुदायों के मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अधिकारों का कार्यान्वयन आने वाले वर्षों में गति प्राप्त करेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर अक्षरशः इस ऐतिहासिक अधिनियम के उद्देश्य को तीव्रता से वास्तविक बनाने के लिए अभियान स्तर पर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएंगी।

vkxs dh jkg dh vksj mBk, tkus okys dN dne fuEukuqlkj gS%

- नियमित बैठकें, समयबद्ध निर्णय और कृत कार्रवाई के सुनिश्चय द्वारा एसएलएमसी, डीएलसी तथा एसडीएलसी के कार्य, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग जैसे एमआईएस द्वारा निगरानी प्रक्रिया में सुधार। एमआईएस, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों का संग्रहण भी सक्षम बनाएगा।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श करने पर जोर दे रहा है कि अधिनियम के तहत दाखिल किसी दावे को गलत तरीके से निरस्त नहीं किया जा रहा है।

v/;k; 8

f'k{kk dk lo/kZu gsrq dk;ZØe

8-1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा के संवर्धन हेतु कई योजनाएं तथा कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। ये नीचे दिये गये हैं:

,dyO; vkn'k vkoklh; fo|ky; ¼bZ,evkj,l½

8-2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), प्रत्येक स्कूल में 480 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को न केवल उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने तथा सरकारी एवं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने में सक्षम बनाना बल्कि गैर–अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समतुल्य शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के लिए भी उन्हें गुणवत्तापरक मिडिल और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है।

8-3 ईएमआरएस की स्थापना के लिए न्यूनतम 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और अकादमिक शिक्षा के साथ–साथ पाठ्येत्तर गतिविधियों की आवश्यकता के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है। ईएमआरएस में विद्यार्थियों को उनकी रूची के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसरों का लाभ उठाने हेतु परिवेश को अनुकूल बनाने के उद्देश्य के साथ स्कूल भवन के अलावा, खेल के मैदान, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, शिक्षक संसाधन कक्ष आदि के प्रावधान की सुविधा भी प्रदान की गई है। स्थापित मानदंडों के अनुसार, कक्षा VI से कक्षा X तक केवल 60 विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के साथ केवल दो वर्गों में तथा कक्षा XI और कक्षा XII में विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की विधाओं में 90 विद्यार्थियों को प्रत्येक में 30 विद्यार्थियों के साथ केवल तीन वर्गों में विभाजन मान्य है। यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारें शैक्षिक और पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के चयन में उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करें और इसे बनाए रखें।

8-4 ईएमआरएस दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार, क्षेत्र में 50% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) / एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) में कम से कम एक ईएमआरएस स्थापित किया जाना है। छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत 12.00 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, जो पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानों और द्वीपों में 16.00 करोड़ रूपये तक जाने के प्रावधान के साथ है। वर्ष 2018–19 के दौरान आवर्ती लागत को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 42,000/– रूपये से बढ़ाकर प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 61,500/– रूपये कर दिया गया है।

o"kZ 2018&19 dh ctV ?kks"k.kk vkSj blds dk;kZUo;u

8-5 वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा के अनुसार, 50% से अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालयों के समतुल्य होंगे और इसमें खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

8-6 देश भर में, जनगणना–2011 के अनुसार, 564 उप–जिले हैं, अर्थात 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले ब्लॉक / तालुका / तहसीले हैं। इन उप–जिलों में से, वर्तमान में 102 उप–जिलों में ईएमआरएस हैं और शेष

462 उप–जिलों में ईएमआरएस नहीं हैं। ऐसे ब्लॉकों की सूची vuqyXud& 8 क में दी गई है।

8-7 पूर्वोक्त बजट घोषणा के संदर्भ में, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा एक योजना तैयार, मूल्यांकित और अनुमोदित की गई थी। इसके अलावा, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), ने दिनांक 17.12.18 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

i. कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के साथ 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 462 ब्लॉकों में 12 एकलव्य आदर्श दिवा बोर्डिंग विद्यालय (ईएमडीबीएस) सहित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की वर्ष 2022 तक स्थापना करना।

ii. वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान 145 ईएमआरएस और 5 ईएमडीबीएस के लिए वित्तीय प्रावधान।

iii. ईएमआरएस के संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति के समतुल्य जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसायटी की स्थापना करना।

iv. सभी संबंधित बुनियादी ढांचे (भवन, उपकरण आदि) के साथ प्रत्येक जिले में खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना। इस उत्कृष्टता केंद्र में दो चिह्नित खेलों (एक समूह खेल और एक व्यक्तिगत खेल सहित) के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाएँ होंगी जो किसी राज्य के लिए सामान्य होंगी।

v. वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान 15 खेल सुविधाओं हेतु वित्तीय प्रावधान।

mijkä d vykok] ekStnk ekunMk ¼vkorh vkj xj&vkorh½ d l'kk/ku d fy, Hkh etjh nh xbZ Fkh½

Ø-l-	fooj.k	l'kksf/kr ekunM
1	प्रति छात्र प्रति वर्ष आवर्ती लागत	1,09,000 रूपये
2	नए विद्यालय के निर्माण की पूंजीगत लागत (प्रति विद्यालय)	मैदानी क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रूपये तथा पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 24.00 करोड़ रूपये
3	मौजूदा विद्यालयों का उन्नयन (प्रति विद्यालय)	5.00 करोड़ रूपये तक
4	खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र	प्रत्येक 5.00 करोड़ रूपये
5	प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार अनुरक्षण अनुदान स्वीकार्य है	20.00 लाख रूपये

8-8 दिनांक 31.03.19 तक की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में मंत्रालय द्वारा 338 ईएमआरएस / ईएमडीबीएस स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से, 220 ईएमआरएस पूरी तरह कार्यशील हैं और शेष ईएमआरएस कार्यशील बनने के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक स्वीकृत (ब्लॉक–वार) ईएमआरएस की सूची vuqyXud & 8[k में है। दिनांक 31.03.2019 तक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विद्यालयों की राज्य–वार सूची उनकी कार्यात्मक स्थिति सहित rkfydk 8-1 में दी गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकारों को ईएमआरएस के लिए आवर्ती और गैर–आवर्ती निधियों की निर्मुक्ति संबंधी विवरण vuqyXud &8 x में है।

o"k 2018&19 dh fo'k"krk,

8-9 ईएमआरएस में नामांकित विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान ईएमआरएस के पुनर्रुत्थान के लिए कई कदम उठाए गए थे। वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत 64 नए ईएमआरएस/ईएमडीबी विद्यालयों के लिए अनुच्छेद 275(1) के तहत वर्ष 2018–19 के दौरान स्वीकृत निधियों को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

8-10 राज्यों के साथ कठोर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, पिछले वर्षों में स्वीकृत 14 ईएमआरएस कार्यात्मक हो गए।

8-11 अनंतनाग और कुलगाम के ईएमआरएस के कार्यात्मक होने के साथ, जम्मू और कश्मीर राज्य को अब

rkfydk 8-1 o"k 2018&19 d nkjku Loh—r ,dy0; vkn'k vkoklh; @ fnok ckfMx fo|ky; ¼bZ,evkj,l @ bZ,eMhch,l½

Ø-l-	jkT;	Loh—r Ã,evkj,l @ Ã,eMhch,l dh l[;k	LohÑr fufèk;k ¼djkM :- e½
1	आंध्र प्रदेश	2	40.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1	24.00
3	असम	1	24.00
4	छत्तीसगढ़*	3	54.00
5	गुजरात′	4	59.00
6	हिमाचल प्रदेश	3	56.00
7	जम्मू और कश्मीर	3	48.00
8	झारखंड	4	72.00
9	केरल	1	12.00
10	मध्य प्रदेश	3	30.00
11	महाराष्ट्र*	3	54.00
12	मणिपुर	3	64.00
13	मेघालय	12	280.00
14	मिजोरम	3	72.00
15	नगालैंड	6	144.00
16	ओडिशा	2	48.00
17	राजस्थान*	2	34.00
18	तमिलनाडु	1	20.00
19	तेलंगाना	2	44.00
20	त्रिपुरा *	3	54.00
21	उत्तराखंड	1	12.00
22	पश्चिम बंगाल	1	16.00
	कुल	**64**	**1261.00**

*स्वीकृत ईएमडीबीएस

ईएमआरएस के मानचित्र पर एक स्थान हासिल है।

8-12 ईएमआरएस की निगरानी बड़े पैमाने पर की गई है। ईएमआरएस के कामकाज में सुधार लाने, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने, इमारतों को पूरा करने आदि के लिए दिनांक 23.04.18 और 10.08.18 को राज्य सरकार और ईएमआरएस सोसायटी के अधिकारियों के साथ दो वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं थीं। इसके अलावा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, पीएसी बैठकों और मध्यावधि समीक्षा बैठक के दौरान चर्चाओं में ईएमआरएस ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है।

8-13 ईएमआरएस की स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कई ईएमआरएस का दौरा किया गया था। यात्रा के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य सरकारों को ईएमआरएस में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

8-14 राज्यों तथा ईएमआरएस के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर हुआ है। कई विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है।

8-15 खेल और सह–पाठयक्रम गतिविधियों की ओर भी बल दिया गया है। कई ईएमआरएस विद्यार्थियों ने विभिन्न जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

8-16 बच्चों और किशोरों के लिए पौष्टिक परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से, सभी ईएमआरएस में सितंबर के महीने में पोषण माह (राष्ट्रीय पोषण माह) मनाया गया। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रभात फेरी, पोषण मेला, पोषण रैलियां और पैदल यात्राएं, नुक्कड़ नाटक, स्कूल आधारित कार्यक्रम, पाक विधि प्रदर्शन, सिकल सेल की जांच, पोषाहार समृद्ध वृक्षों जैसे मोरिंगा का रोपण आदि गतिविधियां आरंभ की गईं।

8-17 ईएमआरएस ने स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2018 अभियान में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए जन आन्दोलन को तेज करना है, आगे इसे सुनिश्चित करना कि 'स्वच्छता बनाये रखना सभी का कार्य है'। स्वच्छता व्यवहार के संबंध में परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए घर–घर तक अभियान जैसी गतिविधियां; 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 तक पखवाड़े के दौरान स्वछता संबंधी नुक्कड़ नाटक, मोहल्ला नाटक, लोक गीत, नृत्य प्रदर्शन; ग्राम स्तर की रैलियाँ; सामुदायिक स्तर का श्रमदान; विद्यालय परिसर को साफ सफाई मे विद्यार्थियों की भारी भागीदारी के साथ आयोजित की गई।

8-18 वर्ष के दौरान ईएमआरएस के संबंध में राज्यों के साथ दो परामर्श बैठकें भी आयोजित की गई थीं। पहला परामर्श 17.01.2019 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था जहाँ राज्य के साथ ईएमआरएस के संशोधित मॉडल पर चर्चा की गई थी। दूसरा परामर्श 07.03.2019 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जहाँ स्वीकृत ईएमआरएस के परिचालन से संबंधित मुद्दों और संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

jk"Vªh; Lrj dh çFke b,evkj,l laxhr çfr;kfxrk

8-19 प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देने और ईएमआरएस के विद्यार्थियों की संगीत उत्कृष्टता को तेज करने के लिए, असाधारण प्रतिभा वाले स्कूली बच्चों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की ईएमआरएस संगीत प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन किया गया। स्कूल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, उसके बाद क्षेत्रीय / राज्य स्तर और अंत में राष्ट्रीय स्तर, पर पहुंचकर समापन हुआ।

8-20 स्कूल स्तर की प्रतियोगिता 21 राज्यों के 194 स्कूलों में दिनांक 31.8.2018 से 30.09.2018 तक आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 7000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था।

8-21 क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में लगभग 2300 विद्यार्थियों की 194 टीमों ने भाग लिया। प्रदर्शन के आधार पर, विजेता टीम को नकद पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये से सम्मानित किया गया, प्रथम रनर अप टीम को 35,000 रूपये, द्वितीय रनर अप टीम को 25,000 रूपये और प्रत्येक स्थान में एक टीम को 10,000 रूपये का एक विशेष पुरस्कार भी दिया गया था।

8-22 12 क्षेत्रों / राज्यों जहां प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाली 12 टीमों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया, जो कि एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम, जमशेदपुर, झारखंड में दिनांक 30.10.18 से 31.10.18 तक के दौरान आयोजित

की गई थी। विद्यार्थियों, संगतकार (संगीतकार) सहित लगभग 240 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम में 10 से 12 प्रतिभागी (बालकों और बालिकाओं की समान संख्या) और लगभग 6 संगीतकार शामिल थे। प्रथम नकद पुरस्कार 2,00,000 रूपये, द्वितीय पुरस्कार 1,75,000 रूपये, तृतीय पुरस्कार 1,25,000 रूपये तथा 1,00,000 रुपये का एक विशेष पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड टीम को दिया गया, गुजरात टीम को द्वितीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश टीम को तृतीय पुरस्कार और झारखंड टीम को विशेष पुरस्कार दिया गया।

माननीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रथम ईएमआरएस संगीत प्रतियोगिता के प्रतिभागी

राष्ट्रीय स्तर की ईएमआरएस संगीत प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश से ईएमआरएस के विद्यार्थी

दिनांक 30.10.2018 से 31.10.2018 के दौरान जमशेदपुर, झारखण्ड में राष्ट्रीय स्तर की संगीत प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हुए ईएमआरएस की बालिकाएं

jk"Vh; Lrj dh çFke b,evkj,l [ky cBd

8-23 विशेष रूप से देश भर में फैले ईएमआरएस के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रथम ईएमआरएस खेल बैठक – 2019, जीएमसी बालयोगी स्टेडियम, गाचीबॉवली, हैदराबाद में, अंडर –17 श्रेणी में, 14 –16 जनवरी 2019 तक आयोजित की गई थी । यह आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना और तेलंगाना जनजातीय कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी (टीटीआरईआईएस) द्वारा आयोजित किया गया था।

fnukd 14-01-2019 l 16-01-2019 rd gnjkckn e vk;kftr çFke jk"Vh; [ky cBd dk mn?kkVu lekjkg

20 राज्यों के लगभग 2012 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पहली राष्ट्रीय खेल बैठक – 2019 का उद्‌घाटन सत्र दिनांक 14.01.2019 को जीएमसी बालयोगी स्टेडियम, गाचीबॉवली, हैदराबाद में बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ आयोजित किया गया था। उद्‌घाटन सत्र में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने अपने अनुरक्षक शिक्षकों / सह–समन्वयकों और राज्य प्रतिनिधियों के साथ पहली राष्ट्रीय खेल बैठक – 2019 में बड़ी प्रतिस्पर्धी भावना के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम का उदघाटन श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा किया गया। श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और श्री सुदर्शन भगत, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने दिनांक 16.01.2019 को आयोजित समापन समारोह की शोभा बढ़ाई।

d-l-	Js.kh	fotsrk
1	व्यक्तिगत चैम्पियनशिप (बालक)	आर हरि लाल (तेलंगाना) कुंगा नीमा (उत्तराखंड)
2	व्यक्तिगत चैम्पियनशिप (बालिका)	वी स्वाति (तेलंगाना)
3	ओवरऑल एथलेटिक्स चैपियनशिप	तेलंगाना
4	ओवरऑल खेल चैम्पियनशिप	महाराष्ट्र

14 से 16 जनवरी तक हैदराबाद में राष्ट्रीय स्तर की पहली ईएमआरएस खेल–कूद प्रतियोगिता की तस्वीरें

vuqlwfpr tutkfr dh ckfydkvksa rFkk ckydksa ds fy, Nk=kokl dh Ldhe

8-24 इस स्कीम के तहत, राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों / विश्वविद्यालयों को नए छात्रावास भवनों के निर्माण और / या मौजूदा छात्रावासों के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है।

tutkrh; mi&;kstuk {ks= esa vkJe fo|ky;ksa dh Ldhe

8-25 इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा अनुकूल माहौल में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच साक्षरता को बढ़ाने तथा उन्हें देश की अन्य आबादी के समतुल्य लाने के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु आवासीय विद्यालय प्रदान करना है।

8-26 tutkrh; {ks=ksa esa O;kolkf;d çf'k{k.k dh Ldhe

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की नौकरियों के साथ–साथ स्वरोजगार के लिए अजजा युवाओं के कौशल को विकसित करना और उनकी आय को बढ़ाकर उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

उपरोक्त तीन घटकों नामतः 'आश्रम विद्यालय', 'बालक तथा बालिका छात्रावास' और 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' को वर्ष 2018–19 से बंद किया जा रहा है क्योंकि ऐसे उपाय (विद्यालय, छात्रावास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण [कौशल / आजीविका]) पर टीएसएस को एससीए / संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान या राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय विकास के लिए उनकी स्वयं की निधि से निधिपोषित करने के लिए अब एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा विचार किया जाता है।

d{kk IX rFkk X esa v/;;ujr vuqlwfpr tutkfr ds t#jrean fo|kfFk;ksa ds fy, eSfVªdiwoZ Nk=ofÙk

8-27 mís';%&

स्कीम के उद्देश्य हैं – (i) कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता–पिता की सहायता करना ताकि विशेष रुप से शिक्षा के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में जाने तथा माध्यमिक स्तर के दौरान, स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम किया जा सके, तथा (ii) कक्षा IX तथा X के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता को सुधारना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें बेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

8-28 **dojst%** अजजा विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो इस स्कीम के तहत व्यय के लिए भारत सरकार से केंद्रीय सहायता प्राप्त करते हैं।

8-29 eq[; fo'ks"krk,¡&

- यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।
- छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलब्ध हैं।
- राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन जिससे आवेदक वास्तव में संबंधित है, वही छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकपूर्व चरण के कक्षा IX तथा X में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भागीदारी में सुधार करना है ताकि वे बेहतर निष्पादन करें और उन्हें शिक्षा में मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रगति के बेहतर मौके प्राप्त हो सकें।

8-30 ik=rk&

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए जो संशोधन के अधीन है।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधिपोषित किसी अन्य मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त न कर रहा हो।

- वह सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

8-31 ykHk%

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा छात्रों के लिए 150/– रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 350/– रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है, जो संशोधन के अधीन है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्रों के लिए 750/– रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रु. वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी विकलांगता के आधार पर 160/– रु. से 240/– रु. के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान एक अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्तियां अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा IX में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा X के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

8-32 dk;Z fu"iknu% संशोधित अनुमान 2018–19 के तहत किए गए 311.50 करोड़ रुपये का संपूर्ण बजट आवंटन वर्ष के दौरान खर्च किया गया था। वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान राज्य–वार शामिल लाभार्थी और जारी की गई केंद्रीय सहायता vuqyXud & 8?k पर दी गई है।

eSfVªdksÙkj Nk=ofÙk Ldhe ¼ih,e,l½

8-33 mís';, ,oa dk;{kS=% इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संसाधनों के साथ 01.07.2010 से संशोधित की गई है। यह योजना उन सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खुली है जिनके माता–पिता की वार्षिक आय दिनांक 01.04.2013 से 2.50 लाख रुपये या इससे कम है तथा छात्रवृत्ति का वितरण उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है जहां वे अधिवासित है।

8-34 eq[; fo'ks"krk,a%

i. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रवृत्तियों की विभिन्न दरें प्रदान की जाती हैं। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है एवं इसकी दरें 230/– रु. प्रतिमाह से लेकर 1200/– रु. प्रतिमाह तक है। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

ii. दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ते का प्रावधान है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

iii. छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह विद्यार्थियों के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

8-35 fuf/k;u i)fr% स्कीम राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है । पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।

8-36 dk;Z fu"iknu% 1647.56 करोड़ रुपये की राशि (अंब्रेला स्कीम के सामान्य घटक) के बजट आवंटन (समायोजन के पश्चात) की तुलना में 1647.56 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान राज्य–वार लाभार्थियों की कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता vuqyXud & 8M- में दी गई है।

iqLrd cSad

8-37 mís';% व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक विद्यार्थियों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी

रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों / विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई छोड़ जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

8-38 e[; fo'k"krk,¡ यह स्कीम अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होम्योपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित) इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलिटेक्निक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

8-39 fuf/k;u i)fr¼ योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।

vuqlfpr tutkfr d fo|kfFk;k dh mPprj f'k{kk d fy, jk"Vh; v/;rkofÙk rFkk Nk=ofÙk

8-40 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति स्कीमों उदाहरणतः राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा उच्च श्रेणी शिक्षा के कार्यान्वयन में उन स्तरों जिनके परिणामस्वरूप समयान्तर होता है, को हटाने और निगरानी पर उपयुक्त नियंत्रण को सुकर बनाने के लिए मंत्रालय ने इन दो स्कीमों को मिलाकर केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम नामतः 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' बनाई है।

I. vuqlfpr tutkfr d fo|kfFk;k d fy, jk"Vh; v/;rkofÙk

8-41 mís';¼ इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु वित्तीय सहायता के रुप में अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2005–06 से शुरु की गई है।

8-42 dojst¼ यह स्कीम निम्नानुसार भारतीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों को कवर करती है:–

- i. यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) / 2(8)/12(ख) के तहत शामिल विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय
- ii. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल माने गए विश्वविद्यालयों पर विचार किया जायेगा तथा वे यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- iii. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा निधि पोषित विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय
- iv. राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान

v/;rkofÙk dh vof/k fuEukuqlkj g¼&

क.	एम.फिल का नामांकन	2 वर्ष
ख.	विशेषतः पीएचडी	5 वर्ष
ग.	एम.फिल पूरी होने के पश्चात पीएचडी में नामांकन	2 वर्ष (एम.फिल) तथा 3 वर्ष (पीएचडी)

8-43 fuf/k;u i)fr% v/;srkofÙk dh njsa fuEukuqlkj g%

	v/;srkofÙk	vkdfLedrk	,pvkj,	,LdsVl@ jhMj lgk;rk
एम.फिल	प्रतिमाह 25000/– रूपये की दर से	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 10,000/– रूपये ii. विज्ञान, इंजिनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 12,000/– रूपये	विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय के नियमों के अनुसार	सभी विषयों के लिए शारीरिक रूप से विकलांग तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामले में प्रतिमाह 2000/– रूपये
पीएचडी	प्रतिमाह 28000/– रूपये की दर से	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 20,500/– रूपये ii. विज्ञान, इंजिनियरिंग तकनीक के लिए प्रतिवर्ष 25,000/– रूपये		

8-44 eq[; fo'ks"krk,a%

- इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 750 अध्येतावृत्तियां दी जाती हैं।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंकों के संबंध में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने से पूर्व कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

वर्ष 2018–19 के दौरान 100.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 82.08 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई थी उच्च श्रेणी शिक्षा की स्कीम सहित)।

II vuqlfpr tutkfr ds fo|kfFk;ksa ds fy, Nk=ofr Ldhe ¼mPp Js.kh f'k{kk½

8-45 mís';% इस स्कीम का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति स्कीम संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह स्कीम 2007–08 में शुरु की गई है।

8-46 dojst% उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति स्कीम के तहत संस्थानों की सूची को वर्ष 2018–19 के दौरान संशोधित किया गया है और इस स्कीम के तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में 246 अनुमोदित संस्थान हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रत्येक वर्ष नई छात्रवृत्ति की कुल संख्या 1000 है। उच्च स्तरीय संस्थानों के लिए संस्थान व विषय – वार स्लॉटों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

8-47 eq[; fo'ks"krk,a%

(i) अजजा विद्यार्थियों की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सरकारी/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के संबंध में पूर्ण ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय योग्य देयताओं को कवर करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि, निजी संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा होगी।

(iii) यह छात्रवृत्ति (क) प्रति छात्र प्रतिमाह 2200/– रु. जीवनयापन व्यय, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) प्रति छात्र प्रति वर्ष 3000/– रु पुस्तकें और स्टेशनरी. और (ग) पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बारगी सहायता के रूप में सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कंप्यूटर प्रणाली की लागत 45000/– रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएंगी।

(iv) यह स्कीम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत–प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधियां संबंधित संस्थान को सीधे निर्मुक्त की जाएंगी।

8-48 dk;Z fu"iknu% वर्ष 2018–19 के दौरान 100.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 17.90 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था (अध्येतावृत्ति योजना सहित)। उच्च श्रेणी संस्थानों की सूची की समीक्षा की गई है और 2018–19 में 246 संस्थानों की संशोधित सूची को मंजूरी दी गई है।

fons'k esa mPprj v/;;u ds fy, jk"Vªh; leqæikjh; Nk=ofÙk Ldhe%

8-49 mís';% इस स्कीम का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा डॉक्टोरत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्चत्तर शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने इनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने हेतु इसके प्रावधानों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने वर्ष 2017–18 में स्कीम को संशोधित किया है।

8-50 dk;Z {ks=% विदेश में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल तथा पोस्ट डॉक्टोरल स्तर के पाठ्क्रमों के लिए अनुसूचित जनजाति के 17 अभ्यर्थियों तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 3 अभ्यर्थियों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

8-51 eq[; fo'ks"krk,¡%

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता–पिता / अभिभावकों की कुल आय 6.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री वांछनीय है तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। एम.फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/एम. फिल डिग्री वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टरोत्तर अध्ययन के लिए उम्मीदवार के पास डॉक्टर डिग्री सहित 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय / संस्थान में चयन की तारीख से 2 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को 15,400 अमेरिकी डॉलर या 9900 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान / शिक्षण असिस्टेंटशिप कार्य आरम्भ करके सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरुप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।

8-52 इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा विशेषरूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को चार वार्षिक 'यात्रा अनुदान' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो

विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय / सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती है, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इस योजना में इकोनॉमी क्लास द्वारा भारत से/में आने–जाने के लिए अनुदान उपलब्ध है।

8-53 fuf/k;u çfreku% चयनित अभ्यार्थियों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत–प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

8-54 dk;Z fu"iknu% वर्ष 2018–19 के दौरान 20 विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2017–18 के लिए किया गया है तथा वर्ष 2018–19 के लिए भी 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। वर्ष 2018–19 के लिए 2.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.03.2019 तक 2.00 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

Nk=ofÙk rFkk v/;srkofÙk ,d utj esa										
Ldhe dk uke	fooj.k	vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fy, f'k{kk ;kstuk,a & ,d utj esa								
		IX	X	XI	XII	Lukrd ¼3½	Lukr dkWkj ¼2½	,e-fQy	ih,pMh	MkDVjksÙkj
मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	छात्रावासियों एवं दिवा छात्रों के लिए प्रतिमाह 350/– रू. तथा 150/– रू. की दर से छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक एवं तदर्थ अनुदान क्रमशः प्रतिवर्ष 1000/– रू. तथा 750/– रू. की दर से									
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	छात्रावासियों के लिए प्रतिमाह 380/– रू. से 1200/– रू. तथा दिवा छात्रों के लिए 230/– रू. से 550/– रू. रख–रखाव भत्ता + अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (01.04.2013 से 2.50 लाख रू. की आय सीमा)									

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	प्रतिवर्ष 15,400 यूएस डॉलर का रख–रखाव भत्ता तथा 9900 यूके पाउण्ड + अन्य मान्य भत्ते									
अजजा विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति [अध्येतावृत्ति]	एम.फिल: 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 25,000/– रू. की दर से अध्येतावृत्ति पीएचडी: शेष अवधि के लिए प्रतिमाह 28,000/– रू. की दर से अध्येतावृत्ति									
अजजा विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति [उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति]	ट्यूशन शुल्क: संस्थान के मानदंडों के अनुसार पुस्तकों तथा स्टेशनरी के लिए प्रतिवर्ष 3000/–रू., रहने का खर्च प्रतिमाह 2200/–रू. कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण के लिए अवधि के दौरान 45000/– रू. की एक बारगी सहायता									

*कोष्टक में दिये गये आंकड़े वर्षों की संख्या को दर्शाते हैं

v/;k; 9

fo'k"k :i l detkj tutkrh; legk dk fodkl

fo'k"k :i l detkj tutkrh; legk ¼ihohVhth½ d fodkl dh Ldhe

9-1 अनुसूचित जनजातियों में कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर निम्न और प्रौद्योगिकी कृषि–पूर्व स्तर की है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यतः घटिया अवसंरचना एवं कम प्रशासनिक सहायता वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य–वार सूची vuyXud&9 क में दी गई है।

ihohVhth d fodkl dh Ldhe

9-2 उनके अत्यधिक पिछड़ेपन तथा कमजोर होने के कारण उनके संरक्षण तथा विकास, एवं उनकी घटती आबादी की प्रवृत्ति की रोकथाम को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। अतः पीवीटीजी के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित तथा 'राज्य योजना' स्कीमों से पर्याप्त निधियां आवंटित करने की आवश्यकता है। वर्ष 1998–99 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय क्षेत्र की एक अलग योजना आरंभ की गई थी। योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्राप्त जानकारी और अनुभव के आधार पर दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से संशोधित किया गया है।

dk;{k=

9-3 इस स्कीम में केवल 75 चिह्नित 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' शामिल किए गए हैं। यह स्कीम अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाती है जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की विकास गतिविधि जैसे कि आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस स्कीम के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्कीम द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों और जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशा–निर्देशों द्वारा विशेष रूप से प्रबंध नहीं किया जाता है। निधियों और कार्यकरणों के तालमेल का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

Ldhe dk dk;kUo;u

9-4 संरक्षण–सह–विकास योजनाएं (सीसीडी) राज्य सरकारों और संघ शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा, उनके द्वारा किए गए आधारभूत (बेसलाइन) या अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिवास विकास दृष्टिकोण अपनाकर पांच वर्षों के लिए तैयार की जाती हैं और मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें अनुमोदित की जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि वे अपने राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाना

सुनिश्चित करें। उसी क्षेत्र में उपाय के दोहराव से बचना होगा। नवीन योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

lj{k.k& lg&fodkl ¼lhlhMh½@okf"kd ;kstukvk dh tkp vkj vuqeknu

9-5 सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मंत्रालय की एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) / वार्षिक योजनाओं के प्रस्ताव की जांच करती है और उनके तहत संगत क्रियाकलापों के लिए निधि का अनुमोदन करती है।

9-6 वर्ष 2018–19 के दौरान परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर 14 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल को निधियां जारी की गई हैं।

9-7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरा होने की समय–सीमा प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति की निगरानी कुशलता से की जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था की जाती है और संरक्षण–सह–विकास/वार्षिक योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्यार्थ गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

dk;kUo;udkjh vfHkdj.k ¼,tsl h½

9-8 यह स्कीम राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा तैयार संरक्षण–सह–विकास/वार्षिक योजनाओं के अनुरूप कार्यान्वित की जाती है।

fuf/k;u i)fr

9-9 यह 100% केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। निधियां सामान्यतः सीसीडी योजना में विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप राज्यों को एक किस्त में निर्मुक्त की जाती हैं।

fuxjkuh ¼e,uhVfjx½

9-10 स्कीम के कार्यान्वयन का निगरानी मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा/अथवा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। किसी भी समय प्रगति की निगरानी में सुधार के लिए प्रपत्र अथवा दिशा–निर्देश निर्धारित करने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु उन्हें आधारभूत सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

vkoVu vkj O;;

9-11 गत तीन वर्षों के दौरान पीवीटीजी के विकास की स्कीम के तहत किया गया आवंटन तथा निर्मुक्ति/व्यय rkfydk 9-1 में दिया गया हैः–

rkfydk 9-1 ½ o"k 2016&17 ls o"k 2018&19 d nkjku vkoVu ,o fuefä;k

(करोड़ रुपए में)

o"k	ctV vuqeku	la'kksf/kr vuqeku	O;;@fuefä
2016-17	200.00	340.21	340.21
2017-18	270.00	240.00	239.46
2018-19	260.00	250.00	250.00

वर्ष 2018–19 के दौरान 14 राज्यों को 250.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2018–19 तथा विगत दो वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत निर्मुक्त निधियों के राज्य–वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण vuqyXud&9 [k में दिया गया है।

v/;k; 10

vu|l/kku] lpuk vkj tulpkj

tutkrh; vu|l/kku lLFkku ¼Vhvkjvkb½ dk lgk;rk

10-1 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एवं प्रशासनिक तौर पर सहायता प्राप्त हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधित वित्तीय मानकों और चिह्नित उपायों के साथ "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता" स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस स्कीम को आधारभूत उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान तथा प्रलेखन कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ करना है। यह परिकल्पना की जाती है कि टीआरआई को साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधानों, जनजातीय लोगों तथा जनजातीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों/संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार व जागरूकता निर्माण, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु विशेषज्ञ दल के रूप में कम या अधिक ज्ञान तथा अनुसंधान निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

10-2 ;kstuk dh dojst

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और त्रिपुरा तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्रों जो vk—fr 10-1 में नक्शे में दर्शाए गए हैं, में टीआरआई कार्य करते हैं। नए टीआरआई उन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जहां टीआरआई मौजूद नहीं हैं।

vk—fr 10-1 % Hkkjr e: tutkrh; vu|l/kku lLFkku ¼Vhvkjvkb½

10-3 दिसंबर, 2017 में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार "टीआरआई को समर्थन" की स्कीम के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप निम्नानुसार हैंः–

10-3-1 vol jpuk fuek.k

क. टीआरआई/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए आधुनिक भवन।

ख. दैनिक रख–रखाव जैसे, गृह–व्यवस्था, दिन–प्रतिदिन का रख–रखाव, उपयोगिता बिल आदि को छोड़कर विद्यमान टीआरआई भवन की मरम्मत/ विस्तार/उन्नयन।

ग. आभासी संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए समर्थन।

घ. डिजिटल कोष (रिपोजिटरी) सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए समर्थन।

ङ. टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षण/संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास।

च. टीआरआई/संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय खाना। कैफे, कारीगर कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कारीगरी की प्रर्दशनी–सह–बिक्री केन्द्र, स्मारक स्थापित करना।

10-3-2 vu|l/kku rFkk çy[ku (श्रव्य/दृश्य/आभासी वास्तविक (वीआर)/विस्तृत वास्तविकता (एआर) तथा नई प्रौद्योगिकी सहित)

(क) जनजातीय कल्याण उपाय

(ख) सफलता की कहानियां

(ग) जनजातीय रूपरेखा

(घ) जनजातीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला तथा कारीगिरी, परम्परागत चिकित्सा प्रक्रियाएं, जनजातीय कथाएं तथा कहानियां जनजातीय पाक कला तथा अन्य विशेष लक्षण

(ङ) विभिन्न सरकारी उपायों की निगरानी तथा मूल्यांकन

(च) स्थानीय जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिकाओं का विकास तथा मुद्रण।

(छ) जनजातीय कला, परम्परा तथा संस्कृति से संबंधित कोई अन्य पहलू।

10-3-3 çf'k{k.k rFkk {kerk fuek.k%

(क) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 सहित अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातीय अधिकारों के संबंध में कानून/संवैधानिक प्रावधान, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन अधिनियम आदि अधिनियमित किए हैं।

(ख) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी कार्यकरणों तथा जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण।

(ग) कारीगरों की क्षमता का निर्माण–कला तथा शिल्प, धातु शिल्प, चित्रकारी, नृत्य/नाटक, वस्त्र, हस्तशिल्प के साथ–साथ कला, शिल्प तथा डिजाइन आदि के लिए मूल्यवर्धन। इसमें किट और उपकरण शामिल हो सकते हैं।

(घ) विभिन्न जनजातीय संबंधित मुद्दों पर संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित कराना।

(ड.) विशेषज्ञ दल संबंधी कार्यकलाप।

10-3-4 राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में कई जनजातीय उत्सव/यात्राएं आदि मनाए गए और अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए जिनका प्रचार किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत अनुपूरक समर्थन प्राप्त करने के लिए टीआरआई ऐसे उत्सवों/त्यौहारों को प्रस्तावित कर सकता है।

10-3-5 "जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान" आयोजित करनाः जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य/देश के अन्य भागों के लिए यात्राओं के आदान–प्रदान का प्रबंध करेगा। यात्रा करने वाले समूहों में विभिन्न जनजातियों के लोग शामिल हो सकते हैं जिनमें महिलाओं तथा अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इसके उद्देश्य में संस्कृति तथा परम्पराओं का वृहद परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना, अन्य क्षेत्रों के सामाजिक– आर्थिक विकास/सर्वोत्तम प्रक्रिया के बारे में जानना तथा यह देखना कि टीआरआई का और अधिक दक्षता के साथ कैसे प्रबंध किया जा सकता है तथा यह देखना कि मूल संस्कृति आदि खोए बिना कैसे सामाजिक–आर्थिक विकास किया जा सकता है, शामिल होना चाहिए।

10-3-6- नवीन परियोजनाएं/पहलें/कार्यकलाप जो जनजातीय लोगों तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों की सहायता कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर ईएमआरएस संगीत प्रतियोगिता

10-4- Þtutkrh; vuqla/kku laLFkkuksa ¼Vhvkjvkbz½ dk leFkZuß Ldhe ds rgr fuf/k;u

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में आवश्यकताओं की कोई एकरूपता नहीं है। कुछ टीआरआई के अपने स्वयं के भवन हैं, कुछ अन्य किराए के भवनों में चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ टीआरआई में पुस्तकालय, संग्रहालय आदि हैं, दूसरी तरफ कुछ अन्य में ये नहीं हैं। अतः राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु कठोर मानक निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, इस योजना के तहत निधियन सर्वोच्च समिति के अनुमोदन के साथ आवश्यकता आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता होगी। टीआरआई बजटीय आवश्यकता के साथ वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से इसे मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कुछ प्रमुख राज्यों में टीआरआई की अवसंरचना की स्थिति निम्नलिखित rkfydk 10-2 में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को ''आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को सहायता'' की स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि vuqyXud&10 d में ब्यौरे के अनुसार जारी की गई है।

rkfydk 10-2- dqN çeq[k jkT;ksa esa Vhvkjvkbz dh cqfu;knh <kaps dh fLFkfr uhps lkj.kh esa nh xbZ g%

Øe la-	jkT;@la?k jkT;{ks=	Lo;a dk Hkou	çf'k{k.k dsUnz	iqLrdky;	laxzgky;
1	अंडमान और निकोबार	नहीं	नहीं	हां	हां
2	आंध्र प्रदेश	यू/सी	यू/सी	यू/सी	नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश	यू/सी	यू/सी	यू/सी	नहीं
4	असम	हां	हां	हां	हां

जारी.........................

5	छत्तीसगढ़	हां	हां	हां	हां
6	गुजरात	नहीं	हां	हां	हां
7	हिमाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	हां	नहीं
8	जम्मू और कश्मीर	यू/सी	यू/सी	यू/सी	नहीं
9	झारखंड	हां	हां	हां	हां
10	कर्नाटक	यू/सी	यू/सी	हां	नहीं
11	केरल	हां	हां	हां	हां
12	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां
13	महाराष्ट्र	हां	हां	हां	हां
14	मणिपुर	यू/सी	हां	हां	हां
15	मिजोरम	यू/सी	यू/सी	यू/सी	नहीं
16	नगालैंड	यू/सी	यू/सी	यू/सी	नहीं
17	ओडिशा	हां	हां	हां	हां
18	राजस्थान	हां	हां	हां	हां
19	सिक्किम	यू/सी	यू/सी	यू/सी	यू/सी
20	तमिलनाडु	हां	हां	हां	हां
21	तेलंगाना	यू/सी	हां	हां	हां
22	त्रिपुरा	नहीं	नहीं	हां	हां
23	उत्तर प्रदेश	नहीं	नहीं	हां	नहीं
24	उत्तराखंड	हां	नहीं	नहीं	हां
25	पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां	हां

यू/सी : निर्माणाधीन

10-5 lokPp Lrjh; lfefr

सर्वोच्च स्तरीय समिति टीआरआई द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत वार्षिक योजना का अनुमोदन करेगी तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। सर्वोच्च समिति द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी। सर्वोच्च समिति का गठन निम्नानुसार है :

1.	सचिव (जनजातीय कार्य)	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय संबंधित टीआरई	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति घटक के प्रभारी	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, कौशल विकास मंत्रालय	सदस्य
8.	सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव/ आयुक्त (प्रभारी), जनजातीय विकास	सदस्य
10.	निदेशक, राज्य टीआरआई	सदस्य
11.	निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

10-6 mR—"Vrk dsUæ ¼lhvkbZ½ dk lgk;rk vuqnku

अनुसंधान संस्थान और संगठन देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालीन और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों के लिए 'उत्कृष्ट केन्द्रों' के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके :

i. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

ii. बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान संस्थान, पुणे।

iii. भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वड़ोदरा।

iv. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, दिल्ली।

v. विश्व–भारती शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल।

vi. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा

vii. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

viii. वनजीवन–एनएसटीएफडीसी, दिल्ली

ix. इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स, तेलंगाना

x. अमृता विश्व विद्यापीठम, केरल

xi. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली

xii. मानव विकास संस्थान, दिल्ली

xiii. काउंसिल ऑफ एनालिटिकल ट्राइबल स्टडीज, (सीओएटीएस) कोरापुट, ओडिशा।

xiv. अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस (एबीवीआईजीजी), भोपाल

xv. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), भोपाल

xvi. इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग आईएफजीटीबी, तमिलनाडु

xvii. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) एनआईपीईआर, गुवाहाटी।

xviii. ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी), नई दिल्ली

xix. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो–सोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोलकाता

10-6-1 जनजातीय समुदायों पर गुणवत्तापरक, कार्योन्मुखी और नीति आधारित अनुसंधान करने की संस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करने तथा इन्हें सुदृढ़ करने के

लिए इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10-7 vf[ky Hkkjrh; ;k vrj jkT; J.kh dh lgk;d ifj;ktuk,¡

इस घटक के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों/ संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

ii. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सहायक कार्यशालाओं / संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों में संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार–प्रसार, एवं

iii. जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

10-8 अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता (स्वीकृत राशि के 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दो किस्तों में) अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों/ गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। परियोजनाओं/प्रस्तावों की छंटनी की जाती है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा चयन किया जाता है। अनुसंधान परामर्शदात्री समिति का संयोजन निम्नानुसार है :

1.	सचिव, जनजातीय कार्य	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
3.	निदेशक/उप सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
4.	निदेशक/उप सचिव (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	निदेशक/उप सचिव (जनजातीय अनुसंधान संस्थान), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य संयोजक

10-9 कार्यशाला/सेमिनार के लिए विश्वविद्यालयों / संस्थाओं / गैर–सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पद्धति पर अनुदान दिए जाते हैं:

lxks"Bh@dk;'kkyk dh vof/k	/kujkf'k ¼#i, e½
एक दिन के लिए	50,000/–
दो दिन के लिए	75,000/–
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/–

10-10 अलिखित जनजातीय लोक कथाओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं/विद्वानों को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय अधिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000/– रुपए की सहायता दी जाती है।.

mRlo] çpkj vkj foKkiu

10-11 जनजातीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय के अन्य विज्ञापन संबंधी व्यय के वहन के अलावा, अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों पर सूचना का प्रसार भी करता है।

10-12 ट्राइफेड के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 16 नवम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आयोजित किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने दिल्ली हाट, आईएनए में आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना को मनाने, संजोने और बढ़ावा देने आदि के लिए एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव का आयोजन लाखों दिल्ली वासियों के साथ 15 दिनों तक सफलतापूर्वक किया गया था। इस उत्सव ने जनजातीय शिल्पकारों के अति सुंदर शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया। इसमें सुंदर साडियां, वस्त्र सामग्रियां, आभूषण, बांस एवं बेंत के उत्पाद, चित्रकला तथा अन्य सैकड़ों वस्तुएं शामिल हैं।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम द्वारा ''आदि महोत्सव'' का उद्घाटन

महोत्सव में 20 राज्यों के 1000 से अधिक कारीगरों, 80 जनजातीय रसोइयों और 14 नृत्य मंडलियों में 250 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। महोत्सव की मुख्य विशेषताएं थीं – महुआ की शराब, टीएए रास और कैंडी महुआ इमली चटनी आदि बनाने, लाख की चूड़ियाँ बनाने का जीवंत प्रदर्शन; चित्रकारी की 4 अलग विधाओं की पेंटिग अर्थात वर्ली, पिथोरा, गोंड और सौरा का पेंटिंग प्रदर्शन; जनजातीय वस्त्रों के लिए फैशन शो, फैशन के सामान आदि। महोत्सव में प्रदर्शित जनजातीय उत्पादों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के सूती, ऊनी और रेशम के जैकेट सहित पुरूषों के संग्रह, साड़ियों के परम्परागत संग्रह, थे; छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से बेल मेटल, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश की चित्रकारी; हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू–कश्मीर के ऊनी वस्त्र; अलग–अलग राज्यों के शहद, मसाले, सूखे मेवे आदि; हिमाचल, ओडिशा पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के जनजाती; आभूषण; मणिपुर, राजस्थान के मिट्टी के बर्तन; राजस्थान पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गृहसज्जा के सामान; गुजरात, तेलंगाना, झारखंड के बैग संग्रह और पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल से घास से बनी सामग्री और नारियल की जटा से बना सामग्री संग्रह।

प्रत्येक शाम 6.30 सायं बजे से 8.30 बजे रात्रि तक जनजातीय संगीत और नृत्य दिखाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर एक आकर्षक मंच बनाया गया था। उत्सव की एक खास विशेषता जनजातीय भारतीय पाक कला थी जिसे विशेष जनजातीय रसोइयों द्वारा शहरी स्वाद के अनुरूप बनाने के लिए मनोरम रूपों में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप कैशलेस लेन–देन के लिए जनजातीय व्यापारिक स्टालों ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया। दिल्ली के लोगों ने इसका काफी आनन्द उठाया।

माननीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने 30 नवम्बर, 2018 को 'आदि महोत्सव' के समापन समारोह पर दिल्ली हाट में सुश्री मैरी कॉम, 6 बार की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और पूरे देश के मास्टर शिल्पकारों द्वारा तैयार की की जाने वाली ट्राइब्स इंडिया के पंचतंत्र उत्पादों की श्रृंखला, की ब्रांड एम्बेसडर का भी अभिनन्दन किया।

10-12-1 यह उत्सव देश भर के अलग–अलग राज्यों में स्थित ट्राइफेड के 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अलग–अलग अवधि में आयोजित किया गया था।

10-13 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन किया और उसे पूरे देश में बंटवाया। इसके अलावा, मंत्रालय की उपलब्धि के संबंध में डीएवीपी के माध्यम से वृत्तचित्र तैयार किया गया और दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रसारण किया गया।

v/;k; 11

jk"Vªh; vuqlwfpr tutkfr foÙk ,oa fodkl fuxe

laxBu ds ckjs esa

11-1 laxBu% jk"Vªh; vuqlwfpr tutkfr foÙk ,oa fodkl fuxe ¼,u,lVh,QMhlh½ केवल अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

fe'ku

11-2 सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

mís';

11-3 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं–

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व–रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और रोजगार के दौरान प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एससीए) और जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इनके एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करना।

dk;Z

11-4 ,u,lVh,QMhlh ds eq[; dk;Z fuEukuqlkj gS&

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- कौशल विकास और लाभार्थियों तथा राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।
- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

v'k iath

11-5 निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 750 करोड़ रुपये है और दिनांक 31.03.2019 तक प्रदत्त पूंजी 675.90 करोड़ रुपये थी।

ik=rk ekun.M

11-6 एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैं:–

d- 0;fä@Lo&lgk;rk leg

- सभी आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए।
- आवेदनकर्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुने (डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपए प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष है, जो तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के मानदण्डों पर आधारित है।

[k- lgdkjh lfefr;k% कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

x- xjhch j[kk l nxuh ¼Mhih,y½ से अधिक तथा 6.00 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाली अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के लिए ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंक दरों से 2 प्रतिशत कम है।

Ldhe

11-7 निगम, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा विपणन समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की स्कीमों के विवरण इस प्रकार हैं:–

d- vk; ltudkjh xfrfof/k;k d rgr çe[k Ldhe%

- **fe;knh _.k ;ktuk%** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 25.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता स्कीम की लागत के 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/उपान्त धनराशि के रूप में पूरी की जाती है।
- **vkfnoklh efgyk l'kfädj.k ;ktuk ¼,,e,lokb½%** यह स्कीम केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए है। इस स्कीम के तहत एनएसटीएफडीसी 1 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **y?k _.k ;ktuk%** यह स्कीम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्व–सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य 50,000/– रु. और प्रति स्व–सहायता समूह 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।
- **vkfnoklh f'k{kk _.k ;ktuk%** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस स्कीम के लिए ब्याज–सब्सिडी प्रदान करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा नौकरी प्राप्त होने के एक वर्ष या छह माह के पश्चात, जैसा भी मामला हो, विद्यार्थी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।
- **tutkrh; ou fuoklh l'kähdj.k Ldhe%** इस स्कीम का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, में जागरुकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार के साथ संपर्क

इत्यादि में सहायता देना है। इस स्कीम के तहत एनएसटी एफडीसी, लाभार्थियों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

[k- foi.ku leFku lgk;rk

निगम, लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और अन्य जनजातीय उत्पादों की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

,u,lVh,QMhlh dh mi;ä ;ktukvk dk fy, _.k çnku dju dk ekun.M g%

Øe l-	lgk;rk dk çdkj	çfr bdkb ykxr	,u,lVh ,QMhlh dk vi'k	çfro"k n; C;kt	
				,llh, }kjk	ykHkkfFk;k }kjk
1.	मियादी ऋण योजना	25.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)	1 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 50,000 रुपए तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	5 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तीकरण योजना	1 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%

d- vuqnku dk :i esa ,u,lVh,QMhlh }kjk nh xbZ foÙkh; lgk;rk

dk'ky rFkk m|e'khyrk fodkl dk;Øe ds fy,% स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ubZ igy

11-8 ubZ Ldhe dh 'kq#vkr% जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के अनुरूप निगम ने अनुसूचित जनजातियों के उद्यमशील कार्यकलापों के संवर्धन के लिए गरीबी रेखा से दुगुनी (डीपीएल) आय सीमा वाली अनुसूचित जनजातियों तथा 6.00 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाले परिवारों को ऋण देने के लिए 'अंतर ऋण स्कीम' शीर्षक वाली नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत व्यक्ति, साझेदारी फर्में, सहकारी सोसाइटियां, कम्पनियां, कानूनी संघ सहित पात्र व्यक्ति, 25.00 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजना के 90 प्रतिशत तक के लिए एनएसटीएफडीसी ऋण का लाभ उठाने के पात्र हैं।

11-9 fuxe dk fu"iknu

d- laLohd`fr;k% निगम ने दिनांक 31.03.2019 तक 1,13,483 लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान के लिए आय सृजनकारी कार्यकलापों के तहत 229 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसमें इसकी हिस्सेदारी 481.06 करोड़ रुपए है।

[k- lafforj.k% 70,764 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निगम ने दिनांक 31.03.2019 तक 293.32 करोड़ रुपए निर्मुक्त किये हैं। इसमें मियादी ऋण के तहत 179.73 करोड़ का संवितरण शामिल है। वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य–वार सूची अनुलग्नक–11 में दर्शायी गई है।

x- olwyh% दिनांक 31.03.2019 तक संचयी वसूली 88.92 प्रतिशत है।

o"kZ 2018&19 ds fy, le>kSrk Kkiu ¼,evks;w½

11-10 निगम ने दिनांक 18.04.2018 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष 2018–19 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसमें विभिन्न कार्यकलापों के लिए लक्ष्य/मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं। उक्त समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के प्रति निगम अपना मूल्यांकन 'उत्कृष्ट' रूप में करता है।

v/;k; 12

tutkrh; mRikn ds fy, foi.ku lgk;rk

U;wure leFkZu ewY; ¼,e,lih½ ds ek/;e ls y?kq ou mRikn ¼,e,Qih½ ds foi.ku gsrq ra= rFkk y?kq ou mRiknksa ds fy, ewY; J`[kyk dk fodkl

12-1 "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास" वर्ष 2013–14 में प्रारंभ की गई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो उन एमएफपी संग्रहकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षोपाय के रूप में आरंभ की गई जो अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक सदस्य हैं।

12-2 यह स्कीम एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में उनके (अजजा के) प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करती है। यह लागत में कमी के साथ बिक्री प्रक्रियाओं में से उन्हें राजस्व का हिस्सा दिलाने की भी व्यवस्था करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया की निरन्तरता के लिए अन्य मुद्दों का भी समाधान करना है।

12-3 इस स्कीम में, चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन का प्रचालन पदनामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। स्कीम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एमएफपी के निर्धारित एमएसपी से बाजार मूल्य कम हो जाने पर यह सक्रिय हो जाती है। इसके साथ–साथ ही अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रह, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास तथा ग्राम सभा/पंचायत के मोल–भाव की ताकत को सुदृढ़ करने का समाधान भी करेगा।

12-4 आरंभ में, यह स्कीम संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में कार्यान्वित की गई थी तथा एमएफपी की दस मदें शामिल की गईं थीं। अक्तूबर, 2016 में, स्कीम के दिशा–निर्देशों को विभिन्न हितधारियों और ट्राइफेड के साथ चर्चा के उपरांत संशोधित किया गया था, तथा एमएफपी की 10 वस्तुओं, जिन्हे आरंभ से ही एमएफपी स्कीम का अंग बनाया गया था, के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को संशोधित करते समय, चौदह और एमएफपी मदें जोड़ी गई थीं। तदुपरांत, एमएफपी के लिए कराए गए विस्तृत अध्ययन का अनुसरण करते हुए तथा एमएसपी 'मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ' की सिफारिशों पर, मूलरूप से विद्यमान 10 मदों का एमएसपी 21 नवंबर, 2017 को संशोधित किया गया है तथा पलाश के फूल (गीले) को इसके अल्प आयु के कारण अतिरिक्त सूची से हटा दिया गया है। इस मूल्य संशोधन के परिणामस्वरूप, एमएफपी की 5 मदों नामतः साल बीज, साल के पत्ते, चिरौंजी की फली, रंगिनी लाख और कुसमी लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया गया है । स्कीम में वर्तमान एमएफपी वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में संशोधन तथा अतिरिक्त एमएफपी वस्तुओं के समावेशन के लिए एमएफपी मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ की सिफारिशों के अनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 11.01.2019 को एमएफपी वस्तुओं की एमएसपी में संशोधन किया जो स्कीम के एक भाग के रूप में है। तथा एमएफपी की छब्बीस (26) अतिरिक्त मदों को उनकी एमएसपी के साथ स्कीम में शामिल करने की घोषणा की गई। अतः स्कीम में अब 49 एमएफपी वस्तुएं हैं।

Ldhe dk dk;kZUo;u

12-5 वर्ष 2013–14 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत

सरकार द्वारा लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम) आरंभ की गई जो जनजातीय लोगों को उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था। आरंभ में, इस स्कीम में 9 राज्यों में 10 एमएफपी शामिल थे। यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय अभिकरण (एसएलए) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, एसएलए को परिक्रामी (रिवॉल्विंग) निधि प्रदान करता है। यदि कोई हानि हो, तो उसे केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। वर्तमान में, स्कीम में 49 एमएफपी शामिल हैं तथा यह सभी राज्यों में लागू है। 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार राज्यवार खरीद का ब्यौरा निम्नलिखित rkfydk 12-1 में दिया गया है।

rkfydk 12-1¼ o"kZ 2018&19 ds nkSjku dh fLFkfr ¼fnlacj] 2018 rd½

Ø-l-	jkT;	oLrq dk uke	ek=k ¼ehfVªd Vu esa½	eY; ¼yk[k :- esa½
1	छत्तीसगढ़	बीज के साथ चिरौंजी फली	84.24	88.45
		कुसुमी लाख	8.35	16.94
		रंगिनी लाख	17.836	23.19
		महुआ के बीज	0.45	0.99
		हरीतिका	13.81	1.52
		साल के बीज	26.57	34.53
		dqy	151.25	165.62
2	महाराष्ट्र	बीज के साथ चिरौंजी फली	0.1530	0.1423
		गोंद कराया	0.0010	0.001
		करंज के बीज	0.1450	0.026
		रंगिनी लाख	11.9000	15.47
		कुसुमी लाख	0.0080	0.013
		महुआ के बीज	2.2940	0.459
		बहेड़ा (सूखा–छिलका रहित)	65.2590	9.78
		पुआद के बीज	0.1000	0.008
		बायल (सूखा और बिना छाल के)	0.0620	0.01
		इमली बीज सहित	0.0040	0.001
		इमली बीज रहित	0.0040	0.002
		गुग्गुल (रिसाव)	0.0500	0.0035
		dqy	79.98	25.91
3	झारखण्ड	रंगिनी लाख	2.33	3.03
		बीज के साथ चिरौंजी फली	22.81	21.20
		dqy	25.14	24.23
4	नागालैंड	igkM+h ?kkl	45.30	4.53
		dqy ;ksx	**301.67**	**220.29**

jkT; Lrjh; i{kleFku dk;Z'kkyk

12-6 लघु वन उतपादों (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की स्कीम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए ट्राइफेड द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

इस राज्य स्तरीय कार्यशालाओं के पीछे मुख्य उद्देश्य एमएफपी के लिए एमएसपी की स्कीम के बारे में राज्यों को जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें स्कीम के अंतर्गत भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना था ताकि स्कीम का कार्यक्षेत्र अधिक संख्या में लाभार्थियों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सके। परिणामस्वरूप, 17 राज्य सरकारों ने स्कीम के तहत भाग लेने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और अन्य 4 राज्यों ने स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपने नोडल विभाग और राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियां घोषित की। आशा है कि स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या अब 7 से बढ़कर 21 हो जाएगी।

tutkrh; dk;Z ea=ky; }kjk ?kksf"kr U;wure leFkZu eY;

12-7 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11/01/2019 की अधिसूचना के माध्यम से सभी राज्यों में लागू 49 एमएफपी के लिए नयूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जैसा कि निम्नलिखित rkfydk 12-2 में दिया गया है।

rkfydk 12-2% oLrq&okj U;wure leFkZu eY;

Ø-la-	,e,Qih dk uke	,e,lih ¼:- çfr fdyk½	Ø-la-	,e,Qih dk uke	,e,lih ¼:- çfr fdyk½
1.	beyh ¼cht lfgr½ टैमारिंडस इंडिका	31	25.	rst iÙkk ¼lw[kk½ (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	33
2.	taxyh 'kgn (वाइल्ड हनी)	195	26.	tkequ ds lw[ks cht (साइजियमकुमिनि)	36
3.	xksan djk;k स्टेरकुल्या यूरेंस	98	27.	vkeyk dk lw[kk xwnk ¼cht jfgr½ (फायलांथस एमबिलिका)	45
4.	djat ds cht पोंगामिया पिन्नाटा	19	28.	fHkykok (सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	8
5.	lky ds cht शोरिया रोबुस्टा	20	29.	jhBk ¼lw[kk½ (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	12
6.	egqvk ds cht मधुकालोंगीफोलिया	25	30.	Hkko cht ¼veyrkl½ (कासिया फिसुला)	11
7.	lky ds iÙks शोरिया रोबुस्टा	30	31.	vtqZu Nky (टर्मिनालिया अर्जुना)	18
8.	cht lfgr fpjkSath dh Qyh बुचानानियालांजन	109	32.	dkde ¼lw[kk½ (गारसिनिया इंडिका)	25
9.	gjhrdh टरमिनालिया चेबुला	15	33.	fxyks; (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	21
10. ¼d½	jfxuh yk[k	130	34.	dkSp ds cht (मकुना प्रुरेंस)	18
10. ¼[k½	dqlqeh yk[k	203	35.	fpjk;rk (स्वेरशिया चीराटा)	29

11.	d|le d| ch t (शैलिककेरा ओलियोसा)	20		**36.**	o;fcfMx @ okofMx ¼l[kk ch t½ (एमबिलिया रिब्स)	81
12.	uhe d| ch t (आजादीरस्टा इंडिका)	23		**37.**	/kokbQy l[kk Qy (वुडफोर्डीया फ्लोरिबंडा)	32
13.	i|vkn d| ch t (कासिया टोरा)	14		**38.**	uDl okfedk (स्ट्राइक्नोस नक्स वोमिका)	36
14.	cgMk (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17		**39.**	cu rqylh d| iUk ¼l[k½ (ओसीम्म टेनुइफ्लोरम)	19
15.	igkMh >kMw ?kkl (थायसानोलेना मैक्सिमा)	30		**40.**	'khjuh (हेमीडेसमस इंडिकस)	30
16.	l[kh f'kdkdk;h dh Qyh (अकैसिया कॉनसिन्ना)	43		**41.**	cdqy ¼l[kh Nky½ (मीमुसोपस इलेंगी)	40
17.	ck;y xnk ¼l[kk½ (ऐगले मार्मेलोस)	27		**42.**	dVt ¼l[kh Nky½ (होलरहेना पुबेसिन्स/एच.एनीडायसेन्टेरिका)	27
18.	ukxjekFkk (सायपरस रोटुंडस)	27		**43.**	ukuh @ vky ¼l[k Qy½ (मोरिंडा सिट्रीफोलिया)	15
19.	'krkojh dh tM ¼l[kk½ (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	92		**44.**	lkukikBk @ L;kukd dh Qfy;k (ओरोक्सीलम इंडिकम)	18
20.	xMej@e/kukf'kuh (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	35		**45.**	pukFkh d| ch t (अबरूस प्रिकाटोरियस)	39
21.	dkye?k (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	33		**46.**	dkfygkjh ¼l[k dn½ (ग्लोरियोसा सुपरबा)	27
22.	beyh ¼ch t jfgr½ (टैमारिंडस इंडिका)	54		**47.**	edk; ¼l[k Qy½ (सोलानम निग्रम)	21
23.	गुग्गुल (स्टेरकुल्यारेंस)	700		**48.**	vix ik/kk (ऐकिरांथिस असपेरा)	24
24.	egvk d| Qy ¼l[k½ (मधुकलोंगी फोलिया)	17		**49.**	lxi/ke=h tM @ dn (होमालोमिना एरोमैटिक)	33

12-8 स्कीम के तहत खरीद राज्य स्तर के नामित संगठनों द्वारा की जाती है।

12-9 इस स्कीम में जनजातियों की आजीविका आय को संवर्धित करने पर बल दिया गया है। एमएफपी संग्रहकर्ता उनकी आय को बढ़ाने के रूप में अपने उत्पादों के विक्रय से पहले, पर्यवेक्षण में स्वच्छता, सुखाने और घरेलु स्तर पर प्रसंस्करण जैसे प्राथमिक मूल्य संवर्धन का कार्य कर सकते हैं।

,evk;| d| rgr ,e,Qih çf'k{k.k dk;|dyki rFkk ,e,lih

12-10 एमएफपी के सतत एकत्रण, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण तथा "वन धन विकास केन्द्र" की स्थापना

(i) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में 300 लाभार्थियों को कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पहली बहुउद्देशीय वन धन विकास केन्द्र की प्रायोगिक आधार पर स्थापना करने हेतु और वन धन विकास केन्द्र के समान प्राथमिक प्रशिक्षण तथा मूल्य संवर्धन सुविधा की स्थापना के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 14.04.2018 को बीजापुर में उपर्युक्त परियोजना का शुभारंभ किया तथा इस बात पर बल दिया कि जन धन, वन धन तथा गोवर्धन योजनाएं जनजातीय तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकती हैं। बीजापुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तथा नीति आयोग के सीईओ के साथ साथ

वहां मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस परिकल्पना की प्रशंसा की छत्तीसगढ़ में बीजापुर परियोजना के तहत 300 लाभार्थियों के लिए सतत एकत्रण, प्राथमिक प्रशिक्षण एवं इमली के ढेले तैयार करने पर प्रशिक्षण पूरा किया गया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 24.04.2018 को माण्डला में मध्य प्रदेश के महत्वकांक्षी जिलों के कलेक्टरों के साथ एक बैठक के दौरान इस प्रयास की पुनः प्रशंसा की।

(ii) वर्ष 2018–19 के दौरान दोनों स्कीमों के तहत ट्राइफेड ने 1690 एमएफपी संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। वन धन विकास के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों को वस्तु के मूल्य संवर्धन में तथा जीविकोपार्जन संवर्धन के लिए राज्य टीडीसीसी को मूल्य संवर्धित एमएफपी की आपूर्ति के लिए नियोजित किया जायेगा।

tutkrh; mRikn@mit ds fodkl vkj foi.ku ds fy, laLFkkxr leFkZu

12-11 वित्तीय वर्ष 2014–15 से "जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन "शुरू किया गया है। इस स्कीम का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है:–

(i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को उत्पादन, उत्पाद विकास की सम्पूर्ण श्रृंखला, पारम्परिक विरासत के आरक्षण, जनजातीय लोगों के वन और कृषि दोनों उत्पाद हेतु सहायता, उपर्युक्त क्रियाकलाप करने के लिए संस्थानों को सहायता, बेहतर अवसंरचना के प्रावधान, डिजाइन के विकास, जो एजेंसियां उत्पाद खरीद रही हैं उनके और मूल्यों के बारे में सूचना का प्रसार, निंरतर विपणन एवं इसके द्वारा औचित्यपूर्ण मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सहयोग के लिए व्यापक समर्थन देना।

(ii) ग्राम पंचायतों और ग्रामसभा के साथ सूचना साझा करना, तथा

(iii) बाजार मूल्य में संवर्धन के लिए कौशल उन्नयन, उपयोगी उत्पादों का विकास।

12-12 स्कीम का उद्देश्य विपणन समर्थन और क्रियाकलापों का विकास जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थान बनाना है। इनको विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना है जैसे (i) बाजार–उपाय, (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, (iii) अनुसंधान एवं विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार क्रियाकलाप एवं (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास। स्कीम के तहत वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान जारी की गई राशि के राज्य–वार ब्यौरे vuqyXud&12 में दिए गए हैं।

Hkkjrh; tutkrh; lgdkjh foi.ku fodkl la?k fyfefVM ¼VªkbQsM½

12-13 çLrkouk

i. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड) एक बहु राज्यीय सहकारी समिति है, जिसे बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1984 (अब बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002) के तहत 1987 में स्थापित किया गया था।

ii. ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। क्षमता निर्माता के रूप में यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों एवं लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण देता है।

iii. ट्राइफेड की प्राधिकृत इक्विटी/शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। 31.03.2019 को ट्राइफेड की भुगतान की गई शेयर पूंजी 100.55 करोड़ रुपये थी। 31.03.2019 को ट्राइफेड के 29 सदस्य (शेयर धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और वह ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयर धारक है।

12-14 xfrfof/k;k¡

ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों तथा स्कीमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

1. मंत्रालय निम्नलिखित चार प्रमुख गतिविधियों के लिए "जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास एवं विपणन हेतु संस्थागत सहायता" की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत ट्राइफेड को सहायता अनुदान प्रदान करता है:

2.

(i) खुदरा विपणन विकास गतिविधि।

(ii) एमएफपी विपणन विकास गतिविधि।

(iii) अजजा कारीगरों एवं एमएफपी संग्रहकर्ताओं का

व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण, तथारू

(iv) ट्राइफेड "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" स्कीम को भी कार्यान्वित करता है।

वर्ष 2017–18 के लिए 39.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 2018–19 के लिए बजट आवंटन 45.00 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 62.50 करोड़ रूपये था, जिसे निर्मुक्त किया गया था।

tutkrh; mRikn@mit dk fodkl ,oa foi.ku gsrq lLFkkxr lgk;rk

12-15 ट्राइफेड खुदरा दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से "ट्राइब्स इंडिया" के नाम से जनजातीय उत्पादों का सम्पूर्ण देश में विपणन करता है।

- ट्राइफेड ने 53 निजी 'ट्राइब्स इंडिया' दुकानों तथा प्रेषण व्यवस्था वाली 33 दुकानों तथा 14 फ्रैंचाइजी दुकानों की श्रृंखला स्थापित की है।
- ट्राइफेड ने पूरे देश में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा इनकी बिक्री के लिए लगभग 84 छोटे तथा मध्यम स्तरीय आदि महोत्सवों का आयोजन किया है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा ट्राइफेड ने इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा दिल्ली में 'आदि महोत्सव के नाम से चार राष्ट्रीय जनजातीय उत्सवों का आयोजन किया है।
- ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा इनकी बिक्री के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर, लगभग 148 प्रदशर्नियों में भाग लिया।
- 18.38 करोड़ रूपये की जनजातीय उत्पादों की खरीद की गई।
- ट्राइफेड ने 1027 जनजातीय आपूर्तिकर्ता / उत्पादकों को पैनल में शामिल किया गया, जिसमें विभिन्न हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति के लिए व्यक्तिगत जनजातीय शिल्पकारों, जनजातीय एसएचजी, जनजातीय शिल्पकारों के साथ कार्य करने वाले संगठन, एजेंसियां / एनजीओ शामिल हैं।

v/;k; 13

jk"Vh; vuqlfpr tutkfr vk;kx

vk;kx d ckj e

13-1 अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

13-2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं।

dk;ky; dh vof/k

13-3 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

dk;l ,o drO;

13-4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5) तथा (8) में दी गई हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) उपाय जो वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक हैं,

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय,

(ग) जनजातियों के विकास और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय,

(ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है,

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय,

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे–धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

13-5 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है; और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थातः

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना,

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से आयोग के किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की आवश्यकता,

(ड.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना,

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

13-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

vk;ksx rFkk mlds {ks=h; dk;kZy;ksa dk LFkku

13-7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार vuqyXud&13 में दिए गए हैं।

vk;ksx dh okf"kZd fjiksVZ

13-8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और आयोग जब भी उचित समझे, अन्य समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी किन्ही सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन से लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई rkfydk 13-1 मे दी गयी है :–

rkfydk 13

fjiksVZ	o"kZ	çLrqr djus dh rkjh[k	lnu esa j[kus dh rkjh[k
पहली	2004-05 एवं 2005-06	08.08.2006	30.08.2012 एवं 31.08.2012
दूसरी	2006-07	03.09.2008	26.04.2013 एवं 02.05.2013
तीसरी	2007-08	29.03.2010	08.08.2016 एवं 10.08.2016
चौथी	2008-09	27.08.2010	08.08.2016 एवं 10.08.2016
पाँचवीं	2009-10	13.07.2011	08.08.2016 एवं 10.08.2016
विशेष	2012	18.06.2012	12.12.2013 एवं 13.12.2013
छठी	2010-11	25.10.2013	29.03.2017 एवं 10.04.2017
सातवीं	2011-12	20.02.2015	29.03.2017 एवं 10.04.2017
आठवीं	2012-13	16.11.2015	29.03.2017 एवं 10.04.2017
नौवीं	2013-14	24.05.2016	31.12.2018 एवं 03.01.2019
दसवीं	2014-15	31.05.2016	11.02.2019 एवं 07.02.2019
ग्याहरवीं	2015-16	28.10.2016	माननीय राष्ट्रपति महोदय की संस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

v/;k; 14

LofPNd dk;kZsa ds lao/kZu grq dk;ZØe

14-1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता है। स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के स्थानीय आधार और उनकी सेवा भावना के साथ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। वे यह सुनिश्चित करने में सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचें। कुछ मामलों में, स्वैच्छिक संगठन (वीओ) सरकारी योजनाओं को ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

14-2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर– सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठन ही सरकार के भागीदार के रूप में विकासात्मक क्रियाकलाप करें।

14-3 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का चयन, पारदर्शी तरीके से, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की भागीदारी से किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 में गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008–09 के दौरान प्रासंगिक स्कीमों में संशोधन द्वारा प्रणाली को और सुदृढ़ किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य सरकारी और गैर–सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य समिति" का गठन किया है। यह बहु–विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर–सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों के साथ–साथ चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है। इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केवल उन गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान जारी किये जा रहे हैं जो नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एनजीओ दर्पण की विशिष्ट पहचान (आईडी) पर 03 पदधारितों के अद्यतन पैन/आधार ब्यौरों के साथ पंजीकृत हैं।

jkT; Lrjh; lfefr;ksa dk xBu

14-4 प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य समाज कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहु–विषयक राज्य समिति का गठन करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

i. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

ii. सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि,

iii. सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि,

iv. अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर–सरकारी संगठन,

v. आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थानः सदस्य सचिव

jkT; Lrjh; lfefr;k dh Hkfedk

14-5 राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका निम्नानुसार है:

i. राज्य समिति की बैठकों, का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार आयोजन किया जाना चाहिए,

ii. मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित दिशा–निर्देशों / प्रक्रियाओं के अनुसार तथा क्षेत्रीय कार्यकरणों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टों तथा निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच,

iii. प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी:

- संस्तुत परियोजनाएं सही ढंग से संचालित की जा रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही हैं,
- प्रभाव का आकलन करने के बाद चालू परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य सहायक आंकड़ों सहित दिया जाता है,
- जब तक परियोजना जारी रहेगी या निधियों की आवश्यकता होगी, की संभावित अवधि,
- आम तौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों जैसी परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है,
- कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है,
- बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिएं;
- जहाँ कहीं भी संभव हो, निगरानी (मॉनीटरिंग) इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित करना।
- प्रत्येक वर्ष, बजटीय अवरोधों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं, जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाओं को भी, जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, बंद करने के प्रयास किए जाते हैं,
- ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं,
- नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।
- राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

LFkkfir LoifPNd vfHkdj.k ¼boh,½

14-6 मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्वरूप के उन स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों को चिन्हित करने का प्रयास भी किया गया था जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में अपनी निरूस्वार्थ सेवा और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं तथा उनकी परियोजनाओं की स्वीकृति और वार्षिक अनुदानों की निर्मुक्ति से संबंधित कुछ निबंधन और शर्तों में ढील देने के लिए उन्हें अलग श्रेणी में रखने का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों को "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। ये संगठन निम्नानुसार हैं:

1. रामकृष्ण मिशन और इससे संबद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।

4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इससे सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. प्रबंध समिति, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

LoSfPNd {ks= dh Ldhesa

14-7 वर्तमान में मंत्रालय की तीन स्कीमें चल रही हैं जो स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये स्कीमें निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
2. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

fVIi.kh& वित्तीय वर्ष 2018–19 से और इससे आगे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के प्रयासों के लिए टीएसएस को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन स्कीमों के तहत वित्तपोषण किया जाएगा और इन प्रयासों को एनजीओ वित्तपोषण से निकाल दिया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के पूर्व सहायता अनुदान की जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

vuqlwfpr tutkfr;ksa ds dY;k.kkFkZ dk;Zjr LoSfPNd laxBuksa dks lgk;rk vuqnku

14-8 "अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" स्कीम 1953–54 में आरंभ की गई थी तथा तबसे यह स्कीम जारी है। संशोधित स्कीम 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। आवेदन प्रपत्रों इत्यादि सहित स्कीम के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

mís';

14-9 इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि– बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण स्कीमों की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास अथवा आजीविका–सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर भी स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

çfØ;k ,oa foÙkiks"k.k

14-10 यह स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। संशोधित स्कीम में निर्धारित परियोजनाओं की श्रेणियों के लिए पात्र गैर–सरकारी संगठनों/स्वायत्त सोसाइटियों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहु–विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। स्कीम में निर्धारित समय–अनुसूची के अनुसार आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होते हैं। आमतौर पर सरकार द्वारा 90% तक निधि प्रदान की जाती है। शेष 10% स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की आशा की जाती है। तथापि, इस स्कीम के तहत उन परियोजनाओं के लिए सहायता की सीमा 100% है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन को अनुदान सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग की परियोजना के लिए निर्धारित तथा समय–समय पर संशोधित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित है। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017, के नियम 230 से 234 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तथा अनुदान स्कीम के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

14-11 गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के लेखे अलग रखने चाहिएं और सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा उन लेखों का निरीक्षण किया जा सकता है। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान के लेखाओं के सनदी लेखाकार से वार्षिक लेखा–परीक्षा भी कराने की आवश्यकता होती है और सा.वि.नि. 2017 के तहत निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर 12–सी) में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ खातों की लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है।

14-12 सामान्यतया, जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसे जिला कलेक्टर द्वारा तारीख सहित प्रति–हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

14-13 गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का निगरानी (मॉनीटरिंग) मंत्रालय या राज्य सरकारध्संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

Ldhe dk fu"iknu

14-14 वर्ष 2018–19 के दौरान स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किये गये व्यय के ब्यौरे तथा विगत 2 वर्षों में किए गए आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे rkfydk 14-1 में दिये गये हैं:

rkfydk 14-1½ o"k 2016&17] 2017&18 rFkk 2018&19 d nkjku fuf/k;k dk vkoVu rFkk fuefä

(करोड़ रुपये में)

o"k	ctV vkoVu*		0;;
	c-v-	l-v-	
2016-17	120.00	120.00	120.00
2017-18	120.00	120.00	119.94
2018-19	130.00	120.00	114.00

*बजट में निम्नलिखित स्कीमों के लिए वित्तपोषण शामिल हैं:–

i. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

ii. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

iii. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के लिए परियोजनाओं की प्रतिपूर्ति)।

मंत्रालय द्वारा वर्तमान वर्ष 2018–19 में, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए नई परियोजनाओं पर विचार किया गया है तथा 28 नई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की स्कीमों के तहत अनुदान सहायता हेतु सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है।

14-15 वर्तमान स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की कई श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित हैः

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर–आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाले अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र*
7. पुस्तकालय
8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य–श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/शिशु केन्द्र
11. स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वच्छता कार्यक्रम
12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण*
14. रोजगारक्षम कौशलों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र*
15. वृद्ध आश्रम
16. जागरूकता के प्रसार के लिए स्कूल के बच्चों को शामिल करना
17. सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

*तथापि, वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा इससे आगे कौशल तथा व्यवसाय से संबंधित परियोजनाओं जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों में प्रशिक्षण, रोजगार–क्षम कौशल के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को टीएसएस को एससीए की स्कीमों तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निधि प्रदान की जाएगी।

ifj;kstukvksa dh dN Js.kh;ksa dk C;kSjk

vkoklh; fo|ky;

14-16 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने आस–पास स्कूल न होने की वजह से और अपने घर से दूर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल नहीं हैं तथा जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सा सहायता और अन्य प्रासंगिक प्रभार की लागत भी स्कीम से वहन की जाती है। अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान से किया जाता है। 'आवासीय विद्यालय' परियोजना कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को निजी या किराए के भवन में चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा शौचालय/स्नानघर की सुविधाएं हों। रख–रखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

14-17 वर्ष 2018–19 के दौरान 23 राज्यों में 183 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 43,706 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

xSj&vkoklh; fo|ky;

14-18 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय श्रेणी की परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सीय सहायता और अन्य आनुषंगिक खर्चों को भी स्कीम से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी मानदेय सहायता अनुदान से दिया जाता है। "गैर–आवासीय विद्यालय" परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इसका संचालन अपने स्वयं के भवन या किराए के भवन में कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे और शौचालय सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

14-19 वर्ष 2018–19 के दौरान 11 राज्यों में संचालित 43 गैर–आवासीय विद्यालयों को वित्तपोषित किया गया है जिससे अनुसूचित जनजाति के 20,476 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

Nk=kokl

14-20 इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राथमिक या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की है लेकिन अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं न होने और शहरों में रहन–सहन की उच्च लागत के कारण अपनी शिक्षा आगे जारी नहीं रख सकते। छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

14-21 वर्ष 2018–19 के दौरान 18 राज्यों में 89 छात्रावासों को वित्तपोषित किया गया है जिससे अनुसूचित जनजाति के 11,450 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है।

lpy vkS"k/kky;

14-22 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग–थलग गांवों/कस्बों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु संगठन को इस परियोजना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वैनध्जीप और उपकरणों की खरीद की लागत को वहन करने के अलावा डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए स्कीम के तहत वार्षिक रूप से सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

14-23 वर्ष 2018–19 के दौरान 11 राज्यों में 108 सचल औषधालयों को निधियां प्रदान की गयी थीं जिससे

अनुसूचित जनजाति के 12,02,193 लाभार्थियों को फायदा हुआ है।

n l vFkok mlls vf/kd fcLrj okys vLirky

14-24 इस परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां, अब तक सरकार की ऐसी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने में सहायता करना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन वहां अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी विद्यमान हैं। फर्नीचर, मेज–कुर्सी आदि, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर–सेट की खरीद तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की खरीद, भवन किराया प्रभार इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

14-25 वर्ष 2018–19 के दौरान 10 राज्यों में 46 अस्पतालों को वित्त–पोषित किया गया है, जिससे अनुसूचित जनजाति के 10,51,775 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

dEI;wVj çf'k{k.k dsUæ

14-26 इस परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों (न्यूनतम 30 प्रशिक्षु) के संचालन/रख–रखाव के लिए सहायता प्रदान करना था। इस स्कीम का लक्ष्य कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। तथापि, इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2018–19 से आगे के लिए, एनजीओ स्कीम के तहत निधि प्रदान करना बंद कर दिया गया है।

14-27 2018–19 के दौरान 05 राज्यों में 10 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को निधियां प्रदान की गयी हैं जिससे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुसूचित जनजाति के 301 प्रशिक्षु लाभान्वित हुए है।

14-28 पिछले दो वर्षों के दौरान अलग–अलग परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों की सूची vuqyXud&14d ¼i½ में दी गई है। निर्मुक्त निधि के राज्य–वार ब्यौरे vuqyXud & 14d ¼ii½ में दिए गए हैं।

de lk{kjrk okys ftyksa esa vuqlwfpr tutkfr dh ckfydkvksa esa f'k{kk dks lqn`<+hdj.k dh Ldhe

14-29 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु लिंग–विशिष्ट स्कीम की शुरूआत वर्ष 1993–94 में की गई थी। इस स्कीम में वर्ष 2008–09 में संशोधन किया गया था जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुआ। आवेदन–प्रपत्र सहित इस स्कीम के दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस स्कीम को अब अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत विलय किया जा रहा है।

mÌs';

14-30 इस स्कीम का लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवश्यक परिवेश पैदा करके विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) द्वारा आबाद क्षेत्रों में चिह्नित जिलों अथवा ब्लॉकों में सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता अन्तर को भरना है। यह स्कीम नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए अ.ज.जा. की बालिकाओं को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां भी 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास दोनों की सुविधा प्रदान की जाती है। सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने तथा लाभ प्राप्त करने के लिए जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता दर में सुधार लाना अति आवश्यक है।

0;kfIr ¼dojst½

14-31 स्कीम की व्याप्ति (कवरेज) निम्नानुसार दी गयी है–

क) यह स्कीम, संशोधित स्कीम में यथा निर्दिष्ट 54 चिह्नित जिलों को कवर करती है जहां 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

ख) उपर्युक्त 54 चिह्नित जिलों के अलावा, जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जहां 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी शामिल किया गया है।

ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना मे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (उदाहरणार्थ ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) रहते हैं।

घ) उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

dk;kZUo;udkjh ,tsalh

14-32 इस स्कीम का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों (वीओ)/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वायत्तशासी सोसाइटियों/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गठित बहु–विषयक "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति (एससीएसवीई)" भी इस योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की पहचान तथा संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

çfØ;k ,oa fuf/k;u çfreku

14-33 स्कीम के तहत प्रक्रिया एवं प्रतिमान निम्नानुसार हैं:

क) यह केन्द्रीय क्षेत्र की लिंग विशिष्ट स्कीम है तथा मंत्रालय इसके लिए 100 प्रतिशत निधि प्रदान करता है। अनुदान संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन करने वाले पात्र गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। संशोधित स्कीम में निर्धारित समय–अनुसूची के अनुसार आवेदन–पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान, योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित हैं। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 230(5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदान स्कीम से संबद्ध निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निर्मुक्त किए जाते हैं।

ख) गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों से संबंध के लेखा अलग रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान के लेखाओं (खातों) की चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक लेखा–परीक्षा कराना आवश्यक है और जीएफआर 2017 के तहत निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर–12–सी) में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ खातों के लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग) सामान्यतः जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसे जिला कलेक्टर द्वारा तारीख सहित प्रति–हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

घ) गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का निगरानी (मॉनीटरिंग) मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

eq[; fo'ks"krk,a

14-34 जनजातीय बालिकाओं में साक्षरता को सुधारने हेतु संकेंद्रित ढंग से प्रयास करने के लिए निम्नलिखित उपाय/कार्रवाइयां की गई हैं:

(क) ब्लॉक स्तर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में तथा पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए जनजातीय लड़कियों को

छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

ख) यदि आवश्यक हो तो, 100 बालिकाओं वाले प्राथमिक स्कूल के लिए तथा 150 बालिकाओं वाले मिडिल एवं उच्च विद्यालय के लिए चरणबद्ध ढंग से क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर केवल छात्रावास सुविधाएं, न कि स्कूल की स्थापना की जा सकती है। अप्रतिरोध्य परिस्थितियों में, शामिल की जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, विद्यालय से इनकी दूरी पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू–भाग में 2 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग) अपवादिक मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं है, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) परिचालन में हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

ड.) संशोधन पूर्व, स्कीम के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के 54 नव–चिह्नित कम साक्षरता वाले जिलों में आते हैं या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं एवं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं उन्हें निर्बाध रूप में जारी रखा गया है।

(च) प्राथमिक स्तर की छात्राओं को कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए 100/– रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर की छात्राओं को 200/– रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) छात्रों की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर पर (कक्षा V तक) 100/– रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों पर (कक्षा VI से XII तक) 200/– रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

Ldhe dk dk;Z fu"iknu

14-35 वर्ष 2015–16 से इस स्कीम के तहत बजट आवंटन को, "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" शीर्ष के तहत मिला दिया गया है।

14-36 वर्ष 2018–19 के दौरान, 74 शैक्षिक परिसरों के लिए 22.65 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं, जिसमें 07 राज्यों की 10,359 अनुसूचित जनजाति की बालिका लाभार्थियों को शामिल किया गया है। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वयत्तशासी सोसाइटियों की सूची, जिन्हें इस स्कीम के तहत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई; vuqyXud&14[k (i) में दी गई है। राज्य–वार निधियों की निर्मुक्ति के ब्यौरे vuqyXud&14[k **(ii)** में दिए गए हैं।

tutkrh; {ks=ksa esa O;kolkf;d çf'k{k.k dh Ldhe ¼ohVh lh½

14-37 वित्तीय वर्ष 2018–19 से व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों तथा कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के हस्तक्षेप को राज्य ध् संघ राज्यक्षेत्र की सरकार की आवश्यकता अनुसार एनजीओ के निधियन से टीएसएस को एससीए की स्कीम तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत स्कीमों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, मंत्रालय इन स्कीमों के तहत एनजीओ के प्रशिक्षण केंद्रों के प्रस्तावों पर विचार नहीं कर रहा है। इस निर्णय की सूचना राज्य सरकारों को मंत्रालय के दिनांक 2 अगस्त, 2018 के पत्र सं. 22040/30/2012 एनजीओ (खण्ड I) के माध्यम से दी गई है।

,uthvks vuqnku v,uykbu vkosnu vkSj VªSfdax ç.kkyh

14-38] एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और ट्रेकिंग प्रणाली एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया है जिसके माध्यम से गैर–सरकारी संगठन सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए एनजीओ प्रभाग की स्कीमों के तहत अपने आवेदन जमा करते हैं। राज्य

सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव की सिफारिश करते हैं। वर्ष 2017–18 और उसके बाद के वर्षों के लिए कोई दस्तावेजी लिखित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं तथा इसके बाद से केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर ही कार्रवाई की जाएगी।

jkT; lfefr;ksa dh fuf/k dk LFkkukarj.k

14-39 सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों/राज्य सोसाइटियों को वर्ष 2018–19 और उसके बाद से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत वित्तपोषण प्रदान नहीं किया जाएगा। इसे संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत स्कीमों और टीएसएस को एससीए की स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाएगा।

v/;k; 15

iokÙkj jkT;k ij /;ku dfnr djuk

iokÙkj jkT;k e e=ky; }kjk dh xbl igy

15-1 तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने बजट आबंटन का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निधियां आवंटित कर रहा है। सामान्यतया, कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक की धनराशि प्रदान की जाती है।

15-2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय "गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण', 'व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र' तथा 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास' स्कीमों के तहत, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों को सीधे अनुदान निर्मुक्त करता है। 'जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता" के रूप में तथा 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को छोड़कर सभी स्कीमों के तहत अनुदान, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्मुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और 'जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता', संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के परियोजना आकलन समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात जारी की जाती है। मंत्रालय ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करने पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन स्कीमों के लिए बजट आबंटन का कम से कम 10% सुनिश्चित किया है।

15-3 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों के स्कीम–वार ब्यौरे vuyXud&15 में दिये गये हैं।

v/;k; 16

tMj ctV

lo/kkfud rFkk dkuuh <kpk

16-1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गयी है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद–भाव के उपाय अपनाने के लिए भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी पात्रताओं के सुरक्षोपाय के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान करता है।

e=ky; dh igy

16-2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसीलिए, सामान्यतः महिलाओं का और विशेष रुप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई महिलाओं का, दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से अनिवार्य है अपितु रणनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक है।

16-3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिंतित है जो एक समूह के रुप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व सापेक्षिक अलगाव के कारण वंचित समूह के रुप में पीड़ित हैं। तदनुसार, मंत्रालय की प्रमुख नीतियां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएं और अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से पीड़ित हैं। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाएं योजनाओं से समान रुप से लाभ प्राप्त करें, उसके पास कुछ विशेष योजनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बालिकाओं के लाभ के लिए हैं।

16-4 मंत्रालय में अगस्त, 2017 में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ पुनर्गठित किया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के कार्यान्वयन की तुलना में मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार से देखता है कि वह जेंडर असंतलुन का समाधान कर सके, जेंडर समानता और विकास को बढ़ावा दे और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधन तदनुसार आवंटित किये जाएं और उनका प्रबंध किया जाए।

16-5 जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए अतिरिक्त योगदान है। यह 'लिंग तटस्थ कार्यक्रम' है और महिला तथा पुरुष दोनों लाभार्थियों के लिए लाभकारी है। टीएसपी को एससीए के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर मानव संसाधन का विकास।
- आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना/राज्य योजनाओं के तहत अधिकांशतः शामिल) सहित जनजातीय क्षेत्रों/बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।
- गरीबी और बेरोजगारी में महत्वपूर्ण कमी, उत्पादक

परिसंपत्तियों का सृजन और आय सृजन के सुअवसर।

- सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए क्षमता में वृद्धि, अधिकारों और पात्रताओं की प्राप्ति तथा अन्य क्षेत्रों के समान सुधरी हुई सुविधाएं, तथा
- शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा।

o"kZ 2016&17] 2017&18 rFkk 2018&19 ds fy, ykHkkfFk;ksa ds fyax&vk/kkfjr vkadMs fuEukuqlkj gSa%&

;kstuk dk uke	2016-17		2017-18		2018-19	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	1299183	556793	1123704	481588	1120000	480000

16-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए है। निधियां, जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के समान बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं। दिशानिर्देशों में विशेष रुप से यह परिकल्पना की गई है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाली चिंताएं/मुद्दे को महिलाओं की भागीदारी सहित, परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने में आयोजना से कार्यान्वयन के स्तर तक, मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि कुल लाभार्थियों में से कम–से–कम एक–तिहाई लाभार्थी महिलाएं/बालिकाएं होनी चाहिए।

16-7 कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरुरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा–छात्र के लिए 150/– रु प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 350/– रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा–छात्र के लिए 750/– रुपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रुपये वार्षिक की दर से किया जाता है। छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता–पिता /अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रु. है।

16-8 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जा रहे माध्यमिकोत्तर/मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (i) वार्षिक आय सीमा, (ii) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधनय तथा (iii) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ 01.07.2010 से संशोधित किया गया है।

16-9 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' की योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अध्येतावृत्तियों के रुप में उच्चतर शिक्षा अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है। कुल 750 स्लॉट्स में से अन्य बातों के साथ–साथ 30% स्लॉट्स महिला अभ्यार्थियों के

लिए निर्धारित हैं। चयनित अभ्यार्थियों को एमफिल के लिए प्रति माह 25,000/– रुपये तथा पीएचडी के लिए प्रतिमाह 28,000/– रुपये की दर से अध्येतावृत्ति राशि तथा अन्य स्वीकार्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

16-10 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चयनित अभ्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले कुल 20 छात्रवृत्तियों में से 6 छात्रवृत्तियां (30%) बालिकाओं के लिए चिह्नित हैं। तथापि, चिह्नित स्लॉट्स खाली रह जाने के मामले में ये स्लॉट्स बालकों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। माता–पिता/परिवार की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित अभ्यार्थी जिन्होंने विदेश के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उन्हें वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता तथा अन्य भत्ते, विदेश में स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।

16-11 अनुसूचित जनजातियों के बीच महिला साक्षरता कम होना, एक विशेष चिंता का विषय होने के कारण 1993–94 में 'जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना' की लिंग विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई। जिसे वर्ष 2008–09 में संशोधित किया गया था तथा इसका नया नाम 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' रखा गया था। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन न्यूनतम साक्षरता वाले 54 चिन्हित जिलों में किया जा रहा है जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है। 54 चिन्हित जिलों के अलावा जिले में कोई अन्य ब्लॉक जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है, को भी शामिल किया गया है। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिन्हित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर जनजातीय समूहों द्वारा आबाद क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों के 100% दाखिले को सुसाध्य बनाकर तथा प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के लिए अपेक्षित माहौल बनाकर बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप–आउट) वालों की संख्या में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी/संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना विद्यालयों में नियमित रुप से उपस्थित रहने के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जाएगा। संशोधित योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, योजनाओं का तालमेल करने की परिकल्पना करती है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ–साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। संशोधित योजना औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन करने पर भी ध्यान देती है।

16-12 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम', अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना' (एएमएसवाई) शीर्षक के तहत विशेष योजना प्रारम्भ की है। योजना के तहत, निगम 1,00,000 रुपये तक की इकाई लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। एएमएसवाई के तहत, वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने 31.03.2019 तक 1048 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 5.55 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम, अन्य आय सृजनकारी स्कीमों के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

16-13 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' नामक स्कीम के तहत देश के अलग–अलग भागों में जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है। दौरा करने वाले दल में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

16-14 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को {धारा 2(छ)} इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ''ग्राम सभा जिसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे और ऐसे राज्यों के मामले में जहां कोई पंचायत, पाड़ा, टोला तथा अन्य परम्परागत ग्राम संस्थान और चयनित ग्राम समितियां जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अबाधित भागीदारी नहीं है''। इसके अतिरिक्त धारा 4(4) उपबंधित करती है कि उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे, किन्तु अन्य हस्तान्तरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रुप से पंजीकृत होंगे और एक मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस न होने की स्थिति में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को हस्तांतरित हो जाएंगे। "धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप मण्डल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राज्य सरकारों के राजस्व, वन तथा जनजातीय कार्य विभागों के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है''। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 में प्रावधान है कि (नियम 3(1) के तहत) ग्राम संभाएं ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाएंगी और इनकी प्रथम बैठक में इनके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रुप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते कि ऐसे सदस्यों से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं हों। यह आगे भी उपबंधित करता है कि जहां कोई भी अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

16-15 प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से प्रत्येक वर्ष दो जनजातीय लोगों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एक महिला तथा एक पुरुष भेजे।

16-16 वर्ष 2018–19 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा vu|y‌Xud &16 में दिया गया है।

v/;k; 17

fn0;kax tuksa ds fy, dk;Øe

tutkrh; dk;Z ea=ky; }kjk dk;kZfUor dh tk jgh Ldheksa ds rgr fn0;kax fo|kfFkZ;ksa ds fy, fo'ks"k çko/kku

17-1 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए स्कीम–वार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

vuqlwfpr tutkfr ds fo|kfFkZ;ksa ds fy, esfVªdksÙkj Nk=òfÙk Ldhe

17-2 इस स्कीम के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता,

(ख) शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यातायात भत्ते का प्रावधान,

(ग) निचले अंगों की गंभीर विकलांगता वाले दिवा छात्र विद्यार्थी (डे–स्कॉलर) के लिए अनुरक्षक भत्ता,

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक, छात्रावास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन,

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को अतिरिक्त अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण vuqyXud&17 में दिया गया है।

d{kk IX rFkk X esa v/;;ujr vuqlwfpr tutkfr ds Nk=ksa ds fy, esfVªd iwoZ Nk=òfÙk

17-3 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा' (आईईडीएसएस)की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकारी स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग छात्रों के लिए "छात्र–उन्मुख घटक" के तहत रुपये 3,000/– प्रति वर्ष की दर से सहायता पहले ही दी जा रही है। तथापि, गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अतः निजी गैर–सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के तहत अतिरिक्त भत्तों हेतु पात्र होंगे:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता,

(ख) ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जो शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहते हैं, उनके लिए मासिक यातायात भत्ते का प्रावधान,

(ग) निचले अंगों की गंभीर, विलांगता (80 प्रतिशत या अधिक की विकलांगता) वाले दैनिक विद्यार्थी के लिए मासिक अनुरक्षक भत्ता,

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को देय मासिक सहायक–भत्ता।

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को मासिक अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों के ब्यौरे vuqyXud&17 में दिये गये हैं।

vuqlwfpr tutkfr ds fo|kfFkZ;ksa ds fy, jk"Vªh; v/;srkòfÙk

17-4 शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में रुपए 2000/– प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

vuqlwfpr tutkfr dh ckfydkvksa rFkk ckydksa ds

fy, Nk=kokl k dh Ldhe rFkk tutkrh; mi&Ldhe oky {k=k e ^vkJe fo|ky;k* dh LFkkiuk lc/kh Ldhe

17-5 इन स्कीमों के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

xj&l jdkjh lxBu dh Ldhe

17-6 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहायता अनुदान की योजना तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक/गैर–सरकारी संगठनों को सलाह दें कि वे 'दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006' के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्र जैसे भवनों आदि में "अवरोध मुक्त वातावरण" जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

v/;k; 18

ykd f'kdk;r ,oa lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk dk;kZUo;u

18-1 जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) में 10 जून, 2016 से ही एक स्वतंत्र लोक शिकायत प्रभाग कार्य कर रहा है। दिनांक 05.02.2019 से मंत्रालय में शिकायत निदेशक के रूप में श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव को नामित किया गया है। निदेशक, शिकायत के संपर्क ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

18-2 प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग ने नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक पीजी पोर्टल विकसित किया है ताकि कहीं से और किसी भी समय ऑनलाइन शिकायतें/आपत्तियां दर्ज करा सकें और सरकारी विभाग निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायत निवारण के लिए कार्रवाई करने में भी सक्षम हों। इसके दो इंटरफेस हैं:– (क) नागरिकों के लिए जन शिकायत दर्ज करना और निगरानी प्रणाली, तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/संगठनों के लिए केन्द्रीकृत लोग शिकायत और निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल खिड़की प्रणाली है जो: (i) नागरिकों को अपनी शिकायत करने के लिए, और (ii) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल जन शिकायत अधिकारी तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराती है।

18-3 यह मंत्रालय अभ्यावेदन/शिकायतें डाक के साथ ही साथ सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त करता है। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं को भी कृत कार्रवाई के विषय सूचित किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान अर्थात् 01.04.2018 से 31.03.2019 तक 448 शिकायतें अग्रेषित की गई और 802 शिकायतों सहित कुल 1250 शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 1180 शिकायतों अर्थात् 94.4 प्रतिशत का निपटान किया गया। शिकायत निदेशक द्वारा और सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में शिकायतों के निपटान की स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है।

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

18-4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को निर्दिष्ट कर दिया गया है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंत्रालय में संसद एवं समन्वय अनुभाग को मंत्रालयों से संबंधित आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

18-5 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के ब्यौरे vuqyXud&18 में दिए गए हैं। श्री रुपक चौधरी, निदेशक को मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। अधिसूचनाएं (संशोधनानुसार) मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दी गई हैं।

18-6 इस प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i)

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भी प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने–अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया है तथा इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है।

18-7 सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके दिए गए उत्तरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

01-04-2018 l 31-03-2019 d nkjku vkjVhvkbZ dh fLFkfr

	çkIr	fuiVk, x,	dy
ऑनलाइन	753	698	55
ऑफलाइन	347	299	48
कुल	1100	997	103

lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 d rgr vihy

18-8 संबंधित निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे संबंधित विषयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 26.03.2019 से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्त सभी अपीलों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटाया जाता है।

v/;k; 19

foHkkxh; ys[kkdu

laxBu

19-1 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), लेखाओं के समेकन, आवंटित बजट के संबंध में व्यय की निगरानी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के अलावा सहायता अनुदान सहित विभिन्न प्रकार के बिलों की पूर्व जांच का कार्य निष्पादित करता है। प्रधान लेखा–कार्यालय कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखाओं, लेखाओं के विनियोजन, केन्द्रीय लेन–देन के विवरण, संघ वित्त लेखाओं, अन्य संबंधित कार्यों यथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।

0;; dh fueifä rFkk fuxjkuh

19-2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में धनराशि जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखे प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

ys[kkvksa vkSj Hkqxrku dk;Z dk dEI;Vjhdj.k

19-3 इससे पूर्व, वेतन तथा लेखा कार्यालय पूर्व–जांच, संकलन सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन जैसे 'कॉम्पैक्ट' के सभी मॉड्यूल उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर–योजना भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले कॉम्पैक्ट के अधिकतर मॉड्यूल बंद कर दिए गए हैं। केवल पेंशन के मामले कॉम्पैक्ट के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं। सरकारी ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से ई–भुगतान का तंत्र भी परिवर्तित कर दिया गया है तथा सभी भुगतान (योजना तथा गैर–योजना) पीएफएमएस की साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। 'कॉम्पैक्ट' के माध्यम से पास किए गए बिलों को वेब फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक ई–एडवाइस डाउनलोड करते हैं तथा आरटीजीएस/एनईएफटी आदि के द्वारा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं।

b&ys[kk

19-4 दैनिक आधार पर ई–लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएफएमएस स्वतः ही आंकड़े अद्यतन कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य प्रतिभागियों को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की निगरानी करने में सक्षम बनाते हुए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई–लेखा में आंकड़े देता है।

lkoZtfud foÙkh; çca/ku ç.kkyh ¼ih,Q,e,l½

19-5 पूर्व में केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के रूप में ज्ञात सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से आरंभ किया गया है। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए विकसित विशिष्ट सॉफ्टवेयर अर्थात सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इस मंत्रालय की सभी योजना

स्कीमों का नियोजन, इस संगठन द्वारा किया गया है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग–अलग संगठनों/निकायों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा भी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखने के लिए इस प्रणाली में नई उपयोगिता प्रदान की गई है।

19.6 विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में अतिरिक्त प्रविधि प्रदान की गयी है।

19.7 राज्यों को निर्मुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंतःसरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए नयी प्रविधि प्रदान की गयी है तथा इसे ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाता है जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल ऋण सुनिश्चित करता है।

ubZ isa'ku Ldhe ¼,u ih ,l½

19.8 नई पेंशन स्कीम की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस स्कीमों के तहत वेतन (ग्रेड वेतन् मंहगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास उसके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह स्कीम इस मंत्रालय में संचालित है।

mi;ksfxrk çek.k&i=

19.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समुचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार करता है। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

19.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा–परीक्षा करती है, स्कीमों के अलग–अलग आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन कार्य में भी शामिल है। अब आंतरिक लेखा–परीक्षा निम्नलिखित पर ध्यान देती है:

- सामान्यतः आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभाव का आकलन तथा विशेषतः सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयताय जोखिम कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित);
- पैसे की कीमत सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता तथा सेवा प्रदायगी तंत्र की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण आकलन; और
- कार्य प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

19.11 रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएडंएजी) पैराओं की संख्या निम्नांकित सारणी में दी गई है:

1	01.04.2018 तक बकाया पैरा की संख्या	01
2	2018–19 के दौरान जोड़े गए पैरा की संख्या	0
3	31.03.2019 तक बकाया पैरा की संख्या	01

ih,lh iSjk ij —r dkjZokbZ fVIif.k;ka ¼,Vh,u½@—r dkjZokbZ fjiksVZ ¼,Vhvkj½

19.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित लोक लेखा समिति (पीएसी) के पैरा पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति vuqyXud&19d में दी गई है।

v/;k; 20

ukxfjd@xkgd pkVZj

ukxfjd@xkgd pkVZj

पता	शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001
वेबसाइट	www.tribal.nic.in

ifj–'';k

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

fe'ku

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी उपायों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. सामाजिक–आर्थिक एवं आजीविका के अवसरों को आगे बढ़ाना।

e[; lsok,a @ dk;Z lsok

Ø- l-	lsok,a@dk;Z lsok	Hkkj%	ftEesnkj 0;fDr ¼inuke½	bZ&esy	ekckby ¼Qksu u-½	çfØ;k	vif{kr nLrkost	'kqYd		
								J.kh	i)fr	jkf'k
1.	जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान, और पीवीटीजी –विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास। क) अनुसूचित जनजाति की लक्षित जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की लक्षित जनसंख्या का कौशल विकास, आय सृजन ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	30	श्री गोपाल साधवानी, निदेशक	sadhwani.gopal @nic.in	011-23070508	i) राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						ii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	i) आवंटित राशि के अधीन तथा योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						iii) पीएसी की बैठकों का आयोजन iv) मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						v) I और II किश्त की संस्वीकृति/ निर्मुक्ति (जैसा लागू हो) जारी करना।	i) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र, ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, (iii) भूमि की उपलब्धता, यथापेक्षित।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतियां।	20	श्री विजय गोपाल मंगल, उप–सचिव	vijay.mangal@nic.in	अभी आवंटित नहीं हुआ है।		i) विगत वर्षों में की गई र्निमुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र, ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।			

Ø- l-	lok,@dk;Z lEiknu	Hkkj%	ftEesnkj O;fDr ¼inuke½	bZ&esy	eksckby ¼Qksu u-½	çfØ;k	visf{kr nLrkost	'kqYd J.kh	'kqYd i)fr	'kqYd jkf'k
3	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, जनजातीय उत्सवों सहित जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	10	श्री अनिल कुमार अद्देपल्ली, निदेशक	agmu196@ifs.nic.in	011-23073706	प्रस्ताव आमंत्रित करना i) राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य योजना आमंत्रित करना। ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति iii) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और अनुमोदन iv) अनुसूची के अनुसार I/II किस्त की संस्वीकृति/निर्मुक्ति जारी करना	i) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। ii) राज्य सरकार की संस्तुति। iii) लेखा का लेखा–परीक्षित विवरण (II तथा अंतिम किश्त के लिए)। iv) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र। v) प्रबंधन समिति की सूची vi) कर्मचारियों की सूची, vii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र viii) अग्रिम जमानत बांड, ix) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति। x) बैंक का प्राधिकार–पत्र,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य सम्पादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
4	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता। ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	5	श्री रूपक चौधरी, निदेशक	r.chaudhuri@nic.in	011-23387444	i) संबंधित एसटीडीसीसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के साथ (जहां देय हो) के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति ii) मंत्रालय और आईएफडी में सक्षम प्राधिकारी की संवीक्षा व अनुमोदन। iii) I और II किस्त की संस्वीकृति/निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	क. ट्राइफेड i) प्रस्ताव ii)वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन रिपोर्ट। iii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ख. एसटीडीसीसी i) योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकारों के प्रस्ताव/सिफारिश, ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र, iii) विगत वर्ष के अनुदान की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Ø- l-	lsok,@dk;Z lEiknu	Hkkj%	ftEEnkj 0;fDr ¼inuke½	bZ&esy	eksckby ¼Qksu u-½	çfØ;k	vif{kr nLrkost	'kYd		
								J.kh	i)fr	jkf'k
5	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन–मंत्रालयों/विभागों के नीतिगत दस्तावेज/मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल टिप्पणियां तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में निविष्टियां/टिप्पणियां प्रदान करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण जनजातियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने मत का निरुपण।				
						iii) संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक जनजातीय कार्य मंत्रालय के विचार संप्रेषित करना,				

Ø- l-	lsok,@dk;Z lEiknu	Hkkj%	ftEenkj 0;fDr ¼inuke½	bZ&esy	ekckby ¼Qksu u-½	çfØ;k	vifs{kr nLrkost	'kqYd		
								J.kh	i)fr	jkf'k
6	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य–बलों तथा शासी–परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य– बलों, शासी–परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण और अपने मतों का निरूपण				
						iii) बैठकों में अपने विचार व्यक्त करना				

Ø- l-	lsok,@dk;Z laiknu	Hkkj%	ftEeknkj 0;fDr ¼inuke½	bZ&esy	eksckby ¼Qksu u-½	çfØ;k	vis{kr nLrkost	'kqYd J.kh	'kqYd i)fr	'kqYd jkf'k
7	मंत्रालय के कर्मचारियों / सेवा प्रदाताओं की शिकायतों / पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान।	10	श्री विनीत कुमार, संयुक्त निदेशक	vinit.jindal67@gov.in	011-26182814	i) शिकायत प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						ii) जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	समर्थनकारी दस्तावेज / आदेश			
						iii) आवेदक को उत्तर	लागू नहीं			
8	आवासीय / गैर–आवासीय / स्वास्थ्य / व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों / एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक	rajenderkumar.ofb@gov.in	23383965	i) राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ii) प्रस्तावों की छटनी तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति।	i) आवेदन पत्र ii) राज्य सरकार की संस्तुति iii) जिलाधीश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट iv)बजट अनुमान v) लेखाओं का लेखा–परीक्षित विवरण। vi) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण–पत्र vii) प्रबंधन समिति की सूची viii) कर्मचारियों की सूची ix) लाभार्थियों की सूची x) वार्षिक रिपोर्ट xi) पंजीकरण प्रमाण–पत्र, नियम एवं उप–नियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं) xii) अद्यतन किराया करार / किराया आकलन प्रमाण–पत्र xiii) अग्रिम जमानत बांड, xiv) नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति, xv) प्राधिकार पत्र, xvi) परियोजना से संबद्ध लेन–देन से संबंधित बैंक की पासबुक की प्रति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

lsok ekud

Ø-la-	lsok,a@dk;Z lEiknu	Hkkj	lQyrk lwpdkad	lsok ekud	bdkbZ	MkVk lzksr
1	राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति: क) अनुसूचित जनजाति की लक्षित आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की लक्षित आबादी का कौशल विकास, आय सृजन। ग) अजजा बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	20.0	समय	40	दिन	मंत्रालय अभिलेख
2	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विदयालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां।	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय अभिलेख
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक– आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति,	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय अभिलेख
4	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय उत्सव,	10.0	समय	45	दिन	मंत्रालय अभिलेख
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	मंत्रालय अभिलेख
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/विभागों की नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/टिप्पणी प्रस्तुत करना।	10.0	समय	25	दिन	मंत्रालय अभिलेख
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10.0	समय	लागू नहीं	दिन	मंत्रालय अभिलेख
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ताओं की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	मंत्रालय अभिलेख
9	आवासीय/गैर–आवासीय/स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परियोजना आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा गैर–स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता जारी करना।	5.0	समय	90	दिन	मंत्रालय अभिलेख

f'kdk;r fuokj.k r= ;vkj,y oscl kbV **http://pgportal.gov.in/** dk 'kq: dju dk fy,

Ø-l-	ykd f'kdk;r vf/kdkjh dk uke	gYi ykbu u-	b&ey
1	श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव	011-26160312	Singh.ak2862@nic.in
2	श्रीमती संगीता महेंद्रा – कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड	011- 26560117	smahendra.trifed@gmail.com
3	श्री अनिल पी. रावेन, उप–महाप्रबंधक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712583	raven.oraon@gmail.com

fgr/kkjdk@xkgdk dh lph

Ø-l-	fgr/kkjd@xkgd
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/राज्य मंत्रालय/विभाग
2	केन्द्रीय/राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसीसी
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	एनजीओ
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

mÙkjnk;h dsa vkSj v/khuLFk laxBu

Ø-la-	mRrjnk;h dsa vkSj v/khuLFk laxBu	nwjHkk"k la[;k	bZ&esy	irk
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011-26569064, 26968247	trifed@rediffmail.com	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3–इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712519, 26712562, 26712583	nstfdc@bol.net.in	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हाल नं 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली–110066.

lsok çkIrdrkZvksa ls vis{kk,a

Ø-la-	lsok çkIrdrkZvksa ls vis{kk,a
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का पहले व समय पर प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/योजनात्मक उपाय के गुण–दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ध्यान देना।

vuqyXud

vuqyXud &1

laxBukRed lajpuk
tutkrh; dk;Z ea=ky;

v-t-tk-d-vk% vt tk dY;k.k vunku
ç'kkå% ç'kklu
c- ,o jk-% ctV ,o jkdM
l-l-% lln ,o leUo;
t-m-;k-% tutkrh; mi&;kstuk
fyo% thfodkiktu
x-l-l-% xj&ljdkjh laxBu
Nk-,o i-y-g-% Nk=ofÙk ,o çR;{k ykHk gLrkrj.k
l- ,o fo-ek-% lkaf[;dh ,o fo/kk;h ekeys
fo-% foÙk
lk-ç-% lkekU; ç'kklu
o-v-v-% ou vf/kdkj vf/kfu;e
jk-Hkk-% jktHkk"kk
lk-% lkaf[;dh
jk-l-d-% jk"Vªh; lwpuk dsUæ
yk-f'k-% ykd f'kdk;r
uh-fo-% uhfr fo'ys"k.k
jk-v-t-tk-vk% jk"Vªh; vuqlwfpr tutkfr vk;ksx
t-v-l-% tutkrh; vuqla/kku laLFkku

v-l- ,o l-l-% vfrfjä lfpo ,oa la;qä lfpo
l-l- ,o fo-l-% la;qä lfpo ,oa foÙkh; lykgdkj
e-l-v- % eq[; ys[kk vf/kdkjh
m-e-fun-% mi&egk funs'kd
e-y-fu-% eq[; ys[kk fu;a=d
fun-% funs'kd
mi-l-% mi&lfpo
l-fu-% la;qä funs'kd
y-fu-% ys[kk fu;a=d
v-l-% voj lfpo
mi- fun-% mi funs'kd
vu-l- vf/k-% vuqla/kku vf/kdkjh
vu- vf/k-% vuqHkkx vf/kdkjh
o- ,o y-vf/k-% oru ,oa ys[kk vf/kdkjh
m-y-fu-% mi&ys[kk fu;a=d
vk-l-% vkfFkd lykgdkj
lgk- fun-% lgk;d funs'kd
vk- ,o l-vf/k-% vkgj.k ,oa laforj.k vf/kdkjh

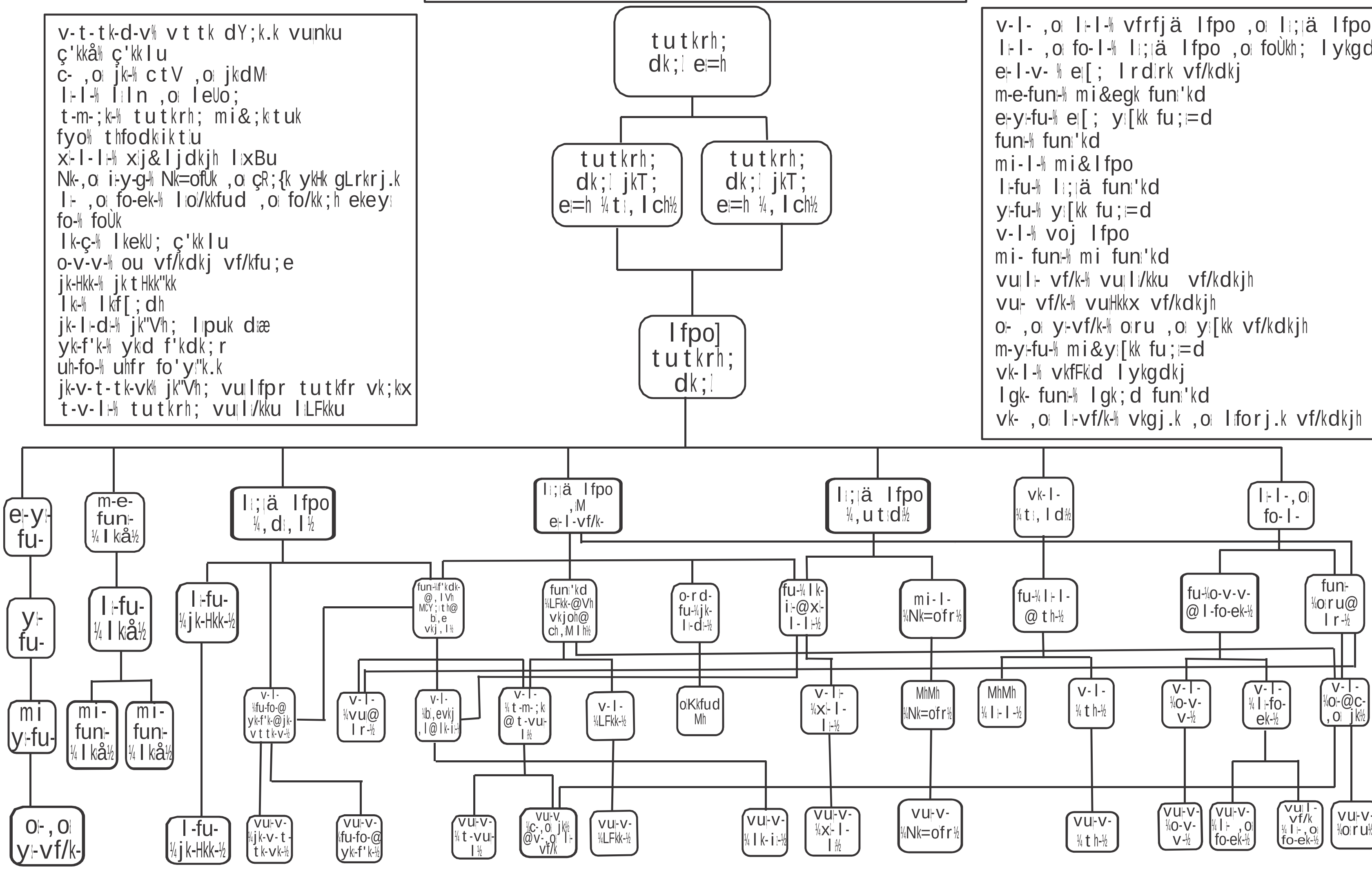

vuqyXud & 2

tutkrh; dk;Z ea=ky; dh Ldheksa@dk;ZØeksa dh lwph

Ø-l-	Ldhe@dk;ZØe dk uke
1	जनजातीय उप–स्कीम (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान
3	कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (पीएमएस)
5	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति
	ए. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
	प. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए (उच्च श्रेणी शिक्षा) छात्रवृत्ति स्कीम
6	विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम
7	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी को एमएसपी)
8	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
10	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम
11	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान ,सूचना एवं जन–शिक्षा
12	एनएसटीएफडीसी / एसटीएफडीसी को इक्विटी सहायता
13	जनजातीय उत्पाद के विपणन तथा विकास के लिए संस्थागत सहायता (ट्राइफेड आदि)

vuqyXud&3 d

o"kZ 2016&17 rFkk 2017&18 ds fy, tutkrh; dk;Z ea=ky; dk Ldhe&okj ctV vkoaVu @ la'kksf/kr vkoaVu rFkk O;;

¼djksM+ #i, esa½

dk;ZØe@mi&Ldhea	2016&17 ¼iwokZUkqj jkT;ksa lfgr½			2017&18 ¼iwokZUkqj jkT;ksa lfgr½		
	c-v-	la-v-	O;;	c-v-	la-v-	O;;
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	119.94
जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत समर्थन	49.00	49.00	49.00	49.00	44.95	44.95
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	200.00	340.00	340.21	270.00	240.00	239.49
राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	70.00	60.00	60.00	60.00	55.00	55.00
अनुसूचित जनजाति के बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति	50.00	80.00	79.98	120.00	100.00	99.72
विदेश में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	1.00	0.39	0.39	1.00	1.00	1.00
लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	158.00	3.00	2.00	100.00	25.00	8.59
जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.39	0.01	0	0.01	0.00	0.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	0	0	0	1347.07	1436.00	1463.91
मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	0	0	0	265.00	318.00	294.08
बालक तथा बालिका छात्रावास	0	0	0	10.00	7.00	7.00
व्यवसायिक प्रशिक्षण	0	0	0	3.00	0	0

आश्रम विद्यालय	0	0	0	10.00	7.00	7.00
अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	1454.22	1659.84	1659.30	0	0	0
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन	21.00	17.00	15.11	80.00	80.00	79.00
अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	17.39	6.39	4.69	12.04	6.35	4.02
निगरानी तथा मूल्यांकन	8.00	2.00	1.39	3.00	3.00	1.27
वन बंधु कल्याण योजना	1.00	1.00	1.00	0.01	0	0
जनजातीय उप–स्कीमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1250.00	1200.00	1195.03	1350.00	1350.00	1350.00
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत स्कीम	1400.00	1260.00	1265.86	1500.01	1500.00	1510.70
dqy ;ksx	**4800.00**	**4798.63**	**4793.96**	**5300.14**	**5293.30**	**5285.67**

ब.अ. : बजट अनुमान, सं.अ. : संशोधित अनुमान

vuqyXud&3 [k

o"k 2018&19 ds fy, Ldhe&okj ctV vkoVu rFkk 31-03-2019 rd 0;;

¼djkM+ #i, e½

Ø-l-	Ldhe dk uke	c-v- 2018&19	31-03-19 rd 0;;
1	2	3	4
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना	1800.00	1819.82
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परंतुक के खण्ड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	-
3	अजजा के बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	100.00	99.98
4	विदेश में अध्ययन के लिए अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2.00	2.00
5	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	65.00	65.00
6	जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन	54.15	72.50
7	जनजातीय स्मारक सहित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	100.00	99.99
8	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	350.00	311.50
9	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1586.00	1647.56
10	अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	130.00	114.00
11	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	130.00	96.85
12	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	260.00	250.00
13	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00
14	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा	25.00	23.35
15	निगरानी तथा मूल्यांकन	5.00	2.42
16	वन बंधु कल्याण योजना	0.01	0.00
17	जनजातीय उप–स्कीमों के लिए एससीए	1350.00	1349.81
	dqy ;kx	**5957.18**	**5954.78**

ब.अ.: बजट अनुमान, सं.अ.: संशोधित अनुमान

vu|yXud&4 d

vu|lfpr tutkfr;k dh fy|x rFkk fuokl d vk/kkj ij jkT;@l?k jkT;{k=&okj tul|[;k tux.kuk 2011

Ø-l-	Hkkjr@jkT;@l?k jkT;{k=	d|y@xkeh.k@'kgjh	0;fä	i#"k	efgyk
	Hkkjr	d|y	**104545716**	**52547215**	**51998501**
		xkeh.k	**94083844**	**47263733**	**46820111**
		'kgjh	**10461872**	**5283482**	**5178390**
1	जम्मू एवं कश्मीर	कुल	1493299	776257	717042
		ग्रामीण	1406833	730075	676758
		शहरी	86466	46182	40284
2	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
3	उत्तराखण्ड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
4	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
5	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
6	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
7	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
8	अरुणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
9	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459
10	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191
11	मिजोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
12	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
13	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
14	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287
15	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
16	झारखण्ड	कुल	8645042	4315407	4329635

Ø-l-	Hkkjr@jkT;@la?k jkT;{ks=	dy@xzkeh.k@'kgjh	O;fä	iq#"k	efgyk
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
17	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
18	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
19	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
20	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
21	दमन एवं दीव	कुल	15363	7771	7592
		ग्रामीण	7617	3843	3774
		शहरी	7746	3928	3818
22	दादरा एवं नगर हवेली	कुल	178564	88844	89720
		ग्रामीण	150944	75049	75895
		शहरी	27620	13795	13825
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पणी : 2011 में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

vuqyXud&4 [k

jkT;@la?k jkT;{ks=&okj dqy tula[;k] v-t-tk- dh tula[;k] Hkkjr@jkT; dh dqy tula[;k dh rqyuk esa Hkkjr @ jkT; esa vuqlwfpr tutkfr;ksa dh çfr'krrk rFkk Hkkjr esa vuqlwfpr tutkfr;ksa dh dqy tula[;k dh rqyuk esa jkT; esa vuqlwfpr tutkfr;ksa dk çfr'krrk

Ø-la-	Hkkjr@jkT;	dqy tula[;k	v-t-tk- tula[;k	Hkkjr@jkT; dh dqy tula[;k dh rqyuk esa Hkkjr@jkT; esa v-t-tk- dk %	Hkkjr esa v-t-tk- dh dqy tula[;k dh rqyuk esa jkT; esa v-t-tk- dk %
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	-
1	आंध्र प्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	14,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू एवं कश्मीर	1,25,41,302	14,93,299	11.9	1.4
11	झारखण्ड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
15	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
16	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
17	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
18	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
19	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
20	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
21	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
22	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
23	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
24	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
25	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
26	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
27	उत्तराखण्ड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
28	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
29	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
31	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
32	दादरा एवं नगर हवेली	3,43,709	1,78,564	52.0	0.2
33	दमन एवं दीव	2,43,247	15,363	6.3	0.0
34	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुदुचेरी	12,47,953	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत : जनगणना, 2011 भारत के महापंजीयक का कार्यालय

एनएसटी: कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है (2011 के अनुसार)

vuqyXud&4 x

vuqlwfpr tutkfr dh tula[;k dh fyax vuqikr lEca/kh lwpuk

jkT;@la?k jkT;{ks=	fyax vuqikr 2001			fyax vuqikr 2011		
	dqy	xzkeh.k	'kgjh	dqy	xzkeh.k	'kgjh
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू एवं कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखण्ड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखण्ड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन एवं दीव	947	952	928	977	982	972
दादरा एवं नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्र प्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अंडमान निकोबार दीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

vuqyXud&4 ?k

dqy tula[;k rFkk v-t-tk- dh tula[;k dh lk{kjrk nj% rFkk varj % tula[;k 2011

Ø-la-	jkT;@la?k jkT;{ks=	0;fä			iq#"k			efgyk		
		dqy	v-t-tk-	varj	dqy	v-t-tk-	varj	dqy	v-t-tk-	varj
	Hkkjr	**73**	**59**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.2**
1	जम्मू एवं कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखण्ड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80	-0.4	82.8	83.1	-0.3	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.3	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	-0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	-1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखण्ड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन एवं दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादरा एवं नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पण : 2011 के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी में कोई अधिसूचित अ.ज.जा. नहीं है

vuqyXud&4 M-

15 o"kZ vkSj blls Åij dh vk;q ds vuqlwfpr tutkfr;ksa dh 'kSf{kd Lrj&Lukrd rFkk blls Åij

Ø- la-	Hkkjr@jkT;@la?k jkT;{ks=	dqy Lukrd rFkk blls Åij	dqy Lukrd rFkk blls Åij dk çfr'krrk ¼d,ye 3½							
			rduhdh fMxzh dk vykok Lukrd fMxzh	rduhdh fMxzh dk vykok Lukrdksùkj fMxzh	rduhdh fMxzh ;k fMxzh ds lerqY; fMIyksek ;k Lukrdksùkj fMxzh					
					bathfu;fjax rFkk çkS|ksfxdh	fpfdRlk	—f"k rFkk Msa;jh	i'kq fpfdRlk foKku	f'k{k.k*	vU;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hkkjr	**1763879**	**64.08**	**18.28**	**5.92**	**1.94**	**0.36**	**0.11**	**9.27**	**0.04**
1	जम्मू एवं कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखण्ड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखण्ड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन एवं दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादरा एवं नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्र प्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

*शिक्षण – जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि

स्रोतः जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

vu|yXud&4 p

tutkrh; {k=k e LokLF; vo lajpuk ¼,llh] ih,plh ,o lh,plh½ dh fLFkfr

Ø-la-	jkT;@la?k jkT;{k=	¼31 ekpZ 2018 rd½ xzkeh.k {k=k e tutkrh; tula[;k	mi dsUæ			ih,plh			lh,plh		
			vkj	ih	,l	vkj	ih	,l	vkj	ih	,l
1	आंध्र प्रदेश	2293102	764	804	**	114	153	**	28	19	9
2	अरुणाचल प्रदेश#	789846	263	312	**	39	143	**	9	63	**
3	असम	3665405	1221	768	453	183	176	7	45	26	19
4	बिहार	1270851	423	उप. नहीं	उप. नहीं	63	उप. नहीं	उप. नहीं	15	उप. नहीं	उप. नहीं
5	छत्तीसगढ़	7231082	2410	2811	**	361	396	**	90	80	10
6	गोवा	87639	29	66	**	4	8	**	1	1	0
7	गुजरात	8021848	2673	2775	**	401	421	**	100	92	8
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	374392	124	104	20	18	47	*	4	8	**
10	जम्मू एवं कश्मीर	1406833	468	307	161	70	48	22	17	11	6
11	झारखण्ड	7868150	2622	2465	157	393	165	228	98	94	4
12	कर्नाटक	3429791	1143	321	822	171	64	107	42	7	35
13	केरल	433092	144	831	**	21	137	**	5	12	**
14	मध्य प्रदेश	14276874	4758	3545	1213	713	332	381	178	104	74
15	महाराष्ट्र	9006077	3002	2057	945	450	315	135	112	67	45
16	मणिपुर	791126	263	234	29	39	53	**	9	7	2
17	मेघालय#	2136891	712	443	269	106	108	**	26	28	**
18	मिजोरम#	507467	169	370	**	25	57	**	6	9	**
19	नागालैंड#	1306838	435	396	39	65	126	**	16	21	**
20	ओडिशा	8994967	2998	2701	297	449	427	22	112	133	**
21	पंजाब*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	8693123	2897	1659	1238	434	210	224	108	65	43
23	सिक्किम	167146	55	48	7	8	12	**	2	0	2
24	तमिलनाडु	660280	220	432	**	33	105	**	8	25	**
25	तेलंगाना	2939027	979	698	281	146	93	53	36	23	13
26	त्रिपुरा	1117566	372	484	**	55	48	7	13	9	4
27	उत्तराखण्ड	264819	88	148	**	13	12	1	3	5	**
28	उत्तर प्रदेश	1031076	343	उप. नहीं	उप. नहीं	51	उप. नहीं	उप. नहीं	12	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	4855115	1618	3206	**	242	300	**	60	104	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	26715	8	41	**	1	4	**	0	1	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली#	150944	50	46	4	7	7	0	1	0	1
33	दमन एवं दीव	7617	2	5	**	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#(2)	13463	4	14	**	0	4	**	0	3	**
36	पुदुचेरी*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dqy	**93819162**	**31257**	**28091**	**5935**	**4675**	**3971**	**1187**	**1156**	**1017**	**275**

स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2018, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां: जनगणना 2011 से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डों का प्रयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की गई है। कुछ राज्यों में विद्यमान अधिशेष को अनदेखा करते हुए कमियों के राज्य–वार आंकड़ों को जोड़ते हुए अखिल भारतीय कमी तैयार की गई।

आर: आवश्यक; पी: तैनात; एस: कमी; **: अधिशेष, *: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है;

#:राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं

[2]जनसंख्या 80,000 के मानक (सीएचसी) से कम है।

उप. नहीं : उपलब्ध नहीं

vuqyXud&4 N

tutkrh; {ks=ksa esa mi&dsUæksa rFkk çkFkfed LokLF; dsUæksa esa LokLF; dk;ZdrkZ ¼efgyk½@,,u,e

Ø-l-	jkT;@la?k jkT;{ks=	¼31 ekp] 2018 rd½				
		vis{kr[1]	Loh—r	rSukr	fjä	deh
		¼vkj½	¼,l½	¼ih½	¼,l&ih½	¼vkj&ih½
1	आंध्र प्रदेश	957	1564	1305	259	-348
2	अरुणाचल प्रदेश#	455	उप. नहीं	481	उप. नहीं	**
3	असम	944	उप. नहीं	1581	उप. नहीं	**
4	बिहार	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
5	छत्तीसगढ़	3207	3354	4403	**	**
6	गोवा	74	68	68	0	6
7	गुजरात	3196	3196	1816	1380	1380
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	151	115	90	25	61
10	जम्मू एवं कश्मीर	355	753	732	21	**
11	झारखण्ड	2630	5090	4024	1066	**
12	कर्नाटक	385	321	242	79	143
13	केरल	968	840	840	0	128
14	मध्य प्रदेश	3877	4844	5560	**	**
15	महाराष्ट्र	2372	4532	6258	**	**
16	मणिपुर	287	560	446	114	**
17	मेघालय#^	551	1118	1080	38	**
18	मिजोरम#	427	405	629	**	**
19	नागालैंड#^	522	539	913	**	**
20	ओडिशा	3128	3028	3259	**	**
21	पंजाब*	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	1869	4101	2830	1271	**
23	सिक्किम +	60	83	94	**	**
24	तमिलनाडु	537	537	297	240	240
25	तेलंगाना	791	1158	1158	0	**
26	त्रिपुरा	532	0	250	**	282
27	उत्तराखण्ड	160	150	150	0	10
28	उत्तर प्रदेश	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	3506	5271	5345	**	**
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	45	87	58	29	**
31	चंडीगढ*	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली#	53	36	70	**	**
33	दमन एवं दीव	5	9	9	0	**
34	दिल्ली*	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	18	47	51	**	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0
	dqy	**32062**	**41806**	**44039**	**4522**	**1902**

स्रोतः ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2018 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टिप्पणियांः #राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं।
^वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत आंकड़े उपयोग में लाए गए हैं
+वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़े उपयोग में लाए गए हैं
$वर्ष 2013 के लिए आंकड़े उपयोग में लाए गए हैं
उप. नहीं : उपलब्ध नहीं
**अधिशेष
[1]आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार प्रति उप केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक,
* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक-4 ज

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च 2018 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर)	(एस)	(पी)	(एस-पी)	(आर-पी)
1	आंध्र प्रदेश	286	611	503	108	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	584	उप. नहीं	498	उप. नहीं	86
3	असम	358	उप. नहीं	433	उप. नहीं	**
4	बिहार	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
5	छत्तीसगढ़	956	1416	1008	408	**
6	गोवा	15	41	55	**	**
7	गुजरात	1065	1973	1599	374	**
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	103	62	36	26	67
10	जम्मू एवं कश्मीर	125	157	150	7	**
11	झारखण्ड	823	368	394	**	429
12	कर्नाटक	113	144	93	51	20
13	केरल	221	223	245	**	**
14	मध्य प्रदेश	1060	1132	832	300	228
15	महाराष्ट्र	784	684	468	216	316
16	मणिपुर	102	142	132	10	**
17	मेघालय#$	304	413	596	**	**
18	मिजोरम#	120	570	198	372	**
19	नागालैंड#	273	175	394	**	**
20	ओडिशा	1358	592	769	**	589
21	पंजाब*	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	665	1302	1187	115	**
23	सिक्किम	12	उप. नहीं	14	उप. नहीं	**
24	तमिलनाडु	280	413	232	181	48
25	तेलंगाना	254	281	201	80	53
26	त्रिपुरा	111	0	244	**	**
27	उत्तराखण्ड	47	27	39	**	8
28	उत्तर प्रदेश	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	1028	1826	1720	106	**
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	11	49	20	29	**
31	चंडीगढ*	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली#	7	4	62	**	**
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली*	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	25	54	54	0	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0
	कुल	**11090**	**12659**	**12176**	**2383**	**1844**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2018 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां : $ वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत आंकड़े उपयोग में लाए गए हैं

राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं।

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है

1 आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार एक प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 7 प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र   उप. नहीं : उपलब्ध नहीं   ** अधिशेष

vuqyXud&4 >

tutkrh; {k=ks esa çkFkfed LokLF; dUæk ¼ih,plh½ esa M,DVj[2]

Ø-l-	jkT;@l?k jkT;{k=	¼31 ekpZ 2018 rd½				
		vif{kr[1]	Loh—r	rSukr	fjä	deh
		¼vkj½	¼,l½	¼ih½	¼,l&ih½	¼vkj&ih½
1	आंध्र प्रदेश	153	364	343	21	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	143	उप. नहीं	125	उप. नहीं	18
3	असम	176	उप. नहीं	227	उप. नहीं	**
4	बिहार	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
5	छत्तीसगढ़	396	409	167	242	229
6	गोवा	8	19	18	1	**
7	गुजरात	421	812	358	454	63
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	47	62	42	20	5
10	जम्मू एवं कश्मीर	48	61	53	8	**
11	झारखण्ड	165	292	179	113	**
12	कर्नाटक	64	64	38	26	26
13	केरल	137	227	229	-2	**
14	मध्य प्रदेश	332	364	287	77	45
15	महाराष्ट्र	315	370	354	16	**
16	मणिपुर	53	130	73	57	**
17	मेघालय#^	108	128	130	**	**
18	मिजोरम#^	57	152	59	93	**
19	नागालैंड#	126	108	118	**	8
20	ओडिशा	427	444	327	117	100
21	पंजाब*	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	210	438	383	55	**
23	सिक्किम+	12	20	11	9	1
24	तमिलनाडु	105	132	94	38	11
25	तेलंगाना	93	211	196	15	**
26	त्रिपुरा	48	0	93	**	**
27	उत्तराखण्ड	12	10	12	**	0
28	उत्तर प्रदेश	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	300	424	356	68	**
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	4	9	3	6	1
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली#	7	1	15	**	**
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली*	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	4	8	8	0	**
36	पुडुचेरी*	0	0	0	0	0
	dqy	**3971**	**5259**	**4298**	**1434**	**507**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2018, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां: #राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं।

^वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत आंकड़े उपयोग में लाए गए हैं

+वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़े उपयोग में लाए गए हैं

उप. नहीं : उपलब्ध नहीं **अधिशेष.

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

1 आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार एक प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2 एलोपैथिक चिकित्सक

vuqyXud&4 ´

vuqlfpr tutkfr ds ifjokjksa dh çfr'krrk rFkk çdk'k ds mudk eq[; lzksr

jkT;@la?k jkT;{ks=	ifjokjksa dh dqy la[;k		çdk'k dk eq[; lzksr					
			fctyh		feêh dk rsy		lkSj ÅtkZ	
	v-t-tk-	lHkh	v-t-tk-	lHkh	v-t-tk-	lHkh	v-t-tk-	lHkh
Hkkjr	**2,33,74,527**	**24,67,40,228**	**51.7**	**67.2**	**45.6**	**31.4**	**1.1**	**0.4**
जम्मू एवं कश्मीर	2,62,419	20,15,088	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1
हिमाचल प्रदेश	92,017	14,76,581	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1
उत्तराखण्ड	63,322	19,97,068	83.7	87	13.6	11.1	1.9	1.2
राजस्थान	18,36,014	1,25,81,303	39.7	67	57.7	30.9	0.9	0.6
उत्तर प्रदेश	5,12,649	3,29,24,266	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5
बिहार	4,23,568	1,89,40,629	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6
सिक्किम	46,013	1,28,131	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2
अरुणाचल प्रदेश	1,72,913	2,61,614	66.2	65.7	12.3	18.5	4	2.9
नागालैंड	3,49,022	3,99,965	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3
मणिपुर	2,19,179	5,54,713	62.5	68.3	28.5	25.1	4	1.9
मिजोरम	2,11,626	2,21,077	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3
त्रिपुरा	2,59,322	8,42,781	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9
मेघालय	4,56,683	5,38,299	59.2	60.9	38.6	37	0.8	0.8
असम	8,87,226	63,67,295	28	37	69.3	61.8	2.1	0.8
पश्चिम बंगाल	12,73,423	2,00,67,299	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2
झारखण्ड	17,18,359	61,81,607	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7
ओडिशा	22,40,142	96,61,085	15.6	43	82.3	55.3	0.6	0.4
छत्तीसगढ़	17,47,575	56,22,850	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9
मध्य प्रदेश	32,13,683	1,49,67,597	54	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3
गुजरात	18,37,844	1,21,81,718	80	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1
दमन एवं दीव	3,334	60,381	96.6	99.1	2.5	0.8	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	33,367	73,063	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0
महाराष्ट्र	24,45,645	2,38,30,580	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	73.1	92.1	25.3	7.1	0.4	0.2
तेलंगाना	840723	8420662	86	92.3	12.1	6.6	0.4	0.3
कर्नाटक	9,36,995	1,31,79,911	83.6	90.6	15	8.6	0.4	0.2
गोवा	33,662	3,22,813	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2
लक्षद्वीप	10,028	10,703	99.7	99.7	0.2	0.2	0	0
केरल	1,36,006	77,16,370	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2
तमिलनाडु	3,84,713	1,84,93,003	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1
अंडमान निकोबार दीप समूह	7,743	93,376	94	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

vuyXud&4 V

edku d ifjlj e 'kkpky; dh lfo/kk oky ifjokjk dh çfr'krrk

jkT;@l?k jkT;{k=	ifjokjk dh dy l[;k		edku d ifjlj e 'kkpky; dh lfo/kk oky ifjokjk dh l[;k		eu"; }kjk ely <kuk		edku d ifjlj e 'kkpky; dh lfo/kk ugh gku oky ifjokjk dh l[;k		[kky e 'kkp djuk	
	v-t-tk-	lHkh	v-t-tk-	lHkh	v-t-tk-	lHkh	v-t-tk-	lHkh	v-t-tk-	lHkh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hkkjr	**23374527**	**2467,40,228**	**22.70**	**46.90**	**0.10**	**0.30**	**77.30**	**53.10**	**74.60**	**49.80**
जम्मू एवं कश्मीर	262419	20,15,088	26.70	51.20	5.20	8.90	73.30	48.80	71.10	46.10
हिमाचल प्रदेश	92017	14,76,581	62.00	69.10	0.20	0.00	38.00	30.90	36.70	29.70
उत्तराखण्ड	63322	19,97,068	46.10	65.80	0.10	0.20	53.90	34.20	51.50	33.10
राजस्थान	1836014	125,81,303	7.90	35.00	0.00	0.00	92.10	65.00	91.70	64.30
उत्तर प्रदेश	512649	329,24,266	35.50	35.60	0.50	1.00	64.50	64.40	62.30	63.00
बिहार	423568	189,40,629	13.70	23.10	0.10	0.10	86.30	76.90	85.00	75.80
सिक्किम	46013	1,28,131	85.90	87.20	-	0.00	14.10	12.80	12.80	11.30
अरुणाचल प्रदेश	172913	2,61,614	58.40	62.00	0.40	0.40	41.60	38.00	38.80	34.80
नागालैंड	349022	3,99,965	74.80	76.50	0.20	0.20	25.20	23.50	17.80	16.50
मणिपुर	219179	5,54,713	78.40	87.00	1.00	2.00	21.60	13.00	19.20	10.70
मिजोरम	211626	2,21,077	91.90	91.90	0.10	0.10	8.10	8.10	6.60	6.60
त्रिपुरा	259322	8,42,781	63.70	86.00	0.20	0.10	36.30	14.00	30.30	11.50
मेघालय	456683	5,38,299	61.00	62.90	0.40	0.40	39.00	37.10	36.20	34.30
असम	887226	63,67,295	43.30	64.90	0.20	0.30	56.70	35.10	54.00	33.20
पश्चिम बंगाल	1273423	200,67,299	24.40	58.80	0.30	0.60	75.60	41.20	73.20	38.60
झारखण्ड	1718359	61,81,607	8.30	22.00	0.00	0.00	91.70	78.00	90.80	77.00
ओडिशा	2240142	96,61,085	7.10	22.00	0.10	0.30	92.90	78.00	91.60	76.60
छत्तीसगढ़	1747575	56,22,850	14.80	24.60	0.00	0.00	85.20	75.40	84.60	74.00
मध्य प्रदेश	3213683	149,67,597	8.50	28.80	0.00	0.00	91.50	71.20	90.90	70.00
गुजरात	1837844	121,81,718	24.30	57.30	0.00	0.00	75.70	42.70	73.50	40.40
दमन एवं दीव	3334	60,381	36.90	78.20	-	0.00	63.10	21.80	54.10	10.50
दादरा एवं नगर हवेली	33367	73,063	16.90	54.70	0.20	0.20	83.10	45.30	80.80	40.00
महाराष्ट्र	2445645	238,30,580	30.10	53.10	0.00	0.00	69.90	46.90	59.70	34.00
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	19.10	47.70	0.20	0.10	80.90	52.30	78.10	49.00
तेलंगाना	840723	8420662	19.90	52.40	0.40	0.30	80.10	47.60	78.00	46.40
कर्नाटक	936995	131,79,911	28.70	51.20	0.00	0.10	71.30	48.80	66.90	45.00
गोवा	33662	3,22,813	59.90	79.70	-	0.00	40.10	20.30	36.30	16.40
लक्षद्वीप	10028	10,703	98.30	97.80	-	0.00	1.70	2.20	1.50	1.80
केरल	136006	77,16,370	71.40	95.20	0.00	0.00	28.60	4.80	25.70	3.80
तमिलनाडु	384713	184,93,003	34.70	48.30	0.10	0.10	65.30	51.70	60.30	45.70
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7743	93,376	88.20	70.10	-	0.00	11.80	29.90	11.50	27.50

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

vuqyXud&4 B

,sls ifjokjksa dh çfr'krrk ftudk edku tux.kuk dh 'krksZ ds vuqlkj gS

Ø- l-	jkT;@la?k jkT;{ks=	lHkh			vuqlwfpr tutkfr		
		dqy vkokl ¼la[;k yk[k esa½	vPNs edku ¼%½	vyx ls jlksbZ okys edkuksa dh çfr'krrk	dqy edku ¼la[;k yk[k esa½	vPNs edku ¼%½	vyx ls jlksbZ okys edkuksa dk %
	भारत	**2467.40**	**53.1**	**61.3**	**233.75**	**40.6**	**53.7**
1	जम्मू एवं कश्मीर	20.15	54.1	85.7	2.62	32.8	73.6
2	हिमाचल प्रदेश	14.77	72.4	88.2	0.92	68.4	85.4
3	उत्तराखण्ड	19.97	66.8	70.1	0.63	58.2	74.3
4	राजस्थान	125.81	51.0	50.8	18.36	31.3	22.1
5	उत्तर प्रदेश	329.24	42.8	40.7	5.13	40.6	43.0
6	बिहार	189.41	36.1	33.5	4.24	30.6	34.4
7	सिक्किम	1.28	56.5	90.2	0.46	54.7	91.7
8	अरुणाचल प्रदेश	2.62	51.8	89.2	1.73	54.5	89.4
9	नागालैंड	4.00	52.4	96.0	3.49	52.9	96.8
10	मणिपुर	5.07	54.1	93.3	2.19	39.2	88.3
11	मिजोरम	2.21	62.3	83.8	2.12	62.4	83.7
12	त्रिपुरा	8.43	54.2	85.9	2.59	52.7	75.9
13	मेघालय	5.38	48.1	90.7	4.57	47.8	91.2
14	असम	63.67	32.8	88.3	8.87	32.4	89.4
15	पश्चिम बंगाल	200.67	40.9	60.9	12.73	27.5	48.2
16	झारखण्ड	61.82	43.4	39.4	17.18	36.6	34.5
17	ओडिशा	96.61	29.5	62.9	22.40	19.1	59.6
18	छत्तीसगढ़	56.23	46.6	56.1	17.48	43.1	54.9
19	मध्य प्रदेश	149.68	52.3	46.8	32.14	38.8	36.6
20	गुजरात	121.82	67.3	72.3	18.38	51.2	65.0
21	दमन एवं दीव	0.60	68.1	65.9	0.03	57.4	83.0
22	दादरा एवं नगर हवेली	0.73	66.7	84.4	0.33	54.4	84.8
23	महाराष्ट्र	238.31	64.1	72.7	24.46	48.0	60.4
24	आंध्र प्रदेश	126.04	71.1	55.6	7.19	57.7	19.1
25	तेलंगाना	84.21	67.8	52.2	8.41	58.0	19.9
26	कर्नाटक	131.80	60.1	89.3	9.37	50.0	82.8
27	गोवा	3.23	76.1	92.9	0.34	68.6	90.2
28	लक्षद्वीप	0.11	78.7	95.5	0.10	78.9	96.6
29	केरल	77.16	66.3	96.7	1.36	38.4	89.6
30	तमिलनाडु	184.93	70.2	76.5	3.85	59.8	64.3
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	0.93	66.5	94.1	0.08	86.5	97.9

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

vuqyXud&4 M

is;ty ds eq[; lzksr dh vofLFkfr ds vuqlkj ifjokj

jkT;@ la?k jkT;{ks=	ifjokjksa ¼lHkh½ dk %			v-t-tk- ds ifjokjksa dk %		
	is;ty ds eq[; lzksr dh vofLFkfr ds vuqlkj					
	edku ds vUnj	edku ds fudV	nwj	edku ds vUnj	edku ds fudV	nwj
Hkkjr	**46.6**	**35.8**	**17.6**	**19.7**	**46.7**	**33.6**
अंडमान निकोबार दीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्र प्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरुणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादरा एवं नगर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन एवं दीव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू एवं कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखण्ड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्य प्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	13.3	52.9	33.8
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिजोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओडिशा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुद्दुचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखण्ड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

vuqyXud&4 <

15 o"kZ rFkk blls vf/kd ds vuqlwfpr tutkfr ds Jfedksa dk jkT; @ la?k jkT;{ks=&okj çfr'kr forj.k tks 12 eekg ds fy, miyC/k gSa ijUrq okLro esa xzkeh.k $ 'kgjh {ks=ksa esa lkekU; fLFkfr ,oa lgk;d fLFkfr –f"Vdks.k ¼ih,l $,l,l½ ds vuqlkj dk;Z djrs gSa

Ø-la-	jkT;@la?k jkT;{ks=@ vf[ky Hkkjr	12 eghuksa rd dke djus okys	6&11 eghuksa rd dke djus okys	1&5 eghuksa rd dke djus okys	ftUgsa dke ugha feyk
1	अंडमान निकोबार दीप समूह	61.3	7.7	3.8	27.2
2	आंध्र प्रदेश	34.6	60.1	0.3	5
3	अरुणाचल प्रदेश	44.6	45.5	3.8	6.1
4	असम	60.0	31.7	3.4	4.9
5	बिहार	35.0	58.0	1.2	5.9
6	छत्तीसगढ़	22.7	76.4	0.5	0.3
7	दादरा एवं नगर हवेली	89.5	7.5	-	3.0
8	दमन एवं दीव	97.3	-	-	2.7
9	गोवा	80.8	3.7	0.8	14.7
10	गुजरात	67.7	31.3	0.2	0.8
11	हिमाचल प्रदेश	81.1	17.9	-	1.0
12	जम्मू एवं कश्मीर	46.4	47.9	0.8	4.8
13	झारखण्ड	38.6	50.9	7.8	2.7
14	कर्नाटक	65.5	32.7	-	1.8
15	केरल	41.6	40.4	0.4	17.6
16	लक्षद्वीप	68.3	14.4	12.8	4.5
17	मध्य प्रदेश	33.2	62.3	0.9	3.6
18	महाराष्ट्र	53.5	45.5	0.2	0.7
19	मणिपुर	27.9	68.9	0.5	2.6
20	मेघालय	59.3	34.5	0.7	5.5
21	मिजोरम	57.4	38.9	1.5	2.1
22	नागालैंड	63.6	26.2	2.8	7.4
23	ओडिशा	35.0	61.5	1.1	2.4
24	राजस्थान	54.7	35.3	7.0	3.1
25	सिक्किम	56.0	27.5	0.8	15.8
26	तमिलनाडु	77.6	20.1	-	2.3
27	तेलंगाना	57.0	42.3	-	0.7
28	त्रिपुरा	37.4	39.8	13.3	9.6
29	उत्तर प्रदेश	62.1	33.1	1.8	2.9
30	उत्तराखण्ड	46.5	44.4	-	9.0
31	पश्चिम बंगाल	36.1	59.7	1.3	2.9
	vf[ky Hkkjr	**46.0**	**49.4**	**1.9**	**2.7**

स्रोतः वार्षिक रोजगार – बेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

vuqyXud&4 .k

2014&2016 dk nkSjku vuqlwfpr tutkfr;ksa ¼vtt½ dk fo#) vijk/k@vR;kpkj

Ø-la-	jkT;@la?k jkT;{ks=	2014	2015	2016	vf[ky Hkkjr dqy dh rqyuk esa jkT; 'ks;j dk çfr'kr ¼2016½	?kVuk ij vk/kkfjr jSad @ 'ks;j % ¼2016½	vuqlwfpr tutkfr;ksa dh tula[;k# ¼yk[k esa½	dqy laKs; vijk/kksa dh nj	vijk/k nj ij vk/kkfjr jSad ¼2016½
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
jkT; %									
1	आंध्र प्रदेश	390	362	405	6.2	4	26.3	15.4	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1	0.0	24	9.5	0.1	24
3	असम	1	0	1	0.0	25	38.8	0.0	25
4	बिहार	77	5	25	0.4	13	13.4	1.9	15
5	छत्तीसगढ़	475	373	402	6.1	6	78.2	5.1	10
6	गोवा	6	8	11	0.2	15	1.5	7.4	8
7	गुजरात	223	248	281	4.3	9	89.2	3.2	13
8	हरियाणा	0	0	0	0.0	-	0.0	0.0	-
9	हिमाचल प्रदेश	3	6	2	0.0	20	3.9	0.5	20
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0.0	-	14.9	0.0	-
11	झारखण्ड	402	266	280	4.3	10	86.5	3.2	12
12	कर्नाटक	397	386	374	5.7	8	42.5	8.8	7
13	केरल	120	165	182	2.8	11	4.8	37.5	1
14	मध्य प्रदेश	1577	1358	3182	27.8	1	153.2	11.9	5
15	महाराष्ट्र	443	482	403	6.1	5	105.1	3.8	11
16	मणिपुर	1	0	1	0.0	26	9.0	0.1	23
17	मेघालय	1	0	0	0.0	-	25.6	0.0	-
18	मिजोरम	1	0	0	0.0	-	10.4	0.0	-
19	नागालैंड	0	0	0	0.0	-	17.1	0.0	-
20	ओडिशा	533	691	681	10.4	3	95.9	7.1	9
21	पंजाब	0	0	2	0.0	21	0.0	0.0	-
22	राजस्थान	1681	1409	5119	18.2	2	92.4	12.9	4

23	सिक्किम	1	0	0	0.0	-	2.1	0.0	-
24	तमिलनाडु	18	25	19	0.3	14	7.9	2.4	14
25	तेलंगाना	333	386	375	5.7	7	32.9	11.4	6
26	त्रिपुरा	0	3	3	0.0	18	11.7	0.3	22
27	उत्तर प्रदेश	24	6	4	0.1	17	11.3	0.4	21
28	उत्तराखण्ड	1	6	3	0.0	19	2.9	1.0	19
29	पश्चिम बंगाल	107	84	83	1.3	12	53.0	1.6	17
	d|y jkT;	**6815**	**6270**	**6 655**	**99.8**		**1040.0**	**6.3**	
l?k jkT;{k= ½									
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	6	3	6	0.1	16	0.3	21.0	2
31	चंडीगढ़	0	0	0	0.0	-	0.0	0.0	-
32	दादरा एवं नगर हवेली	3	3	2	0.0	22	1.8	1.1	18
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0.0	-	0.2	0.0	-
34	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	2	0	2	0.0	23	0.0	0.0	-
35	लक्षद्वीप	0	0	1	0.0	27	0.6	1.6	16
36	पुद्दुचेरी	1	0	1	0.0	28	0.0	0.0	-
	d|y l?k jkT;{k=	**12**	**6**	**12**	**0.2**		**2.8**	**4.2**	
	d|y ¼vf[ky Hkkjr½	**6827**	**6276**	**8 656**	**100.0**		**1042.8**	**6.3**	

स्रोतः भारत में अपराध, 2016, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

टिप्पणी : i) '# जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक जनसंख्या (आरजीआई)।

ii) जिला जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के समायोजित आंकड़े जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य का भाग हैं।

iii) अपराध दर (कॉलम 10) के साथ–साथ घटना (कॉलम 7) के आधार पर रैंक। दोनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।

iv) जहां आंकड़े '0' हैं उन राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कोई रैंक नहीं है।

v) अत्याचार का तात्पर्य गैर–अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराध से है। केवल आईपीसी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम को छोड़कर) के तहत मामलों को बाहर रखा गया है क्योंकि ये मामले अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध के रुप में संदर्भित हैं।

vuqyXud&4 r

vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fo#) vijk/k @ vR;kpkj ds ekeyksa dk iqfyl }kjk fuiVku ¼vijk/k 'kh"kZ&okj½ & 2016

Ø-la-	vijk/k 'kh"kZ	fiNys o"kZ ls yafcr tkap& iM+rky okys ekeys	o"kZ ds nkSjku ntZ ekeys	tkap iM+rky ds fy, dqy ekeys ¼d,ye 3$4½	ljdkj }kjk okil fy, x, ekeys	vU; iqfyl Fkkuk@ eftLVªsV dks gLrkarfjr ekeys	vijk/k nM lafgrk dh /kkjk 157¼1½ ¼[k½ ds rgr tkap uk fd, x, ekeys	vfre fjiksVZ: lR; exj vi;kZIr lk{;	vlR;	rF; dh xyrh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 भारतीय दंड संहिता की धाराओं के संदर्भ में (संयोजन के साथ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम										
1.1 हत्या		45	139	184	0	0	0	1	8	2
1.2 हत्या करने का प्रयास		31	93	124	0	0	0	1	7	0
1.3 गम्भीर चोट		99	144	243	0	0	0	3	3	2
1.3.1 चोट (आईपीसी की धारा 325 तथा 326)		99	144	243	0	0	0	3	3	2
1.3.2 एसिड हमला/एसिड हमला करने का प्रयास		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 उनकी गरिमा को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर आक्रमण		179	835	1014	0	0	1	4	43	5
1.4.1 यौन उत्पीड़न		56	294	350	0	0	1	1	7	3
1.4.2 निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला		16	50	66	0	0	0	0	3	0
1.4.3 ताकझांक		0	7	7	0	0	0	0	0	0
1.4.4 पीछा करना		5	38	43	0	0	0	0	2	0
1.4.5 अन्य यौन उत्पीड़न		102	446	548	0	0	0	3	31	2
1.5 महिलाओं की गरिमा का अपमान		7	31	38	0	1	0	1	2	0
1.6 अपहरण और हरण		58	163	221	1	0	0	5	11	9
1.6.1 अपहरण और हरण		11	60	71	1	0	0	1	2	1
1.6.2 हत्या के उद्देश्य से अपहरण एवं हरण		0	1	1	0	0	0	0	0	0
1.6.3 फिरौती के लिए अपहरण		0	2	2	0	0	0	0	0	0
1.6.4 विवाह के लिए मजबूर करने के लिए महिलाओं का अपहरण और हरण		24	51	75	0	0	0	3	3	4
1.6.5 अन्य अपहरण		23	49	72	0	0	0	1	6	4
1.7 बलात्कार		298	974	1272	0	0	0	2	42	4
1.8 बलात्कार करने का प्रयास		11	13	24	0	0	0	0	3	0
1.9 दंगा		55	143	198	0	0	0	3	12	1
1.10 लूटपाट		4	10	14	0	0	0	0	0	0
1.11 डकैती		5	6	11	0	0	0	0	0	0
1.12 आगजनी		12	13	25	0	0	0	0	0	1
1.13 आईपीसी के अन्य अपराध		1137	3156	4293	2	5	0	44	672	101
2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम		**584**	**844**	**1428**	**1**	**3**	**0**	**55**	**109**	**25**
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम का योग (1+2)		**2525**	**6564**	**9089**	**4**	9	**1**	**119**	**912**	**150**
3 नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955		**3**	**4**	**7**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध कुल अपराध/अत्याचार (1+2+3)		**2528**	**6568**	**9096**	**4**	**9**	**1**	**120**	**912**	**151**

टिप्पणः एसिड हमले एवं एसिड हमले के प्रयास के तहत कोई मामले दर्ज नहीं हुए।

स्रोतः भारत में अपराध, 2016, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fo#) vijk/k @ vR;kpkj ds ekeyksa dk iqfyl }kjk fuiVku
¼vijk/k 'kh"kZ&okj½ & 2016 ¼tkjh½

Ø-la-	vijk/k 'kh"kZ	vfre fjiksVZ		ekeys ftuesa vfHk;ksx i= çLrqr fd, x, gSa	iqfyl }kjk dqy ekeyksa dk fuiVku ¼d,ye 7 $ 8 $ 13 $ 14½	o"kZ ds var esa tkap& iMrky ds fy, yfcr ekeys ¼d,ye 5 & ¼d,ye 6 $15½½	vfHk;ksx i= nj ¼d,ye 14@ d,ye 15½* 100	yfcr çfr'krrk ¼d,ye 16@ ¼d,ye 5½½* 100
		lR;	dsoy ¼d,ye 9 $d,ye 10 $d,ye 11 $d,ye12½					
		12	13	14	15	16	17	18
1 Hkkjrh; n.M lafgrk dh /kkjkvksa ds lkFk ea ¼lg;ksftr ds lkFk½ vtk @ vtt vR;kpkjksa dk fuokj.k vf/kfu;e								
1.1 हत्या		0	11	125	136	48	91.9	26.1
1.2 हत्या करने का प्रयास		0	8	82	90	34	91.1	27.4
1.3 गम्भीर चोट		2	10	139	149	94	93.3	38.7
1.3.1 चोट (आईपीसी की धारा 325 तथा 326)		2	10	139	149	94	93.3	38.7
1.3.2 एसिड हमला/एसिड हमला करने का प्रयास		0	0	0	0	0	0.0	0.0
1.4 शालीनता को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर आक्रमण		1	53	779	833	181	93.5	17.9
1.4.1 यौन उत्पीड़न		0	11	298	310	40	96.1	11.4
1.4.2 निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला		0	3	48	51	15	94.1	22.7
1.4.3 ताकझांक		0	0	6	6	1	100.0	14.3
1.4.4 पीछा करना		0	2	32	34	9	94.1	20.9
1.4.5 अन्य यौन उत्पीड़न		1	37	395	432	116	91.4	21.2
1.5 महिलाओं की गरिमा का अपमान		0	3	24	28	10	85.7	26.3
1.6 अपहरण और हरण		0	25	128	153	67	83.7	30.8
1.6.1 अपहरण और हरण		0	4	40	44	26	90.9	38.0
1.6.2 हत्या के उद्देश्य से अपहरण एवं हरण		0	0	0	0	1	-	100.0
1.6.3 फिरौती के लिए अपहरण		0	0	1	1	1	100.0	50.0
1.6.4 विवाह के लिए मजबूर करने के लिए महिलाओं का अपहरण और हरण		0	10	42	52	23	80.8	30.7
1.6.5 अन्य अपहरण		0	11	45	56	16	80.4	22.2
1.7 बलात्कार		0	48	917	965	307	95.0	24.1
1.8 बलात्कार करने का प्रयास		0	3	13	16	8	81.3	33.3
1.9 दंगा		4	20	102	122	76	83.6	38.4
1.10 लूटपाट		0	0	8	8	6	100.0	42.9
1.11 डकैती		1	1	9	10	1	90.0	9.1
1.12 आगजनी		0	1	13	14	11	92.9	44.0
1.13 अन्य आईपीसी अपराध		5	822	2306	3133	1158	73.6	27.0
2 vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr ¼vR;kpkjksa dh jksdFkke½ vf/kfu;e		**7**	**196**	**627**	**826**	**601**	**75.9**	**42.2**
vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr ¼vR;kpkjksa dh jksdFkke½ vf/kfu;e dk ;ksx ¼1$2½		**20**	**1201**	**5272**	**6483**	**2602**	**81.3**	**28.7**
3 ukxfjd vf/kdkjksa dh lqj{kk vf/kfu;e] 1955		**0**	**2**	**5**	**7**	**0**	**71.4**	**0.0**
vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fo#) dqy vijk/k@vR;kpkj ¼1$2$3½		**20**	**1203**	**5277**	**6490**	**2602**	**81.3**	**28.6**

टिप्पणः एसिड हमले एवं एसिड हमले के प्रयास के तहत कोई मामले दर्ज नहीं हुए।
स्रोतः भारत में अपराध, 2016, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

vuqyXud&4 Fk

ekuo rLdjh ls lacaf/kr jkT; @ la?k jkT;{ks=&okj ekeys ¼vkbZihlh½ &2016

Ø-la-	jkT;@la?k jkT;{ks=	nt Z ekeys	l?Kks; vijk/kk dh nj ¼vkbZihlh½$$
jkT;%			
1	आंध्र प्रदेश	239	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0.2
3	असम	91	0.3
4	बिहार	43	0
5	छत्तीसगढ़	68	0.3
6	गोवा	40	2
7	गुजरात	548	0.9
8	हरियाणा	51	0.2
9	हिमाचल प्रदेश	8	0.1
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0
11	झारखण्ड	109	0.3
12	कर्नाटक	404	0.6
13	केरल	21	0.1
14	मध्य प्रदेश	51	0.1
15	महाराष्ट्र	517	0.4
16	मणिपुर	3	0.1
17	मेघालय	7	0.3
18	मिजोरम	2	0.2
19	नागालैंड	0	0
20	ओडिशा	84	0.2
21	पंजाब	13	0
22	राजस्थान	1422	1.9
23	सिक्किम	1	0.2
24	तमिलनाडु	434	0.6
25	तेलंगाना	229	0.6
26	त्रिपुरा	0	0
27	उत्तर प्रदेश	79	0
28	उत्तराखण्ड	12	0.1
29	पश्चिम बंगाल	3579	3.8
	dqy jkT;	**8057**	**0.6**
la?k jkT;{ks=%			
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	0.2
31	चंडीगढ़	1	0.1
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0
33	दमन एवं दीव	7	2.1
34	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	66	0.3
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुद्दुचेरी	0	0
	dqy la?k jkT;{ks=	**75**	**0.3**
	dqy ¼vf[ky Hkkjr½	**8132**	**0.6**

टिप्पण: i). ++प्रति 1 लाख जनसंख्या पर दर्ज मामलों से संबंधित दर

ii). आईपीसी की धारा 370, 370क के तहत दर्ज मामलों के अलावा मामलों में आईपीसी की धारा 363क, 366क, 366ख, 367,372 तथा 373 के मामले भी शामिल हैं।

स्रोत: भारत में अपराध, 2016, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

vu|yXud&4 n

vu|lfpr tutkfr d| çkFkfedrk oky| jkT;@l|?k jkT;{k=&okj ftys

(जनसंख्या लाख में)

jkT;@l|?k jkT;{k=	50% l| vf/kd v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% ;k 25% l| vf/kd rFkk 50% l| de v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% l| de v-t-tk- oky| ,yMCY;bZ ftys
çkFkfedrk	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1) d|y 0-24	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) **0.24**	---	----
आंध्र प्रदेश (1– एलडब्ल्यूई) **6.19**	---	---	(1) विशाखापट्नम 6.19 (14.4%) **6.19**
अरुणाचल प्रदेश (16) d|y **9.50**	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबांसिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबांसिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिमी सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अंजाव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10) पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11) तवांग 0.35 (69.7%) (12) पापुम परे 1.17 (66.4%) (13) पश्चिमी कमेंग 0.46 (55.2%) **8.23**	(1) लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2) चांगलांग 0.54 (36.3%) (3) लोहित 0.47 (32.5%) **1.27**	----
असम (7) d|y **20.73**	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%) **6.91**	(1) धेमाजी 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदालगुड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%) **13.82**	

vuqlfpr tutkfr dh çkFkfedrk okys jkT;@la?k jkT;{ks=&okj ftys

(जनसंख्या लाख में)

jkT;@la?k jkT;{ks=	50% ;k 50% ls vf/kd v-t-tk-] ,yMCY;wbZ çHkkfor ¼,y½	25% ;k 25% ls vf/kd rFkk 50% ls de v-t-tk-] ,yMCY;wbZ çHkkfor ¼,y½	25% ls de v-t-tk- okys ,yMCY;wbZ ftys
çkFkfedrk	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार (6 एलडब्ल्यूई) dqy 1.81	----	----	(1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुजफ्फरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 0.03(0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%) 1.81
छत्तीसगढ़ (11+8 एलडब्ल्यूई) dqy 65.72	(1) सुकमा (एल) 2.09 (83.5%) (2) बीजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाड़ा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कोंडागांव (एल) 4.11 (71.0%) (6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10) कांकेर (एल) 4.15 (55.4%) 35.4	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबंद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%) (6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05(26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%) 30.32	----
दादरा एवं नगर हवेली (1) 1.79	(1) दादरा एवं नगर हवेली 1.79 (52.0%) 1.79	----	----
गुजरात (10) dqy 65.7	(1) डांग्स 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदयपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%) 47.17	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरुच 4.88 (31.5%) (3) महिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%) 18.53	----
हिमाचल प्रदेश (3) dqy 2.11	(1) लाहुल तथा स्पीति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%) 0.75	(1) चम्बा 1.36 (26.1%) 1.36	----
जम्मू एवं कश्मीर (5) dqy 7.15	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाख) 0.96 (71.8%) 2.18	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) राजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%) 4.97	----
झारखण्ड	(1) खुंटी (एल) 3.90 (73.3%)	(1) लतेहार (एल) 3.31 (45.5%)	(1) रामगढ़

vuqlwfpr tutkfr dh çkFkfedrk okys jkT;@la?k jkT;{ks=&okj ftys

(जनसंख्या लाख में)

jkT;@la?k jkT;{ks=	50% ;k 50% ls vf/kd v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% ;k 25% ls vf/kd rFkk 50% ls de v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% ls de v-t-tk- okys ,yMCY;bZ ftys
izkFkfedrk	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
(4+16 एलडब्ल्यूई) dqy 79.45	(2) सिमडेगा(एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला(एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी सिंहभूम (एल) 10.11 (67.3%) (5) लोहरदगा (एल) 2.63 (56.9%) 27.95	(2) दुमका(एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुर 3.79 (42.1%) (4) रांची(एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला–खरसावां 3.75 (35.2%) (6) जामतारा 2.40 (30.4%) (7) पूर्वी सिंहभूम(एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%) 39	2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामू 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) छतरा 0.46 (4.4%) 12.5
लक्षद्वीप (1) dqy 0.61	(1) लक्षद्वीप 0.61 (94.8%) 0.61	----	----
मध्य प्रदेश (19) dqy 105.72	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%) 47.93	(1) अनूपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडौल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगौन (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%) (9) सिंगरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सिधि 3.13 (27.8%) 57.79	
महाराष्ट्र (4+1 एलडब्ल्यूई) dqy 48.86	(1) नन्दूरबार 11.42 (69.3%) 11.42	(1) गढ़चिरौली (एल) 4.15 (38.7%) (2) पालघर 11.18 (37.4%) (3) धुले 6.47 (31.6%) (4) नासिक 15.64 (25.6%) 37.44	----
मणिपुर (5)	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरुल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%)		-----

vuqlwfpr tutkfr dh çkFkfedrk okys jkT;@la?k jkT;{ks=&okj ftys

(जनसंख्या लाख में)

jkT;@la?k jkT;{ks=	50% ;k 50% ls vf/kd v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% ;k 25% ls vf/kd rFkk 50% ls de v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% ls de v-t-tk- okys ,yMCY;bZ ftys
ikFkfedrk	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
dqy **11.11**	(5) सेनापति 4.19 (87.5%) **11.11**	----	
मेघालय (7) dqy **25.55**	(1) पश्चिमी खासी हिल 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारों हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिणी गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिमी गारो हिल्स 4.74 (73.7%) **25.55**	----	-----
मिजोरम (8) dqy **10.37**	(1) चंफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरिछप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%) (5) लुंगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममिट 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलासिब 0.74 (87.7%) **10.37**	----	----
नागालैंड (11) dqy **17.11**	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलेंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकोक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10) कोहिमा 2.25 (83.9%) (11) दीमापुर 2.24 (59.1%) **17.11**	-----	-----
ओडिशा (12+2 एलडब्ल्यूई) dqy **76.41**	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%) (2) मलकानगिरि (एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजापति 3.14 (54.3%) (6) कंधमल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट(एल) 6.98 (50.6%) **55.25**	(1) केंदुझर 8.19 (45.5%) (2) देवगढ़ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाडा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुडा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%) **21.16**	--

vuqlwfpr tutkfr dh çkFkfedrk okys jkT;@la?k jkT;{ks=&okj ftys

(जनसंख्या लाख में)

jkT;@la?k jkT;{ks=	50% ;k 50% ls vf/kd v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% ;k 25% ls vf/kd rFkk 50% ls de v-t-tk-] ,yMCY;bZ çHkkfor ¼,y½	25% ls de v-t-tk- okys ,yMCY;bZ ftys
ikFkfedrk	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्थान (6) dqy **51.56**	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डूंगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्रतापगढ़ 5.50 (63.4%) **29.06**	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%) **22.5**	----
सिक्किम(4) dqy **2.06**	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%) **0.29**	(1) पश्चिमी जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिणी जिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%) **1.77**	----
तेलंगाना (1 + एलडब्ल्यूई) dqy **6.57**	---	(1) खम्माम(एल) 6.57 (25.2%) **6.57**	----
त्रिपुरा (5) **8.10**	(1) धलाई 2.11 (55.7%) **2.11**	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिणी त्रिपुरा 1.53 (35.5%) (4) उत्तरी त्रिपुरा 1.17 (28.1%) **5.99**	----
पश्चिम बंगाल (2) dqy **6.33**	----	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुरद्वार 3.82 (26.8%) **6.33**	----
dqy% 177 ¼142 $,yMCY;bZ 35½	¼80 $,yMCY;bZ 14½	¼62 $,yMCY;bZ 7½	14 ,yMCY;bZ
dqy **630.75**	**341.43**	**268.82**	**20.5**

एलडब्ल्यूईः वामपंथ उग्रवाद (प्रभावित जिले)

vuqyXud&4 /k

vuqlfpr tutkfr d¢ çkFkfedrk okys mi&ftyk¢ dh jkT;@ l?k&jkT; {k= rFkk ftyk&okj lwph

Ø-l-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tulö[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
1	vk/kz çns'k			
1	iwohZ xksnkojh	51.54	2.13	4.14
1	अड्डातीगाला	0.37	0.25	66.23
2	देवीपटनम	0.28	0.16	58.18
3	गंगावरम	0.26	0.17	67.24
4	मरेडुमिल्ली	0.20	0.18	93.29
5	राजावोम्मांगी	0.40	0.23	57.57
6	राजपचोडावरम	0.39	0.31	79.30
7	वाई. रामावरम	0.29	0.26	91.60
2	Jhdkdqye	**27.03**	**1.66**	**6.15**
8	सीथाम्पेटा	0.56	0.51	90.87
3	fo'kk[kkiêue	42.91	6.19	14.42
9	अनंतगिरि	0.49	0.44	90.15
10	अरकू घाटी	0.57	0.52	91.53
11	चिंतापल्ली	0.72	0.65	90.32
12	दुमब्रिगुडा	0.49	0.46	94.80
13	जी. मदुगुला	0.54	0.50	92.74
14	गुडेमकोथा वीधि	0.63	0.57	89.84
15	हुकुमपेटा	0.52	0.50	95.93
16	कोय्युरु	0.51	0.41	81.39
17	मुनचिंगी पुट्ट	0.47	0.45	93.93
18	पडेरू	0.59	0.49	82.56
19	पेडाबयालु	0.52	0.50	96.24
4	foft;kuxje	23.44	2.36	10.05
20	गुम्मालाक्शमिपुरम	0.50	0.43	86.69
21	कुरूपम	0.48	0.35	71.98
5	if'peh xksnkojh	39.37	1.09	2.77
22	बुट्टायागुडेम	0.53	0.34	64.58
2	fcgkj			
6	कैमुर (भभुआ)	16.26	0.58	3.57
23	अधौरा	0.57	0.30	51.98

Ø-la-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
3		NÙkhlx<			
7		dkfj;k	6.59	3.04	46.18
	24	भरतपुर	0.89	0.58	64.89
	25	सोनहट	0.48	0.28	57.54
8		ljxqtk	23.60	13.01	55.11
	26	रामानुजगंज	1.68	0.85	50.57
	27	बलरामपुर	1.10	0.66	60.02
	28	वड्राफनगर	1.61	0.95	58.97
	29	प्रतापपुर	1.51	0.93	61.93
	30	सामरी (कुस्मी)	1.10	0.82	74.15
	31	शंकरगढ़	0.72	0.53	73.27
	32	औडगी	0.88	0.53	61.04
	33	प्रेमनगर	0.65	0.39	60.15
	34	उदयपुर	0.79	0.51	64.21
	35	राजपुर	1.09	0.78	71.94
	36	लुंडरा	1.20	0.81	67.78
	37	सीतापुर	0.96	0.68	70.74
	38	बतौली	0.70	0.55	77.67
	39	मैनपट	0.77	0.58	76.17
9		t'kiqj	8.52	5.30	62.28
	40	बगीचा	1.72	1.21	70.58
	41	कन्साबेल	0.77	0.48	62.36
	42	जशपुर	0.96	0.55	57.05
	43	मनोरा	0.61	0.49	80.30
	44	फर्साबहार	1.08	0.65	59.57
	45	पथालगांव	1.92	1.21	63.28
10		jk;x<	14.94	5.06	33.84
	46	उदयपुर (धर्मजयगढ़)	2.07	1.37	66.13
	47	लैलुन्गा	1.31	0.83	63.49
	48	घरघोडा	0.79	0.47	58.82
11		dkjck	12.07	4.94	40.90
	49	पोउंडी–उपरोडा	1.89	1.38	72.94
	50	पाली	1.99	1.05	52.87
12		fcykliqj	26.64	4.98	18.71
	51	पेंड्रा रोड गोरेल्ला	1.34	0.77	57.27
	52	मरवाही	1.17	0.69	59.45
	53	पेंड्रा	0.85	0.46	53.60

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tul[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
13		jktunxkao	15.37	4.05	26.36
	54	मोहला	0.87	0.61	70.06
	55	मानपुर	0.89	0.66	74.39
14		nqxZ	33.44	3.97	11.88
	56	डोंडी	1.55	0.80	51.66
15		jk;iqj	40.64	4.76	11.72
	57	बिंद्रानवगढ़ (गारियाबंद)	0.95	0.53	56.11
	58	मैनपुर	1.24	0.64	51.74
16		/kerjh	8.00	2.08	25.96
	59	नगरी	1.80	1.10	61.33
17		mÙkj cLrj dkadsj	7.49	4.15	55.38
	60	भानुप्रतापपुर	0.95	0.60	63.09
	61	दुर्गकोंडल	0.64	0.49	76.60
	62	कांकेर	1.24	0.62	50.10
	63	नरहरपुर	1.10	0.73	66.04
	64	अंतागढ़	0.78	0.60	77.07
18		cLrj	14.13	9.32	65.93
	65	केसकाल	0.93	0.66	71.18
	66	बड़े राजपुर	0.86	0.66	76.61
	67	कोंडागांव	2.02	1.31	64.89
	68	मकड़ी	1.00	0.77	77.72
	69	फरसगांव	0.99	0.71	71.72
	70	लोहांडीगुडा	0.76	0.56	74.16
	71	बस्तानर	0.48	0.44	92.11
	72	बस्तर	1.64	1.07	65.46
	73	बकावंड	1.50	0.95	63.60
	74	तोकापल	0.78	0.56	72.72
	75	डरभा	0.79	0.66	82.87
19		ukjk;.kiqj	1.40	1.08	77.36
	76	नारायणपुर	1.05	0.75	71.65
	77	ओरछा	0.35	0.33	94.49
20		nf{k.k cLrj narsokMk	5.34	4.10	76.88
	78	दंतेवाड़ा	0.94	0.61	64.23
	79	गिदम	0.81	0.56	69.03
	80	कटेकल्याण	0.43	0.40	92.21
	81	कुआकोंडा	0.65	0.45	69.41
	82	कोंटा	1.06	0.95	90.38
	83	छिन्दगढ़	0.80	0.66	82.24
	84	सुकमा	0.65	0.48	73.72

Ø-l|-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tul[;k yk[k es		v-t-tk- çfr'kr
		d|y	v-t-tk-	
21	ch tkiqj	2.55	2.04	80.00
85	भोपालपट्टनम	0.49	0.36	73.08
86	उसुर	0.56	0.50	89.22
87	बीजापुर	0.66	0.49	73.09
88	भाईरामगढ़	0.84	0.70	83.45
4	x|tjkr			
22	cukl dkBk	31.21	2.84	9.11
89	अमीरगढ़	1.32	0.77	58.53
90	दंता	2.25	1.27	56.36
23	lcj dkBk	24.29	5.42	22.32
91	खेदब्रह्मा	2.93	2.21	75.38
92	विजयनगर	1.04	0.82	78.45
93	भिलोडा	2.39	1.38	57.57
24	iapegy	23.91	7.22	30.18
94	कडाना	1.30	1.01	78.20
95	संतरामपुर	2.66	2.13	80.32
25	nkgkn	21.27	15.81	74.32
96	फतेपुरा	2.38	2.23	93.45
97	झालोद	4.73	4.27	90.13
98	लिम्खेडा	3.06	1.93	63.07
99	दाहोद	4.81	3.72	77.34
100	गर्बाडा	1.99	1.89	94.83
101	धनपुर	1.80	1.28	71.07
26	oMknjk	41.66	11.50	27.60
102	जेतपुर पावी	2.61	2.18	83.33
103	छोटा उदयपुर	2.41	2.12	87.62
104	कावंत	2.10	1.96	93.51
105	नासवाडी	1.55	1.36	87.72
27	uenk	5.90	4.81	81.55
106	तिलकवाड़ा	0.64	0.35	55.42
107	नंडोड	2.41	1.77	73.29
108	डेडीपाडा	1.74	1.68	96.41
109	सगबारा	1.11	1.01	91.19
28	Hk:p	15.51	4.88	31.48
110	झगड़िया	1.85	1.27	68.68
111	वालिया	1.45	1.14	78.25

Ø-la-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
29		Mkax	2.28	2.16	94.65
	112	डांग	2.28	2.16	94.65
30		uolkjh	13.30	6.40	48.11
	113	चिखली	3.10	2.20	71.05
	114	बंस्दा	2.31	2.09	90.59
31		oylkM	17.06	9.03	52.93
	115	धरमपुर	2.16	1.98	91.92
	116	कपराडा	2.59	2.49	96.20
32		lwjr	60.81	8.57	14.09
	117	उमरपाडा	0.84	0.81	96.73
	118	मांडवी	1.96	1.51	77.07
	119	महुवा	1.45	1.18	81.21
33		rkih	8.07	6.79	84.18
	120	निजार	1.30	1.05	80.82
	121	उच्छल	0.88	0.87	98.05
	122	सोनगढ़	2.30	1.95	84.91
	123	व्यारा	2.68	2.28	84.84
	124	वलोड	0.91	0.65	71.63
5		>kj[kaM			
34		x<ok	13.23	2.06	15.56
	125	चिनिया	0.39	0.19	50.05
	126	भंडारिया	0.66	0.40	60.00
35		xksMk	13.14	2.79	21.26
	127	बोअरीजोर	1.38	0.77	55.62
	128	सुन्दरपहाड़ी	0.65	0.50	76.58
36		lkfgcxat	11.51	3.08	26.80
	129	मांड्रो	0.76	0.41	54.42
	130	बोरियो	0.98	0.60	61.05
	131	बरहैत	1.30	0.70	53.93
	132	तालझरी	0.76	0.42	55.48
	133	पथना	0.82	0.47	57.22
37		ikdqj	9.00	3.79	42.10
	134	लिट्टीपाड़ा	1.06	0.76	72.23
	135	अमरपाड़ा	0.65	0.54	82.13
	136	पकुरिया	1.09	0.70	64.18
38		ykgjnxk	4.62	2.63	56.89

Ø-la-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
137	किसको	0.55	0.34	61.06
138	पेशरार	0.31	0.26	82.56
139	कैरो	0.38	0.24	62.28
140	सेन्हा	0.70	0.43	62.34
141	भांद्रा	0.57	0.37	63.93
39	iohl flgHke	22.94	6.54	28.51
142	पोटका	2.00	1.05	52.45
143	डुमरिया	0.62	0.45	71.88
144	धालभूमगढ़	0.62	0.34	54.38
145	गुरबंधा	0.43	0.29	66.59
40	yrgkj	7.27	3.31	45.54
146	बारवाडीह	0.99	0.51	51.35
147	महुआदानर	0.75	0.59	78.68
148	गारू	0.30	0.24	79.93
41	nedk	13.21	5.71	43.22
149	गोपीकंदार	0.42	0.36	84.58
150	काथीकुंड	0.71	0.45	63.54
151	शिकारीपाड़ा	1.31	0.80	60.49
152	मसालिया	1.25	0.73	58.58
42	jkph	29.14	10.42	35.76
153	अंगारा	1.13	0.62	55.05
154	नामकुम	1.46	0.87	59.98
155	नगरी	0.76	0.38	50.14
156	मंदार	1.29	0.77	59.99
157	चान्हु	1.08	0.58	53.59
158	बेरो	1.13	0.70	61.86
159	लापुंग	0.63	0.47	74.22
43	[kVh	5.32	3.90	73.25
160	कर्रा	1.09	0.81	74.19
161	तोरपा	0.93	0.68	73.16
162	रनिया	0.39	0.27	69.46
163	मुरहु	0.85	0.68	79.19
164	खूंटी	1.24	0.82	65.79
165	ईरकी (तामर II)	0.81	0.64	79.17
44	xeyk	10.25	7.07	68.94
166	बिसुनपुर	0.62	0.56	89.94
167	घाघरा	1.14	0.89	77.63
168	सिसाई	1.17	0.75	64.37
169	वेरनो	0.85	0.62	73.83
170	कामदारा	0.64	0.45	70.61

Ø-l-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
171	बसिया	0.81	0.52	63.96
172	गुमला	2.14	1.22	57.25
173	चैनपुर	0.57	0.46	81.85
174	डुमरी	0.49	0.40	82.20
175	अल्बर्ट एक्का (जरी)	0.31	0.24	76.74
176	रैंदीह	0.71	0.46	64.72
177	पालकोट	0.81	0.49	60.11
45	fleMxk	6.00	4.24	70.78
178	सिमडेगा	1.15	0.69	60.10
179	पकर तानर	0.38	0.26	68.29
180	कुरदेग	0.48	0.35	72.33
181	केरसाई	0.39	0.32	80.33
182	बोलबा	0.31	0.22	72.87
183	थेथाइतनगर	0.87	0.70	80.53
184	कोलेबिरा	0.71	0.45	62.55
185	जलडेगा	0.64	0.53	82.92
186	बान्सजोर	0.26	0.22	85.58
187	बानो	0.80	0.51	63.16
46	if'peh flgHkwe	15.02	10.11	67.31
188	सोनुआ	0.78	0.48	61.21
189	गुदरी	0.38	0.35	91.01
190	बंदगांव	0.87	0.70	79.97
191	खुंतपानी	0.83	0.69	83.47
192	गोइलकेरा	0.74	0.63	85.39
193	आनंदपुर	0.44	0.31	68.81
194	मनोहरपुर	0.90	0.61	67.37
195	नोआमुंडी	1.13	0.66	58.14
196	टोंटो	0.60	0.48	80.82
197	हाट गमहारिया	0.67	0.50	73.91
198	चाईबासा	1.56	0.87	55.73
199	तंतनगर	0.64	0.49	76.37
200	मंझारी	0.68	0.53	76.75
201	झिंकपानी	0.54	0.32	59.80
202	जगन्नाथपुर	0.99	0.59	59.62
203	कुमारदुंगी	0.55	0.42	75.75
204	मझगांव	0.73	0.53	73.28
47	ljk;dsyk&[kjlkok	10.65	3.75	35.18
205	कुचाई	0.64	0.50	78.00
206	गोविंदपुर (राजनगर)	1.37	0.72	52.69

Ø-la-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
6	e/; çns'k			
48	f'koiqj	6.88	1.61	23.47
207	काराहाल	1.08	0.69	63.87
49	mefj;k	6.45	3.01	46.64
208	पाली	1.08	0.64	59.02
209	नोवरोजाबाद	0.78	0.43	54.20
50	jryke	14.55	4.10	28.17
210	सैलाना	1.35	1.10	81.77
211	बजना	0.80	0.76	95.22
212	रावती	0.84	0.78	92.47
51	nsokl	15.64	2.73	17.44
213	बागली	1.95	1.01	51.99
52	/kkj	21.86	12.23	55.94
214	सरदारपुर	2.97	1.81	60.99
215	गंधवानी	1.56	1.42	90.74
216	कुकशी	3.22	2.31	71.62
217	दही	1.14	0.96	84.45
218	मानावर	3.08	1.94	62.96
53	[kjxkSu ¼if'pe fuekM½	18.73	7.30	38.98
219	सेगांव	0.83	0.64	76.24
220	भगवानपुरा	1.93	1.68	87.13
221	झिरानया	2.02	1.62	80.23
54	cM+okuh	13.86	9.62	69.42
222	बड़वानी	2.11	1.24	58.76
223	पाटी	1.62	1.36	84.01
224	राजपुर	2.13	1.51	70.96
225	पनसेमाल	1.58	1.10	69.80
226	निवाली	1.13	0.98	87.42
227	सेंधवा	2.31	1.64	70.82
228	वारला	1.29	1.12	87.39
55	cSrwy	15.75	6.67	42.34
229	भैंसदेही	2.89	2.07	71.62
230	चिचोली	0.87	0.56	64.50
231	शाहपुर	1.13	0.75	66.40
56	gjnk	5.70	1.60	27.99
232	रेहतगांव	0.96	0.50	51.58
57	tcyiqj	24.63	3.75	15.23
233	कुंदम	1.23	0.87	70.60

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
58		fM.Mksjh	7.05	4.56	64.69
	234	शाहपुरा	2.17	1.46	67.19
	235	डिण्डोरी	4.87	3.10	63.58
59		eaMyk	10.55	6.11	57.88
	236	निवास	1.25	0.89	71.66
	237	नारायणगंज	1.09	0.79	72.77
	238	घुघरी	1.73	1.21	69.78
	239	बिछिया	2.58	1.61	62.17
60		fNanokM+k	20.91	7.70	36.82
	240	तामिया	1.14	0.89	78.33
	241	हर्राई	1.35	1.03	76.38
	242	जमाई	2.41	1.21	50.35
	243	बिछुआ	0.88	0.49	55.79
61		flouh	13.79	5.20	37.69
	244	घनसौर	1.43	0.87	61.12
	245	धनोरा	0.85	0.49	57.90
62		ckyk?kkV	17.02	3.83	22.51
	246	बैहर	2.84	1.59	55.74
	247	पारसवाड़ा	1.08	0.56	52.29
63		'kgMksy	10.66	4.76	44.65
	248	जैतपुर	1.62	1.00	61.77
64		vuwiiqj	7.49	3.59	47.85
	249	पुष्पराजगढ़	2.30	1.77	76.84
65		lh/kh	11.27	3.13	27.80
	250	कुसमी	0.81	0.50	61.40
66		>kcqvk	10.25	8.92	87.00
	251	थांदला	1.82	1.63	89.49
	252	पेटलावाड	2.33	1.86	79.71
	253	मेघनगर	1.72	1.55	89.93
	254	झाबुआ	3.23	2.87	88.67
	255	रानापुर	1.15	1.02	88.76
67		vyhjktiqj	7.29	6.49	88.98
	256	भावरा	0.91	0.83	91.22
	257	जोबट	1.91	1.74	90.96
	258	अलीराजपुर	4.46	3.91	87.67

Ø-l|-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tul[;k yk[k esa dqy	tul[;k yk[k esa v-t-tk-	v-t-tk- çfr'kr
68	[kMok ¼iwohZ fuekM½	13.10	4.59	35.05
259	खालवा	2.23	1.54	69.17
69	cjgkuiqj	7.58	2.30	30.36
260	खकनार	1.33	0.86	64.47
261	नेपानगर	1.91	1.14	59.89
7	egkjk"Vª			
70	नंदुरवार	16.48	11.42	69.28
262	अकलकुआ	2.46	2.10	85.25
263	अकरानी	1.96	1.88	95.94
264	तालोड	1.60	1.24	77.44
265	सहादे	4.08	2.21	54.20
266	नवापुर	2.72	2.33	85.52
71	/kqys	20.51	6.47	31.56
267	सकरी	4.65	2.48	53.34
72	vejkorh	28.88	4.04	13.99
268	धरनी	1.85	1.42	77.00
269	चिकलदारा	1.19	0.93	78.32
73	x<+ fpjkyh	10.73	4.15	38.71
270	कुरखेदा	0.86	0.47	54.40
271	कोरची	0.43	0.31	73.19
272	धनोरा	0.83	0.59	71.04
273	ऐटापल्ली	0.82	0.67	81.50
274	भामरगढ़	0.36	0.29	81.10
74	ukf'kd	61.07	15.64	25.62
275	सुरगाना	1.76	1.70	96.51
276	कालवन	2.08	1.44	68.95
277	डिंडोरी	3.16	1.75	55.57
278	पींट	1.20	1.16	96.44
279	त्रिम्बकेश्वर	1.68	1.35	80.20
75	Fkkus	110.60	15.42	13.95
280	तालासारी	1.55	1.40	90.61
281	दहानु	4.02	2.78	69.11
282	विक्रमगढ़	1.38	1.26	91.82
283	जवहार	1.40	1.28	91.64
284	मोखदा	0.83	0.77	92.08
285	वाडा	1.78	1.02	57.02

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
8		vkfM'kk			
76		>kjlxMk	5.80	1.77	30.50
	286	लैकेरा	0.99	0.51	51.40
77		lcyij	10.41	3.55	34.12
	287	गोविंदपुर	0.59	0.37	62.67
	288	माहुलपल्ली	0.77	0.46	59.93
	289	जामनकिरा	0.59	0.33	56.42
	290	जुजोमुरा	0.57	0.32	55.61
78		lUnjx<	20.93	10.62	50.75
	291	लेफ्रीपाड़ा	0.71	0.40	56.12
	292	धारुआडीही	0.35	0.20	56.91
	293	सुन्दरगढ़	0.74	0.46	61.84
	294	किंजरकेला	0.57	0.40	70.22
	295	तालसारा	0.80	0.55	68.40
	296	बारगांव	0.78	0.51	66.02
	297	कुत्रा	0.66	0.51	76.10
	298	राजगंगापुर	1.66	1.04	62.46
	299	राइबोगा	0.43	0.35	80.55
	300	बिरमित्रपुर	0.97	0.60	61.55
	301	हातीबाड़ी	0.62	0.40	65.31
	302	बिसरा	0.98	0.58	59.20
	303	ब्राह्मणी तरंग	0.58	0.45	78.58
	304	लठीकटा	0.25	0.14	56.23
	305	चंदीपोष	0.22	0.18	81.17
	306	कमरपोष बलंग	0.43	0.33	76.09
	307	कोइदा	0.41	0.27	65.93
	308	लाहुनीपारा	0.78	0.48	62.05
	309	गुरुदिया	0.35	0.30	84.39
	310	टिकायतपल्ली	0.24	0.19	82.37
	311	महुआपाडा	0.19	0.15	80.07
79		dn>j	18.02	8.19	45.45
	312	रूगुडी	0.17	0.11	68.53
	313	बामेवारी	0.56	0.35	61.97
	314	बरिया	0.74	0.38	50.91
	315	तुरूमुंगा	0.69	0.34	50.04
	316	पाटाना	1.05	0.59	56.62
	317	केंदुझर सदर	1.57	0.89	56.84
	318	नयाकोट	0.46	0.35	75.49
	319	कंजीपानी	0.22	0.19	87.30
	320	तेलकोई	0.96	0.50	51.76
	321	पंडापारा	0.63	0.40	63.39

Ø-la-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tul[;k yk[k esa		v-t-tk- çfrf'kr
		dqy	v-t-tk-	
322	घाटगांव	1.07	0.66	61.66
323	हरिचंदनपुर	0.81	0.41	51.17
324	दैतारी	0.28	0.20	72.26
80	e;jHkat	25.20	14.80	58.72
325	तिरिंग	1.01	0.71	71.07
326	जमदा	0.49	0.39	78.99
327	गुरुमहिशानी	0.48	0.36	74.80
328	झारपोखरिया	1.00	0.58	57.63
329	बिसोई	0.74	0.51	69.42
330	राईरंगपुर	0.82	0.50	61.20
331	बदामपहाड	0.64	0.43	67.97
332	जशीपुर	1.21	0.83	68.29
333	ररूआन	0.78	0.47	60.36
334	घागरबेडा	0.29	0.14	50.08
335	करजिंया	1.14	0.69	60.12
336	ठाकुरमुंडा	0.58	0.42	72.39
337	बरीपदा सदर	0.87	0.62	70.76
338	कोलियाना	0.83	0.55	66.88
339	बंगिरीपोशी	1.05	0.73	69.77
340	चंदुआ	0.63	0.37	58.69
341	रासागोविंदपुर	0.97	0.53	54.61
342	बारशाही	1.33	0.70	52.68
343	खूंटा	1.24	0.82	66.33
344	उदला	1.10	0.76	69.31
345	कपटीपाड़ा	0.76	0.39	50.81
346	शारता	0.77	0.62	80.36
347	माहुलदिहा	0.47	0.37	78.06
81	cyka'oj	23.21	2.76	11.88
348	बरहमपुर	0.58	0.39	67.27
82	tktiqj	18.27	1.51	8.29
349	कालियापानी	0.39	0.22	56.13
83	/kuduky	11.93	1.62	13.59
350	कनकदाहाद	0.61	0.35	56.96
84	xatke	35.29	1.19	3.37
351	रामागिरी	0.13	0.11	87.47
85	xtifr	5.78	3.14	54.29
352	अदवा	0.59	0.35	58.34
353	मोहाना	0.74	0.44	58.76
354	आर. उदयगिरी	0.86	0.63	73.38
355	सेरांगो	0.78	0.61	78.67

Ø-la-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
356	रायगढ़ा	0.46	0.35	76.78
357	गड़ाबंद	0.29	0.19	65.09
358	रामगिरी	0.30	0.26	85.09
86	d/keky	7.33	3.93	53.58
359	गोछापाड़ा	0.36	0.22	62.39
360	फुलावानी	0.42	0.24	57.23
361	जी.उदयगिरी	0.49	0.26	52.70
362	टिकाबली	0.49	0.26	53.50
363	सारंगागढ़	0.35	0.20	57.40
364	फिरिंगिया	0.54	0.30	55.39
365	बलीगुडा	0.97	0.51	52.28
366	तुमुडिबंधा	0.29	0.16	56.51
367	बेलाघर	0.20	0.13	66.29
368	कोटागढ़	0.48	0.28	59.47
369	ब्राह्मणीगांव	0.37	0.19	52.18
370	दारिंगबाडी	0.64	0.43	67.42
371	रैकिया	0.53	0.30	56.14
87	dkykgkMh	15.77	4.49	28.50
372	थुआमुल रामपुर	0.78	0.45	58.18
88	jk;xMk	9.68	5.42	55.99
373	चंदरपुर	0.29	0.21	71.75
374	बिष्मकटक	0.88	0.56	63.81
375	कल्याणसिंगपुर	0.66	0.43	65.12
376	काशीपुर	0.71	0.41	58.76
377	टिकिरी	0.35	0.24	67.42
378	दौरागुडा	0.19	0.11	54.03
379	शेशखल	0.48	0.39	80.91
380	गुनूपुर	1.15	0.61	53.52
381	गुदरी	0.66	0.40	60.78
382	पदमापुर	0.45	0.23	50.58
383	पुत्तासिंग	0.39	0.34	86.81
89	uojaxiqj	12.21	6.81	55.79
384	राइघर	1.34	0.86	64.59
385	कुनडेरी	0.50	0.34	68.63
386	उमरकोट	2.06	1.12	54.40
387	झरीगन	0.83	0.51	62.03
388	दाबुगन	1.55	1.00	64.20
389	पपराहांडी	1.00	0.55	54.91
390	कोडिंगा	1.06	0.64	60.08
391	कोसागुमुडा	0.93	0.58	62.04
392	तेंदुलीखूंटी	0.70	0.35	50.14

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tul[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
90		dkjkiqV	13.80	6.98	50.56
	393	कोटपाड	1.21	0.69	56.95
	394	बोरीगुमा	0.98	0.52	52.80
	395	दसमंतापुर	0.51	0.32	62.78
	396	लक्ष्मीपुर	0.40	0.30	74.39
	397	नरायणपटना	0.44	0.37	84.39
	398	बंधुगांव	0.59	0.47	79.80
	399	ककीरीगुमा	0.25	0.16	63.79
	400	कुंडुरा	0.57	0.30	52.93
	401	बोइपड़ीगुडा	1.25	0.72	57.68
	402	पदुआ	0.55	0.28	52.08
	403	पोटांगी	0.88	0.55	62.32
91		eydkufxfj	6.13	3.55	57.83
	404	मलकानगिरि	1.78	1.03	57.90
	405	मथिली	0.84	0.59	69.54
	406	मुडुलीपडा	0.30	0.21	70.51
	407	चित्रकोंडा	0.34	0.23	68.02
	408	पापरमेटला	0.15	0.14	88.75
	409	जोदांबा	0.15	0.11	77.42
	410	ओरकेल	0.75	0.40	53.26
	411	पोडिया	0.28	0.19	65.53
9		jktLFkku			
92		fljksgh	10.36	2.92	28.22
	412	आबू रोड	2.24	1.14	50.96
93		Mwxjiqj	13.89	9.83	70.82
	413	डूंगरपुर	4.95	3.85	77.71
	414	असपुर	2.24	1.19	53.11
	415	सागवारा	3.43	2.03	59.22
	416	सिमलवारा	3.26	2.76	84.78
94		ckalokMk	17.97	13.73	76.38
	417	घटोल	2.87	2.31	80.57
	418	गढ़ी	2.99	1.73	57.93
	419	बांसवाड़ा	4.59	3.07	66.94
	420	बागीडोरा	3.74	3.19	85.32
	421	कुशलगढ़	3.79	3.43	90.36
95		mn;iqj	30.68	15.25	49.71
	422	कोटरा	2.31	2.21	95.82
	423	झडोल	2.49	1.89	75.78
	424	लसादिया	0.91	0.80	88.17
	425	सालुम्बार	2.48	1.32	53.34

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
	426	सरदा	2.31	1.47	63.65
	427	ऋषभदेव	1.73	1.46	84.18
	428	खेरवारा	2.07	1.51	73.26
96		çrkix<+	8.68	5.50	63.42
	429	धरियावढ़	1.90	1.50	78.74
	430	पीपलखूंट	1.54	1.44	93.33
	431	अरनोड	1.41	0.95	67.32
10		rfeyukMq			
97		lkye	34.82	1.19	3.43
	432	येरकौड	0.42	0.28	67.16
11		rsyaxkuk			
98		vkfnykckn	27.41	4.96	18.09
	433	इंदरवैली	0.48	0.27	57.25
	434	नरनूर	0.49	0.33	67.14
	435	जयनूर	0.31	0.19	59.55
	436	उतनूर	0.63	0.33	51.98
	437	सिरपुर	0.26	0.22	85.30
	438	तिरयानी	0.26	0.19	73.62
99		okjaxy	35.13	5.31	15.11
	439	तद्वै	0.23	0.12	51.91
	440	कोथागुडा	0.40	0.24	61.64
	441	गुदुर	0.56	0.32	57.30
100		[kEeke	27.97	7.66	27.37
	442	चेरला	0.43	0.24	55.62
	443	दुक्मुगुडेम	0.47	0.33	69.48
	444	कुनावरम	0.26	0.16	60.53
	445	चिंतुर	0.41	0.31	76.71
	446	वारारामचंद्रपुरम	0.26	0.16	62.94
	447	वेलैरपडु	0.23	0.14	62.23
	448	टेकुलापल्ली	0.48	0.37	77.54
	449	गुंडाला	0.28	0.22	77.54
	450	बैयाराम	0.43	0.21	50.16
	451	गरला	0.37	0.19	51.56
	452	सिंगरैनी	0.55	0.34	61.10
	453	जुलुरपाड	0.33	0.17	51.77
	454	मुलकालापल्ली	0.35	0.21	61.55

Ø-la-			jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
				dqy	v-t-tk-	
12			if'peh caxky			
	101		iq:fy;k	29.30	5.41	18.45
		455	बर्धवान	0.95	0.49	51.86

HILL STATES

Ø-la-			jkT;@ftyk@mi&ftyk	dqy	v-t-tk-	v-t-tk- çfr'kr
1			fgekpy çns'k			
	102		pEck	5.19	1.36	26.10
		456	पांगी	0.19	0.17	90.18
		457	होली	0.14	0.11	77.61
		458	ब्रहमौर	0.25	0.21	84.66
	103		ykgkSy ,oa Lihfr	0.32	0.26	81.44
		459	स्पीति	0.12	0.11	84.64
	104		fdUukSj	0.84	0.49	57.95
		460	कालपा	0.19	0.11	57.96
		461	निचर	0.28	0.14	50.33
2			tEew ,oa d'ehj			
	105		yg ¼yík[k½	1.33	0.96	71.81
		462	लेह	0.94	0.63	66.85
		463	नुबरा	0.22	0.16	73.35
		464	खलसी	0.17	0.17	97.05
	106		dkjfxy	1.41	1.22	86.89
		465	कारगिल	0.86	0.72	83.49
		466	संकु	0.41	0.36	89.96
		467	झांसकर	0.14	0.14	99.16
	107		jktkSjh	6.42	2.33	36.24
		468	बुढाल	1.23	0.70	56.95
	108		ckanhiqj	3.92	0.75	19.22
		469	गुरेज	0.38	0.31	81.84
3			mRrjk[kM			
	109		ngjknu	16.97	1.12	6.58
		470	चकराता	0.50	0.25	50.21
		471	तियुनी	0.34	0.20	57.68
		472	कालसी	0.47	0.27	58.03

Ø-l-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tul[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
iokRrj jkT;				
1	v:.kkpy çns'k			
110	rokax	0.50	0.35	69.65
473	तवांग सर्कल	0.19	0.10	54.24
111	if'peh dkesax	0.84	0.46	55.25
474	दिरांग	0.18	0.14	74.28
112	iwohZ dkesax	0.79	0.72	92.01
475	सेप्पा	0.29	0.25	86.05
113	ikiqe ikjs	1.77	1.17	66.38
476	ईटानगर	0.65	0.39	59.27
477	नहरलागुर	0.49	0.29	59.38
114	vij lqcuflfj	0.83	0.78	93.86
478	तलिहा	0.13	0.13	98.14
479	दपोरिजो	0.20	0.16	82.33
115	i'fpe fl;kax	1.12	0.93	82.64
480	आलो	0.35	0.25	70.73
116	iwohZ fl;kax	0.99	0.70	70.53
481	पासीघाट	0.36	0.19	52.94
482	खोंसा	0.26	0.20	76.83
483	लोंगडिंग	0.17	0.16	93.76
484	पंगचाओ	0.12	0.12	99.19
485	वाक्का	0.11	0.11	99.04
117	ykvj lqcuflfj	0.83	0.73	87.81
486	जिरो (सदर)	0.23	0.18	78.00
487	पुराना जिरो	0.20	0.18	92.72
118	d#x dqes	0.92	0.91	98.58
488	संग्राम	0.11	0.11	98.86
2	vle			
119	xksyikM+k	10.08	2.32	22.97
489	धुधनाई	0.81	0.54	66.30
120	/kseth	6.86	3.26	47.45
490	जोनाई	1.70	1.16	68.21
121	dkchZ vkxykax	9.56	5.39	56.33

Ø-la-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
491	धोनका	2.95	1.94	65.52
492	फुलोनी	2.80	1.49	53.25
493	सिलोनीजन	0.91	0.57	62.35
122	fnek glkvk	2.14	1.52	70.92
494	उमरांगसो	0.50	0.32	64.95
495	हफलोंग	0.77	0.49	64.19
496	माहुर	0.34	0.29	85.52
497	मैबंग	0.54	0.41	76.91
123	dke:i	15.18	1.82	12.00
498	बोको	1.12	0.71	63.18
124	cDlk	9.50	3.31	34.84
499	सरूपूटा (पीटी)	0.55	0.30	53.86
500	जलाह (पीटी)	0.82	0.43	52.84
125	mnyxqMh	8.32	2.67	32.15
501	खोइराबाड़ी (पीटी)	0.81	0.43	52.68

3	ef.kiqj			
126	lsukifr	4.79	4.19	87.49
502	सदर हिल पश्चिम	0.72	0.46	63.73
503	सैतु–गंफाझोल	0.59	0.48	81.80
504	सदर हिल पूर्वी	0.63	0.61	96.05
505	माओ–मारम	1.63	1.45	88.67
506	पाओमाता	0.54	0.53	98.28
507	पुरूल	0.68	0.67	98.10
127	rkesaxykax	1.41	1.35	95.72
508	तामेंगलोंग पश्चिम	0.28	0.27	96.05
509	तामेंगलोंग उत्तर	0.28	0.27	96.58
510	तामेंगलोंग	0.48	0.47	97.58
511	नुंगबा	0.37	0.34	92.35
128	pqjkpkanigj	2.74	2.55	92.94
512	तिपैमुख	0.29	0.27	94.53
513	थानलोन	0.18	0.18	98.34
514	चुराचांदपुर उत्तर	0.31	0.29	95.52
515	चुराचांदपुर	1.74	1.59	91.33
516	सिंगंगट	0.22	0.21	95.50
129	m[k:y	1.84	1.74	94.35
517	उखरूल उत्तर	0.31	0.30	96.15

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
	518	उखरूल मध्य	1.07	1.00	92.90
	519	कामजोंग–चसाद	0.17	0.16	93.25
	520	फंग्यार–फैसट	0.17	0.16	98.04
	521	उखरूल दक्षिण	0.12	0.12	99.05
130		pnsy	1.44	1.28	88.97
	522	माची	0.20	0.19	97.26
	523	तेंगनौपाल	0.39	0.30	77.00
	524	चंदेल	0.32	0.30	92.75
	525	चकपिकारोंग	0.53	0.49	92.44
4		e?kky;			
131		if'pe xkjks igkfM+;k	6.43	4.74	73.69
	526	दादेंगगिरी	0.42	0.40	97.01
	527	टिकरीकिला	0.58	0.53	90.31
	528	रौंग्राम	1.34	1.07	79.99
	529	बेतासिंग	0.72	0.66	91.23
	530	झिकझैक	0.75	0.50	66.84
	531	गमबेगरे	0.34	0.32	96.83
	532	दालु	0.54	0.47	87.08
132		iwohZ xkjks igkfM+;k	3.18	3.05	95.99
	533	रेसुबेलपाड़ा	1.05	1.01	96.40
	534	दंबो रोंगजेंग	0.53	0.51	97.06
	535	खरकुट्टा	0.51	0.50	97.90
	536	संगसक	0.53	0.51	96.46
	537	समंदा	0.56	0.52	92.07
133		nf{k.k xkjks igkfM+;k	1.42	1.34	94.31
	538	चोकपोट	0.40	0.39	96.58
	539	गासुवापाड़ा	0.28	0.27	95.15
	540	बाघमारा	0.51	0.46	91.78
	541	रोंगारा	0.23	0.22	94.85
134		if'peh [kklh igkfM+;k	3.83	3.75	97.82
	542	मावशइनरूट	0.74	0.73	98.12
	543	नोंगस्टोइन	0.82	0.81	98.89
	544	मावथाड्रेसन	0.49	0.48	98.46
	545	मैरांग	0.82	0.82	98.86
	546	रानीकौर	0.41	0.38	91.41
	547	मावकिरवट	0.54	0.54	98.48
135		fjHkksbZ	2.59	2.30	88.89
	548	उमलिंग	0.87	0.75	86.70

Ø-la-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
	549	जिरांग	0.31	0.30	97.65
	550	उम्सनिंग	1.41	1.24	88.32
136		iohZ [kklh igkfM;k	8.26	6.61	80.05
	551	मावफ्लांग	0.71	0.71	99.48
	552	माइलियम	4.43	2.94	66.39
	553	मावरंगनेंग	0.67	0.66	98.61
	554	मावकाइनरे	0.45	0.44	99.31
	555	खतरसनोंग लैतकरोह	0.34	0.33	99.73
	556	मावसैनरम	0.54	0.50	92.79
	557	शेला भोलागंज	0.54	0.45	82.41
	558	पैइनुरसला	0.58	0.57	98.66
137		t;fr;k igkfM;k	3.95	3.76	95.19
	559	थाडलास्केइन	1.38	1.30	94.55
	560	लस्केइन	0.90	0.87	96.28
	561	अम्लारेम	0.44	0.40	92.32
	562	ख्लीरियाट	0.86	0.82	95.11
	563	सैपुंग	0.37	0.37	98.43

5		fetksje			
138		eekfer	0.86	0.82	95.04
	564	जालनुयाम	0.47	0.44	93.11
	565	पश्चिम फाइलेंग	0.21	0.21	97.36
	566	रियेक	0.18	0.17	97.36
139		dksykfle	0.84	0.74	87.68
	567	'एन' थिंगडौल	0.20	0.19	94.85
	568	बिलखौबथिर	0.58	0.50	84.65
140		vkbZtksy	4.00	3.74	93.31
	569	तालांगनुयाम (भाग)	3.12	2.87	92.07
	570	डारलान	0.26	0.25	97.85
	571	फुलेन	0.13	0.13	98.67
	572	एवोंक	0.17	0.17	98.03
	573	थिंगसुलथ्लिया (भाग)	0.32	0.31	96.98
141		pEQkbZ	1.26	1.23	98.19
	574	नगोपा	0.19	0.18	97.14
	575	खौजाल	0.36	0.35	98.48
	576	चम्फाई	0.43	0.42	98.15
	577	खौवंग	0.22	0.22	98.56
142		ljfNi	0.65	0.63	96.85
	578	सरछिप	0.44	0.42	95.95
	579	पूर्वी लुंगडर (भाग)	0.15	0.15	98.82

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tul[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
143		yxyb	1.61	1.54	95.11
	580	पश्चिम बुंधमुन	0.19	0.19	98.76
	581	लुंगसेन	0.39	0.38	96.90
	582	लुंगलई	0.77	0.71	92.09
	583	नाथियाल	0.26	0.26	98.76
144		ykWxrykb	1.18	1.12	95.30
	584	चौंगते	0.45	0.44	98.17
	585	लौंगत्लाई	0.39	0.35	89.66
	586	'एस' बुंग्लांग	0.17	0.17	96.82
	587	संगाउ	0.17	0.17	99.01
145		lgk	0.57	0.55	96.59
	588	तुईपांग	0.21	0.21	98.69
	589	सैहा	0.36	0.34	95.34
6		ukxkyM			
146		eku	2.50	2.38	95.21
	590	टिजिट	0.22	0.19	84.10
	591	मोन सदर	0.48	0.46	95.53
	592	वाकचिंग	0.13	0.13	98.24
	593	अबोइ	0.14	0.14	95.48
	594	लोंगसेन	0.20	0.20	99.35
	595	फोमंचिंग	0.13	0.12	99.45
	596	चेन	0.19	0.18	98.36
	597	अंगजांगीयांग	0.20	0.20	98.87
	598	मोपोंग	0.15	0.15	99.09
	599	तोबू	0.17	0.17	99.03
	600	मोंयाक्षु	0.23	0.23	99.10
147		ekdkdp;kx	1.95	1.78	91.68
	601	एलोंगकिमा	0.12	0.12	98.03
	602	तुली	0.23	0.21	88.54
	603	चांगतोंगया	0.17	0.17	96.45
	604	चुचुयिम्लांग	0.18	0.18	98.35
	605	कुबुलांग	0.13	0.12	98.30
	606	मगकोलेम्बा	0.13	0.11	84.96
	607	ओंगपोंगलोंग	0.84	0.76	90.79
148		tugckrk	1.41	1.37	97.02
	608	सुरहोतो	0.14	0.14	98.03
	609	ओघुनोतो	0.18	0.18	98.95
	610	जुन्हेबोतो सदर	0.36	0.34	93.47
	611	सताखा	0.15	0.14	95.23

Ø-l-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
149		oks[kk	1.66	1.57	94.16
	612	एतेपियांग	0.16	0.16	99.35
	613	भंडारी	0.17	0.16	93.89
	614	सुंगरो	0.13	0.13	99.48
	615	वोखा सदर	0.58	0.55	93.75
	616	इंगलान	0.13	0.12	96.29
	617	चुकीतोंग	0.10	0.10	99.61
150		fnekiqj	3.79	2.24	59.13
	618	कुहोबोतो	0.13	0.10	81.58
	619	चुमुकेडिया	1.25	0.90	71.51
	620	धनसीरीपर	0.17	0.14	79.56
	621	मेदजिफेमा	0.24	0.18	76.55
151		Qsd	1.63	1.57	96.16
	622	सेकरूजु	0.11	0.11	99.25
	623	फेक सदर	0.27	0.25	90.32
	624	मेलुरी	0.14	0.13	94.73
	625	चोजुवा	0.15	0.15	98.46
	626	चेथेवा	0.17	0.17	98.68
	627	फुतसेरो	0.31	0.30	95.26
	628	चिजामी	0.10	0.10	98.76
152		Roxlkx	1.97	1.91	97.11
	629	नोकसेन	0.14	0.14	99.24
	630	चारे	0.11	0.11	98.09
	631	लोंखिम	0.17	0.17	98.84
	632	तुवेंगसांग सदर	0.48	0.44	92.90
	633	सोतोकु	0.11	0.11	99.22
	634	नोकलाक	0.20	0.19	98.44
	635	पानसो	0.11	0.11	99.64
	636	शमातोर	0.13	0.13	99.03
	637	तोंनोकन्यु	0.19	0.18	94.63
153			0.50	0.49	96.30
	638	ykxyx	0.23	0.22	96.07
		लोंगलेंग			
154		fdfQj	0.74	0.71	96.52
	639	किफिर सदर	0.22	0.21	93.77
	640	पुंगरो	0.14	0.14	97.65
155		dkfgek	2.68	2.25	83.86
	641	सेमेन्यु	0.51	0.51	98.79
	642	चिफोवोजोयु	0.20	0.17	88.32
	643	केजोचा	0.16	0.14	86.15

Ø-la-		jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
			dqy	v-t-tk-	
	644	जखामा	0.34	0.31	90.40
	645	कोहिमा सदर	1.17	0.87	74.39
	646	सेचु–जुवजा	0.17	0.13	75.95
156		ikjsu	0.95	0.84	88.47
	647	जालुकी	0.28	0.21	72.46
	648	अथिवुंग	0.14	0.13	93.61
	649	तेनिंग	0.26	0.26	99.06
7		f=iqjk			
157		i'fpe f=iqjk	17.26	4.32	25.03
	650	हेजामारा	0.36	0.33	93.54
	651	पदमाविल	0.36	0.33	92.82
	652	तुलाशिखर	0.43	0.33	76.16
	653	मुंगीयाकुमी	0.29	0.28	95.68
	654	मंडाई	0.45	0.41	92.20
	655	जम्पुईजाला	0.46	0.43	94.66
158		nf{k.k f=iqjk	8.76	3.45	39.36
	656	किला	0.41	0.39	96.07
	657	अमरपुर	0.57	0.32	56.66
	658	ओंपी	0.39	0.33	84.75
	659	करबुक	0.45	0.36	79.24
	660	रुपईछारी	0.48	0.40	82.74
159		/kykbZ	3.78	2.11	55.68
	661	मनु	0.84	0.58	68.64
	662	अंबासा	0.55	0.40	72.52
	663	छमानु	0.34	0.29	85.85
	664	दंबुरनगर	0.59	0.48	81.02
160		mÙkj f=iqjk	6.94	1.79	25.86
	665	दंबछारा	0.28	0.23	81.89
	666	पेंचरथाल	0.43	0.26	59.20
	667	दसदा	1.02	0.69	67.35
	668	जम्पुई हिल्स	0.12	0.11	92.53
8		flfDde			
161		mÙkjh ftyk	0.44	0.29	65.70
	669	मंगन	0.34	0.24	71.96

Ø-la-	jkT;@ftyk@mi&ftyk	tula[;k yk[k esa		v-t-tk- çfr'kr
		dqy	v-t-tk-	
la?k jkT;{ks=				
1	vaMeku ,oa fudkckj }hi lewg			
162	fudkckj	0.37	0.24	64.28
670	कार निकोबार	0.18	0.15	84.23
2	nknj vkSj uxj gosyh			
163	nknj vkSj uxj goyh	3.44	1.79	51.95
671	दादर और नगर हवेली	3.44	1.79	51.95
3	y{k}hi			
164	y{k}hi	0.64	0.61	94.80
672	एंड्रोट	0.11	0.11	97.83

टिप्पणीः

(1) स्रोतः जनगणना 2011

(2) प्राथमिकता वाले उप–जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10,000 से अधिक तथा 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक है।

vuqyXud&4 e

vuqlfpr tutkfr dk jkT;@la?k jkT;{ks=&okj çeq[k lenk; ¼ tux.kuk 2011

Ø-la-	jkT;] v-t-tk- lenk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- ifr'kr
1	2	3	4
1	vka/kz çns'k		
	1. येनाडी ...	5.34	20.3
	2. येरूकुला ..., कोरचा	3.75	14.3
	3. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा	3.62	13.7
	4. कोंडा दोरा, कुबी	2.11	8.0
	5. सवार ...	1.38	5.2
	6. बगटा	1.33	5.0
	v-t-tk-¼6½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**17.51**	**66.6**
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	8.05	30.6
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.74	2.8
	dqy	**26.31**	**100**
2	fcgkj		
	1. संथाल	4.06	30.4
	2. गोंड	2.57	19.2
	3. थारू	1.60	12.0
	4. उरांव ३	1.44	10.8
	5. खरवार	1.26	9.4
	v-t-tk-¼5½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**10.93**	**81.8**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	1.27	9.5
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	1.17	8.8
	dqy	**13.37**	**100**
3	NÙkhlx<+		
	1. गोंड ..., अराख ..., अगारिया, असुर, भटोला, भीमा, भूटा/भूटी ..., भर, मारिया ..., धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा ..., कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, माना, मानेवर, मोघिया, मोंघिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, दरोई	42.98	54.9
	2. कवर ..., कंवर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री	8.87	11.3
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6
	v-t-tk-¼3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**59.35**	**75.9**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	18.56	23.7
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.32	0.4
		78.23	**100**
4	xksok		
	1. गावड़ा	1.07	71.5
	2. वेलिप	0.32	21.5

Ø-l-	jkT;] v-t-tk-lenk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- ifr'kr
1	2	3	4
	v-t-tk-½2½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**1.39**	**92.9**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	0.06	3.7
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.05	3.4
	dqy	**1.49**	**100**
5	xqtjkr		
	1. भील ..., भगालिया, भिलाला, पावड़ा, बसावा...	42.16	47.3
	2. दुबला, तलाविया, हलपती	6.43	7.2
	3. राथवा	6.42	7.2
	4. धोडिया, धोदी	6.36	7.1
	5. नायकाडा, नायेक ...	4.60	5.2
	v-t-tk-½5½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**65.97**	**74.0**
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	21.10	23.7
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	2.11	2.4
	dqy	**89.17**	**100**
6	fgekpy çns'k		
	1. गद्दी	1.78	45.4
	2. गुज्जर	0.93	23.6
	3. कनौरा, किन्नारा	0.51	13.0
	4. भोट ...	0.27	6.9
	v-t-tk-½4½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**3.49**	**89.0**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	0.33	8.3
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.11	2.7
	dqy	**3.92**	**100**
7	tEew vkSj d'ehj		
	1. गुज्जर	9.81	65.7
	2. बकरवाल	1.13	7.6
	3. बोट, बोटो	0.91	6.1
	v-t-tk-½3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**11.85**	**79.4**
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	1.96	13.1
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	1.12	7.5
	dqy	**14.93**	**100**
8	>kj[kaM		
	1. सन्थाल	27.55	31.9
	2. उरांव ...	17.17	19.9
	3. मुंडा, पतार	12.29	14.2
	4. हो	9.28	10.7

Ø-l-	jkT;] v-t-tk- lenk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- ifr'kr
1	2	3	4
	v-t-tk-¼4½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**66.29**	**76.7**
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	18.42	21.3
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	1.74	2.0
	dqy	**86.45**	**100**
9	dukVd		
	1. नायकडा, नायक..., बेडा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6
	v-t-tk-¼1½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**32.96**	**77.6**
	चिह्नित (49) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	6.41	15.1
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	3.12	7.3
	dqy	**42.49**	**100**
10	dsjy		
	1. पनियान	0.88	18.2
	2. कुरचिचान् ...	0.35	7.3
	3. मलाई अरायान ...	0.33	6.9
	4. माविलन	0.31	6.4
	5. कुरुमन ...	0.25	5.1
	v-t-tk-¼5½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**2.12**	**43.8**
	चिह्नित (31) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	2.10	43.4
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.62	12.9
	dqy	**4.85**	**100**
11	e/; çns'k		
	1. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया	59.94	39.1
	2. गोंड ..., अरख ..., अगरिया, असुर, मारिया ..., भटोला, भीमा, भुता/ भूटी...., भार, धुरु, धुरवा, धोबा, धूलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार ..., माना, मन्नवार, मोंघ्या..., मुडिया..., नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, दराई	50.93	33.3
	3. कोल	11.68	7.6
	v-t-tk-¼3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**122.55**	**80.0**
	चिह्नित (40) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	27.98	18.3
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	2.64	1.7
	dqy	**153.17**	**100**
12	egkjk"V		
	1. भील ..., डुंगली गरासिया, भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा ...	25.89	24.6

Ø-la-	jkT;] v-t-tk- lenk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- ifr'kr
1	2	3	4
	2. गौंड..., अरख..., अगारिया, असुर, मारिया ..., भटोला, भीमा, भूटा/भूटी.... भार, धुरु, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार ..., माना, मन्नेवार, मोघया..., मढ़िया, नगारची, नाइकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका, थाटिया ...,	16.18	15.4
	3. कोली ...	14.60	13.9
	4. वारली	7.96	7.6
	5. कोकणा, कोकणी, कुकणा	6.87	6.5
	6. ठाकुर ...	5.68	5.4
	v-t-tk-¼6½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**77.18**	**73.4**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	26.17	24.9
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	1.76	1.7
	dqy	**105.10**	**100**
13	vkfM'kk		
	1. खोंड/कंध..., कुई	16.27	17.0
	2. सांताल	8.95	9.3
	3. गोंड ...	8.89	9.3
	4. कोल्हा	6.25	6.5
	5. मुंडा ...	5.59	5.8
	6. साओरा / सवर ..., सहरा ...	5.35	5.6
	7. शवर, लोधा	5.16	5.4
	v-t-tk-¼7½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**56.46**	**58.9**
	चिह्नित (55) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	38.19	39.8
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	1.26	1.3
	dqy	**95.91**	**100**
14	jktLFkku		
	1. मीना	43.46	47.0
	2. भील ..., डुंगरी गरासिया, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा ...	42.10	45.5
	v-t-tk-¼2½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	85.56	92.5
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	6.25	6.9
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.58	0.6
	dqy	**92.39**	**100**
15	flfDde		
	1. भूटिया ...	0.70	33.7
	2. लिम्बू	0.54	26.0
	3. लेपचा	0.43	20.8
	4. तमांग	0.38	18.3

Ø-l-	jkT;] v-t-tk-lenk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- ifr'kr
1	2	3	4
	v-t-tk-¼4½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**2.04**	**98.8**
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.02	1.2
	dqy	**2.06**	**100**
16	rfeyukMq		
	1. मलयाली	3.58	45.0
	2. इरुलर*	1.90	23.9
	3. काट्टूनायक्कन*	0.47	5.9
	v-t-tk-¼3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**5.94**	**74.8**
	चिह्नित (33) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	1.46	18.3
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.55	6.9
	dqy	**7.95**	**100**
17	rsyaxkuk		
	1. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा	20.46	62.3
	2. कोया ..., राजा	4.86	14.8
	3. गोंड ..., कोइतुर	2.98	9.1
	v-t-tk-¼3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	28.30	86.1
	चिह्नित (29) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	**2.96**	**9.0**
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% से कम जनसंख्या)	1.61	4.9
	dqy	**32.87**	**100**
18	mÙkj çns'k		
	1. गोंड ..., धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी	5.69	50.2
	2. खरवार ...	1.61	14.2
	3. थारु	1.05	9.3
	4. सहरया	0.71	6.2
	v-t-tk-¼4½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**9.06**	**79.8**
	चिह्नित (11) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	1.46	12.9
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% से कम जनसंख्या)	0.83	7.3
	dqy	**11.34**	**100**
19	mÙkjk[kaM		
	1. थारु	0.91	31.3
	2. जोनसारी	0.89	30.4
	3. बुक्सा*	0.54	18.5
	4. भोटिया	0.39	13.4
	v-t-tk-¼4½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**2.73**	**93.6**
	चिह्नित (1) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	0.01	0.2
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.18	6.2
	dqy	**2.92**	**100**

Ø-l-	jkT;] v-t-tk- leqnk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- izfr'kr
1	2	3	4
20	if'pe caxky		
	1. सन्थाल	25.12	47.4
	2. ओरांव	6.44	12.1
	3. भूमिज	3.76	7.1
	4. मुंडा	3.66	6.9
	v-t-tk-¼4½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**38.99**	**73.6**
	चिह्नित (36) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	11.57	21.8
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% से कम जनसंख्या)	2.41	4.6
	dqy	**52.97**	**100**
	iwokZskj jkT;		
21	v#.kkpy çns'k		
	1. नयीशी	2.50	26.2
	2. गालो	0.79	8.3
	3. आदि	0.68	7.1
	4. तागिन	0.63	6.6
	5. वांचो	0.57	6.0
	v-t-tk-¼5½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**5.17**	**54.3**
	चिह्नित (99) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	4.32	45.4
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% से कम जनसंख्या)	0.03	0.3
	dqy	**9.52**	**100**
22	vle		
	1. बोडो ...	13.62	35.1
	2. मिरी	6.80	17.5
	3. कारबी	4.30	11.1
	4. राभा	2.96	7.6
	5. कछारी, सोन्वाल	2.53	6.5
	v-t-tk-¼6½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**30.22**	**77.8**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	6.83	17.6
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	1.79	4.6
	dqy	**38.84**	**100**
23	ef.kiqj		
	1. थाडो		
	2. तेंगखुल	2.16	18.5
	3. पौमाई नागा	1.79	15.3
	4. काबुई	1.27	10.9
	5. माओ	1.04	8.9
	6. कच्चा नागा	0.93	8.0

Ø-l-	jkT;] v-t-tk-lenk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- izfr'kr
1	**2**	**3**	**4**
		0.66	5.7
	v-t-tk-¼6½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**7.85**	**67.3**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	3.61	31.0
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.21	1.8
	dqy	**11.67**	**100**
24	e?kky;		
	1. खासी, जैन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोइ, लिंगाम	14.12	55.2
	2. गारो	8.21	32.1
	v-t-tk-¼2½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**22.33**	**87.4**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	1.49	5.8
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% से कम जनसंख्या)	1.74	6.8
	dqy	**25.56**	**100**
25	featkje		
	1. कोई मिजो (लुसाई) जनजाति	7.35	70.9
	2. चकमा	0.97	9.4
	3. पावी	0.51	5.0
	v-t-tk-¼3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**8.83**	**85.2**
	चिह्नित (12) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	1.45	14.0
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.07	0.7
	dqy	**10.36**	**100**
26	ukxkySaM		
	1. नागा	16.68	97.5
	v-t-tk-¼1½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**16.68**	**97.5**
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	0.34	2.0
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.09	0.5
	dqy	**17.11**	**100**
27	f=iqjk		
	1. त्रिपुरा ...	5.92	50.8
	2. रियांग*	1.88	16.1
	3. जमातिया	0.83	7.1
	4. चकमा	0.80	6.8
	v-t-tk-¼4½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**9.44**	**80.9**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	1.75	15.0
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.48	4.1
	dqy	**11.67**	**100**

Ø-l-	jkT;] v-t-tk- lenk;	jkT; v-t-tk- tula[;k	jkT; v-t-tk- ifr'kr
1	2	3	4
	l?k jkT;{k=		
28	**vMeku ,o fudkckj }hi leg**		
	1. निकोबारी	0.27	95.2
	v-t-tk-¼1½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**0.27**	**95.2**
	चिह्नित (5) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	0.01	2.7
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% से कम जनसंख्या)	0.01	2.1
	dqy	**0.29**	**100**
29	**nknjk vkSj uxj goyh**		
	1. वरली	1.12	62.8
	2. कोकना	0.28	15.6
	3. धोडिया	0.24	13.6
	v-t-tk-¼3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	1.64	91.9
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	0.06	3.3
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.08	4.8
	dqy	**1.79**	**100**
30	**neu vkSj }hio**		
	1. दुबला (हलपति)	0.11	72.2
	2. धोडिया	0.02	15.2
	3. वरली	0.01	9.0
	v-t-tk-¼3½ ¼çR;sd dh tula[;k 5% ls vf/kd½	**0.15**	**96.5**
	चिह्नित (2) अ.ज.जा.(< 5% से कम जनसंख्या)	0.00	1.3
	अन्य अ.ज.जा. (5% से कम जनसंख्या)	0.00	2.3
	dqy	**0.15**	**100**
31	**y{k}hi**		
	1. अ.ज.जा. (नीचे 2 के अलावा) (≥ 5% जनसंख्या)	0.61	99.99
	2. लक्कादीप, मिनीकॉय और अमीनी द्वीपों के निवासी	0.00 (4)	0.01
	dqy	**0.61**	**100**

टिप्पणः

(1) 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से 5% से अधिक जनसंख्या वाले पीवीटीजी अलग से दर्शाए गए हैं।

(2) जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा, पंजाब राज्यों, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चड़ीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में कोई अधिसूचित अ.ज.जा. नहीं है।

स्रोतः जनगणना 2011 के आंकडें, आरजीआई के कार्यालय की वेबसाइट

vuyXud&5 d

jkT;k vkj l?k jkT;{k=k d lc/k e vulfpr tutkfr;k dk fofufn"V dju oky vkn'k@l'kk/ku

Ø-l-	vkn'k dk uke	vf/klpuk dh frfFk	jkT;@l?k jkT;k d uke ftu ij ykxw g ¼;Fkk l'kkf/kr½
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (सं.आ.22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, करेल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चित बंगाल।
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (सं.आ.33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनयम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र पदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरातथा लक्कादीव, मिनीकोयतथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (सं.आ.58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सं.आ.65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सं.आ.78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड

11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सं.आ.88)	23.7.1970	नागालैण्ड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनगर्ठन) आदेश, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगालतथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सं.आ.111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सं.आ.142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
24.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार

25.	संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
26.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
27.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
29.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 2)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	केरल तथा छत्तीसगढ़
33.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	कर्नाटक
34.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
35.	संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016	22.12.2016	पुदुचेरी

विशेष ध्यान दीजिए: हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

vuqyXud&5 [k

Hkkjr esa vuqlwfpr tutkfr;ksa dh jkT;@la?k jkT;{ks=&okj lwph

vka/kz çns'k

1. अन्ध, साधू अंध
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु
5. गडबा, बोडो गदावा, गुतोब गदावा, कालायी गदावा, पारांगी गदावा, केथरा गदावा, कापू गदावा
6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. गौडू (अभिकरण भूखणडों में)
8. हिल रेद्दि
9. जातपू
10. कम्भर
11. कटुनायकन
12. कोलम, कोलावार
13. कोंडा दोरा, कुबी
14. कोंड कापु
15. कोंडारेड्डि
16. कोंध, कोडि, कोदू, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेंथो ओरिया, बारत्तिका, डुलिया, होल्बा, सन्रोण, सिधापैको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कभारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिणे कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मालि
21. मन्ना दोरा
22. मुखादोरा, नूकादोरा
23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. परधाण
25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. रेड्डि दोरा
27. रोणा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
29. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
30. बाल्मीकि (विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयानगरम, पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिला)
31. यनादी, चेला येनाडी, कपाला येनाडी, मांची येनाडी, रेड्डी येनाडी
32. येरुकुला, कोरचा, डब्बा यूरूकुला, कांचीपुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नकाला कुरविकरन
34. धुलिया, पेयाको, पुटिया (विशाखापट्टनम तथा विजयनगरम के जिलों में)

v#.kkpy çns'k

निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां:

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, तारोंन
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

vle

I- dkjch vkxykx rFkk mÙkj dNkj igkMh d Lok;Ùk ftyk e

1. चाक्मा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. ह्यार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगनागम
7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी जनजातियां : –

(i) बियाते, बियेते
(ii) चांगसान
(iii) चंगलोई
(iv) दौंगेल
(v) गमल्हो
(vi) गांगटे
(vii) गुहते
(viii) हात्रेंग
(ix) हौकिप या हौपित,
(x) हौलाई
(xi) हेंगना
(xii) हंसुंध
(xiii) हांग्खवाल, रंग्खल
(xiv) जंग्बे
(xv) ख्वौचूंग
(xvi) ख्वौरंग, खोतालंग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्ह
(xix) किप्जोन
(xx) कुकी
(xxi) लेथांग
(xxii) ल्हाघुम
(xxiii) ल्हाजेम
(xxiv) ल्हौबुन
(xxv) लुफैंग
(xxvi) मांजेल
(xxvii) मिसाउ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सैहैम
(xxx) सेल्नाम
(xxxi) सिंग्सन
(xxxii) सितल्हो
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) याडो
(xxxv) थांग्यू
(xxxvi) उइद
(xxxvii) व्हाइफे

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजातियां
13 पावी
14. सिंतेंग
15. लालुंग

II. vle jkT; e dkjch vkxykx rFkk mÙkj dNkj igkMh d Lok;Ùk ftyk dk NkMdj rFkk ckMk Hkfe VfjVkfj;y {k= ftys lfgr

1. कछार में वर्मन
2. बड़ो, बड़ो कछारी
3. ड्योरी
4. होजाई
5. कछारी, सोन्वाल
6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

fcgkj

1. असुर, अगारिया
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिंझिया
8. बिरहोर
9. विरजिया
10. चेरो
11. चिक बराइक
12. गोंड
13. गोराइत
14. हो
15. करमाली
16. खरिया, ढेकली खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
17. खरवार
18. खोंड
19. किसान, नागेसिया
20. कोरा, मुडी–कोरा
21. कोरवा
22. लोहार, लोहरा
23. माहली
24. माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया
25. मुन्डा, पातार

26. उरांव, धानगर (ओरेयान)
27. परहया
28. संथाल
29. सोरिया पहाडिया
30. सावर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

NÙkh I x<

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धँवर
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझमारिया, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डान्डामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, लंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मरिया, वाद मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू, बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकु
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान, धानका, धानगाड
34. पाओ
35. परधान, पाथरी, सरोती
36 पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (i) बस्तर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील राजनंध गांव जिले के चौकी, मानपुर रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंदरानावगढ़ रजीम और रायपुर जिले की देवोभोग तहसील (viii)धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिया, सहारिया, सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोनर

xkok

1. धोदिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिध्दी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गावड़ा कुम्बी
8. वेलिप

xqtjkr

1. बर्डा
2. बावचा, बामचा
3. भरवाढ़ (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, बसावा, बसावे
5. चारण (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों नेसों में)
6. चौधरी (सूरत और बलसाद जिलों में)
7. चौधरा
8. धनक, तडवी, तेतारिया, वलवी
9. धोडिया, धोदी
10. दुबला, तलाविया, हलपती
11. गमित, गम्ता, गविट, मची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी
14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा
15. हटा दिया गया
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्धा
17. कुन्बी (डांग्स जिले में)
18. नायकाडा, नायेक, चोलीवाला नायक, कपाड़ियानायक, मोटा नायक, नाना–नायक
19. पाधर
20. हटा दिया गया
21. पर्धी, अदविचिन्चेर, फांनसे पार्धी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबरी (अलेच्छ, बरढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में)
25. राथवा
26. सिद्दी, सिद्दी–बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वारली
29. विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया,
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

fgekpy izns'k

1 भोट, बोढ़
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाद, लाम्बा, खम्पा
5. कनौरा, किन्नारा
6. लाहौला
7. पंगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

tEew vkSj d'ehj

1. बाल्टी
2. बेडा
3. बोट, बोटो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. श्रंगपा
6. गर्रा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

>kj[k.M

1. असुर, अगरिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत

13. हो
14. करमाली
15. खरिया, ढेलकी खरिया, दूध खरिया, हिल खरिया
16. खरवार
17. खोंड
18. किसान, नागेसिया
19. कोरा, मुडी–कोरा
20. कोरवा
21. लोहारा, लोहरा
22. महली
23. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धांगर (ओरांव)
26. परहइया
27. सन्थाल
28. सौरिया पहाडिया
29. सवर
30. भूमिज
31. कवर
32. कोल

dukVd

1. अदियन
2. बर्डा
3. बवचा, बम्चा
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पवरा, वासव, वासवे
5. चेचू, चेंचवार
6. चोधारा
7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि, पदवी, वाल्वी
9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
10. गोब्डालू
11. हक्कीपिक्की
12. हासालारु
13. इरुलर
14. इरुलिगा
15. जेनु कुरुबा
16. काडू कुरुबा
17. कम्मार (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
19. काथोडी, काटकारी, ढोर कथोडी, ढोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20. काडूनायकन
21. कोंकण, कोंकणी, कुक्णा
22. कोली घोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
23. कोंडा कापूस
24. कोरग
25. कोटा
26. कोया, भिने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलकुडी
28. कुरुब (कुर्ग जिले में)
29. कुरुमान
30. महा मालासार
31. मलाई कुडी
32. मालासार
33. मालायेकान्डी
34. मालेरु
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराटी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडारा, मेडारी, गोरिगा, बुरुद
38. नायकडा, नायक, चौलीवाला नायका, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेडा, बेदार और वाल्मीकि
39. पल्लियान
40. पानियान
41. पार्धी, अडविचिन्चेर, पनसे पार्धी, हरनशिकारी
42. पटेलिया
43. राथावा
44. शोलगा
45. सोलीगारु
46. तोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया, बारोडिया
49. येरावा
50. सिद्दी (उत्तर कन्नड जिले में)

dsjy

1. आडियन
2. अरांडन्, अरानादन
3. अरावालन्
4. हिल पुलया, माला पुलायम, कुरुम्बा पुलायन, कारावाजी पुलायन, पम्वा पुलायन
5. इरुलर, इरुलन
6. कादर, वयनाद कडार
7. हटा दिया गया
8. कणिक्कारन, काणिक्कर
9. काट्टुनायकन
10. कोच्चूवेलन
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरग
14. हटा दिया गया
15. कुडीया, मेलाकुडी
16. कुरचिचान, कुरिचियान
17. कुरुमन्, मुल्लु कुरुमन, मुल्ल कुरुमन, माला कुरुमन
18. कुरुम्बा, कुरुम्बर, कुरुम्बन
19. महामालासार
20. मलय अर्षन, माला आरयन
21. मलयपडारम्
22. मलवेडन, मालावेदान
23. मलकुर्वन
24. मालासार
25. मलयन, नट्टू मलयन, कोंगा मलयन, (कसारागोडे, कन्नौर, वयानाद और कोजीगोडे जिलों में समाविष्ट क्षेत्र को छोड़कर)
26. मलयरयर
27. मनान्
28. माराटि (कबोर जिले के होसडुग और कासरगोड तालुक मे)
29. मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन
30. पुल्लेयान, पल्लियान, पल्लियार, पालियान
31. हटा दिया गया
32. हटा दिया गया
33. पाणियन्
34. उल्लाडन, उल्लातान
35. उरालि
36. माला वेट्टुवन (कासरगोडे और कन्नूर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बन, जेनु कुरुम्बन
38. थाचानाडन, थाचानाडन, मूपन
39. चोलानाइकन
40. माविलन
41. करीमपालन
42. वेट्टा कुरुमन
43. माला पनिकर

e/; çns'k

1. अगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिआ भूमिआ, भुईंआर भूमियां, भूमिआ, भारिया, पालिहा, पांडो
6. भतरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया
8. भील मीना
9. भंजिया
10. बिआर, बीआर
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनहार्न मारिया, छोट मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मडिया, मारिया, माना, मन्नवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमाडिया, वडे–माडिया, दराई
17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कोरकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तनवर, छत्री
21. हटा दिया गया
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कौलम
27. कोरकू बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल बौंधी, बौंडेया
28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुंडा
34. नगेसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़

36. पनिका (i) छतरपुर पन्ना, रिवा, सतना, शाहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और (ii) दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील में,

37. पाव

38. परधान, पथारी, सरौती

39. हटा दिया गया

40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी टकनकर, टाकिया (i) बस्तर सरगुजा छिंदवाड़ा, मंडला, रायगढ़ तथा सिवनी जिलों में (ii) बालाघाट जिले में बेहर तहसील (iii) बैतूल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंसदेही तहसीलों में (iv) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक (v) कटनी जिले के कटनी (मुरवाड़ा) तथा विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंध तथा घेमरखेड़ा ब्लॉक (vi) होशंगाबाद जिले के होशंगाबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लॉक (vii) नरसिंहपुर जिला, और (viii) खांडवा जिले के हरसुद तहसील

41. परजा

42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर

43. साओंता, सौंता

44. सौर

45. सावर, सवरा

46. सोनर

egkjk"V

1. आंध
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामचा
5. भैना
6. भारिआ, भूमिया, भुईंहार–भूमिया, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगली गरा–सिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहूल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वालवी
14. धनवार
15. धोडिया
16. दुबला, तालविवा, हलपति
17. गामित, गामता, गावीत,मावचि पडवि
18. गोंड, राजगोड, अरख, आरखा, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, बिसीनहान मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मढ़िया मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नाइकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वाडेमारिया
19. हलवा, हल्वी
20. कमार
21. काथोड़ि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन कथोडि, सोन कातकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
23. खैरवार
24. खड़िया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलाम, मन्नेवरलू
28. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कौंध, खौंड, कांध
32. कौरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोधी, बौधया
33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेसिया, नगासिया
35. नायकड़ा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. औरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचिंचेर, फंस पारधी, फंस पारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया चिन्तापारधी, शिकारी, टाकनेकार, टाकिया
39. परजा
40. पटेलिया
41. पीमला
42. राथवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का–ठाकुर, का–ठाकर, मा– ठाकुर, मा– ठाकर
45. हटा दिया गया
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बरो–दिया

ef.kiqj

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरू
5. चौथे
6. गांगते
7. हमार
8. काबुई, इन्पुई, रोंगमेई
9. कच्चा नागा, लेइंगमेई, जेमे
10. खोइरराओ, थंगल
11. कोयरंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मराम्
16. मैरिंग
17. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
18. मोन्सैग
19. मायोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सेमा
24. सिम्टे
25. सूहटे
26. तेगंखुल
27. थाडो
28. व्हाइफै
29. जाओ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

e?kky;

1. चाक्कमा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी, जैन्तिया, यिन्तेग, प्नार, वार, भोई, लिगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः—

i. बियाते, बियेते
ii. चंगसान
iii. चगंलोई
iv. दौगैल
v. गमल्हौ
vi. गंगते
vii. गुइते
viii. हैत्रंग
ix. हौकिय, हौपिट
x. हौलाई
xi. हेंगना
xii. हौनसुध
xiii. हाग्खोवाल, रंगखोल
xiv. जंम्बे
xv. ख्वैचगं
xvi. ख्वोलग, खोतालंग
xvii. खेल्मा
xviii. खाल्हु
xix. किपगेन
xx. कूकी
xxi. लेथांग
xxii. ल्हांगम
xxiii. ल्हाजम
xxiv. ल्होवुन
xxv. लुपहेंग
xxvi. मांजेल
xxvii. मिसाऊ
xxviii. रियांग
xxix. सैरहैम
xxx. सहेनाम
xxxi. सिंगसन
xxxii. सितल्हौ
xxxiii. सुक्ते
xxxiv. थादो
xxxv. थाग्न्यू
xxxvi. उइनू
xxxvii. व्हाइफे

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुशई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारी
16. कोछ
17. राबा, रावा

fetksje

1. चाक्कमा
2. दिमसा (कछारी
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः

(i) बइतेथा या बिएते
(ii) छंगसान
(iii) चोंगलोइ
(iv) डोउन्गेल
(v) गमाल्हू
(vi) गंगत
(vii) गुइते
(viii) हान्नेंग
(ix) हाओकिप या हाउपिट
(x) हाओलाई
(xi) हेंगना

(xii) होंनसुघ
(xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
(xiv) जोंगबे
(xv) खावचांग
(xvi)खवथलांग या खोथलांग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेनथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवुन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांगनेऊ
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) वाइफेई
8. लाखेर
9. मान (थाई बोलने वाले)
10. कोई मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग.
15. पैते

ukxkySaM

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

vksfM'kk

1. बगता, भक्त
2. बैगा
3. बणजारा, बणजारी
4. वाथूडी, बथूरी
5. भौत्तड़ा, धोताडा, भोतरा, भट्टारा, भोटारा, भतरा
6. भुइया, भूयां
7. भूमिआ
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हलदी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज ,देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भुजीआ
10. बिजांल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बीरहोर
13. बांडो पोरजा, बोंडा परोजा, बांडा परोजा
14. चेन्चू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा
18. दिदयी, दिदाई परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो, गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगा गडाबा, सानो गडाबा, गादबा
20. गांडिया
21. घारा
22. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होलवा
25. जातपु
26. जुआंग
27. कंध गोड
28. कवार, कांवार
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खडिया, खडीया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नंगुली कंधा, सीथा कंधा, कोंध, कुई, बुदा कोंध, बुरा कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंध, मालुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोल्हा लोहार, कोल लोहार
35. कोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खाइरा, खयारा
39. कोरूआ
40. कुटीआ
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसारा कोया
42. कुली
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिया
45. महालि
46. मांकिडी
47. मांकिरडिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मटिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महाली, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनात्या, अमानात्या, आमनत्य

53. ओरांव, धानगर, उरान
54. पेरेंगा
55. परोजा, परजा, बोडो परोजा, बरोंग, झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सानो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजुआर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा, आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, केम्पा साओरा, कापो सओरा, किंदल साओरा, कंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबर, लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ, थारूआ बिंधानी

jktLFkku

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढौर कातकारी, सोन काथौडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली, ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया।

flfDde

1. भूटिया (चुंबिपा, दोपथापा, डुकपा, कगाटे शेरपा, टिबेटन, ट्रोमोपा, योलमो सहित)
2. लेपचा
3. लिम्बू
4. तमांग

rfeyukMq

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरवल्लन
4. इरूलर
5. काडर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्नकोट्टा में)
8. कनियन, कन्यन
9. काट्टुनायक्कन
10. कोचुवेलन
11. कोन्डा कपूस
12. कोन्डारेड्डि
13. कोरागा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरुमान्स
19. महा मल्लेसर
20. मलै अरैयन
21. मालै पंडाराम
22. मलै वैडन
23. मलक्कुरवन
24. मल्लेसर
25. मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरुचिरा–पुल्ली जिले में)
26. मलयेकंडी
27. मान्नन
28. मुडुगर, मुडूवन
29. मदुवन
30. पाल्लयन
31. पलियन
32. पल्लयर
33. पनियन
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुका को छोड़कर)
36. उरली

rsyaxkuk

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू
5. गदाबास, बोडो गदाब, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मार
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोधु, देसया कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोन्ध, येनिती, कोन्ध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उडिया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया
20. मन्ना धोरा
21. मुक्खा धोरा, नुका धोरा
22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
23. परधान
24. परजा, पारंगीपेरजा
25. रेड्डी, धोरा
26. रोना, रेना
27. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस
28. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
29. थोटी (औदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिले में)
30. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
31. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा, येरूकुला, कुंछापुरी, येरन्कुला, उप्पू येरून्कुला
32. नक्काला, कुरविकरन

f=iqjk

1. भील
2. भुटिया
3. चैनल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खसिया
9. कुकी, निम्न उप जनजातियों सहित:–

(i) बाल्टे (ii) बेललहुत (iii) छाल्टा (iv) फुन (v) हजांगो (vi) जंगते (vii) खरेंग (viii) केफंग (ix) कुन्तेइ (x) लाइफंग (xi) लेनतई (xii) मिजेल (xiii) नमते (xiv) पाइतु, पाइते (xv) रंगचान (xvi) रंखल (xvii) थंग्लुया

10. लेप्चा
11. लुसाई
12. मग
13. मुन्डा, कौर
14. नोआतिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा
19. उचई

mÙkjk[kaM

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जोनसारी
4. राजी
5. थारू

mÙkj çns'k

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जैनसरी
4. राजी
5. थारू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिल में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

if'pe cxky

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया, बिदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्बती, योल्मो
6. बीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा
9. चेरी
10. चिक बारैक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधा, खेड़िया, खाड़िया
24. लौहारा, लौहरा।
25. मध
26. माहली
27. महली
28. माल पहाड़िया
29. मेच
30. म्रू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाढ़ैया
35. राभा
36. सन्थाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमन

viMeku vkj fudkckj }hi leg

1. अंडमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे, केडे, बीय, बालाबा, बोजीगियाब, जवाई, कोल
2. जारवा
3. निकोबर निवासी
4. ओंगे
5. सेंटीनेली
6. शोम पेन

nknjk vkj uxj goyh

1. धोडिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोलघा सहित कोली ढोर
6. नायकडा या नायक
7. वरली

neu o nho

संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मे:

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नायकडा (तलाविया)
4. सिद्दी (नायक)
5. वरली

y{k}hi

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः—

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता—पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। ”बशर्तें ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।

Li"Vhdj.k& 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3 (I) (छ) में परिभाषित किया गया है।

i|íp|jh

इरूलर (विल्ली और वेट्टैकारन् सहित)

नोटः यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

vuyXud& 5 x

vulfpr {k=k dh jkT;&okj lph

I- vkU/k çn'k* ¼rsyxuk lfgr½

1- egcc uxj ftys dk vkpeiV rkyqdk d 67 xko fuEukuqlkj g%

vkpeiV rkyqdk

(1) बालमोर	(18) इरलापेंटा	(35) नारदी पेंटा	(52) मघवनपल्ली
(2) कोदनांगोल	(19) मुदारदीपेंटा	(36) तपासी पेंटा	(53) जगमरेड्डी पल्ली
(3) बनाल	(20) तेरकालदारी	(37) चन्द्रगुप्ता	(54) पेदरा
(4) बिलाकास	(21) वकारमामिदी पेंटा	(38) युल्लुकारतरेवु	(55) वेंकेश्वरम
(5) धारावरम	(22) मेडीमानकल	(39) तिम्मारेड्डीपल्ली	(56) चितलाम कुंटा
(6) अप्पाइपाली	(23) पंडीबोर	(40) सारलापल्ली	(57) लाछमापुर
(7) रासुल छेरवु	(24) संगरी गुण्डल	(41) ततिगुण्डाल	(58) उदमेला
(8) पुलेछेलमा	(25) लिंगबोर	(42) इल्पामायेहेना	(59) मारेड़
(9) मारलापया	(26) रामपुर	(43) कोमान पेंटा	(60) इप्पालापल्ली
(10) बुर्ज गुंडाल	(27) अप्पापुर	(44) कोल्लाम पेंटा	(61) मड्डीमाडाग
(11) अगारला पेन्टा	(28) मालापुर	(45) मानानूर	(62) अक्काराम
(12) पुल्लाइपल्ली	(29) जलाल पेंटा	(46) माछाराम	(63) अइनोल
(13) दुक्कान पेन्टा	(30) पीमान पेंटा	(47) मलहामाम्डी	(64) सिद्दापुर
(14) बिकिट पेन्टा	(31) रायलेट	(48) वेकेटेश्वरला बावी	(65) बमानपल्ली
(15) कारकार पेन्टा	(32) वेटोलापल्ली	(49) अमराबाद	(66) गनपुरा
(16) बोरमाछेरन्वू	(33) पातुर बयाल	(50) तिरमालपुर	(67) मानेवारपल्ली
(17) येमेलापाय	(34) भावी पेंटा	(51) उपनुटोला	

2- vkfnykckn ftys dk vkfnykckn rkyqdk d 72 xko fuEukuqlkj g%

vkfnykckn rkyqdk

(1) मलाइ बोरगोवा,	(19) पालसी बुजुर्ग,	(37) सांगवी,	(55) खानापुर,
(2) अनकानपुर,	(20) आरिल खुर्द,	(38) खोगदूर,	(56) खण्डाल,
(3) जामुलाधारी,	(21) नन्दगांव,	(39) कोबाई,	(57) तीपा,
(4) लोकारी,	(22) वाघापुर,	(40) पोनाला,	(58) हाती घोता,
(5) वेंकेट,	(23) पालसीखुर्द,	(41) छापराला,	(59) करोदखुर्द,
(6) तान्तोली,	(24) लिंगी,	(42) मंगरोल,	(60) करोनी बुजुर्ग,
(7) सीतागोंटी,	(25) काफर देनी,	(43) कोपा अरगूने,	(61) सिंगापुर,
(8) बुरनूर,	(26) रतनापुर,	(44) सोअनखास,	(62) वुरानपुर,
(9) नवगांव,	(27) कोसाइ,	(45) खिडकी,	(63) नागराला,
(10) पीपलदारी,	(28) उमारी,	(46) खासल खुर्द,	(64) बोदाद,
(11) पारदी बुजुर्ग,	(29) मदनपुर,	(47) खासल बुजुर्ग,	(65) छांदपेल्ली,
(12) यापाल गुदा,	(30) अम्बूगांव,	(48) जामनी,	(66) पीतगेन,
(13) छिनछूघाट,	(31) रूयेअडी,	(49) बोरगांव,	(67) येकोरी,
(14) वानकोली,	(32) सकानपुर,	(50) सयेद पुर,	(68) सादारपुर,
(15) कानपा,	(33) दादगांव,	(51) खारा,	(69) वारूर,
(16) अवसोदा बुरकी,	(34) कसलापुर,	(52) लोहारा,	(70) रोहार,
(17) मलकापुर,	(35) डोरली,	(53) मारीगांव,	(71) तकली,
(18) जारी,	(36) साहाजी,	(54) छिछदारी,	(72) रामखाम

3- vkfnykckn ftys ds fduor rkyqdk ds 72 xkao fuEukuqlkj gSa
fduor rkyqdk

(1) अम्बारी,	(19) एन्डा,	(37) उनरसी,	(55) जुरूर,
(2) बोदरी,	(20) पीपलगांव,	(38) गोदी,	(56) मिनकी,
(3) छिकली,	(21) बलजा,	(39) साउरखेर,	(57) तुलसी,
(4) कामताला,	(22) वारोली,	(40) नायकवाड़ी,	(58) माचौरड़ेर पारड़ी,
(5) घोती,	(23) अन्जी,	(41) सरकानी,	(59) मुरली,
(6) मांडवा,	(24) भीमपुर सिरमेती,	(42) वाझेरा,	(60) टाकरी,
(7) मेरेगांव,	(25) केरल,	(43) मारदाप,	(61) पारसा,
(8) मालबोर गांव,	(26) कोठारी,	(44) अंजेरखेर,	(62) वारसा,
(9) पटोडा,	(27) गोकुड़ा,	(45) गोण्डवारसा,	(63) उमरा,
(10) दहीगांव,	(28) गोगरवुडी,	(46) पलाइगुडा,	(64) अष्ठता,
(11) दोमोन घारी,	(29) मलकापुर,	(47) करालगांव,	(65) हिंगनी,
(12) दरसांगी,	(30) धोनोरा,	(48) पाल्सी,	(66) तिमारपुर,
(13) डिघरी,	(31) रामपुर,	(49) पटोड़ा,	(67) बाजरा,
(14) सिंदगी,	(32) पातरी,	(50) जवारला,	(68) बानोला,
(15) कनकवाड़ी,	(33) परोधी,	(51) पीपलगांव,	(69) पाटसोन्डा,
(16) कोपरा,	(34) बाओथ,	(52) कानकी सिंगोरा,	(70) धनोरा,
(17) मलाकवाडी,	(35) दरसांगी,	(53) डोगरगांव,	(71) साकुर
(18) निसपुर,	(36) नोरगांव,	(54) पीपल सेंधा,	(72) डिगरी

4- vkfnykckn ftys ds ckFk rkyqdk ds 46 xkao fuEukuqlkj gSa
ckFk rkyqdk

(1) हतनूर,	(13) बाल्हनपुर,	(25) जतेरला,	(37) धर्मपुर,
(2) बाकरी,	(14) धर्मपुरी,	(26) खान्तेगांव,	(38) हरकापुर,
(3) पारधी,	(15) गाकोड़ां,	(27) साउरी,	(39) धामपुर,
(4) करतान्डा,	(16) भोताई,	(28) इछोरा,	(40) निगनी,
(5) सेरलापाल्लि,	(17) कोरसेकाल,	(29) मुतनपुर,	(41) अजारवजार,
(6) नेरादी कोंन्डा,	(18) पतनापुर,	(30) गुडी हाटनूर,	(42) चिन्तलबोरी,
(7) डालीगाओ,	(19) तेजापुर,	(31) तालमेडी,	(43) चिंताकारवा,
(8) कुनताला,	(20) गुरूज,	(32) गेरजाम,	(44) रामपुर,
(9) वेंकटपुर,	(21) खाहदीगुडी,	(33) छिनछोली,	(45) गंगापुर
(10) हसनपुर,	(22) राजुरवाड़ी,	(34) सिरछेलमा,	(46) गयात्पल्ली
(11) सुरदापुर,	(23) इसपुर,	(35) मनकापुर,	
(12) पोलमामदा,	(24) घानपुर,	(36) नारसापुर,	

5- vkfnykckn ftys dk mRrj rkyqdk dh lHkh xkoA

6- vkfnykckn ftys dk vklQkckn rkyqdk dk 86 xkao fuEukuqlkj g%

vklQkckn rkyqdk

(1) राजमपेट,	(23) खोटरा–रिंगनघाट,	(45) छालवारडी,	(67) बोरवांउम तेलुन्डी,
(2) गुंजाला,	(24) निशानी,	(46) इहोरघाट,	(68) मौगीलोड़ीगुड़ा,
(3) इंघानी,	(25) कोटा परानडोली,	(47) वाली झारी,	(69) मोइड़ा–गुड़ी पेट,
(4) समेला,	(26) मेसापुर,	(48) साकमगुंडी,	(70) चीन्नेदारी,
(5) तेजपुर,	(27) गोइगांव,	(49) आरा,	(71) कोइटेलुण्ड़ी,
(6) कन्नारगांव,	(28) धनोरा,	(50) उप्पाल नवगांव,	(72) मदुरा,
(7) कन्टागुडा,	(29) पारधा,	(51) अंकसोरपुर,	(73) देवैगुड़ा,
(8) शांकेपल्ली,	(30) सुरदापुर,	(52) चिराकुन्ता,	(74) आरे गुडा,
(9) जामुलधारी,	(31) केरीनेरी,	(53) इल्लिपिट्टा डोरली,	(75) गरडेपल्ली,
(10) गुडी,	(32) मुरकीनोनकी,	(54) मन्डरन्मेरा,	(76) तकेपाली,
(11) छोरपल्ली,	(33) देवापुर,	(55) दन्तान्पल्ली,	(77) चोउतेपाली,
(12) सालेगुडा,	(34) छिन्ताकारा,	(56) देवदुर्ग,	(78) राने कन्नेपल्ली,
(13) बादीगुडा,	(35) इहेरी,	(57) तुनपाली,	(79) सुंगापुरा,
(14) सवाती,	(36) आरा,	(58) धांगलेश्वर,	(80) राला सामकेपल्ली,
(15) ढाबा,	(37) दासनपुर,	(59) पादिबान्दा,	(81) छोपरी,
(16) छोपनगुडा,	(38) कापरी,	(60) तामरिन,	(82) दोदा अर्जुनी,
(17) नीमगांव,	(39) बेलगांव,	(61) मलगुण्डी,	(83) सेरवाई,
(18) खिरदी,	(40) सिरसगांव,	(62) कन्दन मोओआर,	(84) रापल्ली,
(19) मेटापिपरी,	(41) मोआर,	(63) जिओनेना,	(85) टेकमाडवा
(20) साकरा,	(42) बादाम,	(64) कुटेदा,	(86) मीता अर्जुनी
(21) सांगी,	(43) धामिरीगुडा,	(65) तिलानी,	
(22) देवुरपल्ली,	(44) दाल्लनपुर,	(66) कानेपल्ली,	

7- vkfnykckn ftys y{kfrisV rkyqdk ds 18 xkao fuEukuqlkj g%

y{kfrisV rkyqdk

(1) गुदाम,	(6) मुत्तीमपेट,	(11) देवपुर,	(16) वेंकटपुर,
(2) कासीपेत,	(7) वेंकटपुर,	(12) गाथापल्ली,	(17) चिंतागुडा
(3) दांडे पल्ली,	(8) राली,	(13) रोतपल्ली,	(18) मुत्तेमपल्ली
(4) छेलमपेटा,	(9) कौवाल,	(14) माझडामारी,	
(5) राजमपेट,	(10) तारापेत,	(15) धर्मारोपेत,	

8- vkfnykckn ftys dk jktqjk rkyqdk ds 58 xkoA

jktqjk rkyqdk

(1) बेंडवी,	(16) डरगांव,	(31) पाण्डेरवानी,	(46) मानगी,
(2) छिनछोली,	(17) किरदी,	(32) वानसारी,	(47) उपारवाई,
(3) गोइगांव,	(18) सोंदो,	(33) पेरदा,	(48) तुत्ता,
(4) हीरापुर,	(19) देवरा,	(34) वारगांव,	(49) लकमापुर,
(5) साकरी,	(20) खोरुना,	(35) नोकारी,	(50) किरदी,
(6) बालापुर,	(21) कानारगांव,	(36) मीरापुर,	(51) इनजापुर,
(7) मनोली,	(22) छेनाई,	(37) पारधी,	(52) जमीनी,
(8) अन्तारगांव,	(23) कैरगांव,	(38) कुतोडा,	(53) हरगांव,
(9) विरूर,	(24) सामलहीरा,	(39) परसेवारा,	(54) छिकली,
(10) डोगरगांव,	(25) धनोली,	(40) मंगलरा,	(55) पाटन,
(11) टिमबेरवाई,	(26) मारनगांडी,	(41) कारकी,	(56) कोसुंडी,
(12) सेरसी,	(27) येल्लापुर,	(42) नोकारी,	(57) कोतारा
(13) बडोरा,	(28) काटलबोरी,	(43) मनोली,	(58) सोनोरली
(14) व्मरजीरी,	(29) इसपुर,	(44) सोनपुर,	
(15) लाकारकोट,	(30) देवती,	(45) इनापुर,	

9- vkfnykckn ftys ds fljiqj rkyqdk ds 27 xkoA
fljiqj rkyqdk

(1) रालपेट,	(8) छिन्तागुडा,	(15) तुमरीहाती,	(22) गुदलाबोरी,
(2) किस्तामपेट,	(9) अंकोरा,	(16) छिन्तालमानोपल्ली,	(23) गुरूमपेट,
(3) तकलपाल्ली,	(10) उसू रामपल्ली,	(17) छिन्ताम,	(24) लोमवेली,
(4) छाकलपल्ली,	(11) अरपल्ली,	(18) गुल्लातालोदी,	(25) मोगुरदागर,
(5) अनाराम,	(12) बोपालपट्टनम,	(19) दामदा,	(26) विरदान्डी
(6) भेटपल्ली,	(13) बालासागा,	(20) ढोरपल्ली,	(27) छिलपुरदुबोर
(7) कोरसनी इसगांव,	(14) पारधी,	(21) कनकी गारलापेट,	

10- okjaxy ftys ds eqyqx rkyqdk ds 85 xkoA
eqyqx rkyqdk

(1) कन्नइगुडा,	(23) कन्नइगुडा,	(45) सारवापुर,	(67) बन्नजी,
(2) अंकनगुड्डा,	(24) राजन्नापेट,	(46) भुस्सापुर,	(68) बन्दाम,
(3) राघवापट्टनम,	(25) भूताराम,	(47) चेलवाई,	(69) सेलपाक,
(4) मेडारमोला,	(26) अक्केला,	(48) रंगपुर,	(70) कन्तलपल्ली,
(5) कोएटला,	(27) सिरवारपुर,	(49) गोविन्दराओपेट,	(71) सरवाई,
(6) पारसा नागाराम,	(28) गंगाराम,	(50) बालपाली,	(72) गंगागुडा,
(7) मुथापुर,	(29) भूपतिपुर,	(51) धुमपालागुडा,	(73) तुपालकालगुदा,
(8) मोटलागुड्डा,	(30) पुम्बापुर,	(52) केलापाली,	(74) अकुलवारी,
(9) वेंगलपुर,	(31) रामपुर,	(53) लखनवरम,	(75) घानपुर,
(10) येलपाक,	(32) अंकामपाली,	(54) परसा,	(76) शाहपल्ली,
(11) कानेबोएनपल्लि,	(33) कामाराम,	(55) गोनेपाली,	(77) गागपल्ली,
(12) मेदाराम,	(34) कामसेलिगुण्डम,	(56) पडगापुर,	(78) छिन्ना–विओपल्ली,
(13) कोंडरेड,	(35) आष्ठानागुडा,	(57) नरलापुर,	(79) वेंकटापुर,
(14) छिन्तागुडा,	(36) येल्लापुर,	(58) कलवापाली,	(80) नरसापुर,
(15) कोंडापारथी,	(37) अल्लागुड़ा,	(59) उरातम,	(81) अनवाराम,
(16) येलसेथिपाल्लि,	(38) नरसापुर,	(60) कोंडिया,	(82) लिंगाल,
(17) अल्लामरिघुनपुर,	(39) पुस्चापुर,	(61) मलयत,	(83) बालेपापल्ली,
(18) रामपुर,	(40) भातुपल्लि,	(62) अचलपुर,	(84) बंडल
(19) माल्कपल्लि,	(41) लावनाल,	(63) डोल्डा,	(85) थूनमापुर
(20) छेत्ताल,	(42) वाड्डगुडा,	(64) कमाराम,	
(21) भूपतिपुर,	(43) कोथूर,	(65) तादवी,	
(22) गंगाराम,	(44) पेगदापाल्लि,	(66) बुदीगुडा,	

11- okjxy ftyk d ujlkeiir rkyqdk d 72 xkoA ujlkeiir rkyqdk

(1) वेबेल्ली,	(19) कोदसापेत,	(37) रंगामुडेम,	(55) कांगागिड्डा,
(2) पोलारा,	(20) गुडेरपल्ली,	(38) पेड्डापल्ली,	(56) मडागुड्डेम,
(3) बाकाचिन्ताफाद,	(21) मसामी,	(39) येर्रावरम,	(57) दालुरपेट,
(4) गांजाद,	(22) बत्तवारतीगुदेम,	(40) कुन्दापल्ली,	(58) कोठागुडेम,
(5) त्रिमागुल्डा,	(23) ममीदीगुदम,	(41) नीलमपल्ली,	(59) कोटापल्ली,
(6) गोपालपुर,	(24) पंगोन्डा,	(42) दारावारिनापल्ली,	(60) दुर्गाराम,
(7) खिस्तापुर,	(25) रोतुराई,	(43) कारनेगुंड,	(61) दूबागुडेम,
(8) तातीनारी वेनपल्ली,	(26) सतरेद्दीपल्ली,	(44) महादेवागुडेम,	(62) रून्दावाराम,
(9) पत्तल भूपति,	(27) कोनापूर,	(45) मारिगुडेम,	(63) नरसूगुडाम,
(10) चन्देलपुर,	(28) कोंदापुरम,	(46) जंगनपल्ली,	(64) कोमातलागुडेम,
(11) बत्तालपल्ली,	(29) पोगुलापल्ली,	(47) बवारगुडा,	(65) काटेरवम,
(12) अदवारमपेट,	(30) गोविन्दपुरम,	(48) ओआरवाक,	(66) सेमर राजपेट,
(13) सात्यानगर,	(31) माकदापल्ली,	(49) गंगारामम,	(67) मारेपल्ली,
(14) दुत्ला,	(32) पागुलदापल्ली,	(50) मुछेरला,	(68) गोआरूर,
(15) मोथवाडा,	(33) मुराइगुडेम,	(51) अमरोन्छा,	(69) राधियापुर,
(16) मंगालावारपेत,	(34) येलछागुडेम,	(52) कामाराम,	(70) गजलगुडेम,
(17) कारलाई,	(35) तुम्मापुरम,	(53) छिन्टागुंडम,	(71) राजवेपल्ली
(18) अरकालकुंत्ता,	(36) जगांमवारतीगुडेम,	(54) निलावाच्छा,	(72) वोल्लिपल्ली

12- वारांगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिगारेनी और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)

13- (i) वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव (पलोंधा, बोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान।

14- विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र एजेन्सी [लक्ष्मीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनकासिंगि, कुमारापुरम, कृष्णदेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम, गोलूगोण्डापेटा, गुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरुपालि, पेदाजाग्गामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर] 2. [विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजुपेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुड़ी अग्रहारम]

15- पूर्वी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र 2. [रामचन्द्रपुरम गांव में शामिल क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित]

16- पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

*आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं.30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.सं.50)।

[1] मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।
[2] आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II- xqtjkr**

1. सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाध वालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका।
2. भरूच जिले के देदियापाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद और झगाडिया तालुका।
3. डांग्स जिला तथा तालुका।
4. वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका।
6. बडौदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल।
7. साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

**गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (संविधान आदेश संख्या 9) दिनांक 26.01.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (संविधान आदेश संख्या 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

III. fgekpy çns'k***

1.लाहोल और स्पीति जिले
2.किन्नौर जिला
3.चम्बा जिले में पांगी तहसील और भरमोर उप–तहसील

***अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या102) दिनांक 21.11. 1975 द्वारा निर्दिष्ट

IV. egkjk"Vª#

1- Fkk.ks ftys esa fufEufyf[kr¼
¼d½ /kkgkuq] ryklkjh] ekS[kkns] tokgj] oMk vkSj 'kgkiqj rglhy
¼[k½ ¼i½ iky?kj rglhy ds ,d lkS pokyhl xkao uhps n'kk,s x, gSa
iky?kj rglhy

(1) तारापुर	(19) सलगांव,	(37) बेतेगांव,	(55) कोसबाद
(2) कुदन	(20) खुताद,	(38) वारगंदे	(56) कोकानेर,
(3) दहसीर टर्फ तारापुर	(21) खानीवाड़े,	(39) लालोंडे,	(57) नागणारी
(4) घिवाली	(22) रावते,	(40) घनेडे	(58) छारी खुर्द
(5) वावे	(23) अकोली,	(41) काम्बलगांव	(59) बेलगांव
(6) अक्कारपत्ती	(24) असेरी,	(42) मान	(60) खुताल,
(7) कुरगांव	(25) सोते,	(43) घानेघर,	(61) छिलहर,
(8) पारनाली	(26) पस्थाल,	(44) वाढ़े	(62) भोपोली,
(9) वेनगानी	(27) बोइसार,	(45) छारी बुदर्ग	(63) नीहे,
(10) पठारवाली	(28) बोरसेती	(46) बिरवाडी	(64) दामखाण्ड,
(11) नेवले	(29) महागांव,	(47) काल्लाले,	(65) कोंधान,
(12) शिगांव	(30) किरात,	(48) पाद्घे	(66) आवनधान,
(13) गारगांव	(31) वाडे,	(49) पोले,	(67) बेगारचीले,
(14) चिंचारे	(32) खाडवाने,	(50) नानडोरे,	(68) शील,
(15) अकेगावान	(33) मेंधवान	(51) गिरनोली,	(69) लोवारे,
(16) नानीवाली	(34) विलसेय,	(52) बोरान्डे,	(70) बंधान,
(17) अंबेढे	(35) कोडगांव	(53) देवखोपे,	(71) नंद गांव टर्फ मानोर,
(18) बरहानपुर	(36) कारसूद	(54) सागवे,	(72) शील शेट,

(73) कताले,	(91) दुरवेस,	(109) गांजे,	(127) नवाजे,
(74) अम्भान,	(92) धुकतान,	(110) जायेशेते,	(128) तान्डुलवाडी,
(75) वासरोली	(93) पोछादे,	(111) शेलवाडे,	(129) गिराले,
(76) खारशेट,	(94) होलाले,	(112) वेमुर,	(130) पारगाव,
(77) मानोर,	(95) खामलोली,	(113) अम्बादी,	(131) नागवे टर्फ—मानोर,
(78) ताकवाल,	(96) वाहदोली,	(114) नवाली,	(132) उम्बारपदा नानड़ाडे,
(79) सवारखण्ड,	(97) बोत,	(115) मोरावाली,	(133) उचावाली,
(80) नालशेट,	(98) इम्बूर इराम्बी,	(116) वारखुन्ती,	(134) सफाले,
(81) केव,	(99) दानिसारी टर्फ मानोनर,	(117) कामार,	(135) सोनावे,
(82) वाकाडी,	(100) कुडे,	(118) टोकराले,	(136) माकने कापसे,
(83) मासवान,	(101) गुण्डावे,	(119) बन्डाते,	(137) करवाले,
(84) वान्डीवाली,	(102) सीतावली,	(120) जांजरोली,	(138) वाधिव सरावली,
(85) नेताली	(103) वेहालोली,	(121) छाडे,	(139) पेनान्ड,
(86) साये,	(104) सवारे,	(122) वसारे,	(140) कान्डारवान,
(87) तेन,	(105) वराई,	(123) खादकोली,	(141) दाहीवाले,
(88) कारालगांव,	(106) जानसाई	(124) सखारे,	(142) दारशेट,
(89) गोवादे,	(107) खाइरे,	(125) रोथे,	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(90) तामसाइ,	(108) ढेकाले,	(126) लालथाने,	(144) उम्बारपादा टर्फ—मानोर

¼ii½ olkbZ ¼clhu½ rglhy d iSrkyhl xko uhp n'kk, x, g
olkbZ ¼clhu½ rglhy

(1) दहिसार,	(13) छानदीप,	(25) शिरवाल,	(37) जुचंद्र,
(2) कोशिम्बे,	(14) भातने,	(26) माझीवाली,	(38) बापने,
(3) तुलिंज,	(15) शिवनसाई	(27) कारांजोन,	(39) देवदल,
(4) सकवार,	(16) उसगांव,	(28) तिलहर,	(40) कामन,
(5) छिमान,	(17) मेधे,	(29) धानिव,	(41) सरजामोरी
(6) हेडवडे,	(18) वादघर,	(30) पेल्हार,	(42) पोमन
(7) काशिदकोपर,	(19) भीनार,	(31) अहोले,	(43) शिलोत्तर
(8) खानीवाडे,	(20) एम्बोडे,	(32) वालिव,	(44) ससुनवघर
(9) भालीवाली,	(21) कालभोन,	(33) सतिवाली,	(45) नागले
(10) कावेहर,	(22) अनदने,	(34) राजवली,	
(11) शिरसाद	(23) सायावान,	(35) कोल्ही,	
(12) मान्डवी	(24) पारोल,	(36) छिनछोती	

¼iii½ fHkokMh rglhy d cgÙkj xko uhp n'kk, x, g
fHkokMh rglhy

(1) भिवाली,	(19) देपोली,	(37) कांडली बुदर्क,	(55) जाम्मीवाली–टर्फ–कुंडे,
(2) गनेशपुर,	(20) सखरोली,	(38) केल्हे,	(56) असनोली–टर्फ–कुंडे,
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी,	21) सूपेगांव,	(39) कांडली खुर्द,	(57) शिरोले,
(4) अकोली,	(22) पिलांजे खुर्द,	(40) दीघाशी,	(58) दाभाद,
(5) सवारोली,	(23) पिलांजे बुदुर्क,	(41) नेवादे,	(59) महानडुल,
(6) खातीवाली,	(24) अलखीवाली	(42) अम्बादी,	(60) शिरगांव,
(7) उसगांव,	(25) वाघीवाले,	(43) दालोंड,	(61) पिंपल सेठ भुसेठ,
(8) घोटगांव,	(26) देवचोले	(44) जाम्मीवाली–टर्फ–खाम्बाले,	(62) खादकी खुर्द,
(9) वाढ़े,	(27) सागोआं,	(45) उम्बारखंड,	(63) खादकी बुदरूक,
(10) वारेथ,	(28) इकसाल,	(46) आशिवाली,	(64) चिम्बीपाडे,
(11) चाने,	(29) चिन्चावाली–टर्फ–कुंडे,	(47) जिदके,	(65) कूहे,
(12) असनोली–टर्फ–दुगद	(30) डूधानी,	(48) खारीवाली	(66) घामने,
(13) दुगद,	(31) वापे	(49) बासे,	(67) लाखीवाली,
(14) मनीवाली,	(32) घदाने,	(50) गांडोडे,	(68) पालीवाली,
(15) वादवाली–टर्फ–दुगद,	(33) कुंडे,	(51) पहारे,	(69) पाये,
(16) मालबीडी,	(34) घोतावाडे,	(52) सेदगांव,	(70) गाने,
(17) मोहिली,	(35) माइंडे,	(53) पच्छापुर,	(71) दाहयाले,
(18) नन्दीथान,	(36) करमाले,	(54) गोंड्रवली	(72) फिरंगपाडा

¼iv½ ejckn rglhy d lÙkj xko uhp n'kk, x, g
ejckn rglhy

(1) कासगावं,	(21) माढ,	(40) दीवानपाडा,	(59) बालेगांव,
(2) किसाल,	(22) सोनावाले	(41) कोचरे खुर्द,	(60) तलवाली (बडागांव),
(3) वाडावाली,	(23) वेलुक,	(42) कोचने बुद्रुक,	(61) वैशाखरे,
(4) सखारे,	(24) अलावे,	(43) चोसाले,	(62) मनवाली–टर्फ–खेडुल,
(5) खुटालबोरगांव,	(25) बरसुंगे,	(44) खुटल बंगला,	(63) पेनढारी,
(6) अम्बेल खुर्द,	(26) मांडुस	(45) नयाहाडी,	(64) उमरोली बुदर्क,
(7) सयाले,	(27) खेड,	(46) मोरोशी,	(65) ओजीवाल,
(8) इंदे,	(28) वनोटे,	(47) फंगुलगांवाहन,	(66) मांदवत,
(9) खेडाले,	(29) शाई,	(48) सवरने,	(67) महाज,
(10) तलवाली–टर्फ–घोराट,	(30) शेलगांव,	(49) थिताबी–टर्फ–वैशाखहरे,	(68) पडाले,
(11) इकलाहारे,	(31) शिरोशी,	(50) कुदसेट,	(69) कोलोशी,
(12) चाफे–टर्फ–खेडुल,	(32) तालेगांव	(51) फंगाने,	(70) जयगांव,
(13) पिम्पालघर,	(33) फंगाकोशी,	(52) खपारी,	(71) कलामबाद (भोंडीवाले),
(14) देहगांव,	(34) मेरडी,	(53) हेडावाली,	(72) खेवारे,
(15) पारहे,	(35) वाल्हीवारे,	(54) कारचोंडे,	(73) दुधानोली,
(16) कांडली,	(36) माल,	(55) जडघर	(74) उमारोली खुर्द,
(17) धासाई,	(37) जडाई,	(56) उडालदोहा,	(75) खोपीवाली,
(18) अल्यानी,	(38) अम्बीवाली,	(57) महोरांडे,	(76) मील्हे,
(19) पालू,	(39) डिधेफाल,	(58) टोकवडे,	(77) गोरखागड
(20) देवघर,			

2- ukfld ftys e: fuEu%

¼i½ fMMkjh rglhy d: ,d lk N% xko uhp: n'kk, x, g%
fMUMkjh rglhy

(1) मोखनाल,	(28) उम्ब्राले खुर्द,	(55) कोलहेरी,	(82) गोंडेगांव,
(2) भनवाड,	(29) अम्बेगान,	(56) जिरवाडे,	(83) हतनोर,
(3) डेहारे,	(30) चाचादगांन,	(57) चामदारी,	(84) नीलवांडी,
(4) कारंजली,	(31) वाघाद,	(58) मालदुमाला,	(85) पिपंलगांव केतकी
(5) गंडोले,	(32) पोफलवाडे,	(59) मंडाने,	(86) राजापुर,
(6) पलासविहिर,	(33) धाउर,	(60) कोशिम्बे,	(87) डिंडोरी,
(7) वारे,	(34) उम्बाले बुद्रुक,	(61) पुनेगांव,	(88) जोपुल,
(8) वनजोले,	(35) जम्बूतके,	(62) पंडाने,	(89) माडकी जाम्ब,
(9) अम्बाद,	(36) पिम्पराज,	(63) अंबानेर,	(90) पालखेड
(10) वनारे,	(37) नालेगांव,	(64) चंदीकपुर,	(91) इन्दोर,
(11) तितवे,	(38) विलवांडी,	(65) भाटोडे,	(92) कोरहते,
(12) देवधान,	(39) रासेगांव,	(66) दाहिवी,	(93) चिंचखेड,
(13) नानाशी,	(40) कोचारगांव,	(67) मुलाने,	(94) टालेगांव डिंडोरी,
(14) चारोसे,	(41) तिलहोली,	(68) कोकनगांव खुर्द,	(95) अकराले,
(15) देवघर,	(42) रावलगांव,	(69) मालेगांव,	(96) मोहाडी,
(16) कौदासर,	(43) देहेर वाडी,	(70) पिम्परखेड,	(97) पिम्पसालानारे,
(17) वनी खुर्द	(44) ढागुर,	(71) फोपासी,	(98) खाटवाड,
(18) पिंपलगांव धूम	(45) देवसाने,	(72) वानी कास्बे,	(99) रामसेज,
(19) जोरान,	(46) सरसाले,	(73) संगमनेर,	(100) अम्बे डिंडोरे,
(20) महाजे,	(47) करांजखेड,	(74) खेडले,	(101) ढाकम्बे,
(21) सदराले,	(48) पंगलवाडी,	(75) मवाडी,	(102) जानोरी,
(22) नालवाडी,	(49) इकलाहारे,	(76) करंजवान,	(103) मानोरी,
(23) ओजे,	(50) चउसाले,	(77) डाहेगांव,	(104) शिवनाई,
(24) गोलशी,	(51) पिम्प्री अंचला,	(78) वागलूड,	(105) वारवांडी,
(25) जलखेड,	(52) अहिवंतवाडी,	(79) कृष्णागांव,	(106) जौल्के डिंडोरी
(26) निगडोल,	(53) गोलडारी,	(80) वारखेड,	
(27) कोकानगांव बुर्दक,	(54) हास्ते,	(81) कदवाम्हालुंगी,	

¼ii½ bxriqjh rglhy d: frjkuo: xko uhp: n'kk, x, g: rFkk bxriqjh 'kgj%

(1) ढाडोशी,	(13) अलवांड,	(25) ढारगांव,	(37) कोपारगांव,
(2) भीलमाल,	(14) दापुरे,	(26) ओडंली,	(38) कुरनोली,
(3) पाहिने,	(15) मेत हुम्बाची,	(27) सातुरली,	(39) ढारनोली
(4) जारवाड खुर्द,	(16) जारवाड बुद्रुक,	(28) अवाली डुमला,	(40) वाकी,
(5) टाकेहर्षा,	(17) महासुरली,	(29) कारहाले,	(41) चिंचाले (खाइरे),
(6) असवाली हर्षा,	(18) शेवगेडांग,	(30) रायाम्बे,	(42) ट्रिंगलवाडी,
(7) समुन्दी,	(19) वानजोले,	(31) टाकेडेगांव,	(43) अदवान,
(8) खारोली,	(20) देवगांव,	(32) मेटेलयाची,	(44) अवालखेडे,
(9) कोजोली,	(21) अहुरली,	(33) बितुरली,	(45) पारदेरी,
(10) अवहाते,	(22) नन्दादगांव,	(34) वालविहिर,	(46) बलायदूरी,
(11) कुशेगांव,	(23) वावी हर्षा,	(35) भलवी बुद्रुक,	(47) खम्बाला,
(12) मेचन्द्रायची,	(24) नागोसली,	(36) पिंपलगांव भटाटा,	(48) टाके घोटी,

(49) घोटी बुद्रुक,	(61) बोरली,	(73) इन्दोर,	(85) अदसारे बुद्रुक,
(50) तालेगांव (1),	(62) मानवेधे,	(74) उम्बारकोन,	(86) अहारवाड,
(51) गिरनार,	(63) भवाली खुर्द,	(75) सोमाज घादगा,	(87) ताकेड खुर्द,
(52) तितोली,	(64) कालूस्ते,	(76) उभाडे (वंजुलवाजी),	(88) ताकेड बुद्रुक,
(53) बोरटम्भे,	(65) जामुन्डे,	(77) मेगारे,	(89) खेड,
(54) तालोशी,	(66) गाहुन्डे,	(78) बेलगांव तारहाले,	(90) वारसिंगवे,
(55) नन्दगांव साडे,	(67) भारवाज,	(79) धामनगांव,	(91) सोनोशी,
(56) पिंपरी सदरोद्दीन,	(68) कारूंगवादी,	(80) देओले,	(92) मइदारा धानोशी,
(57) तालेघा,	(69) निरपन,	(81) खैरगांव,	(93) वासाली
(58) कंचनगांव,	(70) मनजारगांव,	(82) पिम्पलगांव मोरे,	
(59) शेनवाड बुद्रुक,	(71) अम्बेवाडी,	(83) धामनी,	
(60) फंगुलगांवन,	(72) खाडकेड,	(84) अदसारे खुर्द,	

¼iii½ ukfld rglhy ds lÙkj xko uhps n'kk,s x, gS rFkk ,d 'kgj f=Ecd½
ukfld rglhy½

(1) साप्टे,	(19) चकोरे,	(37) मुलेगांव,	(55) गोवरधान,
(2) कोने,	(20) अम्बोली,	(38) लादाची,	(56) शिवनगांव,
(3) खारवाल,	(21) अम्बाई,	(39) नाकवाडी,	(57) पिंपलगांव गरुडेश्वर,
(4) वरासविहिर,	(22) शीरासगांव,	(40) वेले,	(58) राजेवाडी,
(5) वघेरा,	(23) तालवाडे त्रिम्बाक,	(41) सादगांव,	(59) गंगावारहे,
(6) रोहिले,	(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,	(42) यादगांव,	(60) गणेशगांव त्रिम्बाक,
(7) नन्दगांव,	(25) खामबाले,	(43) मनोली,	(61) गणेशगांव नाशिक,
(8) गोरथान,	(26) सापगांव	(44) ढोंडेगांव,	(62) वसाली,
(9) हिरदी,	(27) काचुरली,	(45) दारी,	(63) दूदगांव,
(10) मालेगांव,	(28) अंजनेरी,	(46) गिरनाते,	(64) महिरावनी,
(11) वेलुन्जे,	(29) तालेगांव त्रिम्बाक,	(47) दुगांव,	(65) तालेगांव अंजानेरी,
(12) गणेशगांव वघेरा,	(30) पेगलवाडी त्रिम्बाक,	(48) देओरगांव,	(66) जाटगांव,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक,	(31) वाधोली,	(49) नागलवाडी,	(67) सारूल,
(14) मेट कवारा,	(32) उभरांडे,	(50) ओजारखेडी,	(68) पिंपलाड नासिक,
(15) ब्राह्मणवाडे त्रिम्बाक,	(33)कालमुस्ते,	(51) चांदशी,	(69) राजुबहुला,
(16) तोरनानगान,	(34) तिम्बार्क (ग्रामीण),	(52) गंगम्हौंगी,	(70) दहीगांव
(17) धूमोदी,	(35) हर्षेवाडी,	(53) जलालपुर,	
(18) बेसे,	(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक,	(54) सावरगांव,	

¼iv½ ckxyku rglhy ds lÙkkou xko uhps n'kk, x, gS½
ckxyku rglhy½

(1) बोरहाते,	(16) रावर,	(31) दसवेल,	(46) ततानी,
(2) मोहलांगी,	(17) जामोती,	(32) जाखोड,	(47) भीलडार,
(3) जैतपुर,	(18) अलिआबाद,	(33) मुंगासे,	(48) किकवारी बुर्दुक,
(4) गोलवाड,	(19) अजांडे,	(34) भावाडे,	(49) जोरान,
(5) हतनूर,	(20) मुलहेर,	(35) दसाने,	(50) साकोड़े,
(6) मालीवाड,	(21) बाबुलने,	(36) मालगांव खुर्द,	(51) करांजखेड,
(7) अम्बापुर,	(22) मोरने–दिगर,	(37) सालवान,	(52) डांग सौडाने,
(8) जाड,	(23) बोरदइवत,	(38) पिसोर,	(53) निकबेल,
(9) वीसापुर,	(24) भीमखेत,	(39) करसाने,	(54) बन्धाते,
(10) शेवारे,	(25) वाघम्बे,	(40) विथोड,	(55) दाहिन्डुले,
(11) खाराड़,	(26) मनूर,	(41) पाठवेडीगर,	(56) सरवार,
(12) वाड डिगार,	(27) सालहेर,	(42) तालवेडीगर,	(57) वाडीचौलहेर
(13) देवथान,	(28) कटारवेल,	(43) मोरकुरे,	
(14) कोंधाराबाद,	(29) भीलवाड,	(44) किकवारी खुर्द,	
(15) अंतापुर,	(30) तुंगन,	(45) केलजार,	

3- /kqys ftys esa fuEu%&

¼i½ lkdjh rglhy ds vLlh xko uhps n'kkZ, x, gS

lkdjh rglhy

(1) चौपाले,	(21) वसखेडी,	(41) पेटाले,	(61) वारदोली,
(2) रोथोड,	(22) डामकानी,	(42) पिंपलगांव,	(62) काकसाद,
(3) जामखेल,	(23) सालटेक,	(43) मोहाने,	(63) पानखेडे,
(4) खूरूसवाडे,	(24) दाहीवेल,	(44) तेम्भे, परगाने वारसे,	(64) सामोडे,
(5) सुतारे,	(25) भोनगांव,	(45) शिरसोले,	(65) महासदी, परगने, पिम्पलनेर,
(6) धानेर,	(26) बादगांव,	(46) उमारपीटा,	(66) पिंपलनेर,
(7) अमाले,	(27) मेनडाने,	(47) मालगांव, परगान वारसे,	(67) चिकासे,
(8) माचमाल,	(28) दापुर,	(48) खारगांव,	(68) जीरापुर,
(9) खांडवारे,	(29) रोहन,	(49) कालाम्बे,	(69) कोकनागांव,
(10) रायकोट,	(30) जेबापुर,	(50) चोरवाड,	(70) शेवागे,
(11) बुरूदके,	(31)अमोडे,	(51) लाखाले,	(71) धामानधार,
(12) पानगांव,	(32) किरवाड़े,	(52) वारसे,	(72) विरखेल,
(13) लागडवाल,	(33) घोडाडे,	(53) शेनवाड,	(73) पारगांव,
(14) रायतेल,	(34) सुरपान,	(54) कुदाशी,	(74) मंडाने,
(15) ब्रहमणवेल,	(35) कोरडे,	(55) मनजारी,	(75) बालहाने,
(16) आमखेल,	(36) वालव्हे,	(56) मापालगांव,	(76) देशिरवाडे,
(17) जाम्बोरे,	(37) विटावे,	(57) डांगशिरवाडे,	(77) काडयाल,
(18) वारसस,	(38) कासबे छाडवेल,	(58) बोपखेल,	(78) ढ़ोगाड्गिार,
(19) जामकी,	(39) बसार,	(59) शिव,	(79) शेलबारी,
(20) रूनमाली,	(40) इसारडे,	(60) खात्याल,	(80) डेगांव

¼ii½ unjckj rglhy ds c;kLlh xko uhps n'kkZ, x, gS vkSj unjckj 'kgj½

unjckj rglhy

(1) भंगाडे,	(22) धुलवाड,	(43) धामदाई,	(64) अखातवाड़े,
(2) मंगलूर,	(23) गुजर भवाली,	(44) वारुल,	(65) हट्टी उर्फ इंडि,
(3) वसलाई,	(24) गुजर जम्बोली,	(45) अदाच्छी,	(66) पलाशी,
(4) अर्दितारा,	(25) कर्णखेडे,	(46) लोंखेडे,	(67) घुली,
(5) धानोरा,	(26) फुलसारे,	(47) कराजकुपे,	(68) राकसवाडे,
(6) पावले,	(27) उमरदे बुद्रुक	(48) नालवे खुर्द,	(69) वाघोडे,
(7) कोठडे,	(28)नारायणपुर,	(49) सुंदारदे,	(70) पाटोंडे,
(8) उमज,	(29) घिरासगांव,	(50) नालवे बुद्रुक,	(71) हाल–टर्फ–हवेली,
(9) कोथाली खुर्द,	(30) धेकवाड,	(51) दुधाले,	(72) खोडासगांव,
(10) वदाजकान,	(31) बिलाड़ी,	(52) नंदारखे,	(73) शाहदे,
(11) निंबोन बुद्रुक,	(32) खैराले,	(53) भाने,	(74) शिंदे,
(12) जालखे,	(33) खामगांव,	(54) वसादारे,	(75) कोल्डे,
(13) शिरवादे,	(34) नागासार,	(55) बावद,	(76) भगसारी,
(14) रनाले खुर्द,	(35) विरचक,	(56) चाकले,	(77) धामदोड,
(15) नटवाड,	(36) टोकारटाले,	(57) दहींडुले बुद्रुक,	(78) सवाल्दे,
(16) करांजवे,	(37) वाघाले,	(58) दहींडुले खुर्द,	(79) कोरित,
(17) शेजवे,	(38) ओजारदे,	(59) कथोरे दिगर,	(80) सुजातपुर,
(18) पिंपलोड–टर्फ–धानोर,	(39) अस्हते,	(60) उमारदे खुर्द,	(81) तिशि,
(19) लोया,	(40) थानेपाडा,	(61) चौपाले,	(82) धंधाने
(20) वेलावाड,	(41) अमरावे,	(62) अखाराले,	
(21) व्याहुर,	(42) पथराई,	(63) वादबारे,	

¼iii½ 'kkgnk rglhy d: ,d Ik bdrkyh] xko uhp: n'kk, x, g¼
'kkgnk rglhy

(1) आकासपुर,
(2) नवागांव (वन ग्राम),
(3) वीरपुर,
(4) दारा,
(5) भूटा,
(6) कनसाइ (वन ग्राम),
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वन ग्राम),
(8) चिराडे,
(9) नागजिरि (वन ग्राम),
(10) कुसुमवाडे,
(11) नन्दया (वन ग्राम),
(12) पिम्परानी,
(13) रानीपुर (वन ग्राम),
(14) फट्टेपुर,
(15) लक्कडकोट (वन ग्राम),
(16) कोटबन्धानी (वन ग्राम),
(17) पिम्पलोड,
(18) कुड्डावाड,
(19) लाच्छोरे,
(20) कनाडी–टर्फ–हवेली,
(21) शीरूद–टर्फ–हवेली,
(22) अमोडे,
(23) अलखेड,
(24) पाडाल्डे बुद्रुक,
(25) बुदिगावन,
(26) उमारती,
(27) पिम्परी,
(28) महासवाद,
(29) अनकवाडे,
(30) सुलवाडे,
(31) तवलाई,
(32) मुबारकपुर,
(33) वेलवाड,
(34) कलमाडी–टर्फ–बोअरडी,
(35) वाडी,
(36) सोनावद–टर्फ–बोअरडी,
(37) थेंगचे,
(38) जावाडे–टर्फ–बोअरडी,
(39) तारहाडी–टर्फ–बोअरडी,
(40) वारघे,
(41) पारी,
(42) कोठाली–टर्फ–हवेली,
(43) औरंगपुर,
(44) चिखाली बुद्रुक,
(45) करनखेडे,
(46) नन्दारडे,
(47) वैजाली,
(48) वाघोडे,
(49) परकाशे,
(50) धामलाड,
(51) काथारेडे बुद्रुक,
(52) काथारडे खुर्द,
(53) कलसाडी,
(54) धुरखेडे,
(55) भाडे,
(56) पिगाने,
(57) गानोर,
(58) अदगांव,
(59) खारागांव,
(60) कोचरारे,
(61) बिलाडी–टर्फ–हवेली,
(62) बहिरपुर,
(63) ब्राह्मणसपुर,
(64) सुल्तानपुर,
(65) रायखेड,
(66) खेड दिगर,
(67) नावलपुर,
(68) चांदसाइली,
(69) गोदीपुर,
(70) पडालडे खुर्द,
(71) भागा पुर,
(72) जावखेडे,
(73) सोनवाई–टर्फ–हवेली,
(74) कवालीथ,
(75) तुकी,
(76) सावरखेडे,
(77) कारजोत,
(78) लोहारे,
(79) गोगापुर,
(80) कुरांगी,
(81) तिधारे,
(82) दमाल्डे,
(83) कालामंड–टर्फ–हवेली,
(84) चिखाली खुर्द,
(85) भारेटेक,
(86) श्रीखेडे,
(87) ओजारटे,
(88) उखालशेम,
(89) वघारदे,
(90) जाम,
(91) जवादे–टर्फ–हवेली,
(92) तितारी,
(93) होल मुबारकपुर (वन ग्राम),
(94) वडगांव,(95)पिम्पारदे,
(96) असलोड,
(97) मंडाने,
(98) अवागे,
(99) तिखोरे,
(100) उन्तावाद,
(101) होल,
(102) मोहिडे–टर्फ–हवेली,
(103) जुनवाने,
(104) लोनखेडे,
(105) तेम्भाली,
(106) होलगुजारी,
(107) आसुस,
(108) बुपकारी,
(109) मलोनी,
(110) डोगंरगांव,
(111) कोथाल–टर्फ–शहादा,
(112) मटकुट,
(113) बोराले,
(114) कामरावद,
(115) कहतुल,
(116) वादछिल,
(117) लोंधारे,
(118) उधालोड,
(119) निम्बोरे,
(120) धांड़रे बुद्रुक,
(121) चिरखान (वन ग्राम),
(122) असलोड (नया) (वन ग्राम),
(123) जैनघर,
(124) धांद्रे खुर्द (वन ग्राम),
(125) मनमोडया (वन ग्राम),
(126) दुतखेडे (वन ग्राम),
(127) भोंगारा (वन ग्राम),
(128) वदाली,
(129) कोंधावाल,
(130) भुलाने (वन ग्राम),
(131) चांदसाइली (वन ग्राम),
(132) उभादगाड (वन ग्राम),
(133) काकरडे खुर्द,
(134) खापरखेडे (वन ग्राम),
(135) मालगांव (वन ग्राम),
(136) लंगादी भवानी (वन ग्राम),
(137) शहना (वन ग्राम),
(138) काकरडे बुद्रुक,
(139) अम्भानपुर बुद्रुक,
(140) काटघर,
(141) निम्बारडी (वन ग्राम)

¼iv½ f'kjiqj rglhy ds cklB xkao uhps n'kkZ, x, gS&
f'kjiqj rglhy½

(1) बोरपानी (वन ग्राम),	(22) खैरीखान (वन ग्राम),	(43) संगवी,
(2) मलकाटार (वन ग्राम),	(23) बोअरडी,	(44) हाटेड,
(3) फत्तेपुर (वन ग्राम),	(24)वसारदी,	(45) जेन्दया अन्जन,
(4) गधाडदेव (वन ग्राम),	(25) नन्दारदे,	(46) पलासनेर,
(5) कोडिड (वन ग्राम),	(26) चान्दसे,	(47) खाम्बले,
(6) गुरहाडपानी (वन ग्राम),	(27) वाडी बुद्रुक,	(48) पानाखेड (वन ग्राम),
(7) भुदाकी (वन ग्राम),	(28) वाडी खुर्द,	(49) खेंरखुटी (वन ग्राम),
(8) वाघपाडे (वन ग्राम),	(29) जालोड,	(50) जोयादा (वन ग्राम),
(9) सइगारपाडा (वन ग्राम),	(30) अभानपुर खुर्द,	(51) चिलारे (वन ग्राम),
(10) मंजरीबुरदी (वन ग्राम),	(31) तारहाड,	(52) लकड्या हनुमान (वन ग्राम),
(11) चौंडी (वन ग्राम),	(32) उखालवाडी,	(53) महादेव डोंडवाडे (वन ग्राम),
(12) भुदाकी (वन ग्राम),	(33) मुखेड,	(54) मालापुर (वन ग्राम),
(13) चंदसुरया (वन ग्राम),	(34) नीमजारी,	(55) रोहिणी,
(14) बोरादी (नया) (वन ग्राम),	(35) वरजाडी,	(56) भोइती,
(15) काकडमल (वन ग्राम),	(36) वाघबारदा,	(57) अम्बे,
(16) वाकवाड (वन ग्राम),	(37) समरयामापद,	(58) खामखेडे परगने अम्बे,
(17) उमरदा (वन ग्राम),	(38) लउकी,	(59) हिवारखेडे (वन ग्राम),
(18) डुराबड्या (वन ग्राम),	(39) सूले (61),	(60) हिगांव,
(19) मोहिडे (वन ग्राम),	(40) फत्तेपुर,	(61) वाडेल खुर्द,
(20) डोंडवाडा (वन ग्राम),	(41) हेदाखेड़,	(62) कालापानी (वन ग्राम)
(21) तेम्भा (वन ग्राम),	(42) अरूनपुरी बांध (अवानकीकृत),	

4- tyxkao ftys esa fuEufyf[kr¾&
¼d½ ¼i½ pksiMk rglhy ds iPphl xkao uhps n'kkZ, x, gS
pksiMk rglhy

(1) मराठा (वन ग्राम),	(10) वैजापुर (वन ग्राम) (54),	(18) देवजिरि (वन ग्राम),
(2) मूरढिडा (वन ग्राम),	(11) बोराजन्ती (वन ग्राम),	(19) कुंडयापानी (वन ग्राम),
(3) उमारती (वन ग्राम),	(12) मालापुर (वन ग्राम),	(20) इच्छापुर परगने अडवाड़
(4) सत्रसेन (वन ग्राम),	(13) बोरामाली (वन ग्राम),	(21) बधावानी,
(5) कृष्णपुर (वन ग्राम),	(14) करजाने (वन ग्राम),	(22) बधाई,
(6) अंगुरने,	(15) मेलान (वन ग्राम),	(23) कनदाने,
(7) खारया पडव (वन ग्राम),	(16) विशनपुर (वन ग्राम),	(24) मोहराद,
(8) वैजापुर (राजस्व) (52),	(17) देवहारी (वन ग्राम),	(25) असालवाडी (वन ग्राम)
(9) मुलुयाउत्तर (वन ग्राम),		

¼ii½ ;koy rglhy ds rsjg xkao uhps n'kkZ, x, gS
;koy rglhy

(1) मानापुरी,	(6) हरिपुरा (वन ग्राम),	(11) जामन्या (वन ग्राम),
(2) टोलाने,	(7) वाघाजीरा (वन ग्राम),	(12) गदरया (वन ग्राम),
(3) खालकोट,	(8) प्रसादे बुद्रुक,	(13) उसमाली (वन ग्राम)
(4) इचखेडे,	(9) बोरखेड़े खुर्द,	
(5) मलोद,	(10) लांगदा अम्बा,	

¼iii½ jkoj rglhy d: bDdhl xko uhp: n'kk, x, g%
jkoj rglhy

(1) महुमांडली (वन ग्राम),	(8) चिनचाती,	(15) लोहारे,
(2) पिम्परकुंड (वन ग्राम),	(9) पाल,	(16) कुसुम्भे बुद्रुक,
(3) अन्धारमालि (वन ग्राम),	(10) मारव्हाल,	(17) कुसुम्बे खुर्द,
(4) तड्या (वन ग्राम),	(11) जिनसी,	(18) पिम्परी,
(5) निमड्या (वन ग्राम),	(12) सहसरालिंग (वन ग्राम),	(19) मोहगांन बुद्रुक,
(6) गारबारदी (वन ग्राम),	(13) लालमाटी (वन ग्राम),	(20) पडाले बुद्रुक,
(7) जानोरी,	(14) अवहोडे बुद्रुक,	(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5- vgenuxj ftys e: fuEufyf[kr%&
¼d½ vdksy: rglhy d: pkjkuo: xko uhp: n'kk, x, g%&
vdksy: rglhy

(1) तिरधे,	(25) पंजारे,	(49) विथे,	(73) घोटी,
(2) पडोशी,	(26) चिनचोंडी,	(50) कोल्टेम्भे,	(74) पैथान,
(3) महाजुंगी,	(27) वाकी,	(51) केलुंगन,	(75) लवाली कोतुल,
(4) एकडारे,	(28) तितावी,	(52) जामगांव,	(76) वाघदारी,
(5) संगावी,	(29) पिंपरकाने,	(53) शिरपुंजे बुद्रुक,	(77) शिलवांडी,
(6) केली रूमहानवाडी,	(30) उदादावाने,	(54) सवारकुटे,	(78) कोहोने,
(7) बिताका,	(31) कोदानी,	(55) कुमशेट,	(79) लिवाली ओतुर,
(8) खिरवीरे,	(32) घाटघर,	(56) शिरपुंजे खुर्द,	(80) ताले,
(9) कोम्भालने,	(33) सिगनवाडी राजुर,	(57) घामनवन,	(81) कोथाले,
(10) तहकारी,	(34) मुरशेट,	(58) अम्बित,	(82) सोमलवाडी,
(11) समशेरपुर,	(35) शेंडी,	(59) बालथान,	(83) विहिर,
(12) सावरगांव पाट,	(36) समराड,	(60) मानिक ओजार,	(84) शिंडा,
(13) मुथालने,	(37) भंडारडारा,	(61) पुरूचवाडी,	(85) अम्बित खिंड,
(14) बारी,	(38) रानाड बुद्रुक,	(62) मवेशी,	(86) पालसुंडे,
(15) वारंघुसी,	(39) रानाड खुर्द,	(63) शिसवाद,	(87) पिसेवाडी,
(16) लाडागांव,	(40) मालेगांव,	(64) वापजुलसेत,	(88) फोपसांडी,
(17) शेनित,	(41) कोहोन्डी,	(65) गोंडोशी,	(89) सातवाडी,
(18) पाभुलवांडी,	(42) दिगम्बर,	(66) खादकी,	(90) केली ओतुर,
(19) बाभुलवांडी,	(43) गुहिरे,	(67) साकिरवाडी,	(91) केली कोतुल,
(20) अंबेवांगन,	(44) कतालपुर,	(68) पचनाई,	(92) खेतेवाडी,
(21) देवगांव,	(45) रतनवाडी,	(69) चिंचवाने,	(93) इसारथाव,
(22) पेंडशेट,	(46) मुतखेल,	(70) पदालने,	(94) करांडी
(23) मानहेरे,	(47) तेरूंगन,	(71) शेलाद,	
(24) शेलविहीरे,	(48) राजुर,	(72) पिम्परी,	

6- i|.k ftyk e fuEufyf[kr%&

¼i½ vEcxko rglhy dk NIiu xko uhp n'kk, x, g¼
vEcxko rglhy

(1) डोन,	(16) कुसीरे खुर्द,	(31) फुलवाडे,	(46) निगाडाल,
(2) पिम्परागाने,	(17) पंचाल बुद्रुक,	(32) फलोडे,	(47) गोह खुर्द,
(3) अघाने,	(18) कुसीरे बुद्रुक,	(33) कोलटावाडे,	(48) अपाती,
(4) अहूपे,	(19) दिगाद,	(34) तेरूनगांव,	(49) गंगापुर खुर्द,
(5) तिरपाड,	(20) पंचाल खुर्द,	(35) दिम्भे बुद्रुक,	(50) अमोंडी,
(6) नहावेद,	(21) महिलुंगे–टर्फ–अम्बेगांव,	(36) महालुंगे–टर्फ–घोडा,	(51) कनासे,
(7) असाने,	(22) सवारली,	(37) राजपुर,	(52) गंगापुर बुद्रुक,
(8) मलीन,	(23) मेघोली,	(38) चिखाली,	(53) सिनोली,
(9) नानावाडे,	(24) वाचपे,	(39) राजेवाडी,	(54) पिम्पालगाव–टर्फ–घोडा,
(10) अमाडे,	(25) साकेरी,	(40) सूपघर,	(55) साल,
(11) वरसावने,	(26) पिम्परी,	(41) तालेघर,	(56) ढाकले
(12) कोंढारे,	(27) अम्बेगांव,	(42) मापोली,	
(13) आदिवारे,	(28) जाम्भोरी,	(43) डिम्भे खुर्द,	
(14) बोरघर,	(29) कालम्बाई,	(44) पोखारी,	
(15) पाटन,	(30) कोन्ढावाल,	(45) गोहे बुद्रुक,	

¼ii½ tUukj rglhy dk i lB xko uhp n'kk, x, g%&
tUukj rglhy

(1) चिल्हेवाडी,	(18) तालेरान,	(35) वेवादी,	(52) भिवाडे बुद्रुक,
(2) अम्बेहवहन,	(19) सीतेवाडी,	(36) तेजुर,	(53) इंगालून,
(3) जामभूलशी,	(20) वटखाले,	(37) फंगलघावन,	(54) भिवाडे खुर्द,
(4) खिरेश्वर,	(21) निमगिर,	(38) चावन्द,	(55) घंगालडारे,
(5) माथालाने,	(22) अनजानवाले,	(39) पुर,	(56) सोनावाले,
(6) कोल्हेवाडी,	(23) हदसर,	(40) खानगांव,	(57) ताम्बे,
(7) कोपारे,	(24) देवाले,	(41) मानकेश्वार,	(58) हिवारे–टर्फ–मिनहेर,
(8) मंडावे,	(25) खाइरे,	(42) सुराले,	(59) हतविज,
(9) सिंगनोरे,	(26) घाटघर,	(43) अम्बोली,	(60) अम्बे,
(10) आलू,	(27) जलवांडी,	(44) शिरोली–टर्फ–कुकादनेर,	(61) पिंपरवाडी,
(11) खूबी,	(28) हिरदी,	(45) वानेवाडी,	(62) सुकालवधे,
(12) पिम्पालगांव जोगा,	(29) उनदेखादक,	(46) अपटाले,	(63) गोदरे,
(13) कारंजाले,	(30) राजुर,	(47) कोली,	(64) खामगांव,
(14) माध,	(31) खाटकाले,	(48) शिवाली,	(65) सोमतवाडी
(15) पांगरी–टर्फ–माध,	(32) मणिकडोह,	(49) उतचिल,	
(16) कोलवाडी,	(33) खाड कुम्बे,	(50) बोटा,	
(17) परगांव–टर्फ–मेध,	(34) उरसान,	(51) धालेवाडी–टर्फ–मिनहर,	

7- ukUnsM ftys esa fuEufyf[kr%&
fduor rglhy d fuEufyf[kr ,d lk ckou xko o fduor dLck] tk uhp mfYyf[kr g

(1) तकली,	(39) करन्जी (सिन्दखेड़),	(77) मुंग्शी,	(115) मालकवाडी,
(2) पदसा,	(40) भगवती,	(78) सिंगदी (किनवत),	(116) पेन्डा,
(3) सायपाल,	(41) वाराज बुद्रुक,	(79) मालबोरगांव,	(117) परधी खुर्द,
(4) मुरली,	(42) उमरी,	(80) नेजपुर,	(118) केरल,
(5) वादसा,	(43) उनकदेव,	(81) राजगड,	(119) डेगांव,
(6) कोली,	(44) चाइस,	(82) वडोली,	(120) लिंगधारी,
(7) अश्ता,	(45) पिंपलसेंडा,	(83) अनजी,	(121) परदी बुद्रुक,
(8) गोण्डेगांव	(46) सरखानी,	(84) कनकवाडी,	(122) बोधादी खुर्द,
(9) मदनापुर (महोर),	(47) देलही,	(85) लोनी,	(123) बोधादी बुद्रुक,
(10) बोंडगांवन,	(48) निराला,	(86) धामनधारी,	(124) सिंदगी (चिखली),
(11) उमरा,	(49) नूरगांव,	(87) पंधारा,	(125) अंधाबोरी (चिखली),
(12) मछन्द्रा पारदी,	(50) टिट्वी,	(88) बेल्लोरी (किनवत)	(126) कोपारा,
(13) करालगांव,	(51) लिंगी,	(89) मारेगांव,	(127) पीपर फोडी,
(14) सावरखेड,	(52) नागपुर,	(90) कमथाला,	(128) पटोडा (चिखली),
(15) डिगडी (कुटेमार),	(53) जुनुनी,	(91) अम्बादी,	(129) पिपरी,
(16) वाई,	(54) दिगदवाजरा,	(92) खेरदा,	(130) धानोरा (चिखली),
(17) हरदाप,	(55) डारसांगवी (सिंदखेड़),	(93) मलकापुर,	(131) सवारी,
(18) नाइकवाडी,	(56) सिंगोडा,	(94) घोती,	(132) धारा,
(19) हिन्गानी,	(57) सिरपुर,	(95) सिरमेत्ती,	(133) पोथ रेड्डी,
(20) वाजरा,	(58) वेम्भी,	(96) भीमपुर,	(134) सिगारवाडी,
(21) तुलशी	(59) पटोड़ा बुद्रुक मिनको,	(97) पिंपलगांव (किनवत),	(135) अन्जेगांव,
(22) गोंडवाडसा,	(60) मांडवी,	(98) धोगारवाडी,	(136) भंडारवाडी,
(23) अंजानखेड,	(61) जवारला,	(99) गोकुंडा,	(137) जलधारा (चद्रपुर),
(24) भोराड़,	(62) पालसी,	(100) माण्डवा (130),	(138) बेलोरी (चिखली),
(25) चोराड़,	(63) बेलगांव,	(101) डिग्डी (मंगाबोड़ी),	(139) मालकोलारी,
(26) धनोरा (सिंदखेड),	(64) कनकी,	(102) नागजरी,	(140) डिगरास,
(27) रामपुर,	(65) कोठारी (सिंदखेड़),	(103) कोठारी (चिखली),	(141) डोंगरगांव (चिखली),
(28) पाथरी,	(66) पिंपलगांव (सिंदखेड़),	(104) प्रधान संगवी,	(142) शिवोनी (चिखली),
(29) खाम्बला,	(67) डोंगरगांव (सिंदखेड़),	(105) बेन्डी,	(143) परोटी,
(30) पारदी,	(68) जरूर,	(106) अमाडी,	(144) स्वरगांव,
(31) सिन्दखेड,	(69) मिनकी,	(107) मदनापुर (चिखली),	(145) जलधारा (इस्लापुर),
(32) सिंचखेड,	(70) पचुण्डा,	(108) शानीवार पेठ,	(146) कोठारी,
(33) हटोला,	(71) वनोला,	(109) दभादी,	(147) हुड्डी (इस्लापुर),
(34) वाइफानी,	(72) साकुर,	(110) चिखाली,	(148) करांजी (इस्लापुर),
(35) धुंद्रा,	(73) मैंडकी,	(111) हुदी (चिखली),	(149) कुपटी खुर्द,
(36) गउरी,	(74) डिगडी (मोहनपुर),	(112) एन्धा,	(150) कुपटी बुद्रुक,
(37) बोथ,	(75) धानोरा (डिगडी),	(113)भूलजा,	(151) वागधारी,
(38) सइलू,	(76) मोहापुर,	(114)डारसंगवी,	(152)तलारी

8- vejkorh ftyk esa fuEufyf[kr%&
fp[kynkjk vkj /kjuh rglhy
9- ;oreky ftyk esa fuEufyf[kr%&
¼i½ ekjsxkWo rglhy ds 130 xkWo uhps n'kkZ, x, gSa
ekjsxkWo rglhy

(1) घोगुलदारा	(36) वागधारा	(71) निमानी	(106) डोंगारगांव (वन ग्राम)
(2) शिओनाला	(37) मेंधानी	(72) दरारा	(107) दभाड़ी
(3) बुरांडा	(38) घानपुर	(73) आसन	(108) उमरी (192)
(4) पहपल	(39) खंडानी	(74) जागलोन	(109) मुधाती
(5) कान्हलगांव	(40) खापी	(75) जामकोला	(110) द्यसोदी
(6) खेकडवाई	(41) उच्चातदेवी (वन ग्राम)	(76) इसापुर	(111) कोंडपखिंडी
(7) घोदाधारा	(42) मारेगांव (वन ग्राम)	(77) किलोना	(112) मंगरुल खुर्द
(8) नरसाला	(43) खंडानी	(78) उमरघाट	(113) मंगरुल बद्रुक
(9) धामनी	(44) महासदोदका	(79) वल्लासा	(114) गोपालपुर
(10) मदनापुर	(45) पालागांव	(80) जुनोनी (वन ग्राम)	(115) रामपेठ
(11) बोरी खुर्द	(46) बोटोनी	(81) लेंचोरी	(116) चालबरडी
(12) पिस्गांव	(47) गिर्जापुर (वन ग्राम)	(82) चिंचघर	(117) जामनी
(13) वड़गांव (40)	(48) पछपोहर	(83) अम्बिजारी खुर्द	(118) शिरोला
(14) फिसकी (वन ग्राम)	(49) अम्बेजारी	(84) अम्बेजारी बद्रुक	(119) अदकोली
(15) भालेवाड़ी	(50) रोहपात	(85) करगांव खुर्द	(120) खालकलोह
(16) पथारी (51)	(51) रायपुर	(86) निम्बादेवी	(121) बिरसापेठ
(17) चिंचाला,	(52) सगनपुर	(87) टेम्फी	(122) मुछी
(18) पंघार्कवाला (53)	(53) हिवारा बरसा	(88) कुंडी	(123) मारकी बुद्रुक
(19) खर्दा (वन ग्राम) (54)	(54) रामपुर	(89) मांडिव	(124) मारकी खुर्द
(20) पिम्प्रद (वन ग्राम)	(55) कातली बोरगांव	(90) जुनोनी	(125) गणेशपुर
(21) फपरवाड़ा	(56) पारदी (116)	(91) पारम्भा	(126) पंवार (वन ग्राम)
(22) सालाभट्टी (वन ग्राम)	(57) शिबला	(92) पोखरनी (वन ग्राम)	(127) कृष्णपुर (वन ग्राम)
(23) दोलदोंगरगांव	(58) चियाली (वन ग्राम)	(93) पिवारदोल	(128) खेकड़ी (वन ग्राम)
(24) मचिन्द्रा	(59) बोरगांव (वन ग्राम)	(94) भोराद (वन ग्राम)	(129) शेकापुर
(25) पंडविहोर	(60) पेंधारी	(95) चिखालदोह	(130) यिओती
(26) जाल्का	(61) अर्जुनी	(96) मुल्गवान	
(27) पंधारदेवी (वन ग्राम)	(62) कागांव	(97) भीमनाला	
(28) अम्बोरा (वन ग्राम)	(63) रजनी	(98) चटवान	
(29) चिंचोनी बोटोनी	(64) माजरा	(99) अराइकवाड़	
(30) अवंलगांव (वन ग्राम)	(65) गंगापुर (वन ग्राम)	(100) गवारा	
(31) कान्हलगांव (85)	(66) भोइकुंड (वन ग्राम)	(101) माथार्जुन	
(32) खारीगांव (86)	(67) वाधोना	(102) महदापुर	
(33) सराती	(68) सुसारी	(103) पंधारवानी	
(34) बुरांडा (88)	(69) सुरला (131)	(104) देमाद देवी	
(35) दुर्गादा	(70) गोदानी	(105) मंडवा	

¼ii½ jkyxko rglhy d: rirkyhl xko uhp: n'kk, x, g¾
jkyxko rglhy

(1) लोहारा	(12) बुकाई	(23) भुलगद	(34) मुंजाला
(2) एकलारा	(13) जरगद	(24) पिंपलाशेंडा (75)	(35) पलासकुन्ड
(3) सोनेर्डी	(14) खादकी सुकली	(25) अतमुर्दी	(36) वीरगांव
(4) वाटखेड	(15) डोंगरगांव	(26) सावरखेड	(37) खैर गांव
(5) जलका	(16) तेजानी	(27) चोंधी	(38) देवधारी
(6) वार्हा	(17) अंजी	(28) वधोड़ा	(39) सिंगल दीप
(7) पिंपारी दुर्ग	(18) लोनी	(29) खेमकुन्ड	(40) सोनुर्ली
(8) मांडवा	(19) बोराती (वन गांव)	(30) पार्डी (वन गांव)	(41) सिन्दोला
(9) कोलवान	(20) साराती	(31) उमरविहार	(42) जोतिगदारा
(10) शोइत	(21) खैरगांव कसार	(32) अदनी	(43) साखी खुर्द
(11) वरुद	(22) वारधा	(33) खटारा	

¼iii½ dykij rglhy e: fuEufyf[kr 103 xko vkj iU/kkdiokMk dLck 'kkfey fd;k x;k¾
dykij rglhy

(1) मोदारी	(28) वादनेर	(55) धारना	(82) बेलुरी
(2) जोगीन कोहला	(29) जुली	(56) मांगी (343)	(83) टादुमारी
(3) मीरा	(30) भाद उमारी	(57) ढोकी (344)	(84) बरगांव (377)
(4) जीरा	(31) पटोडा	(58) वायी	(85) अकोली बुद्रुक
(5) घोद्दारा (वन ग्राम)	(32) पहापल	(59) पिंपालपुर	(86) महानदोली
(6) साखी बुद्रुक	(33) नागजारी खुर्द	(60) गणेशपुर (347)	(87) सखारा
(7) वधोना खुर्द	(34) बहततार	(61) खैरगांव (348)	(88) मराठवाकाडी
(8) जोलापुर (वन ग्राम)	(35) सुसारी	(62) पाधे	(89) ढोकी (382)
(9) कराजी	(36) नईकसुकली (वन गांव)	(63) निलजई	(90) वल्लारपुर
(10) वधोना बुदुर्क	(37) पेधारी	(64) मारगांव (352)	(91) टोकवनजारी
(11) तिवसाला (वन ग्राम)	(38) पिल्पाली	(65) अभोरा	(92) वानजारी (382)
(12) कोथाड़ा	(39) डोंगारागांव (308)	(66) डोंगरगांव (358)	(93) खारीगांव बुद्रुक
(13) सुरदेवी	(40) बेथ	(67) पिंपारी (353)	(94) टिमभी
(14) चनई	(41) माले गांव खुर्द (वन गांव)	(68) खैरगांव (360)	(95) राधापुर (वन गांव)
(15) असोली	(42) हिवारदारी (वन गांव)	(69) मुची	(96) पिखाना (वन गांव)
(16) मोहादा	(43) मालागांव बुद्रुक (वन गांव)	(70) मगुर्दा	(97) वासारी
(17) कारेगांव (163)	(44) दरियापुर	(71) पंधारवानी बुद्रुक (वन गांव)	(98) अन्धारवाडी
(18) चिखालदारा	(45) पिल्वाहरी	(72) कोंधी	(99) येदलापुर (वन गांव)
(19) कृष्णापुर	(46) अर्ली	(73) वेदार	(100) चनाखा
(20) दाभा	(47) हिवरी	(74) बागी	(101) निमधेली
(21) मोरवा	(48) पिंपालशेंडा (333)	(75) घनमोडे	(102) रुधा
(22) खैरगांव (199)	(49) कारेगांव (334)	(76) नन्दगांव	(103) सुकली
(23) वघोली	(50) वाडवत	(77) गणेशपुर (370)	
(24) कुसल	(51) खैरी (336)	(78) टाटापुर	
(25) चोपन	(52) घुवाडी	(79) जुन्जापुर	
(26) मल्कापुर (वन गांव)	(53) कोंघारा	(80) गेंडवाकाडी	
(27) केगांव	(54) सखरा बुदुर्क	(81) चलबर्दी	

¼iv½ ?krkth rglhy dk ipiu xko uhp n'kk, x, g%
?krkth rlhy

(1) मारवेली	(17) मुधाटी (वन गांव)	(33) खरोनी (वन गांव)	(49) शेराद
(2) रजुरवाडी	(18) जलान्द्री	(34) वधोना	(50) धुंकी (वन गांव)
(3) लिंगी	(19) मनुसधारी	(35) डोर्ली	(51) मथानी (वन गांव)
(4) कोली खुर्द	(20) अयाते	(36) राहती	(52) राजागांव (वन गांव)
(5) कोली बुद्रुक	(21) काप	(37) रासा (वन गांव)	(53) खापरी (वन गांव)
(6) रामपुर उन्धार्नी	(22) कवाथा बुद्रुक	(38) जताला	(54) होनेगांव
(7) कापशी	(23) बिलायत	(39) चिखालवर्धा	(55) गनेरी
(8) डेटोडी	(24) खादकी (260)	(40) तड़–सवाली	
(9) गुधा	(25) चिमटा	(41) सैफल	
(10) वारुड (240)	(26) कोपरी खुर्द	(42) नागेजरी बुद्रुक	
(11) जपारवाडी	(27) चिंचोली (268)	(43) कवाथा (वन गांव)	
(12) उमरी (242)	(28) किंघी (वन गांव) (269)	(44) पारवा	
(13) पलोडी	(29) गवारा (वन गांव)	(45) मझाडा	
(14) कोपरी (244)	(30) टिटवी	(46) पार्दी	
(15) घोटी	(31) मुरादगवन (वन गांव)	(47) जम्ब	
(16) बुडाडी	(32) पिंपाल खुटी (वन गांव)	(48) कालेश्वर	

10- x<fpjksyh ftys esa fuEufyf[kr%
¼d½ bÙkiYyh] fljkpk] vgsjh] /kukjk] dj[kMk rglhyA
¼[k½ ¼i½ x<fpjksyh rglhy dk ckIB xko uhp n'kk, x, g%
x<fpjksyh rglhy%

(1) नावगांव (636)	(17) मोंधा (680)	(33) रायपुर (718)	(49) रजोली (734)
(2) चाक चुरचुरा	(18) सावरगांव (683),	(34) रवानजोरा	(50) म्रदास
(3) कुराधी	(19) कनरी	(35) पेकिनकासा	(51) जालेर
(4) चाक मउसी	(20) पुलखाल	(36) सवेला	(52) दैवापुर
(5) मरमेडी	(21) मुदजा बुद्रुक	(37) सुईमारा	(53) रामगड (738)
(6) बोथेडी	(22) मुदजा तुकुम	(38) सखेरा	(54) गावलहेटी
(7) पेलनदुर	(23) करुपाला	(39) कर्कजारा	(55) डेउडा
(8) गिलगांव (658)	(24) मसली	(40) कन्हलगांव (725)	(56) खरादगुडा
(9) चाक खरपुर्डी	(25) रणभूमि	(41) केलीगाटा	(57) तालकुडा
(10) जपरा	(26) चन्द्राला	(42) तोहागांव	(58) जामगांव
(11) चाक धिबाना	(27) रणमोल	(43) राजनगुद्दा	(59) खाडसी
(12) मेरेउमबोडी	(28) कुम्भी पत्व	(44) बनोली	(60) कोरकुटी
(13) कुरकेडी	(29) कुम्भी मोकासा	(45) सूर्यडोंगरी	(61) नागवेली
(14) खुरसा	(30) मादे मुल	(46) सलाईटोला	(62) जालेगांव
(15) वीजापुर	(31) मारोदा	(47) विटानटोआ	
(16) सोनापुर	(32) कोसामघाट	(48) पोटेगांव	

¼ii½ vjekjh rglhy d: pkgÙkj xko uhp: n'kk, x, g¾ vjekjh rglhy

(1) कोरागांव (6)	(20) थानेगावं	(39) वाडेगांव	(58) वारखेडा
(2) कालमगांव	(21) पटानवेड़ा	(40) थोटीबोडी	(59) खराडी
(3) कुरल	(22) पुरानवैरागड	(41) देलवांडी	(60) भंशी
(4) सलेडा तुकाम	(23) देउलगांव (69)	(42) मेनापुर	(61) डोर्ली
(5) सलेडा लाम्बा	(24) सुकला	(43) कोसारी	(62) वनारचुवा
(6) कसारी तुकाम	(25) मोहाजारी उर्फ सखारखेडी	(44) मनगोडा	(63) जमभाली (127),
(7) कसारी गांव	(26) चाक केरपाडा	(45) तुलतुली	(64) मिंधा(128),
(8) शिवराजपुर (29)	(27) लोहारा (78)	(46) चकनागारवाही	(65) नारचोली
(9) पोटेगांव (30)	(28) चाक सोनपुर	(47) विहिरगांव	(66) खेहारी
(10) विहिरगांव (33)	(29) हिरापुर (80)	(48) कुरांडी	(67) मारगांव पेच
(11) पिपांलगांव	(30) डोंगर तामसी	(49) उमारी	(68) मारगांव (140)
(12) अरात–तोन्डी	(31) सियानी खुर्द	(50) यंगाडा	(69) चाक मारगांव
(13) डोंगारगांव (हलाबी)	(32) चावहेला	(51) पिसेवाडढ़ा	(70) चाक चिंचोली
(14) प्लासगांव (43)	(33) मोहाताला चाक कुकोडी	(52) परासवाडी (113)	(71) मुसी खुम्ब
(15) नवारगांव	(34) मेंधा (89)	(53) डवाडी	(72) वेलगांव (144),
(16) पाथरगोटा (49)	(35) डोंगारतमसी	(54) खादकी (115)	(73) चिचोली (145),
(17) मगेवड़ा	(36) नगरवाडी	(55) भाकरांडी	(74) वानखेडा
(18) अर मोरी	(37) चाक नरोती	(56) नरोती मालगुजार	
(19) सलमारा	(38) चाक कुरोंडी	(57) कारेगांव (119)	

¼iii½ pkejk'lh rglhy d: ,d lk cÙkh l xko uhp: n'kk, x, g¾ pkejk'lh rglhy¾

(1) सगानपुर (758)	(23) पन्धारी भटाल	(45) मांगनेर	(67) छाक बेलगत्ता
(2) बनढोना (764)	(24) राजनगेट्टा	(46) चिंचापल्ली	(68) मांजी गांव
(3) गिलगांव (765)	(25) चाक अमरगांव न.1(809)	(47) वानारचुवा	(69) मच्छालीघोट
(4) भिंडी कनाल (771)	(26) मुतनूर	(48) जयरामपुर	(70) छाक माक्केपल्ली सं.4
(5) दातारी	(27) अबापुर	(49) वाइगांव	(71) दुर्पन गुडा
(6) चाइट कनवर	(28) मुरानदेपी	(50) नाराणपुर	(72) छाक माक्केपल्ली सं.2
(7) कालमगांव	(29) लिनगुडा	(51) राजुर खुर्द	(73) छाक माक्केपल्ली सं.3
(8) कुरुड	(30) अदयल	(52) हलदवाही	(74) गारांजी
(9) मालेर,	(31) कर्कापल्ली	(53) मुधौली	(75) छाक मेड आमगांव
(10) कुलेगांव	(32) चाक कर्कापल्ली	(54) कोठारी (845)	(76) छाक मेड आमगांव सं.1
(11) नाचनगांव	(33) जंगामरकुरल	(55) बम्हानी देव	(77) छाक मेड आमगांव सं.2
(12) भादभिद (788)	(34) फियूजर	(56) सोमनपल्ली	(78) तुमडी
(13) वालसारा	(35) दिकानी	(57) कान्हलगांव (848)	(79) गिरगाडी
(14) चाक बिसापुर	(36) चाक मुदोली न..2,	(58) सिंगेला	(80) माकेपल्लि मालगुजारी
(15) जोगाना	(37) लक्ष्मणपुर	(59) बेलगाट्टा	(81) बोरघाट
(16) मुरमुरी	(38) सगानपुर (829)	(60) पेठताला	(82) अस्टी नोकेवाडा
(17) रावनपल्ली	(39) अम्बोली	(61) छाक पेठाताला सं. 1,	(83) ब्राहमणपेठ
(18) सोनापुर	(40) गहुबोदी	(62) पारादीदेव	(84) बेंगानूर
(19) डरर्ली	(41) छाक नारायणपुर संख्या 1	(63) यादवपल्ली	(85) नोकेवाडा
(20) रेखागांव	(42) छाक नाराणपुर संख्या 2	(64) राजपुर (856)	(86) अल्लापल्ली
(21) येदानूर	(43) राजुर बुद्रुक	(65) जाम्भालीरिथ	(87) रेगेवाही
(22) पेलसानपेथ	(44) भादविड (835),	(66) मेटेगुडा	(88) कोलपल्ली

(89) अम्बेला (वन गांव)	(101) पुलीगुड्म	(112) सिगनपल्ली	(123) छितुगुंहा
(90) गाट्टा (वन गांव)	(102) कुनधादा	(113) धामनपुर	(124) तुमुगुडा
(91) अडगेपल्लि	(103) कोलसापुर	(114) कोठारी (930)	(125) माछिनगट्टा
(93) येल्लूर	(104) गंगापुर	(115) अम्बाटपाल्लि	(126) येल्ला
(94) थाकरी	(105) चंदन खेड़ी	(116) गोमानी	(127) टिकपाल्ली
(95) राजगट्टा (908)	(106) मालेरा	(117) लागमहेट्टी	(128) मारपाल्ली
(96) लोहरा	(107) बसारवाड़ा	(118) दामनपुर	(129) जामगांव
(97) मुकारीटोला	(108) चापराला	(119) बन्दुकपल्ली	(130) कुलथा
(98) भोलखांडी (वन गांव)	(109) चैदमपट्टी	(120) कोड़ीगांव	(131) रामपुर
(99) हेतलकासा	(110) मुकाडी (वन गांव)	(121) चिचेला	(132) लागम चक
(100) बोलपल्ली	(111) फुस्की	(122) नागुलवाही	

11- pUæiqj ftys esa fuEufyf[kr%
jktqjk rglhy ds ,d lkS c;klh xkao uhps n'kk, x, g%&
jktqjk rglhy%

(1) पारसौदा	(32) एरगांव	(63) सवालहीरा	(94) चंदूर
(2) रायपुर	(33) उमारजारा	(64) खीरगांव (80)	(95) कुकुदसात
(3) कोथोडा खुर्द	(34) येल्लापुर	(65) पांढरवानी (81)	(96) खिरदी
(4) गोविंदपुर	(35) शिंगार पारार	(66) जांम्बुलढ़ारा	(97) धुतरा
(5) कोथोडा बुद्रुक	(36) लम्बोंरी	(67) धानकदेवी	(98) बहलामपुर
(6) मेंहदी	(37) सेदवई	(68) येरमी इसपुर	(99) मनोली खुर्द
(7) पर्दी	(38) नरपाथर	(69) सारंगपुर	(100) जमानी
(8) जैवरा	(39) कोदापुर	(70) जिवाती	(101) नोकारी बुद्रुक
(9) चनाई खुर्द	(40) घरपाना	(71) नागपुर	(102) सोनापुर
(10) अकोला	(41) नाकेवाडा	(72) मारकोलमोट्टा	(103) उप्पारवाई
(11) कोरपाना	(42) गुडसेल	(73) धोंदा अरजुनी	(104) भुरखुंडा खुर्द
(12) दुर्गादी	(43) वानी	(74) धोंधा मांडवा	(105) कदकी (150),
(13) रुपापेठ	(44) केकाजारी	(75) टेका अर्जुनी	(106) नोकारी खुर्द
(14) चुनाई बुद्रुक	(45) मोहदा	(76) टेका मांडवा	(107) नागराला
(15) मांडवा	(46) पुदियाल मोहदा	(77) राहपल्ली बुद्रुक	(108) पालेजारी
(16) कानेरगांव बुद्रुक	(47) कमलापुर	(78) छिखिली (94),	(109) काकबान
(17) कटलावोडी	(48) चिंचखोंड	(79) पाटन (95),	(110) डोगरागांव (155)
(18) शिवपुर	(49) वनसाडी	(80) हीरापुर	(111) छिखाली (156),
(19) चौपान	(50) पराम्बा	(81) इसपुर	(112) भुरखुंडा बुद्रुक
(20) करमवौडी	(51) देवघाट	(82) आसन खुर्द	(113) पाछगांव
(21) कुकुलवोंडी	(52) कुसाल	(83) आसन बुद्रुक	(114) सेनगांव (159)
(22) टीपा	(53) दाहेगांव	(84) पीपलगांव	(115) ताताखेंडी
(23) मंगुलहीरा	(54) सोनुरलो (70)	(85) पालजारी	(116) भेंडवी
(24) खादकी (27),	(55) कारगांव खुर्द (71)	(86) बोरिनवे गांव	(117) सुकादपल्लि
(25) जमुलधारा (28),	(56) धानोली	(87) नन्दा	(118) कारकागोंडी
(26) वोरगांव बुद्रुक	(57) पिपराडा	(88) बीबी	(119) तित्वी
(27) वोरगावं खुर्द	(58) छिनछोली	(89) धुनकी	(120) नादपा
(28) आशापुर	(59) कारगांव बुदुर्क	(90) धामनगांव	(121) येरगांवन
(29) तांगाला	(60) मारकागोंडी (76)	(91) काखमपुर	(122) कावादगोंडी
(30) खेरगांव (33),	(61) बेलगांव	(92) बाडगांव	(123) सोराकासा
(31) हतलौनी	(62) जुलबारदी	(93) इंजापुर	(124) कुसुम्बी

(125) जनकपुर	(140) बेलगांव (185)	(155) पाढंरपुनी (227)	(170) केलजारी
(126) पुनागुडा (नावेगांव)	(141) काकड़घाट	(156) अहेरी	(171) नवेगांव (265),
(127) डेवड़ा	(142) गनेरी	(157) कोच्छी	(172) चिंचाला
(128) खदकी रायपुर	(143) खिरदी	(158) गोरजा	(173) वीरुर
(129) गोवेन्दपुर	(144) सेदवई	(159) बारुर	(174) सिद्धेश्वर
(130) मारियापट्न	(145) बाबरपुर	(160) रानीवेली	(175) घोट्टा
(131) उमराजारा (176)	(146) हीरापुर (200),	(161) भेडोडा	(176) गोगरगांव
(132) राहपल्लि खुर्द	(147) सखारी	(162) ताम्भुरवाही	(177) सुबाई
(133) धार्मराम	(148) मनोली खुर्द	(163) चिरुड़	(178) कोस्ताला
(134) भोकसापुर	(149) गोयेगांव	(164) छिंछवोडी	(179) लाक्कदकोट
(135) बाम्बेजारी	(150) हरडोना खुर्द	(165) कवथाला	(180) अम्बेजारी
(136) भारी	(151) हरडोना बुदुर्क	(166) सोनुरली	(181) अन्तारगांव (277)
(137) पांडरवानी (182)	(152) विनिरगांव (224)	(167) सिरसी	(182) अन्नूर
(138) सिंडोलाटा	(153) मागी	(168) बेरडी	
(139) सोंडो	(154) वांगी	(169) भेंडाला	

#महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरुप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सं.आ.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश (सं.आ. 26) दिनांक 07.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को जहां, तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश,, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 02.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है।

V- vksfM'kk ##

1. मयूरभंज जिला 2. सुदरंगढ़ जिला 3. कोरापुट जिला 4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील 5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सब–डिवजीन और तेलकोइ तहसीलें और चम्पुआ सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें 6. बौध–खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब दृडिवजीजन की	खोण्डमाल तहसील और बालीगुडा सब–डिवीजन की बालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें। 7. गंजाम जिले आर, उदयगिरि और पारलखेमुण्डी तहसील के मूगा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब–डिवीजन के गजलबाडरी और ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम। 8. कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप–मण्डल में यौमुल रामपुर खंड और लानजीगढ में पड़ने वाला लालजीगढ खंड और कालाहांडी तहसीलें।	9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब–डिवीजन के निलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) (राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध ओडिसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI- jkT LFkku ###

(1) बांसवाड़ा जिला
(2) डूँगरपुर जिला
(3) प्रतापगढ़ जिला
(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित हैं:
(क) कोटरा, झाड़ोल (तत्कालीन फलसिया), लसाडिया, सालम्बर, सारदा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और गोगुन्दा की तहसीलें।
(ख) गिरवा तहसील में निम्नलिखित:
(i) गिरवा ब्लॉक।
(ii) ब्लॉक बड़ागांव की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:
(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हंदर, राठोरों का गुरहा, बंदरवारा, घोड़न कलान, घोरन खुर्द और कायलोन का गुरहा गांव।
(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावरी, मठ्ठा, नागदा, झालोन का गुरहा और मुनवस गाँव।
(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, कारेलोन का गुरहा और सारे गाँव।
(IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बरी, भीलोन का बेदला, ओटन का गुरहा और प्रतापपुरा गाँव।
(V) ढेकली ग्राम पंचायत के ढेकली और बड़ा गांव।
(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बड़ोदिया, घसियार और डांगियोन का हुंदर गाँव।
(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोत का वास, बेयल, कुंडल उबेश्वरजी, धार, बडंगा और बनाड़िया गांव।
(ग) मावली तहसील के नौवा ग्राम पंचायत के नौवा, खदरा, रायजी का गुरहा और मारुवास गाँव।
(घ) वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:
(I) मल की तोस ग्राम पंचायत के मल की तोस, गोवाला, फलेट, टैंक और ब्राह्मणों का रोबा गाँव।
(II) धवरिया ग्राम पंचायत के धवरिया, खेरफला, नगालिया, रानी डोंगला और रनिया गांव।
(III) भोपा खेरा ग्राम पंचायत के भोपा खेरा, बेरीपुरा, हमीरपुरा, फूलसरिया और रायला गाँव।
(IV) कुंडई ग्राम पंचायत के कुंडई, भामेला, गोटीपा, कंकरियोन का खेरा, नाहरपुरा उर्फ नरपुरा, पद्मा खेरा और संग्रामपुरा गाँव।
(5) राजसमंद जिले में निम्नलिखित हैं:
(क) कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:
(i) अंट्री ग्राम पंचायत के अंतरी, सांडूकॉन का गुरहा और बारां गांव।
(ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावड़ा गाँव।
(iii) ओरा ग्राम पंचायत के ओरा, डोवास और कोडर गांव।
(iv) पीपना ग्राम पंचायत के पीपना, जैतारण और डेलवरिया गाँव।
(अ) बरदरा ग्राम पंचायत के बरदरा, उदावार, कलथाना और कोटरा गाँव।
(ख) नाथद्वारा तहसील के कलिवास ग्राम पंचायत के निम्न गाँव, अर्थात, कलिवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुरहा, गमथों का नोहरा, दमावरी, कोलार, मुंजेला, लीलेरा, रेनिया, श्यामजी का गुरहा, सियाओल, सोनगरिया तथा तानतेला।
(6) चित्तौड़गढ़ जिले की बारी सादरी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:
(क) रतिचंद्र जी का खेरा ग्राम पंचायत के अफरन का तालाब, लिंकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेरा, सेमल खेरा, रुघनाथपुरा, केतखेरा, रति तलाई, रति चंद्र जी का खेड़ा, चंदपुरा, सबलपुरा और गुंडाल पुर गाँव।
(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूप पुरा और मरोडिया गाँव।
(ग) केवलापुरा (क), केवलापुरा जगीर, रावतपुरा, शिव पुरा, तेगियारो का फला, नाया खेरा, रानी माल्या, काली बिष्ट, लछमीपुरा, हरिपुरा, श्यामपुरा, जूनी बरवाल, कल्याणपुरा और केवलापुरा (ख) गाँव केवली के गाँव।
(घ) मूनजवा ग्राम पंचायत के मूनजवा, जयसिंहपुरा, एक लिंगपुरा, मातमगरी, ढेकरिया खेरी, पूजन का फीलियन, पयारी, केशरपुरा, खानखरिया खेरी, लालपुरा, काला खेत और दीपोन का तालाब गाँव।
(ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरुंडी, गढ़ बोरुंडी, संग्रामपुरा, राठोरों का खेरा, खेरी कलां, खीरी खुर्द और सुखपुरा गाँव।
(7) पाली जिले की बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:
(क) अमलिया ग्राम पंचायत के अमलिया, कागदरा, थांडी बेरी, लक्ष्मण पुरा जोद और बोथरा गाँव।
(ख) कुरन ग्राम पंचायत के कुरन, खेताली, कोलवाड़ा, कोटिवडा, कुरन खदरा और खेताली खाड़ा गाँव।
(ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया

और कोरवा गाँव।

(घ) भीमना ग्राम पंचायत के भीमना, उपला भीमना, तानी, उराना और नदिया गाँव।

(ङ) ककराड़ी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरड़वन, दानवरली, सांभरवारा और बेर्दी गाँव।

(च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा गाँव।

(छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला गाँव।

(ज) लुंडारा ग्राम पंचायत के लुंडारा, चिमनपुरा और मालदार गाँव।

(झ) कोयलवाओ ग्राम पंचायत के कोयलवाओ, चिंगता भाटा और चोपा की नल गाँव।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित हैं:

(क) आबूरोड तहसील

(ख) पिंडवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:

(i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुंडल, सबेला, वागड़री, धनगा, कलुम्बरी और पिंडवाड़ा (ग्रामीण)।

(ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चेनेया बैंड और भदवेरी गाँव।

(iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, थांडी बेरी, सदलवा और मलाप गाँव।

(iv) घरात ग्राम पंचायत के घरत, मालारा, नवासा, गादिया और पहार कलां गाँव।

(v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, अप्री खेरा और कलबोर गांव।

(vi) मंडवारा खालसा ग्राम पंचायत के मंडवारा खालसा, खोखरी खेरा और वारकी खेरा।

(vii) सांवरा ग्राम पंचायत के सांवरा, साडा फली, नवासा देव, नवासा खालसा और सेमली गांव।

(viii) इसरा ग्राम पंचायत के इसरा, केर, उबेरा और चुरली खेरा।

(ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया गाँव।

(x) मंदवारा देव ग्राम पंचायत के मंडवारा देव, पीतारी पदार, केदार पाडर और बोर उमरी गाँव।

(xi) भुला ग्राम पंचायत का भुला गाँव।

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कसेन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नंबर 2 और कोटरा गाँव।

(xiii) बसंत गढ़ ग्राम पंचायत का बसंत गढ़ गाँव।

(xiv) सिवरा ग्राम पंचायत के सिवरा, राजपुरा, केशवगंज और दारला पाडर गाँव।

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सं.आ.114) दिनांक 12.2.1981 के माध्यम से पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। अनुसुचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सं.आ.114) दिनांक 12.2.1981 में राजस्थान के विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं.आ. 270) दिनांक 19.05.2018 द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VII- >kj[k.M@

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी–सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी– सिंहभूम जिला
8. सरायकेला–खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला–सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला–भंडारिया ब्लॉक
15. गोडा जिला–सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सं.आ. 9) दिनांक 26. 1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सं.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सं.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सं.आ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सं.आ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII- e/; çns'k@@

1.झाबुआ जिला
2.मंडला जिला
3.डिन्डोरी जिला
4.बरवानी जिला
5.धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी धर्मपुरी, गंधवानी और मानवार तहसील
6.खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले के भगवानपुर, सेगांव, भीकनगांव, खरगोन और महेश्वर तहसील
7.खण्डवा (पूर्व निमाड़) जिले के खाकनार तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरसुद तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।
8.रतलाम जिले में सैलाना और बाजवा
9.बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और भैंसदेही, शाहपुर तहसीले
10. सियोनी जिले के लाखनडोन, घनसौर और कुराई जनजाति विकास खण्ड।
11. बालाघाट जिले का बैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जय–सिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सिधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।
बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं० 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं० 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं० 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं० 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 के नीलकंठ और धवादिखापा गांव।

IX- NÙkhlx<@@

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गौरेला– 1, विकास खंड गौरेला–2 आदिवासी विकास खंड और राजस्व निरीक्षक सर्किल
7.कोरबा जिला
8.जशपुर जिला
9.रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10.दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति जनजाति विकास खंड
11.राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड
12.रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13.धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खण्ड

@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सं.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सं.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

fVIi.kh mi;ä lph e vulfpr {k= dh orluh e fd lh v lxrrk d ekey e lEcf/kr ey vf/k lpuk dk vfre rFkk vf/kçekf.kr ekuk tk,xkA

vuqyXud&5 ?k

vuqlfpr {ks=k dk ç'kklu ij jkT;iky dh fjiksVZ dh fLFkfr

Ø-la-	jkT;	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	आंध्र प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
2.	छत्तीसगढ़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
3.	गुजरात	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
4.	झारखण्ड	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
6.	मध्य प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
8.	ओडिशा	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
9.	राजस्थान		प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
10.	तेलंगाना (2 जून, 2014 को राज्य अस्तित्व में आया)		प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त

vulyXud&5 M-

o"k 2014&15 l jkT;k }kjk vk;kftr dh xbl tutkrh; lykgdkj ifj"kn ¼Vh,lh½ dh cBdk dk fooj.k

jkT; dk uke	Vh,lh dh cBdk dh frfFk;k			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंध्र प्रदेश	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	दिनांक 25.9.2017 के जी.ओएम सं 84 के माध्यम से पुनर्गठित टीएसी	संसूचित नहीं
छत्तीसगढ़	22.7.2014	08.06.2015 और 17.12.2015	12.07.2016	संसूचित नहीं
गुजरात	(बताया गया कि कोई बैठक नहीं हुई थी)	07.10.2015	13.7.2016	संसूचित नहीं
हिमाचल प्रदेश	30.3.2015 (नोटिफिकेशन)	29.07.2015	6.9.2016	दिनांक 4.4.2018 की अधिसूचना के माध्यम से पुनर्गठित टीएसी
झारखण्ड	27.9.2014	20.5.2015 07.08.2015 28.01.2016	26.04.2016 और 03.11.2016 16.1.2017	03.7.2017 और 03.8.2017
मध्य प्रदेश	17.3.2015	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
महाराष्ट्र	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
महाराष्ट्र	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
राजस्थान	18.12.2014	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
तमिलनाडु*	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	दिनांक 2.2.2018,के जी.ओ.एम सं. 84 के माध्यम से पुनर्गठित टीएसी
पश्चिम बंगाल*	05.06.2014	26.08.2015	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
तेलंगाना (2 जून 2014 को राज्य अस्तित्व में आया)	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	24.06.2016	संसूचित नहीं
उत्तराखण्ड* (टीएसी नियम 19 जनवरी, 2015 को अधिसूचित हुए)	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	08.07.2016 और 02.08.2016	संसूचित नहीं

*राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं।

vuqyXud&6 d

2016&17 ls 2018&19 ds fy, e=ky;@foHkkx&okj tutkrh; mi&;kstuk vkoaVu

(करोड़ रुपए में)

Øe la-	e=ky;@foHkkx dk uke	Vh, lih ck/;rk	2016&17 ¼okLrfod½			2017&18 ¼la'kksf/kr vuqeku½			2018&19 ¼la'kksf/kr vuqeku½		
			dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh, lih vkoaVu	dqy ifj0;; dk %	dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh, lih vkoaVu	dqy ifj0;; dk %	dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh, lih vkoaVu	dqy ifj0;; dk %
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	5462.92	112.07	2.05	2166.46	93.16	4.30	2508.43	106.71	4.3
2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	8.60	36573.35	1071.37	2.93	40582.66	3170.61	7.81	67261.35	5784.72	8.6
3	दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग	8.60	510.31	56.44	11.06	650.27	66.84	10.28	737.25	72.99	9.9
4	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	157.12	1.28	0.81	150.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	27035.07	320.91	1.19	37617.50	2909.70	7.73	39831.37	3382.32	8.5
6	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.60	6059.28	1231.12	20.32	5879.74	1532.02	26.06	8757.46	1403.93	16.0
7	भूमि संसाधन विभाग	10.00	1649.26	169.00	10.25	1822.00	175.00	9.60	1986.00	198.60	10.0
8	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	95105.21	4266.31	4.49	108994.75	5937.83	5.45	112352.96	5443.79	4.8
9	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	35956.84	4343.98	12.08	38980.67	4873.19	12.50	41460.13	4933.38	11.9

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टीएसपी बाध्यता	2016-17 (वास्तविक)			2017-18 (संशोधित अनुमान)			2018-19 (संशोधित अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
10	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.30	1950.29	59.10	3.03	2183.00	155.00	7.10	2277.34	104.85	4.6
11	दूरसंचार विभाग	4.30	10519.72	29.00	0.28	10994.69	18.72	0.17	7730.11	676.18	8.7
12	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	474.07	20.55	4.33	578.14	28.57	4.94	606.29	26.00	4.3
13	कोयला मंत्रालय	8.60	484.05	25.38	5.24	685.00	36.40	5.31	725.00	30.53	4.2
14	संस्कृति मंत्रालय	4.30	556.69	24.76	4.45	610.00	34.97	5.73	657.86	33.60	5.1
15	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	8.60	2405.50		0.00	2634.42	716.00	27.18	2580.81	593.70	23.0
16	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	10.00	16475.70	1649.90	10.01	24011.18	2399.83	9.99	19978.03	1997.80	10.0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	1201.16	185.42	15.44	1425.63	95.53	6.70	3352.81	226.00	6.7
18	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	4.30	35528.74	112.32	0.32	39333.26	157.18	0.40	41376.22	298.64	0.7
19	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	4784.05	27.11	0.57	6225.37	517.50	8.31	9395.26	776.98	8.3
20	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	3610.35	350.83	9.72	6437.27	468.77	7.28	6501.41	607.36	9.3

Øe l-	e=ky;@foHkkx dk uke	Vh, l ih ck/;rk	2016&17 ¼okLrfod½			2017&18 ¼l a'kksf/kr vuqeku½			2018&19 ¼l a'kksf/kr vuqeku½		
			dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh, l ih vkoVu	dqy ifj0;; dk %	dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh, l ih vkoVu	dqy ifj0;; dk %	dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh, l ih vkoVu	dqy ifj0;; dk %
21	खान मंत्रालय	4.30		12.52			11.70	0.00		10.43	
22	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	654.89	56.50	8.63	700.00	57.40	8.20	692.52	62.82	9.1
23	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	52132.42	379.96	0.73	60880.08	577.00	0.95	78498.70	2700.00	3.4
24	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	1521.94		0.00	2303.22	174.74	7.59	2765.34	215.53	7.8
25	वस्त्र मंत्रालय	8.60	6159.12	33.62	0.55	6164.83	61.50	1.00	6864.38	111.84	1.6
26	पर्यटन मंत्रालय	4.30	1545.78	37.50	2.43	1669.61	43.75	2.62	1984.79	87.57	4.4
27	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	4789.13	4793.96	100.10	5293.30	5293.30	100.00	5957.50	5957.50	100.0
28	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	8.60	4075.19	30.01	0.74	6843.89	50.10	0.73	6808.91	137.00	2.0
29	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	16654.23	1417.55	8.51	20950.25	1420.00	6.78	24512.65	1865.71	7.6
30	युवा मामले और खेल मंत्रालय	8.60	785.49	62.94	8.01	1047.19	137.39	13.12	1165.82	148.30	12.7
31	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	1476.94	5.50	0.37	1647.49	5.50	0.33	1628.20	83.45	5.1

Øe la-	e=ky;@foHkkx dk uke	Vh,lih ck/;rk	2016&17 ¼okLrfod½			2017&18 ¼la'kksf/kr vuqeku½			2018&19 ¼la'kksf/kr vuqeku½		
			dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh,lih vkoaVu	dqy ifj0;; dk %	dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh,lih vkoaVu	dqy ifj0;; dk %	dqy Ldhe ifj0;;	dqy Vh,lih vkoaVu	dqy ifj0;; dk %
32	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	3740.90	69.49	1.86	3944.60	73.00	1.85	5043.17	217.00	4.3
33	पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग	8.60	-	-	-	-	-	-	2931.92	265.94	9.1
34	वाणिज्य विभाग	4.30	-	-	-	-	-	-	5346.61	25.01	0.5
35	उपभोक्ता मामला विभाग	4.30	-	-	-	-	-	-	1690.17	2.58	0.2
36	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	-	-	-	-	-	-	870.33	37.42	4.3
37	ऊर्जा मंत्रालय	8.60	-	-	-	-	-	-	13857.73	913.30	6.6
	dqy		**380035.71**	**20956.40**	**5.51**	**443406.47**	**31292.20**	**7.06**	**530694.83**	**39545.48**	**7.5**

vuqyXud&6 [k

o"kZ 2015&16 ls 2017&18 rd jkT; tutkrh; mi&;kstuk ds rgr fofHkUu jkT; ljdkjksa }kjk Vh,lih vkoaVu rFkk O;; dk C;kSjk

jkT;@la?k jkT;&{ks=	vtk dh tula[;k dk çfr'kr ¼2011½	okf"kZd ;kstuk 2015&16					okf"kZd ;kstuk 2016&17					okf"kZd ;kstuk 2017&18				
		dqy jkT; ;kstuk ifjO;;	Vh,lih vkoaVu	Vh,lih vkoaVu %	Vh,lih O;;	O;; %	dqy jkT; ;kstuk ifjO;;	Vh,lih vkoaVu	Vh,lih vkoaVu %	Vh,lih O;;	O;; %	dqy jkT; ;kstuk ifjO;;	Vh,lih vkoaVu	Vh,lih vkoaVu %	Vh,lih O;;	O;; %
आंध्र प्रदेश	5.5	34408.00	1904.48	5.53	1711.00	89.84	56057.14	3099.96	5.53	2446.46	78.92	65208.10	3528.75	5.41	3360.48	95.23
असम	12.5	26338.71	1202.46	4.57	1037.29	86.26	29439.38	1259.39	4.28	1208.24	95.94	8754.32	1349.72	15.42	1327.83	98.38
बिहार	1.3	57138.00	679.00	1.19	544.00	80.12	71501.84	982.00	1.37	603.99	61.51	70316.00	1091.50	1.55	838.83	76.85
छत्तीसगढ़	30.6	45791.04	14702.27	32.11	10066.46	68.47	51993.91	16560.30	31.85	12435.50	75.09	62462.97	20237.22	32.40	15457.13	76.38
गोवा	10.2	490.00	51.50	10.51	14.16	27.50	491.80	46.35	9.42	28.40	61.27	773.80	30.33	3.92	24.06	79.33
गुजरात	14.8	79295.00	9691.00	12.22	8379.00	86.46	85558.00	10267.00	12.00	9066.02	88.30	172179.24	12559.33	7.29	11056.64	88.04
हिमाचल प्रदेश	5.7	4800.00	432.00	9.00	429.00	99.31	5200.00	468.00	9.00	468.00	100.00	5700.00	513.00	9.00	एन.आर.	0.00
जम्मू और कश्मीर	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एन.आर.	एन.आर.	0.00	एन.आर.	0.00	एन.आर.	एन.आर.	0.00	एन.आर.	0.00
झारखंड	26.2	32136.84	14272.00	44.41	7755.07	54.34	37065.34	16304.95	43.99	14935.26	91.60	44502.61	18092.70	40.66	14627.20	80.85
कर्नाटक	7.0	72596.81	4678.00	6.44	4475.00	95.66	85375.33	5631.67	6.60	5102.30	90.60	111472.00	8195.00	7.35	7726.15	94.28
केरल	1.5	20000.00	605.00	3.03	0.00	0.00	24000.00	683.00	2.85	एन.आर.	एन.आर.	26500.00	751.00	2.83	एन.आर.	0.00
मध्य प्रदेश	21.1	60747.00	8658.00	14.25	7398.61	85.45	75189.00	10906.92	14.51	8383.65	76.87	104358.17	25862.15	24.78	21784.54	84.23
महाराष्ट्र	9.4	54999.00	5170.00	9.40	4562.55	88.25	56997.00	5357.71	9.40	4957.71	92.53	77184.00	6754.00	8.75	6162.93	91.25

jkT;@la?k jkT;&{ks=	vtk dh tula[;k dk çfr'kr ½2011½	okf"kd ;kstuk 2015&16					okf"kd ;kstuk 2016&17					okf"kd ;kstuk 2017&18				
		dqy jkT; ;kstuk ifjO;;	Vh,lih vkoVu	Vh,lih vkoVu %	Vh,lih O;;	O;; %	dqy jkT; ;kstuk ifjO;;	Vh,lih vkoVu	Vh,lih vkoVu %	Vh,lih O;;	O;; %	dqy jkT; ;kstuk ifjO;;	Vh,lih vkoVu	Vh,lih vkoVu %	Vh,lih O;;	O;; %
मणिपुर	35.1	0.00	3366.00	0.00	0.00	0.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.00	एन.आर.	एन.आर.	0.00	एन.आर.	0.00
ओडिशा	22.9	44230.00	8468.00	19.15	5190.00	61.29	50200.00	11269.65	22.45	8153.23	72.35	55970.00	12564.56	22.45	12129.41	96.54
राजस्थान	13.5	111784.03	15613.40	13.97	14169.07	90.75	95052.95	13595.32	14.30	11764.68	86.53	86094.45	12896.43	14.98	11098.35	86.06
सिक्किम	33.8	5176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1574.00	819.00	52.03	819.00	100.00	एन.आर.	एन.आर.	0.00	8.50	0.00
तमिलनाडु	1.1	55100.00	658.00	1.19	617.00	93.77	60610.00	722.36	1.19	692.59	95.88	54564.19	607.50	1.11	317.79	52.31
तेलंगाना	9.1	52383.00	5036.00	9.61	3222.00	63.98	67630.73	6171.15	9.12	3139.17	50.87	88038.80	8165.87	9.28	5863.25	71.80
त्रिपुरा	31.8	4827.00	2064.64	42.77	1404.76	68.04	5856.64	2399.00	40.96	2000.77	83.40	5572.93	2677.76	48.05	एन.आर.	0.00
उत्तर प्रदेश	0.6	120000.00	256.44	0.21	206.41	80.49	136667.41	286.44	0.21	221.57	77.35	426453.81	577.77	0.14	353.44	0.00
उत्तराखंड	2.9	15795.00	430.00	2.72	227.00	52.79	16933.53	462.43	2.73	227.30	49.15	42798.31	424.59	0.99	286.61	67.50
पश्चिम बंगाल	5.8	49507.00	3725.00	7.52	3646.00	97.88	57595.36	5262.54	9.14	3711.51	70.53	60013.89	5039.00	8.40	4410.00	87.52
dqy	**8.6**	**947542.43**	**101663.19**	**10.73**	**75054.38**	**73.83**	**1070989.36**	**112555.14**	**10.51**	**90365.35**	**80.29**	**1568917.59**	**141918.18**	**9.05**	**116833.14**	**82.32**

एन.आर. – दिनांक 31.03.2019 तक संसूचित नहीं।

vuqyXud&6 x

fØ;kdykiksa dh 0;k[;kRed lwph

Øe l-	ox	ekeys @ fØ;kdyki
1.	शिक्षा (एसएसए/आरएमएसए निधियों के साथ तालमेल में)	(i) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वर्तमान भवन अवसंरचना में वृद्धि केवल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के साथ (मरम्मत तथा रखरखाव शामिल नहीं) (ii) सह–शिक्षा आवासीय विद्यालयों का निर्माण। (iii) बालक तथा बालिका छात्रावासों का निर्माण। (iv) आवासीय विद्यालयों में सौर–ऊर्जा का उपयोग। (v) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटी, हरित ऊर्जा आदि जैसे आर्थिक जगत के आधुनिक क्षेत्र सहित)। (vi) विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उपकरण मानदण्डों पर शासकीय संस्थानों में विशेष व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त इकाईयों/मदों में वृद्धि (बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए भी) (vii) विद्यालयों में जनजातीय खेलकूदों के प्रोत्साहन का प्रावधान (युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की स्कीमों, राज्य टीएसपी के तहत टीएसपी प्रवाह के साथ समन्वय में) (viii) आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएंध्उपस्कर (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए) (ix) प्रतिभावान जनजातीय विद्यार्थियों के पोषण और संवर्धन के लिए विशेष उपाय। (x) विशेष प्रभावोंधशिक्षा के माध्यम हेतु उपायों के लिए 3 से 5 वर्ष के लिए आवर्ती लागत जैसे: (1) अंग्रेजी–स्कूल शिक्षण के माध्यम के रूप में। (2) राज्यों में सर्वोत्तम पब्लिक स्कूलों में प्रवेश हेतु विशेष छात्रवृत्तियां। (3) विद्यालयों में व्यवहार कुशलता को बेहतर करने के उपाय (सामान्य शैक्षिक अवधि के उपरांत)। (4) सुपर 30 की तरह विशेष प्रशिक्षण/कोचिंग
2.	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता	(i) सीएचसी/पीएचसी की भवन अवसंरचना में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण। (ii) न्यूनतम 3 वर्ष की जीवन–अवधि वाले उपकरण। (iii) सुदूर स्थानों में सचल औषधालय। (iv) जनजातीय विद्यार्थियों में सिकल सैल एनीमिया की जांच करना और स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान तथा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य समस्याएं। (v) मलेरिया, कुष्ठ रोग, टी.बी. आदि के उन्मूलन पर ध्यान। (vi) पैरा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में जनजातीय विद्यार्थियों का प्रशिक्षण।

Øe la-	oxZ	ekeys @ fØ;kdyki
3.	प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी तथा अन्य	(i) जनजातीय परिवार की आय बढ़ाने के लिए परम्परागत व्यापारिक फसलों को अपनाना और उनका विस्तार। (ii) मिट्टी का स्वास्थ्य प्रबंधन और नमी/जल संरक्षण के उपाय जैविक खेती को प्रोत्साहन। (iii) केवीके के माध्यम से जनजातीय लोगों को विशेष तकनीकी सहायता। ckxokuh% (i) पॉली हाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरियां लगाना। (i) बागवानी के उत्पाद की खेती की प्रक्रिया तथा इसका संवर्धन। (iii) जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन। (iv) सुगंधित और औषधीय पौधों का संवर्धन। (v) ड्रिप सिंचाई। Ms;jh fodkl% (i) जनजातीय परिवारों के लिए बेहतर और उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु प्रसंस्करण और शीत गृह अवसंरचना सहित सहकारिता आधारित डेयरी विकास। (ii) अवसंरचना और उपस्कर सहित पशु चिकित्सा सेवा। (iii) कृत्रिम वीर्य रोपण (एआई) के माध्यम से उच्च पैदावार के लिए स्थानीय नस्ल का सुधार। (iv) स्व–रोजगार के लिए पश्चगामी एवं अग्रगामी संयोजन के साथ प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। eqxhZ ikyu rFkk eNyh ikyu% (i) बाजार मूल्य श्रृंखला से उपयुक्त संयोजन के साथ फ्राई और फिंगरलिंग्स के उत्पादन सहित जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से वाणिज्यिक मछली पालन प्रशिक्षण सुविधा सहित। (ii) घर में मछली पालन को बढ़ावा देना। (iii) पश्चगामी और अग्रगामी संयोजन के साथ आय सृजनकारी कार्यकलाप के रूप में मुर्गी पालन को बढ़ावा देना।
4.	जनजातीय पारिवारिक अर्थ–व्यवस्था बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी स्कीमें	(i) जनजातीय सहकारिताओं, स्व–सहायता समूहों, व्यक्तिगत उद्यमशीलता के प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि/वन/प्राकृतिक संसाधन आधारित लघु/ग्राम उद्योगों की स्थापना। (ii) जनजातीय कारीगरों हेतु बेहतर साधन के लिए वस्त्र, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन के उत्पाद जैसे जनजातीय उत्पादों के लिए विद्यमान अवसंरचना (डिजाइन विकास आदि सहित) को बढ़ावा देना। (iii) जनजातीय उत्पादों की जीवन अवधि में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं और भंडारण। (iv) ग्राम पर्यटन, पारिस्थितिकीय–पर्यटन और साहसिक पर्यटन। (v) जनजातीय आभूषण, चित्रकारी, नृत्य कला, संगीत और पाक कला आदि जैसी परंपरागत जनजातीय सांस्कृतिक विधाओं का संवर्धन कौशल विकास। (vi) निश्चित स्व–रोजगार/प्लेसमेंट संयोजन के साथ कोई अन्य क्रियाकलाप।

Øe la-	oxZ	ekeys @ fØ;kdyki
5.	प्रशासनिक / संस्थागत रुपरेखा और अनुसंधान अध्ययन	(i) टीआरआई का सुदृढ़ीकरण (भवन अवसंरचना / उपस्कर और आईटी सहायता के साथ) (ii) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्र नियमावली तैयार करना। (iii) विशेष जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान करना। (iv) टीएसपी निगरानी के लिए आईटी उपस्कर सहायता।
6.	कौशल विकास (सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरणों की जारी योजनाओं के अंतर्गत टीएसपी प्रवाह के साथ संयोजन में)	(i) महिला लाभार्थियों के लिए मुख्य स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित क्रियाकलापों / परियोजनाओं पर ध्यान देना।
7.	खेल एवं क्रीड़ा को प्रोत्साहन (भारत सरकार / राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के टीएसपी प्रवाह के साथ संयोजन में)	(i) जनजातीय स्कूलों में खेल की सुविधाओं का प्रावधान। (ii) खेल परिसर / छोटे स्टेडियमों आदि का निर्माण। (iii) जनजातीय युवाओं की आवश्यक प्रतिभागिता के साथ खेल के कार्यक्रम आयोजित करना।

vuqyXud&6 ?k

o"kZ 2008&09 ls 2018&19 ds nkSjku tutkrh; mi&Ldhe dk fo'ks"k dsUnzh; lgk;rk ¼Vh,l,l dk ,llh,½ ds rgr fueqZä fuf/k;k

(लाख रुपए में)

Øe l-	jkT; dk uke	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2211.83
2	आंध्र प्रदेश	4176.75	1930.00	5746.50	6057.00	4125.00	5789.00	2937.82	3500.00	5000.42	3624.77	5617.39
3	असम	3755.65	2883.00	3500.00	5475.00	4674.00	6563.63	1788.59	5844.00	3407.80	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	870.94	650.00	1147.00	0.00	0.00	403.00	1368.26	743.74	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	6829.20	6322.88	8453.00	10645.00	9478.00	9478.00	9826.50	10809.64	11717.82	14327.57	10342.65
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.68	559.09	352.31
7	गुजरात	4571.44	5635.53	8126.00	8838.00	7410.00	8448.00	10382.74	10566.50	9488.00	10270.41	11765.38
8	हिमाचल प्रदेश	1276.00	1179.40	1506.00	1851.00	1262.00	1768.00	997.99	475.00	1959.39	2291.20	3628.00
9	जम्मू और कश्मीर	676.00	263.79	489.57	1143.00	0.00	1702.41	0.00	2000.00	3671.61	3626.50	3749.80
10	झारखंड	2198.25	0.00	9481.55	10704.00	11413.25	12187.00	9571.11	10000.00	9820.75	11372.49	8564.52
11	कर्नाटक	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00	1853.25	2471.00	3000.00	4370.00	5100.00	5955.37	5347.76
12	केरल	396.25	366.10	440.00	574.00	549.00	549.00	530.00	357.50	808.09	808.43	335.00
13	मध्य प्रदेश	12644.25	8722.00	15214.00	15593.00	17525.00	17525.00	15274.22	11501.21	19236.61	22828.70	16968.97
14	महाराष्ट्र	2500.00	895.91	6696.00	7055.93	0.00	7728.00	11726.19	12514.91	9547.00	13760.38	13802.57
15	मणिपुर	989.00	527.80	1187.00	705.00	1230.10	1581.90	1118.00	1100.00	2260.00	3790.38	5442.48
16	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2739.20
17	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1220.00

Øe l-	jkT; dk uke	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
18	नगालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3225.00
19	ओडिशा	10110.50	8885.55	12393.00	14449.15	13321.00	13321.00	14925.04	14728.52	11806.27	11975.00	17553.22
20	राजस्थान	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00	7441.00	8377.00	8822.04	10190.00	11072.90	10051.83	10327.93
21	सिक्किम	315.00	291.38	369.00	451.01	437.00	437.00	520.25	353.00	1497.62	5986.00	0
22	तमिलनाडु	469.00	108.00	393.05	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00	600.00	894.10	315.00
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3541.00	4000.00	3845.35	4493.55	2850.32
24	त्रिपुरा	1548.00	1431.29	1879.00	2244.00	1955.00	2102.10	1183.94	2400.07	1345.76	1649.77	1294.38
25	उत्तराखंड	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	139.60	805.83	0.00	0.00	679.00	1012.88
26	उत्तर प्रदेश	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79	905.51	121.92	458.35	0
27	पश्चिम बंगाल	3255.75	2654.34	3384.00	4720.00	2580.75	4181.36	5730.00	6233.00	5995.50	5397.11	5833.41
	dqy	**63135.29**	**48124.00**	**90169.67**	**96234.09**	**85254.35**	**105000.00**	**103999.38**	**113217.12**	**119502.23**	**134800.00**	**134500.00**

अनुलग्नक-6 घ

वर्ष 2008-09 से 2018-19 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	1863.44	1946.20	5187.70	7998.00	4834.00	350.00	2139.00	5500.00	2869.43	4591.11	6390.77
2	अरुणाचल प्रदेश	308.68	35.20	772.00	1082.83	0.00	832.19	1880.40	3000.80	6580.53	8378.82	12170.52
3	असम	1444.88	1240.77	3517.96	3419.00	0.00	3540.25	0.00	0.00	844.12	0.00	3916.32
4	बिहार	0.00	95.00	838.00	959.00	0.00	0.00	586.00	0.00	1467.58	991.89	0.00
5	छत्तीसगढ़	3211.43	2834.80	7786.00	9294.00	8534.00	9172.11	10778.00	11904.31	10488.52	10964.49	11352.92
6	गोवा	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	450.00	103.00	345.66
7	गुजरात	2372.77	4783.00	8302.00	9426.00	4629.60	10275.69	8592.45	11680.00	9739.02	11384.08	11648.20
8	हिमाचल प्रदेश	148.32	360.00	377.00	431.00	474.00	474.00	190.99	523.20	1595.87	2074.70	3378.16
9	जम्मू और कश्मीर	193.66	282.74	607.00	1390.00	150.34	1146.75	0.00	2000.00	3539.66	3049.06	2051.79
10	झारखंड	1852.43	3730.00	8004.00	9181.00	7369.50	9280.40	9873.00	12202.96	9489.38	12386.93	7354.30
11	कर्नाटक	1496.37	1823.00	3813.00	4263.00	4800.00	4800.00	4880.40	6300.00	4664.00	5881.74	5220.61
12	केरल	159.42	387.00	405.00	463.00	510.00	510.00	748.94	1085.44	695.58	803.17	472.28
13	मध्य प्रदेश	6466.80	6435.00	17311.31	14015.50	16518.04	15793.47	17321.42	14845.15	14971.43	22399.48	24635.30
14	महाराष्ट्र	2441.46	2000.00	9442.00	10805.00	2911.00	12489.00	11701.29	13374.00	11536.53	13862.24	17015.91
15	मणिपुर	324.44	352.50	819.00	937.00	1031.00	1031.00	1600.01	1216.00	1694.40	2308.80	5367.65
16	मेघालय	155.33	0.00	2100.00	2798.00	0.00	2924.38	2334.03	1507.67	1576.21	3603.40	5129.79
17	मिजोरम	403.57	441.00	922.96	1056.00	810.75	1133.61	1877.78	3617.37	1927.49	2504.41	3507.71
18	नगालैंड	200.00	576.59	2047.42	2301.00	2454.00	2886.93	2067.15	5469.34	6368.00	4434.11	9194.49
19	ओडिशा	4129.73	7026.00	11144.33	11347.00	11283.99	14706.50	12728.22	15200.00	11954.96	15995.30	21449.15
20	राजस्थान	3107.04	1500.00	8351.00	7642.00	7737.98	9437.80	9755.92	11000.00	10341.39	10240.58	13769.23
21	सिक्किम	65.00	149.20	226.00	259.00	272.58	302.90	370.30	1250.30	1147.00	405.30	355.34
22	तमिलनाडु	291.39	342.00	358.00	614.25	0.00	901.00	639.60	852.80	798.24	378.00	773.57
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3894.40	6090.00	3608.05	5015.32	3248.89
24	त्रिपुरा	434.88	780.00	1358.73	1250.00	1375.00	1355.00	1218.99	1600.68	1280.99	2040.99	2006.73
25	उत्तर प्रदेश	391.28	350.00	1200.00	1484.91	200.00	0.00	743.49	1514.74	1138.62	189.00	252.43
26	उत्तराखंड	20.00	120.00	250.00	0.00	0.00	267.00	1530.36	92.02	0.00	1577.56	1255.27
27	पश्चिम बंगाल	2489.09	2320.00	4848.00	6066.99	6104.00	6104.00	5747.00	7000.00	5814.37	5376.51	9235.73
	कुल योग	**33978.41**	**39910.00**	**99988.41**	**108483.48**	**81999.78**	**109713.98**	**113264.14**	**139226.78**	**126581.37**	**150939.99**	**181498.72**

vuqyXud&6 p

fo'ks"k :i ls detksj tutkrh; lewg ¼ihohVhth½ ds fodkl dh Ldhe ds rgr
fueqZä fuf/k dk fooj.k

(लाख रुपए में)

Ø-la-	jkT; dk uke	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
		fueqZä	fueqZä	fueqZä	fueqZä	fueqZä	fueqZä	fueqZä	fueqZä
1	आंध्र प्रदेश	2292.40	2000.00	1750.00	2000.00	3240.00	5105.00	2076.00	1837.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.87	295.91	0.00
4	छत्तीसगढ़	1655.39	2000.00	1400.00	2212.02	1809.63	1230.00	1089.50	1051.50
5	गुजरात	2035.20	700.00	1000.00	1091.00	898.10	779.12	390.67	604.00
6	झारखंड	2000.00	631.00	0.00	0.00	1575.00	3120.00	2043.75	3295.79
7	कर्नाटक	1225.61	659.46	0.00	0.00	800.00	136.00	467.00	460.00
8	केरल	1210.00	0.00	600.00	600.00	0.00	100.00	62.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	6546.32	4350.00	4500.00	4272.94	4491.92	10460.40	8232.46	7998.09
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	2610.00	1900.00	0.00	2077.00	1226.25	1230.26
11	मणिपुर	0.00	100.00	100.00	47.50	100.00	329.00	195.00	1157.55
12	ओडिशा	1224.73	3260.00	2000.00	2500.00	3373.92	1379.00	1297.00	3626.00
13	राजस्थान	2677.00	1500.00	700.00	1500.00	1076.09	1331.00	1038.00	1008.00
14	तमिलनाडु	1075.94	1400.00	2000.00	0.00	1048.15	3055.00	1770.75	0.00
15	तेलंगाना	0.00	0.00	1250.00	600.00	1439.04	1139.00	778.00	533.00
16	त्रिपुरा	627.40	700.00	950.00	826.54	895.56	2250.00	2305.00	789.53
17	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	1300.00	0.00	447.60	574.00	330.75	843.42
18	उत्तराखंड	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	292.48	130.00	565.86
19	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00
	dqy	**22569.99**	**17700.46**	**20235.00**	**17550.00**	**21195.00**	**33799.87**	**23946.00**	**25000.00**

अनुलग्नक-7

दिनांक 31-03-2019 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावा और अधिकार पत्रों के वितरण का विवरण

क्र.सं.	राज्य	31-03-2019 तक प्राप्त दावों की संख्या			31-03-2019 तक वितरित किए गए अधिकार पत्रों की संख्या			खारिज किए गए दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों में से निपटाए गए दावों का प्रतिशत
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल			
1	आंध्र प्रदेश	1,77,446	4,062	1,81,508	96,675	1,374	98,049	75,927	1,73,976	95.85%
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	0	58,802	37.93%
3	बिहार	8,022	0	8,022	121	0	121	4,215	4,336	54.05%
4	छत्तीसगढ़	8,58,682	31,558	8,90,240	4,01,251	21,967	4,23,218	4,61,590	8,84,808	99.39%
5	गोवा	9,758	378	10,136	17	8	25	47	72	0.71%
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	83,699	3,516	87,215	64,769	1,51,984	79.97%
7	हिमाचल प्रदेश	2,071	170	2,241	129	7	136	0	136	6.07%
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61970	28,107	90,077	81.33%
9	कर्नाटक	2,75,446	5,903	2,81,349	14,667	1,406	16,073	1,80,956	1,97,029	70.03%
10	केरल	36,140	1,395	37,535	24,599	NA	24,599	7,889	32,488	86.55%
11	मध्य प्रदेश	5,82,927	42,048	6,24,975	2,26,313	27,962	2,54,275	3,60,834	6,15,109	98.42%
12	महाराष्ट्र	3,62,679	12,037	3,74,716	1,65,032	7,084	1,72,116	45,525	2,17,641	58.08%
13	ओडिशा	6,17,935	13,826	6,31,761	4,30,212	6,564	4,36,776	1,46,749	5,83,525	92.36%
14	राजस्थान	74,414	1,441	75,855	38,007	103	38,110	36,299	74,409	98.09%
15	तमिलनाडु	32,983	1005	33,988	6,111	276	6,387	11,742	18,129	53.34%
16	तेलंगाना	1,83,252	3,427	1,86,679	93,639	721	94,360	83,757	1,78,117	95.41%
17	त्रिपुरा	2,00,358	277	2,00,635	1,27,931	55	1,27,986	68,610	1,96,596	97.99%
18	उत्तर प्रदेश	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	74,945	93,500	99.85%
19	उत्तराखंड	3,574	3,091	6,665	144	01	145	4,956	5,101	76.53%
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	96,587	1,41,717	99.74%
	कुल	**40,89,035**	**1,48,818**	**42,37,853**	**18,87,894**	**76,154**	**19,64,048**	**17,53,504**	**37,17,552**	**87.72%**

vuqyXud&8 d

50% vf/kd vuqlwfpr tutkfr dh tula[;k vkSj 20]000 ls vf/kd tula[;k okys mi&ftyk vkSj Cykdksa dh lwph

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cykd	bZ,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
1	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	अदातीगाला	नहीं	37241	24663	66.2
2	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	राजावोमागनी	नहीं	39582	22786	57.6
3	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	रामपाचादावारम	नहीं	39351	31206	79.3
4	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	चिंतूर	नहीं	40725	31239	76.7
5	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पेडाबायालू	नहीं	51890	49937	96.2
6	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	अरकु घाटी	नहीं	56674	51876	91.5
7	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	अनंथागिरी	नहीं	49019	44190	90.1
8	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	हुकुमपेथा	नहीं	51697	49594	95.9
9	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पडेरू	नहीं	58983	48694	82.6
10	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	जी.मधुगुला	नहीं	53884	49970	92.7
11	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	चिंतापली	नहीं	71640	64703	90.3
12	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	कोयूरू	नहीं	50639	41213	81.4
13	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	गुमालक्ष्मी पुरम	नहीं	49507	42919	86.7
14	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	बुताया गुदेम	नहीं	53031	34247	64.6
15	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग	सेपा	नहीं	29214	25138	86.0
16	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे	ईटानगर	नहीं	65301	38704	59.3
17	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे	नाहरलगुन	नहीं	49106	29157	59.4
18	अरुणाचल प्रदेश	तिरप	खोंसा	नहीं	26295	20202	76.8
19	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	आलो	नहीं	34916	24696	70.7
20	असम	बक्सा	सरूपेटा (पीटी)	नहीं	55011	29630	53.9
21	असम	बक्सा	जलह (पीटी)	नहीं	81979	43314	52.8
22	असम	धेमाजी	जोनाइ	नहीं	169898	115883	68.2
23	असम	दीमा हसाओ	उमरांगसो	नहीं	49952	32443	64.9

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
24	असम	दीमा हसाओ	हाफलोंग	नहीं	76721	49245	64.2
25	असम	दीमा हसाओ	माहुर	नहीं	33859	28956	85.5
26	असम	दीमा हसाओ	माईबोंग	नहीं	53570	41199	76.9
27	असम	गोलपाड़ा	दूधनई	नहीं	80847	53599	66.3
28	असम	कामरूप	नाक	नहीं	111880	70688	63.2
29	असम	कारबीआंगलोंग	फुलोनी	नहीं	279848	149019	53.2
30	असम	कारबीआंगलोंग	सिलोंजीजान	नहीं	91257	56901	62.4
31	असम	उदलगुड़ी	खोयबारी (पीटी)	नहीं	81209	42782	52.7
32	असम	पश्चिम कार्बीअंगलोंग	डोनका	नहीं	295358	193518	65.5
33	बिहार	कैमूर (भभुआ)	अधूरा	नहीं	57100	29680	52.0
34	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	रामानुजगंज	नहीं	168066	84995	50.6
35	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	वदराफनगर	नहीं	160974	94927	59.0
36	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	सामरी (कुश्मी)	नहीं	109932	81515	74.2
37	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	शंकरगढ़	नहीं	72088	52819	73.3
38	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	राजपुर	नहीं	109022	78428	71.9
39	छत्तीसगढ़	बस्तर	लोहांदीगुडा	नहीं	75842	56247	74.2
40	छत्तीसगढ़	बस्तर	बसतानार	नहीं	48040	44251	92.1
41	छत्तीसगढ़	बस्तर	तोकापाल	नहीं	77505	56361	72.7
42	छत्तीसगढ़	बस्तर	दर्भा	नहीं	79360	65766	82.9
43	छत्तीसगढ़	बीजापुर	भोपालपत्तनम	नहीं	49390	36093	73.1
44	छत्तीसगढ़	बीजापुर	उसूर	नहीं	55686	49681	89.2
45	छत्तीसगढ़	बीजापुर	बीजापुर	नहीं	66448	48566	73.1
46	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	पेंड्रा रोड गोरेला	नहीं	134135	76813	57.3
47	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	पेंड्रा	नहीं	85481	45821	53.6
48	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	नहीं	94351	60605	64.2
49	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	गिदाम	नहीं	80552	55608	69.0
50	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कुआकोंडा	नहीं	65241	45286	69.4
51	छत्तीसगढ़	गरियाबंद	मेनपुर	नहीं	124384	64356	51.7
52	छत्तीसगढ़	जशपुर	कनसाबेल	नहीं	76735	47849	62.4

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
53	छत्तीसगढ़	जशपुर	जशपुर	नहीं	96360	54977	57.1
54	छत्तीसगढ़	जशपुर	मनोरा	नहीं	60695	48740	80.3
55	छत्तीसगढ़	जशपुर	फरसाबहार	नहीं	108498	64631	59.6
56	छत्तीसगढ़	जशपुर	पथलागॉव	नहीं	191530	121198	63.3
57	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	केसकल	नहीं	93003	66197	71.2
58	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	बडे राजपुर	नहीं	85560	65545	76.6
59	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	मकदी	नहीं	99714	77499	77.7
60	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	फारासगोन	नहीं	98752	70820	71.7
61	छत्तीसगढ़	कोरबा	पुंदी–उपरोदा	नहीं	188783	137703	72.9
62	छत्तीसगढ़	कोरबा	पाली	नहीं	198746	105074	52.9
63	छत्तीसगढ़	कोरिया	भरतपुर	नहीं	88750	57589	64.9
64	छत्तीसगढ़	कोरिया	सोनहत	नहीं	48474	27891	57.5
65	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	ओरछा	नहीं	34950	33024	94.5
66	छत्तीसगढ़	रायगढ़	उदयपुर (धर्मजयगढ़)	नहीं	207030	136915	66.1
67	छत्तीसगढ़	रायगढ़	लैलुंगा	नहीं	130613	82923	63.5
68	छत्तीसगढ़	रायगढ़	घरघोडा	नहीं	79425	46718	58.8
69	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	मोहला	नहीं	86994	60950	70.1
70	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	मानपुर	नहीं	88619	65926	74.4
71	छत्तीसगढ़	सुकमा	कोंटा	नहीं	105596	95433	90.4
72	छत्तीसगढ़	सुकमा	चिंधगढ़	नहीं	79672	65526	82.2
73	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	प्रतापपुर	नहीं	150783	93382	61.9
74	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	उदगी	नहीं	87603	53472	61.0
75	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	प्रेमनगर	नहीं	64797	38976	60.2
76	छत्तीसगढ़	सरगुजा	उदयपुर	नहीं	78918	50673	64.2
77	छत्तीसगढ़	सरगुजा	लुंधरा	नहीं	119800	81206	67.8
78	छत्तीसगढ़	सरगुजा	सीतापुर	नहीं	96131	68001	70.7
79	छत्तीसगढ़	सरगुजा	बातोली	नहीं	70244	54558	77.7
80	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	नहीं	94937	59896	63.1
81	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तर	दुर्गकोंडल कांकेर	नहीं	64293	49250	76.6

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dy tul[;k	vuqlfpr tutkfr tul[;k	vuqlfpr tutkfr çfr'kr
82	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तरकैंकर	कांकेर	नहीं	123650	61951	50.1
83	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तरकैंकर	नारहरपुर	नहीं	110424	72919	66.0
84	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	नहीं	343709	178564	52.0
85	गुजरात	बनास कॉंठा	अमीरगढ़	नहीं	132354	77462	58.5
86	गुजरात	भरूच	झगडिया	नहीं	185337	127290	68.7
87	गुजरात	छोटा उदयपुर	जैतपुर पावी	नहीं	261425	217836	83.3
88	गुजरात	छोटा उदयपुर	कवंत	नहीं	210002	196373	93.5
89	गुजरात	दाहोद	फतेहपुरा	नहीं	238116	222511	93.4
90	गुजरात	दाहोद	झालोद	नहीं	473273	426559	90.1
91	गुजरात	दाहोद	लिमखेदा	नहीं	306269	193164	63.1
92	गुजरात	दाहोद	गरबदा	नहीं	198879	188596	94.8
93	गुजरात	महीसागर	संतरामपुर	नहीं	265694	213393	80.3
94	गुजरात	नर्मदा	नंदोद	नहीं	241053	176658	73.3
95	गुजरात	नर्मदा	देदियापाडा	नहीं	174449	168181	96.4
96	गुजरात	नवसारी	चिखली	नहीं	309877	220170	71.1
97	गुजरात	सबर कंथा	खेदब्रहमा	नहीं	293143	220964	75.4
98	गुजरात	सबर कंथा	विजयनगर	नहीं	103895	81509	78.5
99	गुजरात	सूरत	उमरपाडा	नहीं	83723	80986	96.7
100	गुजरात	सूरत	महुवा	नहीं	144906	117675	81.2
101	गुजरात	तापी	उच्छल	नहीं	88416	86693	98.1
102	गुजरात	तापी	व्यारा	नहीं	268289	227613	84.8
103	गुजरात	तापी	वालोद	नहीं	90566	64868	71.6
104	गुजरात	द डंग्स	द डंग्स	नहीं	228291	216073	94.6
105	हिमाचल प्रदेश	चंबा	ब्रहमोर	नहीं	25014	21177	84.7
106	जम्मू और कश्मीर	बांदीपुरा	गुरेज	नहीं	37992	31094	81.8
107	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	संकु	नहीं	40548	36475	90.0
108	जम्मू और कश्मीर	लेह लद्दाख)	लेह	नहीं	93961	62813	66.9
109	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	बुढाल	नहीं	123050	70081	57.0

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy‚d	b,evkj,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
110	झारखंड	दुमका	गोपिकांदर	नहीं	42063	35577	84.6
111	झारखंड	दुमका	शिकारीपाड़ा	नहीं	131464	79522	60.5
112	झारखंड	दुमका	मसालिया	नहीं	124554	72966	58.6
113	झारखंड	गढ़वा	भंदारिया	नहीं	66092	39653	60.0
114	झारखंड	गुमला	बिशुनपुर	नहीं	62319	56052	89.9
115	झारखंड	गुमला	घाघरा	नहीं	114399	88805	77.6
116	झारखंड	गुमला	सिसई	नहीं	116844	75208	64.4
117	झारखंड	गुमला	वरनो	नहीं	84572	62441	73.8
118	झारखंड	गुमला	कामदारा	नहीं	63775	45034	70.6
119	झारखंड	गुमला	गुमला	नहीं	213620	122290	57.2
120	झारखंड	गुमला	चैनपुर	नहीं	56591	46320	81.9
121	झारखंड	गुमला	डुमरी	नहीं	49134	40389	82.2
122	झारखंड	गुमला	अल्बर्ट एक्का (जरी)	नहीं	30926	23733	76.7
123	झारखंड	गुमला	राईदीह	नहीं	71443	46240	64.7
124	झारखंड	गुमला	पलकोट	नहीं	80859	48608	60.1
125	झारखंड	खूंटी	तोरपा	नहीं	92991	68030	73.2
126	झारखंड	खूंटी	रनिया	नहीं	39349	27330	69.5
127	झारखंड	खूंटी	मुर्हु	नहीं	85486	67695	79.2
128	झारखंड	खूंटी	खूंटी	नहीं	124388	81837	65.8
129	झारखंड	खूंटी	एर्की (तामार II)	नहीं	80589	63804	79.2
130	झारखंड	लातेहार	बरवाडीह	नहीं	98992	50832	51.3
131	झारखंड	लातेहार	महुआदानर	नहीं	74732	58802	78.7
132	झारखंड	लातेहार	गारू	नहीं	30274	24199	79.9
133	झारखंड	लोहरदगा	किसको	नहीं	54959	33559	61.1
134	झारखंड	लोहरदगा	पेशरार	नहीं	31057	25641	82.6
135	झारखंड	लोहरदगा	काइरो	नहीं	37867	23585	62.3
136	झारखंड	लोहरदगा	सेनहा	नहीं	69768	43491	62.3
137	झारखंड	लोहरदगा	भांद्रा	नहीं	57303	36633	63.9
138	झारखंड	पाकुर	अमरापारा	नहीं	65289	53623	82.1
139	झारखंड	पाकुर	पाकुरिया	नहीं	108576	69680	64.2
140	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	सोनुआ	नहीं	77697	47561	61.2

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
141	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	बंदगॉव	नहीं	87072	69632	80.0
142	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	गोइलकेरा	नहीं	74019	63206	85.4
143	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	आनंदपुर	नहीं	44406	30557	68.8
144	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	मनोहरपुर	नहीं	90142	60725	67.4
145	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	नोआमुंडी	नहीं	113333	65891	58.1
146	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	टोनटो	नहीं	59918	48424	80.8
147	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	हट गम्हरिया	नहीं	67226	49684	73.9
148	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा	नहीं	155954	86915	55.7
149	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	तंतनगर	नहीं	63910	48811	76.4
150	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	मनझरी	नहीं	68450	52533	76.7
151	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	झिंकपानी	नहीं	53792	32168	59.8
152	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	कुमारदुंगी	नहीं	55352	41928	75.7
153	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	मझगॉव	नहीं	72616	53214	73.3
154	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	नहीं	199612	104706	52.5
155	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	डुमरिया	नहीं	62128	44658	71.9
156	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	ढालभूमगढ़	नहीं	61932	33679	54.4
157	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	गुरबंधा	नहीं	43001	28634	66.6
158	झारखंड	रांची	अंगारा	नहीं	112759	62073	55.0
159	झारखंड	रांची	नामकुम	नहीं	145841	87472	60.0
160	झारखंड	रांची	नगरी	नहीं	76442	38326	50.1
161	झारखंड	रांची	मंदार	नहीं	128585	77143	60.0
162	झारखंड	रांची	चनहो	नहीं	107503	57608	53.6
163	झारखंड	रांची	बेरो	नहीं	113090	69959	61.9

Ø-la-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cykd	bZ,evkj,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
164	झारखंड	रांची	लपुंग	नहीं	63053	46797	74.2
165	झारखंड	साहिबगंज	मनद्रो	नहीं	75659	41176	54.4
166	झारखंड	साहिबगंज	बोरोई	नहीं	97845	59732	61.0
167	झारखंड	साहिबगंज	तलझारी	नहीं	76330	42348	55.5
168	झारखंड	साहिबगंज	पथना	नहीं	81940	46884	57.2
169	झारखंड	सराईकेला–खारसावान	कुछाई	नहीं	64320	50169	78.0
170	झारखंड	सराईकेला–खारसावान	गोबिंदपुर (राजनगर)	नहीं	136600	71976	52.7
171	झारखंड	सिमडेगा	पाकारतनर	नहीं	37507	25613	68.3
172	झारखंड	सिमडेगा	कुरदेग	नहीं	47984	34707	72.3
173	झारखंड	सिमडेगा	केरसाई	नहीं	39218	31505	80.3
174	झारखंड	सिमडेगा	बोलबा	नहीं	30786	22433	72.9
175	झारखंड	सिमडेगा	थेथाईतंगर	नहीं	87458	70432	80.5
176	झारखंड	सिमडेगा	कोलेबिरा	नहीं	71283	44590	62.6
177	झारखंड	सिमडेगा	जलदेगा	नहीं	64286	53309	82.9
178	झारखंड	सिमडेगा	बंसजोर	नहीं	25519	21840	85.6
179	झारखंड	सिमडेगा	बानो	नहीं	80462	50816	63.2
180	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	जोबट	नहीं	191404	174104	91.0
181	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	अलीराजपुर	नहीं	446494	391428	87.7
182	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	नहीं	230005	176741	76.8
183	मध्य प्रदेश	बालाघाट	परास्वादा	नहीं	108026	56491	52.3
184	मध्य प्रदेश	बड़वानी	बड़वानी	नहीं	211061	124010	58.8
185	मध्य प्रदेश	बड़वानी	पति	नहीं	162432	136455	84.0
186	मध्य प्रदेश	बड़वानी	राजपुर	नहीं	213216	151302	71.0
187	मध्य प्रदेश	बड़वानी	पानसेमाल	नहीं	157975	110271	69.8
188	मध्य प्रदेश	बड़वानी	निवाली	नहीं	112639	98467	87.4
189	मध्य प्रदेश	बड़वानी	सेंधवा	नहीं	231318	163813	70.8
190	मध्य प्रदेश	बड़वानी	वरला	नहीं	128721	112491	87.4
191	मध्य प्रदेश	बेतुल	भैंसदेही	नहीं	289295	207199	71.6
192	मध्य प्रदेश	बेतुल	चिचोली	नहीं	86795	55987	64.5

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlfpr tutkfr tula[;k	vuqlfpr tutkfr çfr'kr
193	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	खकनार	नहीं	133269	85922	64.5
194	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	नेपानगर	नहीं	190994	114378	59.9
195	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	तामिया	नहीं	114176	89431	78.3
196	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	हराई	नहीं	135188	103254	76.4
197	मध्य प्रदेश	देवास	बागली	नहीं	195153	101463	52.0
198	मध्य प्रदेश	धार	सरदारपुर	नहीं	296513	180856	61.0
199	मध्य प्रदेश	धार	गनधावनी	नहीं	156046	141601	90.7
200	मध्य प्रदेश	धार	दही	नहीं	114242	96479	84.5
201	मध्य प्रदेश	धार	मनावर	नहीं	308188	194023	63.0
202	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	शाहपुरा	नहीं	217045	145839	67.2
203	मध्य प्रदेश	हरदा	रेहातगाँव	नहीं	96032	49531	51.6
204	मध्य प्रदेश	जबलपुर	कुंदम	नहीं	123443	87152	70.6
205	मध्य प्रदेश	झाबुआ	पेटलावद	नहीं	232800	185572	79.7
206	मध्य प्रदेश	झाबुआ	मेघनगर	नहीं	171944	154625	89.9
207	मध्य प्रदेश	झाबुआ	राणापुर	नहीं	114738	101843	88.8
208	मध्य प्रदेश	मंडला	निवास	नहीं	124591	89281	71.7
209	मध्य प्रदेश	मंडला	नारायणगंज	नहीं	108911	79255	72.8
210	मध्य प्रदेश	मंडला	घुंघारी	नहीं	172823	120588	69.8
211	मध्य प्रदेश	रतलाम	बाजना	नहीं	80290	76451	95.2
212	मध्य प्रदेश	रतलाम	रावती	नहीं	84171	77835	92.5
213	मध्य प्रदेश	सिवनी	धनोरा	नहीं	85066	49254	57.9
214	मध्य प्रदेश	शाहडोल	जैतपुर	नहीं	162492	100370	61.8
215	मध्य प्रदेश	श्योपुर	काराहाल	नहीं	108261	69142	63.9
216	मध्य प्रदेश	उमरिया	नौरोजाबाद	नहीं	78441	42518	54.2
217	मध्य प्रदेश	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	सेगोन	नहीं	83487	63652	76.2
218	मध्य प्रदेश	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	भगवानपुरा	नहीं	192996	168151	87.1
219	मध्य प्रदेश	खरगोन (पश्चिम निमाड)	झिरान्या	नहीं	201756	161863	80.2
220	महाराष्ट्र	अमरावती	धरनी	नहीं	184665	142191	77.0
221	महाराष्ट्र	धुले	सकरी	नहीं	464913	247970	53.3

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
222	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	कुरखेदा	नहीं	86073	46826	54.4
223	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	कोरची	नहीं	42811	31333	73.2
224	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	धानोर	नहीं	82698	58745	71.0
225	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	भामरागढ़	नहीं	36325	29459	81.1
226	महाराष्ट्र	नंदुरबार	अक्कलकुवा	नहीं	245861	209586	85.2
227	महाराष्ट्र	नंदुरबार	तालोदे	नहीं	159654	123634	77.4
228	महाराष्ट्र	नंदुरबार	शाहादेह	नहीं	407728	220975	54.2
229	महाराष्ट्र	नंदुरबार	नावापुर	नहीं	271852	232501	85.5
230	महाराष्ट्र	नासिक	सुरगाना	नहीं	175816	169688	96.5
231	महाराष्ट्र	नासिक	कालवान	नहीं	208362	143656	68.9
232	महाराष्ट्र	नासिक	डिंडोरी	नहीं	315709	175454	55.6
233	महाराष्ट्र	नासिक	पिंट	नहीं	119838	115576	96.4
234	महाराष्ट्र	नासिक	त्र्यंबकेश्वर	नहीं	168423	135078	80.2
235	महाराष्ट्र	पालघर	तालासारी	नहीं	154818	140273	90.6
236	महाराष्ट्र	पालघर	दहानू	नहीं	402095	277904	69.1
237	महाराष्ट्र	पालघर	विक्रमगढ़	नहीं	137625	126368	91.8
238	महाराष्ट्र	पालघर	जवाहर	नहीं	140187	128462	91.6
239	महाराष्ट्र	पालघर	मोखादा	नहीं	83453	76842	92.1
240	महाराष्ट्र	पालघर	वड़ा	नहीं	178370	101709	57.0
241	मणिपुर	चंदेल	चंदेल	नहीं	32133	29802	92.7
242	मणिपुर	चंदेल	चकपीकारोंग	नहीं	52939	48937	92.4
243	मणिपुर	चुराचांदपुर	तिपाईमुख	नहीं	28795	27220	94.5
244	मणिपुर	चुराचांदपुर	चुराचंदपुर उत्तर	नहीं	30616	29244	95.5
245	मणिपुर	चुराचांदपुर	चुराचांदपुर	नहीं	174138	159032	91.3
246	मणिपुर	चुराचांदपुर	सिंगाता	नहीं	22130	21134	95.5
247	मणिपुर	सेनापति	माओ–मारम	नहीं	163380	144876	88.7
248	मणिपुर	सेनापति	पाओमाता	नहीं	53901	52976	98.3
249	मणिपुर	सेनापति	पुयल	नहीं	68123	66830	98.1
250	मणिपुर	सेनापति	सदर हिल्स पश्चिम	नहीं	71844	45784	63.7
251	मणिपुर	सेनापति	सेतु–गंफाजोल	नहीं	58536	47885	81.8

क्र.सं.	राज्य	जिला	उप-जिला/ब्लॉक	ईएमआरएस की उपस्थिति	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
252	मणिपुर	सेनापति	सदर हिल्स पूर्व	नहीं	63364	60859	96.0
253	मणिपुर	तामेंगलांग	तामेंगलांग पश्चिम	नहीं	27742	26647	96.1
254	मणिपुर	तामेंगलांग	तामेंगलोंग उत्तर	नहीं	28056	27096	96.6
255	मणिपुर	तामेंगलांग	नुंगबा	नहीं	36671	33867	92.4
256	मणिपुर	उखरूल	उखरूल उत्तर	नहीं	31004	29810	96.1
257	मणिपुर	उखरूल	उखुरल सेंट्रल	नहीं	107378	99750	92.9
258	मेघालय	पूर्व गारो हिल्स	दमबोरोंगजेंग	नहीं	52584	51038	97.1
259	मेघालय	पूर्व गारो हिल्स	सोंगसाक	नहीं	53107	51225	96.5
260	मेघालय	पूर्व गारो हिल्स	समनदा	नहीं	56235	51775	92.1
261	मेघालय	पूर्व जैंतिया हिल्स	खिलिहराइथ	नहीं	85832	81634	95.1
262	मेघालय	पूर्व जैंतिया हिल्स	साइपुंग	नहीं	37107	36524	98.4
263	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	माओफेनांग	नहीं	71491	71116	99.5
264	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	माईलीम	नहीं	442950	294073	66.4
265	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	मर्व्य्न्क्नेंग	नहीं	67291	66357	98.6
266	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	माओकिनरियू	नहीं	44602	44293	99.3
267	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	खतरस्नोंगलेतक्रोह	नहीं	33570	33479	99.7
268	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	मौसिनराम	नहीं	54109	50208	92.8
269	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	शीला भोलागंज	नहीं	54039	44535	82.4
270	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	पिनूरसाला	नहीं	57870	57097	98.7
271	मेघालय	जयंतिया हिल्स	थादलास्कीन	नहीं	137939	130424	94.6
272	मेघालय	जयंतिया हिल्स	लसकीन	नहीं	90402	87041	96.3
273	मेघालय	जयंतिया हिल्स	अमलारेम	नहीं	43844	40476	92.3
274	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स	रेसुबेलपारा	नहीं	104514	100748	96.4
275	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स	खारकुट्टा	नहीं	51477	50394	97.9
276	मेघालय	रिभोई	उमलिंग	नहीं	87021	75445	86.7
277	मेघालय	रिभोई	जिरोंग	नहीं	30919	30193	97.7
278	मेघालय	रिभोई	उमसिंग	नहीं	140900	124443	88.3

Ø-la-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuq lfpr tutkfr tula[;k	vuqlfpr tutkfr çfr'kr
279	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	चोकपोट	नहीं	40478	39093	96.6
280	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	गासुआपारा	नहीं	28216	26848	95.2
281	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	बाघमारा	नहीं	50617	46458	91.8
282	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	रोंगारा	नहीं	23023	21838	94.9
283	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	बेटासिंग	नहीं	72103	65776	91.2
284	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	जिकजाक	नहीं	74602	49862	66.8
285	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	रानीकोर	नहीं	41218	37677	91.4
286	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	माओकिरवात	नहीं	54462	53636	98.5
287	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	दादेनगिरी	नहीं	41595	40351	97.0
288	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	टिकरीकल्ला	नहीं	58388	52729	90.3
289	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	रोंगराम	नहीं	133756	106987	80.0
290	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	जमबेगरे	नहीं	33546	32484	96.8
291	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	दालू	नहीं	54095	47108	87.1
292	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	माओशीनरूट	नहीं	74490	73092	98.1
293	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	नोंगस्टोईन	नहीं	81840	80934	98.9
294	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	माउथादराईसान	नहीं	49014	48258	98.5
295	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	मियारंग	नहीं	82437	81500	98.9
296	मिजोरम	आइजोल	दरलवान	नहीं	26048	25488	97.9
297	मिजोरम	आइजोल	तेलंगनुम (भाग)	नहीं	311731	287007	92.1
298	मिजोरम	आइजोल	थिंग्सुथ्लिया (भाग)	नहीं	32099	31131	97.0
299	मिजोरम	चम्फाई	खावजुवाल	नहीं	35931	35385	98.5
300	मिजोरम	चम्फाई	खावबुंग	नहीं	22137	21819	98.6
301	मिजोरम	कोलासिब	बिलाखावथ्रील	नहीं	58487	49512	84.7
302	मिजोरम	लुंगलेई	लुंगसेन	नहीं	39020	37811	96.9
303	मिजोरम	लुंगलेई	हनाहथियाल	नहीं	26113	25788	98.8

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
304	मिजोरम	मामित	जॉलनुवाम	नहीं	47188	43938	93.1
305	मिजोरम	मामित	वेस्ट फीलेंग	नहीं	21309	20746	97.4
306	मिजोरम	सैहा	तुईपांग	नहीं	21043	20768	98.7
307	नगालैंड	दीमापुर	चुमुकेदीमा	नहीं	125400	89675	71.5
308	नगालैंड	किफायर	किफीरसदर	नहीं	21939	20572	93.8
309	नगालैंड	कोहिमा	जखामा	नहीं	34056	30786	90.4
310	नगालैंड	कोहिमा	कोहिमा सदर	नहीं	116870	86936	74.4
311	नगालैंड	लोंगलेंग	लोंगलेंग	नहीं	23184	22274	96.1
312	नगालैंड	मोकोकचुंग	तुली	नहीं	23377	20698	88.5
313	नगालैंड	मोकोकचुंग	ओंगपेंगकोंग	नहीं	83797	76076	90.8
314	नगालैंड	सोम	सोम सदर	नहीं	47977	45833	95.5
315	नगालैंड	सोम	लौंगसेन	नहीं	20311	20178	99.3
316	नगालैंड	सोम	अंगजंगयांग	नहीं	20307	20077	98.9
317	नगालैंड	सोम	मोन्याकशू	नहीं	23225	23016	99.1
318	नगालैंड	पेरेन	जलुकी	नहीं	28391	20573	72.5
319	नगालैंड	पेरेन	टेनिंग	नहीं	25864	25620	99.1
320	नगालैंड	फेक	फेकसदर	नहीं	27407	24755	90.3
321	नगालैंड	तुएनसांग	तुएंसांगसदर	नहीं	47885	44487	92.9
322	नगालैंड	वोखा	वोखासदर	नहीं	58186	54550	93.8
323	नगालैंड	जुनहेबोतो	जुनहेबोतोसदर	नहीं	35977	33629	93.5
324	ओडिशा	बालेश्वर	बेरहामपुर	नहीं	57614	38756	67.3
325	ओडिशा	ढेंकनाल	कंकादहाद	नहीं	61222	34869	57.0
326	ओडिशा	गजपति	अदवा	नहीं	59262	34574	58.3
327	ओडिशा	गजपति	आर.उदयगिरि	नहीं	86234	63279	73.4
328	ओडिशा	गजपति	सेरांगो	नहीं	77720	61142	78.7
329	ओडिशा	गजपति	रायगढ़	नहीं	46196	35470	76.8
330	ओडिशा	गजपति	रामागिरी	नहीं	30015	25541	85.1
331	ओडिशा	जाजापुर	कलियापानी	नहीं	38517	21618	56.1
332	ओडिशा	कालाहांडी	थुआमुल रामपुर	नहीं	77840	45287	58.2
333	ओडिशा	कंधमाल	गोछापाडा	नहीं	35593	22206	62.4

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlfpr tutkfr tula[;k	vuqlfpr tutkfr çfr'kr
334	ओडिशा	कंधमाल	जी.उदयगिरि	नहीं	48846	25741	52.7
335	ओडिशा	कंधमाल	टिकाबली	नहीं	48709	26059	53.5
336	ओडिशा	कंधमाल	सारंगगढ़	नहीं	35335	20282	57.4
337	ओडिशा	कंधमाल	फिरिंगई	नहीं	53570	29674	55.4
338	ओडिशा	कंधमाल	कोटागढ़	नहीं	47900	28485	59.5
339	ओडिशा	कंधमाल	दारिंगबरी	नहीं	63524	42830	67.4
340	ओडिशा	कंधमाल	रायकिया	नहीं	52830	29660	56.1
341	ओडिशा	केंदुझार	बामेबारी	नहीं	56271	34869	62.0
342	ओडिशा	केंदुझार	बारिया	नहीं	73664	37500	50.9
343	ओडिशा	केंदुझार	तुरूमुंगा	नहीं	68598	34327	50.0
344	ओडिशा	केंदुझार	पटना	नहीं	104824	59350	56.6
345	ओडिशा	केंदुझार	नयाकोटे	नहीं	46056	34767	75.5
346	ओडिशा	केंदुझार	तलकोई	नहीं	95718	49547	51.8
347	ओडिशा	केंदुझार	पनदापारा	नहीं	63308	40129	63.4
348	ओडिशा	केंदुझार	घाटगॉव	नहीं	107106	66037	61.7
349	ओडिशा	केंदुझार	हरिचंदनपुर	नहीं	80711	41301	51.2
350	ओडिशा	कोरापुट	कोटपड	नहीं	120929	68872	57.0
351	ओडिशा	कोरापुट	बोरीगुमा	नहीं	98341	51924	52.8
352	ओडिशा	कोरापुट	दासमंतापुर	नहीं	50736	31851	62.8
353	ओडिशा	कोरापुट	लक्ष्मीपुर	नहीं	40232	29927	74.4
354	ओडिशा	कोरापुट	नारायणपटना	नहीं	43575	36772	84.4
355	ओडिशा	कोरापुट	बंधुगौन	नहीं	58974	47059	79.8
356	ओडिशा	कोरापुट	कुंदुरा	नहीं	57038	30190	52.9
357	ओडिशा	कोरापुट	बोइपारीगुडा	नहीं	125337	72290	57.7
358	ओडिशा	कोरापुट	पडुआ	नहीं	54561	28413	52.1
359	ओडिशा	कोरापुट	पोतांगी	नहीं	88128	54917	62.3
360	ओडिशा	मल्कानगिरी	मैथिली	नहीं	84201	58556	69.5
361	ओडिशा	मल्कानगिरी	मुदुलीपाडा	नहीं	29614	20882	70.5
362	ओडिशा	मल्कानगिरी	चित्रकोंडा	नहीं	33579	22839	68.0
363	ओडिशा	मल्कानगिरी	ओरकेल	नहीं	74584	39723	53.3

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj,l dh mifLFkfr	dqy tul[;k	vuqlwfpr tutkfr tul[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
364	ओडिशा	मयूरभंज	तिरींग	नहीं	100517	71435	71.1
365	ओडिशा	मयूरभंज	जामदा	नहीं	48811	38557	79.0
366	ओडिशा	मयूरभंज	गोरूमहिसानी	नहीं	47653	35646	74.8
367	ओडिशा	मयूरभंज	झारपोखेरिया	नहीं	99794	57509	57.6
368	ओडिशा	मयूरभंज	बिसोई	नहीं	73899	51299	69.4
369	ओडिशा	मयूरभंज	बादामपहाड़	नहीं	63890	43425	68.0
370	ओडिशा	मयूरभंज	जाशिपुर	नहीं	121030	82656	68.3
371	ओडिशा	मयूरभंज	रारूआन	नहीं	78209	47207	60.4
372	ओडिशा	मयूरभंज	ठाकुरमुंडा	नहीं	57890	41909	72.4
373	ओडिशा	मयूरभंज	कोलियाना	नहीं	82810	55385	66.9
374	ओडिशा	मयूरभंज	बनगिरीपोसी	नहीं	104902	73190	69.8
375	ओडिशा	मयूरभंज	चंदुआ	नहीं	63390	37203	58.7
376	ओडिशा	मयूरभंज	रसगोबिंदपुर	नहीं	96526	52715	54.6
377	ओडिशा	मयूरभंज	बारसाही	नहीं	132580	69837	52.7
378	ओडिशा	मयूरभंज	उदाला	नहीं	110104	76310	69.3
379	ओडिशा	मयूरभंज	कप्तीपादा	नहीं	76427	38834	50.8
380	ओडिशा	मयूरभंज	शाराता	नहीं	77369	62176	80.4
381	ओडिशा	मयूरभंज	माहुलदिहा	नहीं	46804	36533	78.1
382	ओडिशा	नबरंगपुर	रायगढ़	नहीं	133537	86248	64.6
383	ओडिशा	नबरंगपुर	कुंदेई	नहीं	50002	34317	68.6
384	ओडिशा	नबरंगपुर	उमारकोटे	नहीं	206012	112072	54.4
385	ओडिशा	नबरंगपुर	झारीगन	नहीं	83006	51487	62.0
386	ओडिशा	नबरंगपुर	दबुगन	नहीं	155383	99754	64.2
387	ओडिशा	नबरंगपुर	पपराहांडी	नहीं	99699	54748	54.9
388	ओडिशा	नबरंगपुर	कोदिंगा	नहीं	105973	63671	60.1
389	ओडिशा	नबरंगपुर	कोसागुमुदा	नहीं	93166	57803	62.0
390	ओडिशा	नबरंगपुर	तेनतलीकुंटी	नहीं	70316	35259	50.1
391	ओडिशा	रायगढ़	चंद्रपुर	नहीं	28952	20772	71.7
392	ओडिशा	रायगढ़	बीशामाकटक	नहीं	87895	56084	63.8
393	ओडिशा	रायगढ़	कल्याणसिंहपुर	नहीं	66029	42999	65.1

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dy tul[;k	vulfpr tutkfr tul[;k	vulfpr tutkfr çfr'kr
394	ओडिशा	रायगढ़	काशीपुर	नहीं	70542	41450	58.8
395	ओडिशा	रायगढ़	टिकिरी	नहीं	35376	23849	67.4
396	ओडिशा	रायगढ़	सेसखाल	नहीं	47586	38501	80.9
397	ओडिशा	रायगढ़	पदमपुर	नहीं	44779	22647	50.6
398	ओडिशा	रायगढ़	पुताशींग	नहीं	39390	34194	86.8
399	ओडिशा	संबलपुर	गोविंदपुर	नहीं	59141	37065	62.7
400	ओडिशा	संबलपुर	माहुलपल्ली	नहीं	76632	45924	59.9
401	ओडिशा	संबलपुर	जामनकीरा	नहीं	59250	33431	56.4
402	ओडिशा	संबलपुर	जुजोमुरा	नहीं	57271	31848	55.6
403	ओडिशा	सुंदरगढ़	लेफरीपारा	नहीं	70547	39589	56.1
404	ओडिशा	सुंदरगढ़	धारूआडीही	नहीं	35427	20163	56.9
405	ओडिशा	सुंदरगढ़	किनजीरकेला	नहीं	57452	40344	70.2
406	ओडिशा	सुंदरगढ़	तालासारा	नहीं	80443	55025	68.4
407	ओडिशा	सुंदरगढ़	बारागॉव	नहीं	77943	51459	66.0
408	ओडिशा	सुंदरगढ़	कुतरा	नहीं	66462	50575	76.1
409	ओडिशा	सुंदरगढ़	रैबोगा	नहीं	43474	35017	80.5
410	ओडिशा	सुंदरगढ़	हातीबारी	नहीं	61931	40445	65.3
411	ओडिशा	सुंदरगढ़	बिसरा	नहीं	98455	58287	59.2
412	ओडिशा	सुंदरगढ़	ब्राह्मनी तरंग	नहीं	57664	45314	78.6
413	ओडिशा	सुंदरगढ़	कमरपोशबालंग	नहीं	42854	32606	76.1
414	ओडिशा	सुंदरगढ़	कोइदा	नहीं	40824	26917	65.9
415	ओडिशा	सुंदरगढ़	गुरूंदिया	नहीं	35256	29754	84.4
416	राजस्थान	बांसवाड़ा	गढ़ी	नहीं	298740	173066	57.9
417	राजस्थान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	नहीं	458587	306968	66.9
418	राजस्थान	बांसवाड़ा	बागीडोरा	नहीं	373825	318963	85.3
419	राजस्थान	डूंगरपुर	डूंगरपुर	नहीं	495423	384981	77.7
420	राजस्थान	डूंगरपुर	सागवाड़ा	नहीं	343232	203272	59.2
421	राजस्थान	प्रतापगढ़	दरियावाड	नहीं	189872	149512	78.7
422	राजस्थान	प्रतापगढ़	पीपलखूट	नहीं	154063	143783	93.3
423	राजस्थान	प्रतापगढ़	अरनोद	नहीं	141023	94932	67.3

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cy,d	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
424	राजस्थान	उदयपुर	झाड़ोल	नहीं	249297	188925	75.8
425	राजस्थान	उदयपुर	लासादिया	नहीं	91229	80435	88.2
426	राजस्थान	उदयपुर	सलुम्बर	नहीं	248337	132473	53.3
427	राजस्थान	उदयपुर	शारदा	नहीं	231209	147157	63.6
428	राजस्थान	उदयपुर	ऋषभदेव	नहीं	172935	145576	84.2
429	तमिलनाडु	सलेम	येरकौड	नहीं	41869	28118	67.2
430	तेलंगाना	आदिलाबाद	इंदरावेली	नहीं	47506	27196	57.2
431	तेलंगाना	आदिलाबाद	नरनूर	नहीं	49239	33060	67.1
432	तेलंगाना	आदिलाबाद	उतनूर	नहीं	63465	32988	52.0
433	तेलंगाना	भद्रादरी	चेर्ला	नहीं	42947	23887	55.6
434	तेलंगाना	भद्रादरी	दुमुगुदेम	नहीं	46802	32518	69.5
435	तेलंगाना	भद्रादरी	तेकुलापली	नहीं	47879	37125	77.5
436	तेलंगाना	भद्रादरी	गुंडाला	नहीं	28125	21808	77.5
437	तेलंगाना	भद्रादरी	मुल्कालापल्ली	नहीं	34794	21417	61.6
438	तेलंगाना	खम्मम	सिंगरेनी	नहीं	54897	33543	61.1
439	तेलंगाना	कोमारामभीम आसिफाबाद	सिरपुर	नहीं	26097	22261	85.3
440	तेलंगाना	महबुबाबाद	कोठागुडम	नहीं	39576	24393	61.6
441	तेलंगाना	महबुबाबाद	गुडूर	नहीं	55781	31960	57.3
442	तेलंगाना	महबुबाबाद	बयारम	नहीं	42587	21361	50.2
443	त्रिपुरा	धलाई	मनु	नहीं	84194	57791	68.6
444	त्रिपुरा	धलाई	अम्बासा	नहीं	54618	39609	72.5
445	त्रिपुरा	धलाई	छमानु	नहीं	33579	28829	85.9
446	त्रिपुरा	धलाई	दमबुरनगर	नहीं	59400	48127	81.0
447	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	दमचारा	नहीं	27635	22631	81.9
448	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	पेंचारथल	नहीं	43146	25543	59.2
449	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	डासदा	नहीं	102037	68717	67.3
450	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	किल्ला	नहीं	40912	39303	96.1
451	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	अमरपुर	नहीं	56572	32055	56.7
452	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	उमपी	नहीं	38635	32742	84.7

Ø-l-	jkT;	ftyk	mi&ftyk@Cykd	b,evkj ,l dh mifLFkfr	dqy tula[;k	vuqlwfpr tutkfr tula[;k	vuqlwfpr tutkfr çfr'kr
453	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	करबूक	नहीं	45350	35934	79.2
454	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	रूपइछारी	नहीं	47946	39670	82.7
455	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	हेजामारा	नहीं	35628	33326	93.5
456	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	पदमाबील	नहीं	35534	32982	92.8
457	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	तुलाशिखर	नहीं	43459	33099	76.2
458	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	मुंगियाकुमी	नहीं	29167	27908	95.7
459	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	मण्डी	नहीं	44670	41187	92.2
460	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	जमपुईजाला	नहीं	45682	43244	94.7
461	उत्तराखंड	देहरादून	चकराता	नहीं	49607	24909	50.2
462	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	बुंदवान	नहीं	94929	49232	51.9

vuqyXud&8 [k

b,evkj,l dh lwph ¼Cy,d&okj½ ¼31-03-2019 rd½

Øe la-	jkT;	Lohd`fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xkao@vkokl	fLFkfr
1	आंध्र प्रदेश	1998–99	पूर्वी गोदावरी	वाई. रामावरम	पी. येर्रागोंडा	कार्यशील
2	आंध्र प्रदेश	2003–04	एसपीएसआर नेल्लौर	कोडावलुर	कोडावलुरु	कार्यशील
3	आंध्र प्रदेश	2010–11	प्रकाशम	डोरनाला	श्रीसैलाम	कार्यशील
4	आंध्र प्रदेश	2010–11	विशाखापट्टनम	गुडेम कोठा वीधि	जीके वीधि	कार्यशील
5	आंध्र प्रदेश	2014–15	चित्तूर	बुचिनाडिदु खंडरिगा	बीएन कंडरिगा	कार्यशील
6	आंध्र प्रदेश	2014–15	पूर्वी गोदावरी	मारेदुमिली	मारेदुमिली	कार्यशील
7	आंध्र प्रदेश	2014–15	एसपीएसआर नेल्लौर	ओजिली	औजिल मंडल	कार्यशील
8	आंध्र प्रदेश	2014–15	श्रीकाकुलम	मेलिअपुत्ति	मेलिअपुत्ति	कार्यशील
9	आंध्र प्रदेश	2014–15	श्रीकाकुलम	भामिनी	भामिनी	कार्यशील
10	आंध्र प्रदेश	2014–15	विशाखापट्टनम	मुनचिंगीपुट	मुंचिगापुट	कार्यशील
11	आंध्र प्रदेश	2014–15	विशाखापट्टनम	दुम्बरीगुडा	दुम्बरीगुडा	कार्यशील
12	आंध्र प्रदेश	2014–15	विजयानगरम	मक्कुवा	अनासाभद्रा	कार्यशील
13	आंध्र प्रदेश	2014–15	विजयानगरम	कुरुपम	कुरुपम	कार्यशील
14	आंध्र प्रदेश	2014–15	विजयानगरम	पछिपेंठा	कोटिकापेंटा	कार्यशील
15	आंध्र प्रदेश	2018–19	पश्चिमी गोदावरी	बुत्तेयागुदेम		गैर–कार्यशील
16	आंध्र प्रदेश	2018–19	पूर्वी गोदावरी	चिन्तूर		गैर–कार्यशील
17	अरुणाचल प्रदेश	1997–98	पूर्वी कामेंग	बाना	बानाकैम्प (नया सोपुंग)	कार्यशील
18	अरुणाचल प्रदेश	2007–08	तवांग	लुमला	लुमला	कार्यशील
19	अरुणाचल प्रदेश	2015–16	कुरुंगकुमे	न्यापीन	काम्पु, न्यापन	गैर–कार्यशील
20	अरुणाचल प्रदेश	2015–16	तिरप	खोंसा	खेला	गैर–कार्यशील
21	अरुणाचल प्रदेश	2016–17	पश्चिम सियांग	तिरबिन	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
22	अरुणाचल प्रदेश	2016–17	लोहित	वकरो	मेदो	गैर–कार्यशील
23	अरुणाचल प्रदेश	2017–18	निचली दिबांग घाटी	दम्बुक	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
24	अरुणाचल प्रदेश	2018–19	पापुम पारे	इटागर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
25	असम	2010–11	बक्सा	बरामा	दलबारी	गैर–कार्यशील
26	असम	2015–16	बारपेटा	बजाली	खाराधारा	गैर–कार्यशील
27	असम	2016–17	कोकराझार	चापर	बेदलांगमारी	गैर–कार्यशील

Øe la-	jkT;	lLohd`fr dk o"kZ	ftyk	Cykd@rkyqdk	xkao@vkokl	fLFkfr
28	असम	2016–17	कारबी अंगलोंग	दिफू	थेसो–अजुर सोनासिंहतेरंग	गैर–कार्यशील
29	असम	2018–19	डिमा हासाओ	हाफलॉंग	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
30	बिहार	2014–15	पश्चिम चंपारण	गौनाहा	बेलसांडी	गैर–कार्यशील
31	बिहार	2014–15	जमुई	झाझा	झाघा	गैर–कार्यशील
32	छत्तीसगढ़	2005–06	बस्तर	बकावंद	कारपावंड	कार्यशील
33	छत्तीसगढ़	2005–06	दंतेवाड़ा	गिदेम	जवंगा	कार्यशील
34	छत्तीसगढ़	2005–06	जशपुर	बगीचा	सन्ना	कार्यशील
35	छत्तीसगढ़	2005–06	कांकेर	अंतागड	लम्कान्हार	कार्यशील
36	छत्तीसगढ़	2005–06	कबीरधाम	बोदला	तारेगांव जंगल	कार्यशील
37	छत्तीसगढ़	2005–06	रायगढ़	खरसिया	छोटमुदपर	कार्यशील
38	छत्तीसगढ़	2005–06	सूरजपुर	भइयाथान	शिवप्रसाद नगर	कार्यशील
39	छत्तीसगढ़	2005–06	सरगुजा	मैनपेट	कमलेश्वरपुर	कार्यशील
40	छत्तीसगढ़	2010–11	बीजापुर	भैरमगढ़	पुसनार	कार्यशील
41	छत्तीसगढ़	2010–11	कोरबा	कटघोरा	छुरीकाला	कार्यशील
42	छत्तीसगढ़	2010–11	राजनंदगांव	डोंगरगढ़	पेंडरी	कार्यशील
43	छत्तीसगढ़	2011–12	कोरिया	खंडगनवा	पोंददीह	कार्यशील
44	छत्तीसगढ़	2012–13	कोंडागांव	कोंडागांव	मरदापाल गोलवंद	कार्यशील
45	छत्तीसगढ़	2013–14	बस्तर	बस्तर	बेसोली	कार्यशील
46	छत्तीसगढ़	2013–14	बिलासपुर	मरवाही	डोंगारिया	कार्यशील
47	छत्तीसगढ़	2013–14	नारायणपुर	नारायणपुर	छेरीबेडा	कार्यशील
48	छत्तीसगढ़	2015–16	बालोद	दौउंडी	दल्लीराजारा	कार्यशील
49	छत्तीसगढ़	2015–16	बलरामपुर	बलरामपुर	महाराजगंज	कार्यशील
50	छत्तीसगढ़	2015–16	बलौदा बाजार	कासडोल	बालदाकछार	कार्यशील
51	छत्तीसगढ़	2015–16	धमतरी	नगरी	पथरीदीह	कार्यशील
52	छत्तीसगढ़	2015–16	गरियाबंद	गरियाबंद	केशोदर	कार्यशील
53	छत्तीसगढ़	2015–16	जंजगिरचम्फा	सक्ति	पलाडीखुर्द	कार्यशील
54	छत्तीसगढ़	2015–16	महासमुंद	पिथौरा	पिथौरा	कार्यशील
55	छत्तीसगढ़	2015–16	मुंगेली	लोरमी	बंधवा	कार्यशील
56	छत्तीसगढ़	2015–16	सुकमा	सुकमा	सुकमा	कार्यशील
57	छत्तीसगढ़	2018–19	बिलासपुर	पेंडरा	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
58	छत्तीसगढ़	2018–19	कोरबा	पाली	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
59	छत्तीसगढ़	2018–19	नारायणपुर	ओछा (ईएमडीबीएस)	लागू नहीं	गैर–कार्यशील

Øe l a-	jkT;	lLoh—fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xkao@vkokl	fLFkfr
60	गुजरात	1997–98	नर्मदा	तिलकवाडा	तिलकवाड़ा	कार्यशील
61	गुजरात	1997–98	अरवल्ली	भिलोडा	शामलजी (शमलपुर)–1	कार्यशील
62	गुजरात	1997–98	सूरत	बारडोली	मोटा	कार्यशील
63	गुजरात	1997–98	डांग	अहवा	अहवा	कार्यशील
64	गुजरात	2001–02	वलसाड	पारदी	पार्दी	कार्यशील
65	गुजरात	2001–02	वलसाड	कपरादा	कपारदा	कार्यशील
66	गुजरात	2001–02	नवसारी	वंशदा	बार्टड	कार्यशील
67	गुजरात	2003–04	तापी	निजार	खोदाडा	कार्यशील
68	गुजरात	2007–08	बंता कांथा	दंता	अम्बाजी	कार्यशील
69	गुजरात	2007–08	दाहोद	दाहोद	खरेदी	कार्यशील
70	गुजरात	2007–08	पंच महल	कलोल	वेजलपुर	कार्यशील
71	गुजरात	2010–11	नर्मदा	गरुडेश्वर	गोरा (नन्दोड)	कार्यशील
72	गुजरात	2010–11	अरवल्ली	भिलोडा	शामलजी (शमलपुर)–2	कार्यशील
73	गुजरात	2011–12	डांग	अहवा	सपुतारा	कार्यशील
74	गुजरात	2011–12	वडोदरा	वघोडिया	वाघोडिया	कार्यशील
75	गुजरात	2011–12	बंता कांथा	पालनपुर	जगाना	कार्यशील
76	गुजरात	2011–12	दाहोद	धानपुर	लुखाडिया	कार्यशील
77	गुजरात	2011–12	महिसागर	कदाना	कडान्ना (दिवदा कॉलोनी)	कार्यशील
78	गुजरात	2011–12	तापी	सोनगढ़	इंदु	कार्यशील
79	गुजरात	2011–12	तापी	सोनगढ़	ऊकई	कार्यशील
80	गुजरात	2011–12	वलसाड	धरमपुर	धरमपुर (ओजरपाडा)	कार्यशील
81	गुजरात	2013–14	छोटाउदेयपुर	छोटाउदेयपुर	पुनियावत	कार्यशील
82	गुजरात	2015–16	साबरकांठा	पोशिना	चंदरामा (चिखला)	कार्यशील
83	गुजरात	2016–17	भरूच	वलिया	वघालखोंड	कार्यशील
84	गुजरात	2017–18	नर्मदा	सगबारा	सगबाड़ा	कार्यशील
85	गुजरात	2017–18	छोटाउदेयपुर	नशवाडी	नसवाडी	कार्यशील
86	गुजरात	2017–18	सूरत	मांडवी	अरेथ	कार्यशील
87	गुजरात	2018–19	दाहोद		सिंगवाद	प्रक्रियाधीन
88	गुजरात	2018–19	बनासकांठा	अमीरगढ़	लागू नहीं	प्रक्रियाधीन
89	गुजरात	2018–19	भरूच	झगडिया	लागू नहीं	प्रक्रियाधीन
90	गुजरात	2018–19	तापी	उच्छल	लागू नहीं	प्रक्रियाधीन
91	हिमाचल प्रदेश	1997–98	किन्नौर	निचार	काशपो	कार्यशील

Øe la-	jkT;	lLoh—fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xkao@vkokl	fLFkfr
92	हिमाचल प्रदेश	2018–19	लाहौल स्पीति	लाहौल	बैरिंग	गैर–प्रक्रियाधीन
93	हिमाचल प्रदेश	2018–19	चम्बा	पांगी	धनगिट	गैर–प्रक्रियाधीन
94	हिमाचल प्रदेश	2018–19	चम्बा	ब्रह्मपुर	खानी	गैर–प्रक्रियाधीन
95	जम्मू और कश्मीर	1997–98	अनंतनाग	अनंतनाग	सालिया	कार्यशील
96	जम्मू और कश्मीर	2003–04	कुलगाम	दमहाल हांजीपोरा	तंगमार्ग	कार्यशील
97	जम्मू और कश्मीर	2016–17	राजौरी	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
98	जम्मू और कश्मीर	2016–17	कारगिल	कारगिल	कारगिल	गैर–कार्यशील
99	जम्मू और कश्मीर	2017–18	पूंछ	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
100	जम्मू और कश्मीर	2018–19	बांदीपुरा	गुरेज		गैर–कार्यशील
101	जम्मू और कश्मीर	2018–19	लेह	लेह		गैर–कार्यशील
102	जम्मू और कश्मीर	2018–19	कोटेरांका	बुधाल		गैर–कार्यशील
103	झारखंड	1997–98	दुमका	दुमका	काठीजोरिया	कार्यशील
104	झारखंड	1997–98	रांची	तामार	सालगाडीह	कार्यशील
105	झारखंड	1997–98	साहेबगंज	बरहैत	भोगनाडीह	कार्यशील
106	झारखंड	1997–98	पश्चिम सिंहभूम	खूंट	टोरसिड्री	कार्यशील
107	झारखंड	2010–11	गुमला	बसिया	सोलांगबिरा	कार्यशील
108	झारखंड	2011–12	गोड्डा	सुंदरपहाडी	तसारिया	कार्यशील
109	झारखंड	2011–12	लोहरदगा	लोहरदगा	कुंजिरा	कार्यशील
110	झारखंड	2013–14	पूर्वी सिंहभूम	बहारागोरा	बुद्धिपोखर	गैर–कार्यशील
111	झारखंड	2013–14	सिमडेगा	सिमडेगा	गर्जा	गैर–कार्यशील
112	झारखंड	2014–15	छत्रा	कान्हाचट्टी	चारु	गैर–कार्यशील
113	झारखंड	2014–15	दुमका	काठीकुंड	फिटकोरिया	गैर–कार्यशील
114	झारखंड	2014–15	गिरिडीह	पीरतंड	पालगंज	गैर–कार्यशील
115	झारखंड	2014–15	पाकुर	लिट्टीपाड़ा	कुमारभजिया	गैर–कार्यशील
116	झारखंड	2014–15	पलामू	मनातु	बंशीखुर्द	गैर–कार्यशील
117	झारखंड	2014–15	पश्चिम सिंहभूम	गुदरी	कासकेल	गैर–कार्यशील
118	झारखंड	2016–17	जामताड़ा	फतेहपुर	चौकुंडा	गैर–कार्यशील
119	झारखंड	2016–17	खूंटी	कर्रा	सियाक्ल	गैर–कार्यशील

Øe la-	jkT;	laLoh—fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xkao@vkokl	fLFkfr
120	झारखंड	2016–17	लातेहार	लातेहार	नेगाई	गैर–कार्यशील
121	झारखंड	2016–17	सराय केला	निमदीह	झिमरी	गैर–कार्यशील
122	झारखंड	2017–18	पश्चिम सिंहभूम	जगन्नाथपुर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
123	झारखंड	2017–18	रांची	बुरमु	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
124	झारखंड	2018–19	धनबाद	टुंडी	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
125	झारखंड	2018–19	गढ़वा	भन्डारिया	लागू नहीं	प्रक्रियाधीन
126	झारखंड	2018–19	खूंटी	खूंटी	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
127	झारखंड	2018–19	खूंटी	तोरपा	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
128	कर्नाटक	1997–98	बेलगावी	गोकक	थवागा	कार्यशील
129	कर्नाटक	1997–98	कोडागू	विराजपेट	बालागोदु	कार्यशील
130	कर्नाटक	2001–02	चिक्कामगलुरु	मुदिगेरे	तारुवे	कार्यशील
131	कर्नाटक	2005–06	रायचूर	देवदुर्गा	कोथाडोड्डी	कार्यशील
132	कर्नाटक	2010–11	चित्रदुर्ग	हिरीयूर	देवराकोट्टा	कार्यशील
133	कर्नाटक	2012–13	कोलार	श्रीनिवासपुर	गंगननगरपल्ली	कार्यशील
134	कर्नाटक	2010–11	तुमकुर	कोरातागेरे	बज्जानहल्ली	कार्यशील
135	कर्नाटक	2010–11	मैसूर	हेग्गादादेवान + कोटे	एस. होसाकोट (मेटिकुप्पे)	कार्यशील
136	कर्नाटक	2010–11	चामराजनगर	कोल्लेगल	मंगला	कार्यशील
137	कर्नाटक	2010–11	गुलबर्गा	चितापुर	कोन्चुर	कार्यशील
138	कर्नाटक	2010–11	बेल्लारी	बेल्लारी	बेल्लारी	गैर–कार्यशील
139	कर्नाटक	2015–16	यादगीरि	यादगिरि	यादगिरि	गैर–कार्यशील
140	केरल	1997–98	वायनाड	कलपेट्टा	पुकोडे	कार्यशील
141	केरल	1998–99	इडुक्की	इडुक्की	पेनाउ	कार्यशील
142	केरल	2017–18	पलक्कड़	अत्तेपडी	अगाली	गैर–कार्यशील
143	केरल	2018–19	वायनाड	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
144	मध्य प्रदेश	2000–01	अनूपपुर	जयताहारी	बरबसपुर	कार्यशील
145	मध्य प्रदेश	2000–01	बड़वानी	बड़वानी	बारवानी	कार्यशील
146	मध्य प्रदेश	2000–01	बेतुल	शाहपुर	शाहपुर	कार्यशील
147	मध्य प्रदेश	2000–01	धार	कुक्शी	कुक्शी	कार्यशील
148	मध्य प्रदेश	2005–06	डिंडोरी	डिंडोरी	रहागी	कार्यशील
149	मध्य प्रदेश	2000–01	झाबुआ	थांदला	अगराल	कार्यशील
150	मध्य प्रदेश	2000–01	मंडला	बिछिया	सिजहोरा	कार्यशील
151	मध्य प्रदेश	2000–01	रतलाम	सैलाना	सैलाना	कार्यशील

Øe la-	jkT;	lLoh—fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xko@vkokl	fLFkfr
152	मध्य प्रदेश	2000—01	सिवनी	घनसौर	घनसोर	कार्यशील
153	मध्य प्रदेश	2005—06	छिंदवाड़ा	जमाई	जुन्नाद्रो	कार्यशील
154	मध्य प्रदेश	2005—06	सीधी	कुसमी	तन्सारकुसमी	कार्यशील
155	मध्य प्रदेश	2005—06	उमरिया	पाली	पाली	कार्यशील
156	मध्य प्रदेश	2010—11	अलीराजपुर	सोंदवा	उमराली	कार्यशील
157	मध्य प्रदेश	2014—15	अलीराजपुर	भाँवरा	सेजवाडा	कार्यशील
158	मध्य प्रदेश	2010—11	बालाघाट	परसवाडा	उकवा	कार्यशील
159	मध्य प्रदेश	2010—11	छिंदवाड़ा	बिछुआ	सिंगारदीप	कार्यशील
160	मध्य प्रदेश	2010—11	होशंगाबाद	केसाला	केसला (भर्गदा)	कार्यशील
161	मध्य प्रदेश	2010—11	जबलपुर	जबलपुर	नरायनाला	कार्यशील
162	मध्य प्रदेश	2010—11	झाबुआ	राणापुर	मोरदुंदिया	कार्यशील
163	मध्य प्रदेश	2010—11	खंडवा	खालवा	रोशनी	कार्यशील
164	मध्य प्रदेश	2010—11	शाहडोल	सोहागपुर	धुरवर	कार्यशील
165	मध्य प्रदेश	2014—15	बड़वानी	सेंधवा	जामली	कार्यशील
166	मध्य प्रदेश	2014—15	सीहोर	बुदनी	बांसपुर	कार्यशील
167	मध्य प्रदेश	2014—15	धार	धार	गर्दवार	कार्यशील
168	मध्य प्रदेश	2014—15	सतना	मैहर	अरकंडी (मेहर)	कार्यशील
169	मध्य प्रदेश	2015—16	सतना	मझगावन	चित्रकूट	कार्यशील
170	मध्य प्रदेश	2015—16	खरगोन	खरगोन	खरगोन	कार्यशील
171	मध्य प्रदेश	2015—16	मंडला	मंडला	मंडला	कार्यशील
172	मध्य प्रदेश	2015—16	सिंगरौली	देवसर	बर्गवान	कार्यशील
173	मध्य प्रदेश	2008—09	इंदौर	इंदौर ग्रामीण	मोरोद	कार्यशील
174	मध्य प्रदेश	2008—09	जबलपुर	जबलपुर	रामपुर छापर	कार्यशील
175	मध्य प्रदेश	2007—08	गुना	गुना	गुना	कार्यशील
176	मध्य प्रदेश	2018—19	अलीराजपुर	अलीराजपुर	लागू नहीं	गैर—कार्यशील
177	मध्य प्रदेश	2018—19	बड़वानी	पाती	लागू नहीं	गैर—कार्यशील
178	मध्य प्रदेश	2018—19	बड़वानी	राजपुर	लागू नहीं	गैर—कार्यशील
179	महाराष्ट्र	1997—98	अमरावती	चिकलधारा	चिकलदारा	कार्यशील
180	महाराष्ट्र	1997—98	नागपुर	रामटेक	खैरीपारसोडा	कार्यशील
181	महाराष्ट्र	1997—98	नासिक	इगतपुरी	मुंधेगांव	कार्यशील

Øe l-	jkT;	lLoh—fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xko@vkokl	fLFkfr
182	महाराष्ट्र	1997–98	पालघर	पालघर	कम्बालगांव	कार्यशील
183	महाराष्ट्र	2013–14	गढचिरौली	इटापल्ली	नवेगांव	कार्यशील
184	महाराष्ट्र	2013–14	गोंदिया	देवरी	बोरगांव	कार्यशील
185	महाराष्ट्र	2013–14	नंदुरबार	नंदुरबार	नन्दुरबार	कार्यशील
186	महाराष्ट्र	2013–14	नासिक	इगतपुरी	पिम्पारीसदरूद्दीन	कार्यशील
187	महाराष्ट्र	2014–15	अहमदनगर	अकोला	मवेशी	कार्यशील
188	महाराष्ट्र	2014–15	थाने	शाहपुर	शेंदेगाँव (भटसानगर)	कार्यशील
189	महाराष्ट्र	2014–15	नासिक	अजमेर सौउदाने	ताल सताना	कार्यशील
190	महाराष्ट्र	2015–16	धुले	पिम्पलनेर	पिम्पलनेर	कार्यशील
191	महाराष्ट्र	2015–16	नांदेड़	किन्वट	सहस्त्रकुण्ड	कार्यशील
192	महाराष्ट्र	2015–16	चंद्रपुर	राजुरा	देवाडा	कार्यशील
193	महाराष्ट्र	2016–17	गढचिरौली	चामोरसी	लागू नहीं	कार्यशील
194	महाराष्ट्र	2016–17	नासिक	डिंडोरी	लागू नहीं	कार्यशील
195	महाराष्ट्र	2017–18	नंदुरबार	धाडगांव	धाडगांव	गैर–कार्यशील
196	महाराष्ट्र	2017–18	यवतमाल	मारेगांव	पन्धरकवाडा	गैर–कार्यशील
197	महाराष्ट्र	2018–19	पालधर	तालासरी	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
198	महाराष्ट्र	2018–19	पालधर	जवहर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
199	महाराष्ट्र	2018–19	नाशिक (ईएमबीडीएस)	सुरज्ञान	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
200	मणिपुर	1997–98	तामेंगलांग	तामेंगलांग	तामेंगलोंग	कार्यशील
201	मणिपुर	2000–01	तेंगनोउपाल	मोरेह	चिकिम	कार्यशील
202	मणिपुर	2000–01	कंगपोकपी	गमनोम सापेरमेनिया	गमनोम सापेरमेनिया	कार्यशील
203	मणिपुर	2016–17	चुराचांदपुर	हेंगलेप	तोकपा काबुई	गैर–कार्यशील
204	मणिपुर	2016–17	उखरूल	फुंगयार	रीहा	गैर–कार्यशील
205	मणिपुर	2018–19	चंदेल	चंदेल	मंत्रीपंथा	गैर–कार्यशील
206	मणिपुर	2018–19	सेनापति	माओ मारम	ताफोउ पुदुआनमेई	गैर–कार्यशील
207	मणिपुर	2018–19	तामंगलांग	नुंगबा	नुंगबा	गैर–कार्यशील
208	मेघालय	2017–18	रिभोई	उमलिंग	नोंगपोह	गैर–कार्यशील
209	मेघालय	2018–19	पूर्व गारो हिल्स	समानदा	समान्दा	गैर–कार्यशील
210	मेघालय	2018–19	पूर्व खासी हिल्स	मौकिनरेव	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
211	मेघालय	2018–19	पश्चिम खासी हिल्स	नोंग्स्टिन	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
212	मेघालय	2018–19	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	मौकिनरेव	लागू नहीं	गैर–कार्यशील

Øe la-	jkT;	lLohd`fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xkao@vkokl	fLFkfr
213	मेघालय	2018–19	उत्तर गारो हिल्स	खर्कुत्ता	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
214	मेघालय	2018–19	दक्षिण गारो हिल्स	रोंग्र	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
215	मेघालय	2018–19	जयंतिया हिल्स	थाडलास्केन	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
216	मेघालय	2018–19	पूर्व गारो हिल्स	सामांडा	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
217	मेघालय	2018–19	पश्चिम गारो हिल्स	तिक्रिकिल्ला	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
218	मेघालय	2018–19	री भोई	उम्स्निंग	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
219	मेघालय	2018–19	पूर्व जयंतिया हिल्स	खलीह्रयत	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
220	मेघालय	2018–19	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	जिक्जक	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
221	मिजोरम	1997–98	लुंगलेई	पुकपुई	लुंगलेई	कार्यशील
222	मिजोरम	2011–12	सेरछिप	सेरछिप	कवलरीतलांग	कार्यशील
223	मिजोरम	2014–15	लवंगतलाई	च्वानगते	कम्लानगर, सीएडीसी	गैर–कार्यशील
224	मिजोरम	2014–15	लवंगतलाई	लवंगतलाई	एलएडीसी	गैर–कार्यशील
225	मिजोरम	2014–15	सैहा	सैहा	तुईपेंग (एमएडीसी)	गैर–कार्यशील
226	मिजोरम	2015–16	चम्फाई	चम्फाई	नगोपा	गैर–कार्यशील
227	मिजोरम	2018–19	ऐजौल	त्लान्नुं (पार्ट)	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
228	मिजोरम	2018–19	कोलासिब	बिल्खाव्थ्लिर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
229	मिजोरम	2018–19	ममित	जव्ल्नुं	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
230	नागालैंड	1997–98	तुएनसांग	सेंगसेंगन्यू	तुएनसांग	कार्यशील
231	नागालैंड	1997–98	दीमापुर	मेदजीफेमा	दिपहुपर	कार्यशील
232	नागालैंड	1997–98	सोम	तिजित	तिजित	कार्यशील
233	नागालैंड	2015–16	कोहिमा	सेमीन्यू	फेन्सुन्या	गैर–कार्यशील
234	नागालैंड	2015–16	फेक	फुतसेरो	काडे	गैर–कार्यशील
235	नागालैंड	2018–19	पेरेन	जलुकिए	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
236	नागालैंड	2018–19	किफिरे	किफिरेसदर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
237	नागालैंड	2018–19	वोखा	वोखासदर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
238	नागालैंड	2018–19	मोकुकचुंग	तुली	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
239	नागालैंड	2018–19	कोहिमा	कोहिमा सदर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
240	नागालैंड	2018–19	डिमपुर	चुमुकेइद्मा	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
241	ओडिशा	1997–98	कोरापुट	सेमिलीगुडा	पुंगार	कार्यशील
242	ओडिशा	1997–98	मयूरभंज	खुंडा	धनघेरा	कार्यशील

Øe la-	jkT;	LoÈ—fr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xko@vkokl	fLFkfr
243	ओडिशा	1997—98	रायगढ़	गुदरी	श्रीगुदा	कार्यशील
244	ओडिशा	1997—98	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़	भवानीपुर	कार्यशील
245	ओडिशा	2001—02	गजपति	मोहन	चन्द्रागिरि	कार्यशील
246	ओडिशा	2001—02	कंधमाल	बालीगुडा	महासिंघी	कार्यशील
247	ओडिशा	2001—02	केंदुझार	केंदुझर सदर	रान्की	कार्यशील
248	ओडिशा	2001—02	नबरंगपुर	नबरंगपुर	हिर्ली	कार्यशील
249	ओडिशा	2002—03	सुंदरगढ़	लहुनिपारा	श्र्धापुर	कार्यशील
250	ओडिशा	2002—03	सुंदरगढ़	राजगंगपुर	लेंग	कार्यशील
251	ओडिशा	2007—08	जाजपुर	दनागाडी	रामपिलो	कार्यशील
252	ओडिशा	2010—11	मल्कानगिरी	मल्कानगिरी	चम्पानगर	कार्यशील
253	ओडिशा	2010—11	नुआपाड़ा	नुआपाड़ा	सखाताश (केंदुबहाडा)	कार्यशील
254	ओडिशा	2011—12	बोलंगीर	बोलंगीर	दुमेरबहल	कार्यशील
255	ओडिशा	2011—12	कालाहांडी	कोकसारा	मघुपुर	गैर—कार्यशील
256	ओडिशा	2011—12	मयूरभंज	रायरंगपुर	रायरंगपुर	गैर—कार्यशील
257	ओडिशा	2015—16	मयूरभंज	बंगरीपोसी	बंगरीपोशी	कार्यशील
258	ओडिशा	2015—16	रायगढ़	गुनुपुर	बिक्रमपुर	कार्यशील
259	ओडिशा	2015—16	मयूरभंज	करंजिया	करनजिया	कार्यशील
260	ओडिशा	2015—16	संबलपुर	कुचिंडा	कुचिंडा	कार्यशील
261	ओडिशा	2015—16	सुंदरगढ़	कौरमुंडा	पन्पोश	कार्यशील
262	ओडिशा	2015—16	कंधमाल	फूलबनी	फुलबानी	गैर—कार्यशील
263	ओडिशा	2016—17	बालासोर	नीलगिरि	नीलगिरि	गैर—कार्यशील
264	ओडिशा	2016—17	देवगढ़	देवागढ़	तिलेइबानी	गैर—कार्यशील
265	ओडिशा	2016—17	झारसुगुडा	लईकेरा	किरिमिरा	गैर—कार्यशील
266	ओडिशा	2016—17	क्योंझर	चम्पुआ	चम्पुआ	गैर—कार्यशील
267	ओडिशा	2016—17	कोरापुट	जयपोर	जेयपोर	गैर—कार्यशील
268	ओडिशा	2018—19	मालकानगिरि	मैथिली	लागू नहीं	गैर—कार्यशील
269	ओडिशा	2018—19	कोरापुट	कोतपद	लागू नहीं	गैर—कार्यशील
270	राजस्थान	1997—98	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	कुशलगढ़	कार्यशील
271	राजस्थान	1997—98	बरन	शाहबाद	शाहबाद	कार्यशील
272	राजस्थान	1997—98	सिरोही	आबू रोड	आबु रोड	कार्यशील
273	राजस्थान	1997—98	उदयपुर	कोटरा	कोटरा	कार्यशील
274	राजस्थान	1998—99	डूंगरपुर	सिमलवाडा	सिमलवाडा	कार्यशील

Øe l-	jkT;	lLohÑfr dk o"kZ	ftyk	Cy,d@rkyqdk	xk¡o@vkokl	fLFkfr
275	राजस्थान	1999–00	टोंक	निवाई	निवाई	कार्यशील
276	राजस्थान	1999–00	उदयपुर	खेरवाडा	खेरवाडा	कार्यशील
277	राजस्थान	2007–08	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	कार्यशील
278	राजस्थान	2010–11	अलवर	राजगढ़	मल्लाना	कार्यशील
279	राजस्थान	2010–11	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	पडोला	कार्यशील
280	राजस्थान	2010–11	डूंगरपुर	सबला	पर्दा चूंडावंत	कार्यशील
281	राजस्थान	2010–11	जयपुर	बस्सी	बिहारीपुरा	कार्यशील
282	राजस्थान	2010–11	करौली	टोडाभीम	रनाली	कार्यशील
283	राजस्थान	2010–11	सवाई माधोपुर	बामनवास	बरनाला	कार्यशील
284	राजस्थान	2011–12	अलवर	कोट कासिम	पाटन	कार्यशील
285	राजस्थान	2013–14	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	सुंदरव	कार्यशील
286	राजस्थान	2013–14	उदयपुर	गोगुंडा	गोगुंडा	कार्यशील
287	राजस्थान	2016–17	जयपुर	जामवा रामगढ़	मठसूला	गैर–कार्यशील
288	राजस्थान	2018–19	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
289	राजस्थान	2018–19	çrkix< ¼b,eMhch,l½	ihiy[kwV	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
290	सिक्किम	1997–98	उत्तर जिला	मंगन	स्वायम	कार्यशील
291	सिक्किम	2005–06	पश्चिम जिला	गंगयाप	ताशिडिंग	कार्यशील
292	सिक्किम	2015–16	दक्षिण जिला	सुमबुक	सुंतले	कार्यशील
293	सिक्किम	2016–17	पूर्व जिला	पकयोंग	पर्खा	कार्यशील
294	तमिलनाडु	1997–98	विल्लुपुरम	चिन्नासेलम	वेल्लीमलई	कार्यशील
295	तमिलनाडु	2005–06	सलेम	पेठानइकेन्पायम	अभिनवम	कार्यशील
296	तमिलनाडु	2016–17	थिरुवन्नमलाई	कालासपक्कम	अथिपेट	कार्यशील
297	तमिलनाडु	2016–17	नीलगिरी	एम. पलाड़ा	नन्जानदु	कार्यशील
298	तमिलनाडु	2016–17	नमक्कल	कोलीमलई	सेनगराई	कार्यशील
299	तमिलनाडु	2016–17	वेल्लोर	तिरुपत्तुर	अथानावुर	कार्यशील
300	तमिलनाडु	2017–18	कांचीपुरम	थिरुपोरुर	पट्टीपुलम	कार्यशील
301	तमिलनाडु	2018–19	सेलम	यरकौड	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
302	तेलंगाना	1997–98	आदिलाबाद	आदिलाबाद	नारनूर	कार्यशील
303	तेलंगाना	1997–98	महबूबनगर	महबूबनगर	बालानगर	कार्यशील
304	तेलंगाना	1997–98	वारंगल	महबूबाबाद	कुरावी	कार्यशील
305	तेलंगाना	1998–99	करीमनगर	करीमनगर	येल्लाररेड्डीपेटा	कार्यशील
306	तेलंगाना	1998–99	निजामाबाद	निजामाबाद	गंधारी	कार्यशील

Øe la-	jkT;	LFkkiuk dk o"kZ	ftyk	Cykd@rkyqdk	xzke@vkokl	fLFkfr
307	तेलंगाना	2003–04	करीमनगर	करीमनगर	मारिमदला	कार्यशील
308	तेलंगाना	2014–15	महबुबाबाद	कुरावी	सिरोलु	कार्यशील
309	तेलंगाना	2015–16	खम्मम	गंदुगुलापल्ली	दम्मापेटा	कार्यशील
310	तेलंगाना	2015–16	निजामाबाद	इंदलवई	निजामाबाद	कार्यशील
311	तेलंगाना	2017–18	भद्रादि	पलवांछा	पलवांचा	कार्यशील
312	तेलंगाना	2017–18	नगरकुरनूल	कलवाकुरति	कलवाकुर्ती	कार्यशील
313	तेलंगाना	2018–19	भद्राद्री	टेकुलपल्ली	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
314	तेलंगाना	2018–19	कोमाराम भीम आसिफाबाद	सिरपुर	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
315	त्रिपुरा	1997–98	पश्चिम त्रिपुरा	बेलबारी	खुमुलंग (जिरानिया)	कार्यशील
316	त्रिपुरा	1998–99	दक्षिण त्रिपुरा	बोकफा	बिरचन्द्रा नगर	कार्यशील
317	त्रिपुरा	1997–98	उनाकोटी	कुमारघाट	दरचावी	कार्यशील
318	त्रिपुरा	2010–11	खोवाई	तुलाशिखर	राजनगर	कार्यशील
319	त्रिपुरा	2016–17	गोमती	अमरपुर	पुर्बा दुनहुमा	गैर–कार्यशील
320	त्रिपुरा	2016–17	धलाई	अम्बासा	पूर्वी नलीछार्रा	गैर–कार्यशील
321	त्रिपुरा	2018–19	सेपाहीजाला	जम्पुईजाला	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
322	त्रिपुरा	2018–19	धलाई	छामानु	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
323	त्रिपुरा	2018–19	दक्षिण त्रिपुरा (ईएमबीडीएस)	किल्ला	लागू नहीं	गैर–कार्यशील
324	उत्तर प्रदेश	1997–98	लखीमपुरखीरी	पालिया	सौनाहा	कार्यशील
325	उत्तर प्रदेश	2010–11	बहराइच	मिहिनपुरवा	बोझिया	कार्यशील
326	उत्तर प्रदेश	2010–11	सोनभद्र	चोपन	पीपरखंड	गैर–कार्यशील
327	उत्तर प्रदेश	2016–17	ललितपुर	बर	बनपुर	गैर–कार्यशील
328	उत्तराखंड	2003–04	देहरादून	देहरादून	कलसी (जोगला)	कार्यशील
329	उत्तराखंड	2017–18	ऊधम सिंह नगर	बजपुर	दियोहारी	कार्यशील
330	उत्तराखंड	2018–19	ऊधम सिंह नगर	खटीमा		
331	पश्चिम बंगाल	1997–98	जलपाईगुड़ी	नगराकाता	नगरकाटा	कार्यशील
332	पश्चिम बंगाल	1997–98	बांकुरा	खतरा	मुकुटमोनिपुर	कार्यशील
333	पश्चिम बंगाल	1997–98	पुरुलिया	मनबाजार – II	सुसुनिया	कार्यशील
334	पश्चिम बंगाल	1997–98	पश्चिम बर्धमान	कंकसा	रघुनाथपुर	कार्यशील
335	पश्चिम बंगाल	1997–98	झारग्राम	झारग्राम	सत्याबानापल्ली	कार्यशील
336	पश्चिम बंगाल	2005–06	बीरभूम	बोलपुर श्रीनिकेतन	कानकुटिया (मेहदीपुर)	कार्यशील
337	पश्चिम बंगाल	2005–06	दक्षिण दिनाजपुर	बंशीहारी	कुमारसाई (बुनियादपुर)	कार्यशील
338	पश्चिम बंगाल	2018–19	कलिम्पोंग	कलीमपोंग सदर		गैर–कार्यशील

vuqyXud&8 x

2018&19 ds nkSjku bZ,evkj,l ds fy, jkT;&okj fuekZ.k fuf/k;ksa dk n'kkZus okyk fooj.k

¼yk[k #i, esa½

Ø-l-	jkT;	2018-19		
		vkorhZ	xSj vkorhZ	bZ,evkj,l ds fy, dqy fuekZ.k;k
1	आंध्र प्रदेश	1722.00	272.00	1994.00
2	अरुणाचल प्रदेश	147.60	536.00	683.60
3	असम	0.00	736.00	736.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	4169.70	2716.55	6886.25
7	गुजरात	6255.78	1708.00	7963.78
8	हिमाचल प्रदेश	129.15	1146.00	1275.15
9	जम्मू और कश्मीर	73.80	2560.88	2634.68
10	झारखंड	1739.84	3928.24	5668.08
11	कर्नाटक	1770.59	10.00	1780.59
12	केरल	369.00	400.00	769.00
13	मध्य प्रदेश	6316.06	771.00	7087.06
14	महाराष्ट्र	2523.35	1808.00	4331.35
15	मणिपुर	719.55	1122.00	1841.55
16	मेघालय	0.00	2105.15	2105.15
17	मिजोरम	246.00	2383.16	2619.16
18	नगालैंड	358.54	816.00	1174.54
19	ओडिशा	2242.80	2072.00	4314.80
20	राजस्थान	3290.25	872.00	4162.25
21	सिक्किम	562.73	99.39	662.12
22	तमिलनाडु	955.40	263.00	1218.40
23	तेलंगाना	2558.40	983.43	3541.83
24	त्रिपुरा	1033.20	522.00	1555.20
25	उत्तर प्रदेश	387.45	758.00	1145.45
26	उत्तराखंड	50.40	852.40	902.80
27	पश्चिम बंगाल	1637.13	2130.00	3767.13
	dqy	**39258.72**	**31571.20**	**70819.92**

vuqyXud&8 ?k

v-t-t-k- Nk=ksa ds fy, eSfVªd&iwoZ Nk=ofÙk Ldhe ds rgr jkT; ljdkjksa @ la?k jkT;{ks= ç'kklu dks fueqZä dh xbZ fuf/k rFkk bles ykHkkfFk;ksa ds C;kjs

¼yk[k #i, esa½

Ø-la-	jkT;@la?k jkT;{ks= dk uke	2016-17		2017-18		2018-19
		fueqZä fuf/k	ykHkkfFkZ	fueqZä fuf/k	ykHkkfFkZ ¼vufUre½	fueqZä fuf/k
1	अंडमान और निकोबार	0.00	325	0.00	353	5.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	39466	5282.94	34529	1210.81
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2594	0.00	3794	0
4	असम	321.33	0	0.00	0	0
5	बिहार	0.00	0	0.00	0	0
6	छत्तीसगढ़	2534.15	207956	1805.30	191864	4755.63
7	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	0.00	5226	20.00
8	दमन और दीव	0.00	356	8.04	468	0
9	गोवा	52.64	3721	3.75	3640	80.83
10	गुजरात	80.81	188593	3650.84	151113	4482.31
11	हिमाचल प्रदेश	51.21	1972	0.00	1705	38.91
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	6131	0.00	4979	0
13	झारखंड	0.00	91464	1704.53	104942	2345.92
14	कर्नाटक	0.00	52096	1364.59	59448	1256.31
15	केरल	796.40	14464	0.00	14265	308.73
16	मध्य प्रदेश	0.00	151611	5539.17	362120	5884.33
17	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	0
18	मणिपुर	867.38	22401	619.09	9189	773
19	मेघालय	0.00	3273	156.69	966	0
20	मिजोरम	336.36	9843	132.25	9783	319.79
21	नगालैंड	0.00	18780	0.00	10715	0
22	ओडिशा	3376.36	222837	5134.98	211425	6665.88
23	राजस्थान	0.00	0	3284.79	101696	1716.12
24	सिक्किम	0.00	297	25.72	212	7.97
25	तमिलनाडु	0.00	6602	0.00	19651	0
26	तेलंगाना	0.00	28966	358.02	6196	693.84
27	त्रिपुरा	0.00	16723	232.89	11662	0
28	उत्तर प्रदेश	0.00	8760	0.00	0	0.00
29	उत्तराखंड	0.00	5687	104.44	6256	0
30	पश्चिम बंगाल	0.00	29249	0.00	79030	584.62
	dqy	**8416.64**	**1134167**	**29408.03**	**1405227**	**31150.00**

vuqyXud&8 M

v-t-tk- Nk=ksa ds fy, eSfVªdksÙkj Nk=ofÙk Ldhe ds rgr jkT; ljdkjksa@la?k jkT; {ks= ç'kkluksa dks fueqZä dh xbZ fuf/k rFkk blds ykHkkfFk;ksa dk C;kSjk

¼yk[k #i, eas½

Ø-la-	jkT;@la?k jkT; {ks= dk uke	2016-17		2017-18		2018-19
		fueqZä fuf/k	ykHkkfFkZ	fueqZä fuf/k	ykHkkfFkZ ¼vufre½	fueqZä fuf/k
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	167	0.00	544	10.09
2	आंध्र प्रदेश	9777.62	65173	8269.11	71687	13945.02
3	अरुणाचल प्रदेश	1136.32	22564	5803.65	18863	1883.82
4	असम	266.65	29423	2516.48	26867	3248.03
5	बिहार	0.00	0	71.25	9950	0.00
6	छत्तीसगढ़	2674.82	135586	3811.26	143320	4609.57
7	दमन और दीव	53.63	328	26.19	196	3.41
8	गोवा	645.00	1924	364.80	4442	536.26
9	गुजरात	22040.27	192322	14609.74	214605	32429.12
10	हिमाचल प्रदेश	931.36	3739	3123.36	10747	278.15
11	जम्मू और कश्मीर	2587.84	13854	2322.56	16905	637.93
12	झारखंड	8148.39	63029	2716.50	73385	5281.32
13	कर्नाटक	8540.00	109943	8873.31	101059	7341.33
14	केरल	3122.00	15834	2745.46	16111	2674.37
15	मध्य प्रदेश	13054.00	263176	10320.50	272714	13405.24
16	महाराष्ट्र	22092.28	163321	10884.91	147262	15238.15
17	मणिपुर	3385.20	59995	6382.55	59661	2026.76
18	मेघालय	3189.00	54900	770.50	35305	2457.52
19	मिजोरम	4267.52	42072	2434.73	51983	3528.21
20	नगालैंड	1344.00	44404	2515.00	28949	4716.66
21	ओडिशा	15556.48	176579	8784.18	185888	14801.92
22	राजस्थान	9800.00	126965	19912.49	135523	13598.95
23	सिक्किम	938.16	2605	1247.32	2962	1134.36
24	तमिलनाडु	3061.85	23574	2440.39	23815	3933.65
25	तेलंगाना	11483.00	112236	18031.25	153845	9921.68
26	त्रिपुरा	1323.90	21001	2756.25	23020	3626.55
27	उत्तर प्रदेश	1057.50	5322	1244.91	2779	1210.54
28	उत्तराखंड	5090.57	15401	600.25	8335	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	85901	2807.89	90395	2219.39
	dqy	**155567.36**	**1851338**	**146386.79**	**1931117**	**164698.00**

vuqyXud&9 d

fo'k"k :i ls detksj tutkrh; lewg ¼ihohVhth½ dh jkT;@la?k jkT;{ks=&okj lwph

Øe la-	jkT;@la?k jkT;{ks= dk uke	ihohVh th dh lwph
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचू
2		बोंडो गदाबा
3		गुतोब गदाबा
4		डोंगरिया कोंध
5		कुट्टिया खोंड
6		कोलम
7		कोंडा रेड्डी
8		कोंडा सवारा
9		बोंडो पोरोजा
10		खोंड पोरोजा
11		पारेंगी परोजा
12		थोटी
13	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14		बिरहोर
15		बिरजिया
16		हिल खारिया
17		कोरवा
18		माल पहरिया
19		परहाइया
20		सोरिया पहाडिया
21		सावर
22	गुजरात	कोल्घा
23		कथोडी
24		कोटवालिया
25		पाधर
26		सिद्दी
27	कर्नाटक	जेनु कुरुबा
28		कोरगा
29	केरल	चोलानाइकन
30		कादर
31		काट्टुनायकन्
32		कोरग
33		कुरूम्बा

34	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबूझ मारिया
35		बैगा
36		भारिआ
37		बिरहोर
38		हिल कोरबा
39		कमार
40		सहरिया
41	महाराष्ट्र	कातकारी
42		कोलाम
43		मारिया गोंड
44	मणिपुर	मराम नागा
45	ओडिशा	चुकतिया भुंजीआ
46		बिरहोर
47		बोंडो
48		दिदयी
49		डोंगरिया खोंड
50		जुआंग
51		खारिया
52		कुटिया कंधा
53		लांजिया सौरा
54		लोधा
55		मॉनकिरडिया
56		पौडी भूयान
57		साउरा
58	राजस्थान	सेहारिया
59	तमिलनाडु	इरूलर
60		काट्टुनायक्कन
61		कोटा
62		कुरुम्बा
63		पनियान
64		टोडा
65	त्रिपुरा	रियांग
66	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	बुक्सा
67		राजी
68	पश्चिम बंगाल	बीरहोर
69		लोधा
70		टोटो
71	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रेट अंडमानीज
72		जारवा
73		ओंगे
74		सेंटीनेली
75		शोमपेन

vuqyXud&9 [k

o"kZ 2016&17 ls 2018&19 ds nkSjku fo'ks"k :i ls detksj tutkrh; lewgksa ¼ihohVhth½ dk fodkl dh Ldhe ds rgr jkT;ksa@la?k jkT; {ks=ksa dks fueqZä jkf'k dk lkjka'k

¼yk[k #i, esa½

Øe la-	jkT;@la?k jkT; {ks=	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	5105.00	2076.00	1837.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	100.00	200.00	0.00
3	बिहार	342.87	295.91	0.00
4	छत्तीसगढ़	1230.00	1089.50	1051.50
5	गुजरात	779.12	390.67	604.00
6	झारखंड	3120.00	2043.75	3295.79
7	कर्नाटक	136.00	467.00	460.00
8	केरल	100.00	62.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	10460.40	8232.46	7998.09
10	महाराष्ट्र	2077.00	1226.25	1230.26
11	मणिपुर	329.00	195.00	1157.55
12	ओडिशा	1379.00	1297.00	3626.00
13	राजस्थान	1331.00	1038.00	1008.00
14	तमिलनाडु	3055.00	1770.75	0.00
15	तेलंगाना	1139.00	778.00	533.00
16	त्रिपुरा	2250.00	2305.00	789.53
17	पश्चिम बंगाल	574.00	330.76	843.42
18	उत्तराखंड	292.48	130.00	565.86
19	उत्तर प्रदेश	0.00	17.96	0.00
	dqy	**33799.87**	**23946.01**	**25000.00**

vuqyXud&10 d

^Vhvkjvkbl dk lgk;rk* Ldhe d rgr jkT;k@l?k jkT;{k=k d fy, fuefä ;k

Ø-l-	jkT;@l?k jkT; {k= dk uke	Loh—fr d C;kj			dy fuefä		
		thvkbl,	lhlh,	dy	thvkbl,	lhlh,	dy
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	102.00	-	102.00	99.00	-	99.00
2	आंध्र प्रदेश	179.58	570.00	749.58	179.58	570.00	749.58
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	500.00	500.00	0.00	253.01	253.01
4	असम	113.20	228.10	341.30	65.90	132.85	198.75
5	छत्तीसगढ़	74.22	869.60	943.82	39.67	464.82	504.49
6	गुजरात	109.58	10.10	119.68	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	35.00	98.50	133.50	28.00	78.80	106.80
8	जम्मू और कश्मीर	111.00	142.00	253.00	52.16	44.84	97.00
9	झारखंड	122.67	1163.50	1286.17	115.57	1096.26	1211.83
10	कर्नाटक	99.00	30.00	129.00	76.00	30.00	106.00
11	केरल	264.97	316.31	581.28	182.90	218.35	401.25
12	मध्य प्रदेश	621.81	322.00	943.81	544.71	193.63	738.34
13	महाराष्ट्र	159.00	326.01	485.01	159.00	326.01	485.01
14	मणिपुर	139.00	391.11	530.11	138.99	391.12	530.11
15	मिजोरम	96.58	467.78	564.36	96.58	467.78	564.36
16	नागालैंड	125.00	1000.00	1125.00	75.00	750.00	825.00
17	ओडिशा	236.36	678.50	914.86	211.60	607.47	819.07
18	राजस्थान	124.00	90.00	214.00	124.00	90.00	214.00
19	सिक्किम	129.50	65.00	194.50	129.50	65.00	194.50
20	तमिलनाडु	265.55	146.00	411.55	115.44	61.81	177.25
21	तेलंगाना	118.00	336.00	454.00	118.00	336.00	454.00
22	त्रिपुरा	115.25	289.75	405.00	89.96	226.18	316.14
23	उत्तर प्रदेश	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	155.15	225.00	380.15	155.15	225.00	380.15
25	मेघालय	-	-	591.76	203.28	371.07	574.35
	कुल	**3544.27**	**8265.26**	**12401.29**	**3000.00**	**7000.00**	**10000.00**

जीआईए–सहायता अनुदान, सीसीए – पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन

vuqyXud&10 [k

tutkrh; vuqla/kku laLFkku ¼Vhvkjvkb½

Øe la-	irk
1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, vMeku vkj fudkckj }hi lewg, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर – 744 101
2	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, vk/kz çns'k सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग, कंधारी होटल रोड, रेवन्यू कॉलोनी, विजयवाड़ा – 520010
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और जनजातीय कार्य, राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे, बी–सेक्टर, नाहरलागुन, पिनः 791110, v#.kkpy çns'k
4	असम जनजातीय एवं अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, vle सरकार, जवाहर नगर, एन.एच. – 37, गुवाहाटी–781022
5	जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NÙkhlx<+ सरकार, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर –4, रायपुर
6	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014, xqtjkr
7	जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला– 171005, fgekpy çns'k
8	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान, >kj[kaM सरकार, मोराबाड़ी रोड, रांची – 834008
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कार्य निदेशालय, tEew vkj d'ehj सरकार, सिविल सेक्रेटेरियट, जम्मू 180001
10	कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, dukZVd सरकार, सं. 15/40, अनिकेतन रोड कुवेम्पुनगर, मैसूर –570023
11	केरल अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अध्ययन, dsjy सरकार, कोजिकोडे – 673017
12	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, e/; çns'k सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002
13	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, egkjk"Vª सरकार, 28, क्वीन्स गार्डेन, पुणे – 411011

14	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ef.kij सरकार, चिंगमिरांग, इंफाल – 795001
15	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, vkfM'kk सरकार, इकाई–VIII, सीआरपी स्क्वायर, भुवनेश्वर – 751003
16	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, jktLFkku सरकार, अशोक नगर, पो. बॉक्स नं. 86, उदयपुर – 313001
17	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और कल्याण विभाग, flfDde सरकार, सम्य कल्याण भवन, कमरा नंबर 402, 5 वीं माइल, लमसे, तडोंग, गंगटोक –737 101
18	जनजातीय अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु सरकार, एम. पलाडा (पीओ), उधगमंडलम, नीलगिरि जिला, rfeyukM, ऊटी – 643004
19	टीसीआर एण्ड टीआई, r|yxkuk सरकार, डीएसएस भवन, मसब टैंक, हैदराबाद–500028
20	जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा सरकार, लेकचोवेमाहुई, अगरतला, पश्चिम f=i|jk– 799001
21	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, if'pe cxky ljdkj, पी 6–1/4 सीआईटी स्कीम, VII–एम, वीआईपी रोड, कांकुरगाछी, कोलकाता–700054
22	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, mÙkj çn'k सरकार, भागीदारी भवन (अंबेडकर पार्क के पास) विपुल खंड–गोमती नगर, लखनऊ – 226010
23	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, चल्टलांग, आइजोल, fetkje – 796012
24	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, राजभवन के पास, कोहिमा, ukxkyM।
25	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण विभाग, mÙkjk[kM सरकार, सुभाष रोड, सेक्रेटेरियट, देहरादून – 248 001
26	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, बाबाडम, वेस्ट गारो हिल्स, e?kky;

vuqyXud & 11

jk"Vh; vuqlfpr tutkfr foÙk ,oa fodkl fuxe ¼,u,lVh,QMhlh½ o"kZ 2018&19 dk nkSjku lgk;rk çkIr ykHkkFkhZ

Ø-l-	jkT; dk uke	lgk;rk çkIr ykHkkFkhZ
1.	आंध्र प्रदेश	139
2.	अरूणाचल प्रदेश	3773
3.	असम	12
4.	छत्तीसगढ़	363
5.	गुजरात	7485
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	65
8.	जम्मू एवं कश्मीर	327
9.	झारखंड	5
10.	कर्नाटक	34
11.	केरल	107
12.	मध्य प्रदेश	2265
13.	महाराष्ट्र	11
14.	मेघालय	2329
15.	मिजोरम	1464
16.	नागालैंड	10504
17.	ओडिशा	460
18.	राजस्थान	1364
19.	सिक्किम	1
20.	तमिलनाडू	65
21.	तेलंगाना	30417
22.	त्रिपुरा	429
23.	उत्तर प्रदेश	3
24.	उत्तराखंड	63
25.	पश्चिम बंगाल	9078
	dqy	**70764**

vuqyXud&12

o"kZ 2016&17 ls 2018&19 dk nkSjku ,e,QihZ dk lapkyu dk fy, Þtutkrh; mRikn@mit dk foi.ku rFkk fodkl gsrq laLFkkxr lgk;rkß dh Ldhe tks iwoZ esa ÞjkT; tutkrh; fodkl lgdkjh fuxe ¼,lVhMhlhlh½ dks lgk;rk vuqnkuß dk uke ls tkuh tkrh Fkh] dh rgr fueqZä lgk;rk vuqnku dk C;kSjkA

(लाख रू. में)

Ø-la-	jkT;	2016-17	2017-18	2018-19
1	केरल	-	393.52	-
2	राजस्थान	43.43	-	-
3	त्रिपुरा	351.10	201.48	-
4	पश्चिम बंगाल	431.47	-	0.85
5	मिजोरम	174.00	-	696.00
6	सिक्किम	-	-	219.00
7	ट्राइफेड (दिल्ली)	3900.00	3900.00	4160.00

o"kZ 2016&17 ls 2018&19 dk nkSjku ÞU;wure leFkZu eY; ¼,e,lih½ dk ek/;e ls y?kq ou mRikn ¼,e,QihZ½ dk foi.ku gsrq ra= rFkk ,e,QihZ dk fy, eY; J`[kyk dk fodklß dh Ldhe dk rgr fueqZä lgk;rk vuqnku dk C;kSjkA

(करोड़ रू. में)

Ø-la-	jkT;@laLFkku dk uke	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	ओडिशा	40.00	8.20	09.91	-	-	-
2	गुजरात	5.00	-	-	-	-	6.19
3	महाराष्ट्र	8.25	-	-	-	-	-
4	राजस्थान	0.20		-	-	-	-
5	झारखण्ड	24.15	4.64	18.32	-	-	-
6	मध्य प्रदेश	34.89	-	-	-	-	26.81
7	छत्तीसगढ़	-	80.16	73.50	-	0.89	1.97
8	आंध्र प्रदेश			5.29	-	3.00	7.10
9	मणिपुर	-	-	-	-	0.11	0.90
10	नागालैंड	-	-	-	-	0.19	0.66
11	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	2.40	8.21
12	केरल	-	-	-	-	-	4.17
13	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	6.57
14	कर्नाटक	-	-	-	-	-	1.25
15	असम	-	-	-	-	-	1.55
16	ट्राइफेड (दिल्ली)	-	7.00	10.67	2.00	2.00	31.47
	dqy	**112.49**	**100.00**	**117.693**	**2.00**	**8.59**	**96.85**

vuqyXud & 13

jk"Vªh; vuqlwfpr tutkfr vk;ksx ds 6 ¼N%½ {ks=h; dk;kZy;ksa ds LFkku rFkk vf/kdkj {ks=

Ø-l-	LFkku vkSj dk;kZy; dk irk	çHkkjh vf/kdkjh dk uke vkSj inuke	U;k;f/kdkj {ks=
1	कमरा संख्या 101 तथा 102, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विद्याधर नगर, t;iqj&302023	निदेशक फोन 0141–2236462 0141–2235488 (फैक्स), ई–मेल – ro-jaipur@ncst.nic.in	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा चंडीगढ़ और दमन एवं दीव के संघ राज्य क्षेत्र
2	एन–1/297 आईआरसी ग्राम, Hkqous'oj&751015	सहायक निदेशक, फोन: 0674–2551616 0674–2551818 (फैक्स) ई–मेल– ro-bbsr@ncst.nic.in	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पुद्दुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र
3	14, न्यू ए.जी. कोऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, jkaph&834002	सहायक निदेशक, फोन: 0651–2341677 0651–2340368 (फैक्स) ई–मेल – ro-ranchi@ncst.nic.in	बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश
4	रबेक्का विला, टेम्पल रोड, लोवर लाचुमिरे, f'kykax&793001	सहायक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), फोन:0364–2504202 0364– 2221362 (फैक्स) bZ&esy & shilong@ncst.nic.in] ro&shillong@ncst.nic.in	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा
5	ईएसी कॉलोनी, प्लॉट नं. 3/16, प्रथम तल जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा विद्यालय के समीप jk;iqj&492001	अनुसंधान अधिकारी, फोन:0771– 2443334, 0771– 2443335 (फैक्स), ई–मेल – ro-raipur@ncst.nic.in	छत्तीसगढ़
6	कमरा सं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52–क, एरेरा हिल्स, Hkksiky&462011	vuqla/kku vf/kdkjh] फोन : 0755–2576530, 0755– 2578272(फैक्स), ई–मेल–bhopal@ncst.nic.in	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र

vuqyXud & 14 d¼i½

Þvuqlwfpr tutkfr;ksa ds dY;k.k ds fy, dk;Zjr LoSfPNd laxBuksa dks lgk;rk vuqnkuß dh ;kstuk ds rgr 2016&17 ls 2018&19 ds nkSjku fuf/k izkIr LoSfPNd laxBuksa@xSj&ljdkjh laxBuksa dh jkT;&okj lwphA

¼jkf'k #i, esa½

Ø-l-	LoSfPNd laxBu@xSj&ljdkjh laxBu ds irs lfgr uke	ifj;kstuk	2016&17	2017&18	2018&19
vka/kz çns'k					
1	गुरुकुलम आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एंड रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीटियुशन सोसाइटी (एपीटी डब्लयूएआरईआईएस), तेलगु संक्षेम भवन, दूसरा तल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।	आवासीय विद्यालय (2 इकाइयां)	3223952	11037460	0
2	ग्राम अभयुद्दय सोसाइटी फॉर इंटेग्रेटेड रुरल डेवलेपमेंट, 6ठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उर्वाकोंडा, जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश।	आवासीय विद्यालय	3256740	0	2584299
3	आर.के. मिशन, कोरुकोंडा रोड, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश ।	सचल औषधालय	1917367	1862098	0
4	श्री लक्ष्मी महिला मण्डली, डी.न. 15—155, मइलावरम (वीएंडएम), गद्दामंनुगु, जिलाः कृष्णा, आंध्र प्रदेश।	गैर— आवासीय विद्यालय	3093498	1707300	2959425
5	सोसाइटी फॉर इंटेग्रेटेड रुरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163—ए प्रकाश रोड, जिला—अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश।	आवासीय विद्यालय	1601574	1608057	4412710
6	सिमहापुरी विद्या सेवा समिति, सोमसेखरपुरम, जिला — नेल्लोर, आंध्र प्रदेश।	10—बिस्तरों का अस्पताल	2965230	1458405	2919920
	dqy		**16058361**	**17673320**	**12876354**
v:.kkpy izns'k					
7	अरुणाचल पाली विद्यापीठ,चंगखाम, जिलाः लोहित, अरुणाचल प्रदेश।	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	7614900	3807450	479100

8	बुद्धिस्ट कलचरल प्रिजरवेशन सोसाइटी, अपर गमपा, पोस्ट/थानाः बमदिला, जिलाः पश्चिम कमांग, अरुणाचल प्रदेश।	आवासीय विद्यालय व कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	2222823	2187327	6795737
9	सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज़, गांव/पोस्टः तवांग, जिलाः तवांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1580895	1580895	1580895
10	महाबोद्धि मैत्रि मण्डल, पोस्ट/थाना जिला–चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश	वृद्धा आश्रम	427210	0	0
11	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, द्वारा देमोली, जिला–तिरप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (2इकाइयां), आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20–बिस्तरों का अस्पताल	9198293	9243331	15305392
12	आर.के. मिशन, पोस्टः विवेकानन्द नगर, अलांग, जिला–पश्चिम सियांग, अरूणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय, 10 बिस्तरों का अस्पताल, सचल औषधालय और ए.वी. इकाई	12422130	19459514	14735580
13	आर.के मिशन हॉस्पिटल, पोस्ट–रामकृष्ण मिशन, जिला पमपुमपारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60–बिस्तरों का अस्पताल, सचल औषधालय	6940080	6940080	1313337
14	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोंसा, जिलाः तिरप, पिन– 786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	9098820	7516140
15	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली–110055 (मुख्यालय) रुपा में परियोजना	छात्रावास	980359	2303100	985163
16	ओजू वैलफेयर एसोसिएशन, नहारलागुन थाने के पास, नहारलागुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	4218399	5903456	0
	dy		**45605089**	**60523973**	**48711344**

v le					
17	असम सेंटर फॉर रुरल डेवलपमेंट, इन्द्रकान्ता भवन, कनकलता पथ, पो.रू उलुबारी, गुवाहाटी–781007, असम	सचल औषधालय	1370700	1370700	0
18	भारत सेवाश्रम (गुवाहाटी शाखा) असम, गांव गंगानगर, जिला चाचर, असम	आवासीय विद्यालय	902616	1245932	1351107
19	डा. अंबेडकर मिशन, ग्राम धोपातरी, जिला कामरुप, असम	10–बिस्तरों का अस्पताल और सचल औषधालय	2301750	4452300	4717350
20	ग्राम विकास परिषद, पताः रंगालो, जिला–नगाँव, असम	सचल औषधालय	685350	1370700	1142250
21	पथारी वोकेशनल इंस्टिट्यूट, पता–टॉप फ्लोर, बार लिब्रोंग, जिला–नगाँव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	328500	657000	323100
22	आर.के.मिशन आश्रम, उलुबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय	3313580	1317125	2345066
23	आर.के मिशन सेवाश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	748035	725691	1200768
24	सदाउ असोम ग्राम्य पुथिभराल संस्था, टेलीपती, चन्यमसाई रोड, जिला नगाँव, असम	पुस्तकालय और गैर–आवासीय स्कूल	990931	2131515	1804078
25	श्रीमंत शंकर मिशन, पो.पनिगांव, जिला–नगांव, असम	सचल औषधालय	0	681809	1151402
26	दयानन्द सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकजन, कारबी, एंगलोंग, असम (अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई) (मुख्यालय) बोकजन में परियोजना–2 इकाइयां, जपारजन और दिफु	छात्रावास (4 इकाइयां)	3124598	3124598	4841831
	d|y		**13766060**	**17077370**	**18876952**

NÙkhlx<					
27	कचन दुरवा सेवा और कल्याण समिति ग्रा.+पो.–पंडुका, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर–आवासीय विद्यालय	994150	923200	0
28	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, पता/पो.: बुधवानी, जिला राजनन्दगांव, छत्तीसगढ़	आवासीय विद्यालय	1616670	1473660	4295678
29	विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, वेल्फेयर एंड सेवा (विश्वास), छत्तीसगढ़	3 स्वास्थ्य केन्द्र और 1 उचित मूल्य की दुकान	0	819149	651330
30	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिलाः बस्तर, छत्तीसगढ़	6–छात्रावास, 1–युवा प्रशिक्षण केंद्र व ऑटों मोबाइल इंजीनियरिंग + दिव्यन कृषि प्रशिक्षण व अन्य विषयों की नई परियोजनाएं	3985849	4320079	6086303
dqy			**6596669**	**7536088**	**11033311**
xqtjkr					
31	भारत सेवाश्रम संघ, पता/पो.–डेडियापाड़ा, जिला – नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	706950	0	1944113
32	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नवासरी), नवासरी, गुजरात	गैर–आवासीय विद्यालय (सह–शिक्षा), सचल औषधालय (4), सचल ए वी इकाईयां	4630700	4373100	8989380
33	भारत यात्रा केंद्र, पता/पो.–डेडियापाड़ा, जिला–नर्मदा, पिन– 393040, गुजरात	छात्रावास	1322525	700500	1696005
34	आईएनआरईसीए, रायपिपला रोड, टिमबापड़ा, डेडियापाड़ा, जिला–नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	1178550	2241306	2060762
35	श्री सद्गुरूदेव स्वामी अखण्डानन्दा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, पोः बारूमल, जिलाः वलसाड, गुजरात	सचल औषधालय और छात्रावास	1788840	0	0

36	श्री स्वामीनाराण एजुकेशन ट्रस्ट, पता/मोल्हापनधा, जिला–वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1566270	0	0
dy			**11193835**	**7314906**	**14690260**
fgekpy çn'k					
37	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी ऑफ की, गोम्पा, पो.: की गोम्पा, जिला–लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1323100	2890798	1950362
38	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल ऐसोशिएशन, पो.बोक्स नं. 98, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला–कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3169327	6283574	5664627
39	इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, पता–टबो, जिला–लाहोल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	7472059	4043891	6862813
40	रामधा बुद्धिस्ट सोसाइटी, गांव/पो.: सिधपुर, वाया–दरी, नोरबुलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1212324	2723828	1815885
41	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील–धर्मशाला, जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस) मुंसेल–लिंग–305 रांग्रिक, जिला लाहौल एवं स्पीति	11197340	7035750	9222500
42	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीती डेवलेपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील– धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय, ग्राम–कजा, तहसील, स्पीति, जिला–लाहुल स्पीति (प्राथमिक सह–शिक्षा)	3359710	2131795	2499525
dy			**27733860**	**25109636**	**28015712**
tEe vkj d'ehj					
43	हिमालयन बुद्धिष्ट कल्चरल सोसाइटी, ग्रा.: गुलाबगढ़, पो.: अथौली, जिला–डोडा, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1968601	1968822
	dy		**0**	**1968601**	**1968822**

>kj[k.M					
44	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), पता/पो./जिलाः पाकुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय व कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	2116540	5390000	10770657
45	भारत सेवाश्रम संघ (सोनरी), सोनरी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन– 831011, झारखण्ड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, बेंत व बांस, ए वी इकाई बिनाई और बुनाई केंद्र (2), 20–बिस्तरों का अस्पताल (2) और आवासीय विद्यालय (2) एवं पीवीटीजी	13284360	31559528	80486996
46	भारत सेवाश्रम संघ, पता– पथरा, पो.– रानीश्वर, जिला–दुमका, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय (2), 20 – बिस्तरों का अस्पताल, सचल औषधालय	7058419	7291998	20004390
47	भारत सेवाश्रम संघ (रांची इकाई) देवी मंडप रोड तुपुदाना पो– हटिया रांची––834003	आवासीय विद्यालय एवं सचल औषधालय	0	2527093	5235841
48	आर.के.मिशन मठ, पता/पो./जिलाः जामतारा–815351, झारखण्ड	सचल औषधालय	564985	564592	984790
49	आर.के. मिशन विवेकानन्द सोसाइटी, बिस्तुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टंकण व आशुलिपिक प्रशिक्षण केंद्र, सचल पुस्तकालय सह– ए वी इकाई	3685133	1828198	2880659

50	आर.के. मिशन आश्रम, मुरेबाड़ी, रांची, झारखण्ड	दिव्यान यूनिट, सचल औषधालय, सचल पुस्तकालय, पुस्तकालय	0	13001900	2632938
51	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	डुंगरी गांव, ब्लॉक नामकुम में 50–बिस्तरों का अस्पताल	3645431	8499922	5411988
52	भारत सेवाश्रम संघ (बराजुरी इकाई) घाटसिला, झारखण्ड	कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र तथा रस्सी बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र	0	8533766	4546063
53	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	70 –बिस्तरों का अस्पताल एवं सचल औषधालय	10221027	17431731	9962048
dqy			**40575895**	**96628728**	**142916370**
	dukVd				
54	आशीर्वाद रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच.वी. कॉलोनी, जिला–गुडीबन्डे, कर्नाटक	10–बिस्तरों का अस्पताल	3230239	1551600	3508739
55	भारती ऐजुकेशनल ट्रस्ट, पता–पथापल्ली तालुक, बगेपल्ली, जिलाः कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3218940	1620270	2851335
56	डा. अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी (आर), पता–नालकुडूर गोमाला, नालकुडूर, पिन–577544, चन्नागिरी तालुक, देवेंगेरी जिलाः कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3218940	1566270	2424476

57	हरिहरा ग्रामीणवृद्धि संघ, चिक्काबाल्लपुर तालुक, जिला कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	1370700	683573	1277250
58	कुमुधवाटि रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, एच.न.32, आर.आर.एक्सटेंशन, मधुगिरि–572132, जिलाः तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय व गैर–आवासीय विद्यालय	1647270	1647270	0
59	प्रगति रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पता–गेराहल्ली, चिक्काबाल्लपुर तालुक, जिलाः कोलार कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3240540	0	2700450
60	संत कबीरदास एजुकेशन सोसाइटी, सेदाम रोड, जगत, जिला–गुलबरगा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1566270	3132540	2851223
61	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला–दावणगेरे, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1547494	3097673	2731129
62	श्री स्वामी सर्वधर्म शरानायला ट्रस्ट, रंगापुरा, जिला तुमकुर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय व 10 बिस्तरों वाला अस्पताल	2570490	4946580	4231294
63	श्री विनायका सेवा ट्रस्ट, पता–काइवारा, चिंतास्वामी–तालुक, जिला–कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1600290	1532340	0
64	स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनाहल्ली, शान्ति नगर पो., हेग्गाडादेनाकोटे तालुक, जिलाः मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2), 10–बिस्तरों का अस्पताल (2) और सचल औषधालय	15698731	0	17714615
65	नवज्योति इंस्टीट्यूट फॉर हेल्प एंड रूरल डेवलेपमेंट, हवेरी, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	0	968247
66	विवेकानन्द गिरिजन कल्याण केन्द्र, बी.आर. हिल्लस, यालन्दुर तालुक, जिला चमराजनगर, पिन– 571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10–बिस्तरों का अस्पतातल व गैर–आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय	0	4715753	5513121
dqy			**38909904**	**24493869**	**46771879**

dsjy					
67	श्री रामकृष्णा अदवैता आश्रम, पो. कालडी, जिला एनारकुलम, केरल	छात्रावास	2628536	0	1288319
68	रामकृष्ठ मठ (स्वामी निर्मलानंद, मेमोरियल बाला भवन), पता–कयनाकुलम–690502, जिला–अलपुपझा, केरल	छात्रावास	0	796950	0
69	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर, मुत्तिल, जिला–वयनाद, केरल	सचल औषधालय व 20–बिस्तर वाला अस्पताल	2906666	2874338	2256625
70	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, पता–पेरिया –34, पो.: पेरिया, जिला वयनाद, केरल	आवासीय विद्यालय	2858670	0	1204947
71	वयनाड गिरीजन सेवा ट्रस्ट, मट्टीलयम पोस्ट, वीलामुंडा (द्वारा) वैयनाड जिला, केरल–670731	आवासीय विद्यालय	2961180	2984400	2980201
dqy			**11355052**	**6655688**	**7730092**
e/; izns'k					
72	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, एट/पो.–अमरपुर, जिला डिनडोरी, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	830100	1778225	616075
73	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंग नगर शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	0	0	5147005
74	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	0	0	4930880
75	पांडे शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश (नया आरएस)	आवासीय विद्यालय	0	0	5525969
76	पांडे शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश (नया आरएस)	आवासीय विद्यालय	0	0	2397325
77	बंधेवाल शिक्षा समिति, जिला सहोर, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	1790595	903150	1634513
78	हितेश्री सामाजिक संस्था, एमआईजी–30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	657537	0	0
79	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्रा.–सिद्धपुर(दुभ), पो.– सेमिरि हरिचंद, तहसील– बबाई, जिला– होसंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1230708	0	1245861
80	म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति एवम पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166–ई, उज्जैन म.प्र.	आवासीय विद्यालय	3223708	1628707	2868907

81	म.प्र. वनवासी सेवा मंडल, पता–तिकारिया, जिला–डिनडोरी, म.प्र.	गैर–आवासीय विद्यालय	1036500	2566000	2172318
82	पुष्पा कोनवेंट शिक्षा समिति, सी–537–538, पुष्पा नगर कॉलोनी, भोपाल–462010 (म.प्र.)	गैर–आवासीय विद्यालय	2710409	914490	1647711
83	रामा एज्युकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, वरियालखेडा, एट–मलिबाया, ब्लॉक– रहती, जिला– शहोर, एमपी भोपाल, एमपी	गैर–आवासीय विद्यालय एवं और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	2000318
84	सेवा भारती (मध्य भारत) 'मातृछाया' (शिशु केन्द्र), स्वामी रामतीर्थ नगर, नया मैदा मिल, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462011, एमपी	आवासीय विद्यालय (2), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र(3) एवं छात्रवास (2)	1355884	2512892	508397
85	स्वामी विवेकानन्द विद्या निकेतन शिक्षक समिति, युवराज क्लब, कैंट रोड, गुना, एम.पी.	गैर–आवासीय विद्यालय	745605	0	0
86	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्युट, 7–ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय) सतना में परियोजना, मध्य प्रदेश	मझगांव में आवासीय विद्यालय, सतना जिला, मप्र (बालिका)	1697358	1617818	0
dqy			**15278404**	**11921282**	**30695279**
egkjk"V					
87	जय हिन्द मित्र मंडल, कोल्हा, जिला– फुलवानी, महाराष्ट्र	गैर–आवासीय विद्यालय	1817527	1641519	4298022
88	खण्डेराओ एजुकेशन सोसाइटी, एटरूबसर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय (बसर) व आवासीय स्कूल (वरुड)	3240540	7277716	5020964
89	रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाने, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर–आवासीय प्राथमिक विद्यालय (वर्ष 2013–14 से आवासीय विद्यालय)	1609483	3226734	2949660

90	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जिला– जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1532520	1574730	0
91	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसाइटी, प्रतापपुर, तहसील तलोडा, नन्दुरवा पिन–425413 (महाराष्ट्र)	छात्रावास	1215090	2419830	2173748
92	श्री स्वामी श्याम सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला– धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1619928	3639353	2290216
93	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नन्दगांव, तहसील, नन्दगांव, जिला–नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1609920	3240540	3009038
94	उज्ज्वल रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पता/पो. नेवाडे, तहसील–सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	1175580	2722771	1726402
95	यूथ वेलफेयर एसोशिएशन ऑफ इंडिया, नियर राधिका अस्पताल, विश्नुवाडी, बुलदाना, जिला–बुलदाना, महाराष्ट्र	10–बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	3156012	0
96	चंद्रराई महिला मंडल, पता/पो.– पिम्पलनेर, जिला–धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1620270	3645608	2592405
97	तापी प्रसार एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट, पता–नेवाडे, जिला–धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	1620270	3598358	2308905
98	राजमाता शिक्षण प्रसारक मण्डल, पता–दाईथान, त–अशति, जिला–बीड़, महाराष्ट्र	छात्रावास	1617930	1604970	2772669
99	श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक कोटुल, ता– अकोले, जिला अहमद नगर पिन 422610 (महाराष्ट्र)	आवासीय विद्यालय	0	0	1348980
100	महामानव बाबा आम्टे बहुदेशिव सामाजिक विकास सेवा संस्था, पता/पोस्ट चिकली, ता–श्रीगोंडा, जिला–अहमदनगर पिन 413728	छात्रावास	0	0	740535
dqy			**20295458**	**37748141**	**31231544**

ef.kiij					
101	आदिम जाति शिक्षा आश्रम, चिंग मेरोंग खोंगनांग एनी करक, डी.एम. रोड, जिला–पश्चिम इम्फाल, मणिपुर –795001 (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ थक्कर बापुर स्मारक सदन नई दिल्ली–110055 (इम्फाल, मणिपुर शाखा)	छात्रावास	987143	987142	988133
102	चिल चिल एशियन मिशन सोसायटी सीएचएएमएस कैम्पस, कांगलातोंगबाई 795151, जिला–सेनापति, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	5364000	3339000	0
103	क्रिस्च्यन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर), ग्रीन हिल्लस, तमंगलोग, एचक्यू, पिन–795141, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1771470	0	5086170
104	इंटेग्रेटेड एजुकेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन, (आईईएसडीओ) पूर्व इम्फाल, मणिपुर	गैर–आवासीय विद्यालय	1162890	2325780	0
105	इंटेग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट एण्ड एज्युकेशनल ऑर्गनाइजेशन, (आईआरडीईओ) वंगबाल, पो. थोबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	7239464	3624840	2944214
106	रुरल एजुकेशनल और सोशियो–इकोनोमिक्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, (आरईएयईडीओ) पता–थंगा टोंगब्राम लेकाई, बीपीओ थंगा, जिला बिशनुपुर, मणिपुर	गैर–आवासीय विद्यालय	1876500	0	938250
107	सैमसिनपावलपी, (पैटे स्टूडेंटस वेलफेयर एसोशिएशन) एसएसएसपी कॉम्प्लेक्स, बुंगनूल, पो. बोक्स न.99, जिला–लम्का, पिन–795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	12505500	7734110	9248164
108	टाईप राईटिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रुरल डेवलपमेंट सर्विस, थोबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1620270	3162982	0
109	सोसाइटी फॉर वूमेनस एजुकेशन एक्शन एण्ड रेफलेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर), अथोकपाम खुनाउ, पो.–थोबाल, मणिपुर,	सचल औषधालय	0	0	706950

110	यूनिटेड रुरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस), एचओ:हेरोक हेतुपोकपी, जिला–थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	3240540	1620270	0
111	वोलुनट्रीस फॉर रुरल हेल्थ एण्ड ऐक्शन (वीओआरएचए), लामडिंग, वंग्गिंग, मणिपुर	सचल औषधालय एवं टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	935910	932310	706950
112	टेयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रीनिफ एण्ड रेहबिलेशन सर्विस (टीएफआई सीओआरआरएस), चिमटुंग वेंग, डोरकास रोड, नई लम्का, जिला– चरचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	2702520	2702520	0
d|y			**39406207**	**26428954**	**20618831**
e?kky;					
113	आर.के.मिशन, लैथुमख्रुम, पी.ओ. बोक्स– 9, ब्लॉकध्मण्डल–शिलॉग पीओ–शिलॉग–793003, जिला–पश्चिम खासी हिल्स, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय व पुस्तकालय (2 इकाईयां)	0	3318711	2906138
114	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापुंजी, जिला ईस्ट खासी हिल्ल्स, पिन– 793111, मेघालय	62 एलपी/एमई/सैके.–एससी–गैर–आवासीय स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, गैर–आवासीय स्कूल,2 छात्रावास,3 सचल औषधालय, सीटीसी, पुस्तकालय, एमए वी इकाई, बुनाई और बिनाई	60692770	66452049	79572242
d|y			**60692770**	**69770760**	**82478380**
e?kky;					
115	मिजोरम हेमिथाई एसोशिएशन, मर्सी विला, 10–ए अपर रिपब्लिक रोड, आइजोल–796012, मिजोरम	आवासीय विद्यालय व सचल औषधालय	1775790	3554820	2900250
116	सोशल गाइडेंश एजेंसी, 6 फ्लोर, लालत चौम्बर, सोलोमन केब के पास, टुइकॉल ए, आइजोल–796001, मिजोरम	सचल औषधालय	691155	700200	1432180

117	मिशन फाउंडेशन मूवमेंट, नगमा बिल्डिंग बवंगकावन, लुंगलेई रोड आईजोल 796014	सचल औषधालय	0	0	494370
118	थुतक नुनपुइटु टीम, मुन्ना वेंग जुअनगटुई, आइजोल–796017 मिजोरम	आवासीय विद्यालय	1549530	1334504	4546456
dqy			**4016475**	**5589524**	**9373256**
ukxkyS.M					
119	दयानन्द सेवाश्रम संघ, दिमापुर, नागालैण्ड, (अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 315, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली की 1 इकाई) मुख्यालय प्रोजेक्ट एट नहारबार, जिला–दिमापुर, नागालैण्ड	छात्रावास	0	3079598	718015
120	वुमन वेल्फेयर सोसायटी, अटोइजु, दीमापुर, नागालैण्ड	छात्रावास	0	0	525879
121	नागालैण्ड चिल्ड्रन होम, दिमापुर, पोस्ट नम्बर–10, पिन–797112, जिला–दीमापुर, नागालैण्ड	छात्रावास	0	0	559994
dqy			**0**	**3079598**	**1803888**
fnYyh					
122	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली), श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र व छात्रावास	767318	819023	0
123	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डॉ. अम्बेडकर मार्ग (लिंक रोड), नई दिल्ली–55	छात्रावास	139853	895719	540869
dqy			**907171**	**1714742**	**540869**
vksfM'kk					
124	आदिवासी सोशल और कल्चरल सोसाइटी पता/पो. कुचिंदा, जिला–सम्बालपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1614870	1614870	1614870
125	सदज्योतिका कटक, ओडिशा	छात्रावास	0	0	2169806
126	ऑरगेनाइजेशन फॉर द रूरल वुमन एंड यूथ डेवलपमेंट, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	0	2962290

128	संकल्प, कटक, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	0	6720711
129	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर, पता– अश्वाखोला, पो.रूकारमुल, जिला धेनकानल, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	3814974	2384651	2906743
130	एसोशिएशन फॉर वोलुनटारी ऐक्शन पता–दिमापुर, जिला–पुरी, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1798470	4036613	2559397
131	वनवासी सेवा समिति, पता/पो.– बालिगुड़ा, जिला–खंडामल, पिन–762103, ओडिशा	छात्रावास	2361780	0	4428338
132	बानकी अंचालिक आदिवासी हरिजन कल्याण प्रसाद, पता–बानकी, जिला– कुट्टक, ओडिशा	छात्रावास व क्रेच केंद्र (5 इकाइयां)	1219590	2385180	2579902
133	भैरवी क्लब, पता–लेखनपुर, पो– सारंगंधारपुर, विया– रनपुर, जिला–नयागढ, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1620270	1590270	0
134	नेहरु सेवा संघ, पता/पो.रूबानपुर, जिला–खुरडा, ओडिशा	छात्रावास	1599165	3103209	1827916
135	निखिला उत्कल हरिजन सेवा संघ, निलादरी विहार, सल्लाश्री विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय (माध्य)	4490190	2806369	1683821
136	ओडिशा सर्वोदय प्रसाद, सर्वोदय आश्रम, पता/पो.: नौपाडा, जिला–नौपाडा, ओडिशा–766105	छात्रावास	1158030	0	0
137	आर.के.मिशन, विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर–751002, ओडिशा	छात्रावास और पुस्तकालय	0	2015918	1586948
138	आर.के. मिशन पुरी, पिन कोड – 752001, ओडिशा	छात्रावास, सचल औषधालय व टंकण और आशुलिपिक प्रशिक्षण केंद्र	1069764	1401098	1193782
139	राष्ट्रीय सेवा समिति (आरएएसएस) 9, ओल्ड हुजुर, ओफिस बिल्डिंगस, तिरुपति, आंध्र, प्रदेश (मुख्यालय) प्रोजेक्ट पता– पडवा, जिला– कोरापुट, ओडिशा	ओडिशा में सचल औषधालय	684720	0	1837005

140	सेवा समाज, पोस्टः गुनुपुर, जिला– रायगाडा, ओडिशा	छात्रावास	1181790	1181790	2363580
141	श्री आर.के.मिशन आश्रम, पो.– रामपुर, जिला– कालाहांडी, ओडिशा	छात्रावास, कृषि और संबद्ध विषय में प्रशिक्षण और मोबाइल और दिव्यान	6806160	13570920	8739420
142	सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता विकास और आर्थिक सेवा (स्वदेशी), मु– गोपालबंधु नगर, फुलबनी, जिला– कालाहांडी, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	3151710	0	1579307
143	विश्वा जीवन सेवा संघ, पता– सारधापुर, जिला खुरदा, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	2851497	5657724	4647252
144	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन– 831011, झारखण्ड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय क और ख इकाई (2 इकाई), 10–बिस्तरों का अस्पताल और बिनाई, बुनाई और हथकरघा प्रशिक्षण (सभी परियोजनाएं सुंदरगढ़ ओडिशा में)	6667725	6545125	18632563
145	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, मानसपोल, जिला जयपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1607530	3175740	2724750
146	सोशल वेलफेयर एंड रुरल डेवलपमेंट (एसडब्ल्यूएआरडी), बालिजोरांडा, पीओ–बाइनरिया द्वारा महिनागड़ी, जिला, ढ़ेंकानल ओडिशा	आवासीय विद्यालय	4078323	0	0
147	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस), कोइल कैम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक एवं माध्यमिक)	0	65427492	148777436
	dy		**47776558**	**116896969**	**222285411**

jktLFkku					
148	बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली, पोस्ट बनस्थली विद्यापीठ, तहसील–नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान पिन–304022,	अण्डमान और निकोबार सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए वज़ीफा स्कीम	5246000	0	6760975
149	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा, पो. भिंडर, जिला उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1537268	1449967	1406862
150	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/पो– झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर, राजस्थान	गैर–आवासीय विद्यालय	0	0	4434115
	d|y		**6783268**	**1449967**	**12601952**
151	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, जीआर बीए रोड, पता–चागनी तार, गंगटोक, सिक्किम , पिन कोड– 737101	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	5205330	2602665	4337775
152	मुयल लियांग ट्रस्ट, योंग्डा हिल्स, डीपीसीए, ड्राकचुंग–दजोंग, 737113 पश्चिम सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	0	6478537	4163852
	d|y		**5205330**	**9081202**	**8501627**
rfeyukM|					
153	न्यू लाइफ जेन्सी फॉर ट्राइबल प्यूपिल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू) जिला वैल्लोर, तमिलनाडु पिन–632009	छात्रावास	0	5178158	2078588
154	मोनफोर्ट कम्यूनिटी ट्रस्ट, सेलम, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	0	0	9601451
155	ग्रामीण मक्कल अबनिरुद्धी ल्याक्कम (जीएमआई), पून्थोट्टम, पो. कोयमबटूर, तमिलनाडु	10–बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	2328165	5243737	9526951
156	दक्षिण भारत अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, सईदापेट, तमिलनाडु पिन कोड– 600017	आवासीय विद्यालय	1562854	0	0
157	नीलगिरी आदिवासी कल्याण एसोसिएशन, कोटागीरि, नीलगिरि, तमिलनाडु	60 बिस्तरों वाला अस्पताल, (3) 10 बिस्तरों वाला अस्पताल, (3) सचल औषधालय	0	17627636	11706003
	d|y		**3891019**	**28049531**	**32912993**

jktLFkku					
158	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 11–10–635/1, जिला खम्माम, तेलंगाना–507001	आवासीय विद्यालय	1372950	0	1367190
159	जीयर एजूकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कॉलोनी, डोमालगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	2213339	0	3996695
160	तेलंगाना ट्राइबल कल्याण आवासीय शिक्षण इंस्टीट्यूट सोसिटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद	आवासीय विद्यालय (16)	60200340	7676131	0
	d¦y		**63786629**	**7676131**	**5363885**
f=i¦jk					
161	बहुजन हिताय एजुकेशनल ट्रस्ट, पो. बिशनपुर, मानी बंकुट, सबरुम, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	3164940	1543254	2700695
162	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	3437100	1718550	3071070
	d¦y		**6602040**	**3261804**	**5771765**
mÙkj i:n'k					
163	सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, 846, शिवाजी नगर, लखीमपुर पुणे, महाराष्ट्र (मुख्या.) पिन–411001	परियोजना छात्रावास (4 इकाइयां) और आवासीय विद्यालय	1866625	3578246	0
164	यूपी वनवासी सेवा संस्था, गांव–गोबरुल्ला, पो.–ध्यानपुर, जिला–लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश (बीएजेएसएस की इकाई)	आवासीय विद्यालय	1582272	3164929	0
	d¦y		**3448897**	**6743175**	**0**
mÙkjk[k.M					
165	अशोक आश्रम, पो. अशोक आश्रम, वाया डाक पत्थर, जिला देहरादून, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	6003360	0	6689443
166	इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी इंस्टीटयुट फोर द ट्राइबल ऑफ इंडिया, पीओ झज्जर, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड (ग्राम– झज्जर, ब्लॉक शहसपुर, जिला देहरादून में परियोजना)	आवासीय विद्यालय	1274727	0	1314018
167	सीमांत अनुसूचित आवाम जनजाति सेवा संस्थान, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	1061528	0	0

168	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पता/पो. रूग्वालदन, जिला–चमोली, उत्तरांचल	सचल औषधालय	706950	706950	0
169	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, पता– कालसी, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड	2 छात्रावास (जुनियर प्राथमिक)	0	0	4087235
170	सरवेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र (मुख्यालय) प्रोजेक्ट पता– बाजपुर, उत्तराखण्ड	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	2217308	3035739	1290408
	dy		**11263873**	**3742689**	**13381104**
if'pe cxky					
171	भारत सेवाश्रम संघ (औरंगाबाद), पता/पो.: औरंगाबाद, जिला–मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	2962749	5939325	5210809
172	भारत सेवाश्रम संघ (बलूरघाट), पता– बलूरघाट, जिला–दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास (6 इकाइयां), पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय और ए वी इकाई	6754025	10680402	10369040
173	भारत सेवाश्रम संघ (बेल्डंगा) बेल्डंगा, जिला–मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (3 इकाईयां), सचल औषधालय –10 बिस्तर वाला अस्पताल और टाइपिंग शोर्टहैण्ड प्रशिक्षण केंद्र	0	28180253	13296262
174	भारत सेवाश्रम संघ (मूलूक) ग्राम – आदर्शपल्ली, पो–मुलुक, वाई बोलपुर, जिला–बीरभूम, पश्चिम बंगाल पिन कोड– 731204	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 इकाइयां) बिनाई और बुनाई व हथकरघा	0	9353592	6902805
175	भारत सेवाश्रम संघ (सूरि), पता– प्रनाबनंद पल्ली, पो– सूरी, ब्लॉक– सुरी– I, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल पिन कोड– 731204	छात्रावास व सचल औषधालय	0	3667971	3195180

176	भारत सेवाश्रम संघ (दोकरा) ग्राम +पो. :दोकरा, जिला–मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	2246792	3844674	0
177	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	721783	721755	1189060
178	भारत सेवाश्रम संघ, पता/पो.– बेरहामपुर जिला–मुरशिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1387028	514307	0
179	भारत सेवाश्रम संघ (घाक्सोले), घाक्सोले इकाई, जिला–मालदा, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	1860649	3727080	3270196
180	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली) ग्राम–पंजाबीपुरकूर, जिला– हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास व पुस्तकालय	0	2600200	2426176
181	भारत सेवाश्रम संघ (रानाघाट– पेरादंगा ब्रांच), ग्राम–कूसुरिया, पो.: प्रीतिनगर, जिला–नदिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (पीएस) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र टंकण व सचल औषधालय	3481985	3405966	5539478
182	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पता/पो. रघुनाथपुर जिला पुरुलिया, पिन 723133, पश्चिम बंगाल	छात्रावास व कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	0	2918103	2413960
183	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	0	1413900	1178250
184	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर) ताजपुर यूनिट, जिला–मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	0	3727080	2874398
185	भारत सेवाश्रम संघ (तेयोर), ग्राम+पो.: तेयोर, जिला डी.दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	0	4716900	3959676
186	भारत सेवाश्रम संघ (कुनूर), गांव/पीओ–कुनूर, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	1181790	2899819
187	विकास भारती वेलफेयर सोसाइटी, 20/1बी, लाल बजार स्ट्रीट, कोलकाता– 700001, पश्चिम बंगाल (मुख्यालय) प्रोजेक्ट पता– गोपीबल्लभपुर–II, जिला–मिदनापुर	सचल औषधालय	1370700	685350	685350

188	बिरसा मुंडा एजुकेशन सेन्टर, ग्राम क्रांति, पो. क्रांतिहाट, जिला जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	3036541	0	3040469
189	गोहलदिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड वूमेन वेलफेयर सेन्टर, गोहलडिया, जिला–मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2459520	2459520	5814585
190	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोशिएशन, बुद्ध केन्द्र, पता–सालुगारा, जिला–जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल–734318	गैर–आवासीय विद्यालय	854832	1755287	0
191	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पल्ली, पो.कोरा चंडीगढ़, मध्यमग्राम, उत्तर 24–परगना, पश्चिम बंगाल–743298	छात्रावास	721228	721850	1133365
192	आर.के.मिशन बोयज् होम, रहरा, जिला उत्तर 24 परगना, कोलकाता–700118, पश्चिम बंगाल	छात्रावास–सह–आवासीय विद्यालय	1636470	1528470	2782373
193	निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट, बैकुण्ठपुर, दासपुर, प. बंगाल	सचल औषधालय	0	0	1088250
194	मिदनापुर पश्चिम सिस्टर निवेदिता वेलफेयर सोसायटी, बेउनछा, सालबोनी, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	0	0	1297050
			29494302	**93743775**	**80566551**
	d|y				
	d|y ;kx		**530643126**	**691880423**	**891718431**

vuqyXud & 14 d¼ii½

vuqlfpr tutkfr;ksa ds dY;k.kkFkZ dk;Zjr LoSfPNd laxBuksa dks lgk;rk vuqnku dh Ldhe ds rgr fueqZä fuf/k;ksa ds C;kSjs

¼jkf'k #i, esa½

Ø-la-	jkT; dk uke	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	16058361	17673320	12876354
2	अरुणाचल प्रदेश	45605089	60523973	48711344
3	असम	13766060	17077370	18876952
4	छत्तीसगढ़	6596669	7536088	11033311
5	गुजरात	11193835	7314906	14690260
6	हिमाचल प्रदेश	27733860	25109636	28015712
7	झारखंड	40575895	96628728	142916370
8	जम्मू तथा कश्मीर	0	1968601	1968822
9	कर्नाटक	38909904	24493869	46771879
10	केरल	11355052	6655688	7730092
11	मध्य प्रदेश	15278404	11921282	30695279
12	महाराष्ट्र	20295458	37748141	31231544
13	मणिपुर	39406207	26428954	20618831
14	मेघालय	60692770	69770760	82478380
15	मिजोरम	4016475	5589524	9373256
16	नागालैण्ड	0	3079598	1803888
17	ओडिशा	45737410	116896969	222285411
18	राजस्थान	6783268	1449967	12601952
19	सिक्किम	5205330	9081202	8501627
20	तमिलनाडु	3891019	28049531	32912993
21	तेलंगाना	63786629	7676131	5363885
22	त्रिपुरा	6602040	3261804	5771765
23	उत्तराखंड	11263873	3742689	13381104
24	उत्तर प्रदेश	3448897	6743175	0
25	पश्चिम बंगाल	31533450	93743775	80566551
26	दिल्ली	907171	1714742	540869
	dqy ;ksx	**530643126**	**691880423**	**891718431**

vuqyXud & 14 [k¼i½

Þde lk{kjrk okys ftyksa esa vuqlwfpr tutkfr dh ckfydkvksa esa f'k{kk dk lq–<+hdj.kß dh Ldhe ds rgr 2016&17 ls 2018&19 ds nkSjku foÙkiksf"kr lxBuksa dh jkT;&okj lwph

¼jkf'k #i, esa½

Ø-la-	xSj&ljdkjh@LoSfPNd lxBuksa dk uke o irk	2016-17	2017-18	2018-19
vka/kz çns'k				
1	आंध्र प्रदेश जनजाति कल्याण आश्रम और आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी, हैदराबाद, ¼14 bdkb;k¡½	27094085	111723355	0
	dqy	**27094085**	**111723355**	**0**
v#.kkpy çns'k				
2	भारत सेवाश्रम संघ, लाखरा रोड, काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी, असम, परियोजना पक्के कसांग में (मुख्यालय) जिला पूर्व कामेंग, अरुणाचल प्रदेश	0	3764528	0
	dqy	**0**	**3764528**	**0**
NÙkhlx<+				
3	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा संस्थान, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ (विश्वास)	3963499	3711971	6448929
	dqy	**3963499**	**3711971**	**6448929**
xqtjkr				
4	गुजरात राज्य जनजातीय विकास आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (जीएसआईटीडीआरआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (43 इकाइयां)	285792943	147464614	0
5	लोक निकेतन, एट/पीओ– रतनपुर, तालुक – पालनपुर, जिला – बनासकांठा, पिन – 385001, गुजरात	0	2076534	4757611
6	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, एट/पीओ –सनाली, तह०–दांता, जिला–बनासकांठा, गुजरात	0	1706505	4563651
	dqy	**285792943**	**151247653**	**9321262**
>kj[k.M				
7	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) परियोजना लुम्बई में	0	0	3613140
	dqy	**0**	**0**	**3613140**

e/; çns'k				
8	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिड़ला रोड, ज्ञान मंडी के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	11879385	7425707	9145744
9	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86, चन्द्र शेखर आजाद मार्ग, राणापुर, पिन –457993, ब्लॉक–राणापुर, जिला–झाबुआ, मध्य प्रदेश। ¼Nk=kokl ifj;kstuk,½	0	2515584	2181536
10	बंधेवाल शिक्षा समिति, जिला हरदा, 92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल–462038, भोपाल, मध्यप्रदेश	2091200	2791350	3297776
11	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम–तिकरिया, जिला–डिण्डोरी, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	4558200	5615450	6285250
12	म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166–ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	2154220	2165759	3657555
13	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, पता–पटेल नगर, ब्लॉक–गोराडोंगरी, जिला–बैतुल, पिन –462010, पुष्पा नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	5058980	0	4949794
14	पांडे शिक्षा समिति, गांव बामराह, सतना, मध्य प्रदेश	4266293	2732500	2689995
15	पांडे शिक्षा समिति, गांव बामराह, सतना, मध्य प्रदेश (नई ईसी)	0	0	3226400
16	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, पता/पो–काठीवाड़ा, जिला–झाबुआ, मध्य प्रदेश	2506281	2510400	5079558
17	सव्य सांची शहरी और ग्रामीण विकास केंद्र, पता–अमर निंकुंज, अर्जुन नगर, सीधी, जिला–सीधी, पिन – 486661, मध्य प्रदेश	0	0	14295980
18	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक,जिला अनूपपुर, पिन 484886, मध्य प्रदेश	1745935	1638756	2492619
19	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला–शहडोल, मध्य प्रदेश	7744445	5125100	6199440
	dqy	**42004939**	**32520606**	**63501647**

egkjk"V				
20	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, तालुका–सकरी, जिला–धुले, महाराष्ट्र (ग्राम–पंखेडा, तालुका–सकरी, जिला–धुले, महाराष्ट्र में Nk=kokl ifj;kstuk)	0	4288950	3304300
21	श्री स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर तालुका–सकरी, पिन–424310, जिला–धुले, महाराष्ट्र (Nk=kokl ifj;kstuk)	1815200	4045577	2523770
22	श्री गणेश फाउंडेशन, जिला– धुले, महाराष्ट्र	0	0	6030205
23	नवनिर्माण शिक्षण संस्था, बेब्रातंडा, तहसील–डेगलूर, जिला–नांदेड़ महाराष्ट्र (ग्राम–मेंढ़की, ब्लॉक– माहोर, जिला नादेंड़ में Nk=kokl ifj;kstuk)	3754400	1897200	4192500
24	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गॉव, जिला–नांदेड़, महाराष्ट्र	10268810	4754700	9409620
	dqy	**15838410**	**14986427**	**25460395**
vkfM'kk				
25	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर्स, पताः अश्वखोला, पोस्ट– करमुल, जिला, धेनकनाल, ओडिशा	7203888	4465634	7217030
26	ब्राइट कैरियर अकादमी, पता–डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया, पोस्ट–जैपोर, जिला–कोरापुट, पिन –764001, ओडिशा	4972626	0	8860520
27	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल शाखा, पोस्ट– सत्यभामापुर, जिला– कटक, पिन–754200, ओडिशा	2127310	0	4798498
28	कोरापुट विकास फाउंडेशन, पता–लिंगराज नगर, पीओ–जैपोर, जिला कोरापुट, ओडिशा	3722660	3689830	3711741
29	लिबरेशन एजुकेशन एंड एक्शन फॉर डेवेलपमेंट (एलईएडी), पता/पीओ–जैपोर, ग्राम–सुंदरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	2955156	2965080	0
30	मर–म्यूनिंग आश्रम, अरबिंदो नगर, पो–जैपोर, जिला–कोरापुट, ओडिशा	4492400	0	5820284
31	राष्ट्रीय युवा सेवा कार्रवाई तथा समाजिक विकास अनुसंधान संस्थान (एनवाईएसएएस डीआरआई), पता–संथासारा, पीओ–संथापुर, जिला धेनकनाल, ओडिशा	6772519	0	0
32	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी, (ओएमटीईएस) भुवनेश्वर, ओडिशा (19 ifj;kstuk,)	104051619	77962332	0

33	प्रकल्प, पता/पीओ–ज्योतिपुर, जिला–क्योंझर, ओडिशा	9971040	0	14333280
34	भारतीय समाज सेवक, पता/पीओ–रायागढ़, जिला रायागढ़, ओडिशा	2125911	0	0
35	सेवा समाज, पता/पीओ–गुनुपुर, जिला–रायागढ़, पिन 762022, ओडिशा	4326075	0	3527602
36	सोशल एजुकेशन फॉर एन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन–2/152, गांव आईआरसी, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा	4261645	0	2885020
37	सोसाइटी फॉर नेचर एजु. और स्वास्थ्य (स्नेह), प्लॉट नंबर 19 –20, गांव आईआरसी, नयापल्ली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा (2–शैक्षिक परियोजनाएं)	5824104	5805753	15048235
38	श्री रामकृष्ण आश्रम, पता–बादारोहिला, पीओ–कडालिमुंडा, जिला–आंगुल, पिन–759126, ओडिशा (2–शैक्षिक परियोजनाएं)	12349700	6663000	11520024
39	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए–47, रामेश्वर पटना, मौसिमा स्क्वेयर, भुवनेश्वर, ओडिशा	2148021	2360971	6755346
40	सर्वोदय समिति, पता/पीओ–कोरापुट, पिन –764020, जिला–कोरापुट, ओडिशा	5998322	0	8829331
41	होली होम, दियांमुंडा छाक, पीओ–तानवत जिला–नौपाडा ओडिशा	9638400	6305551	8049236
	dqy	**192941396**	**110218151**	**101356147**
jktLFkku				
42	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940, हिरन मागरी, सै.न. 4, उदयपुर–313002, राजस्थान	2032550	0	0
43	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा, पो.–भंडर, उदयपुर, राजस्थान	3204200	2513350	2513100
44	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/पोस्ट–झाडोल (फलासीया), जिला–उदयपुर, राजस्थान	9641060	0	14304193
		14877810	**2513350**	**16817293**
rsyaxkuk				
45	तेलंगाना जनजातीय कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद ¼16 bdkb;k½	71975792	32190954	0
	dqy	**71975792**	**32190954**	**0**
	dqy ;ksx	**654488874**	**462876995**	**226518813**

vuqyXud & 14 [k¼ii½

de lk{kjrk okys ftyksa esa vuqlwfpr tutkfr dh ckfydkvksa ds chp f'k{kk dk lq–<+hdj.k ;kstuk ds rgr fuekZ.k fuf/k;ksa ds C;kSjs

¼jkf'k #i, esa½

Øe lañ	jkT;	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	27094085	111723355	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	3764528	0
3	छत्तीसगढ़	3963499	3711971	6448929
4	गुजरात	285792943	151247653	9321262
5	झारखंड	0	0	3613140
6	मध्य प्रदेश	42004939	32520606	63501647
7	महाराष्ट्र	15838410	14986427	25460395
8	ओडिशा	192941396	110218151	101356147
9	राजस्थान	14877810	2513350	16817293
10	तेलंगाना	71975792	32190954	0
	dqy	**654488874**	**462876995**	**226518813**

अनुलग्नक - 15

वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त राशि (करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	स्कीम	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत स्कीम	121.71	39.16	53.68	51.30	35.08	91.95	3.55	20.07	**416.50**
2	जनजातीय उप–योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	22.12		54.42	27.39	12.20	32.25	-	12.94	**161.32**
3	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	-	-	7.73	-	3.20	-	0.08	-	**11.01**
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	18.84	32.48	20.27	24.58	35.28	47.17	11.34	36.27	**226.23**
5	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	4.87	1.89	2.06	8.25	0.94	0.18	0.85	0.58	**19.62**
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	-	-	11.58	-	-	-	-	7.90	**19.48**
7	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	-	1.55	0.90	-	-	0.66	-	-	**3.11**
8	जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहायता	-	-	-	-	6.96	-	2.19	-	**9.15**
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता	2.53	1.99	5.30	5.74	5.64	8.25	1.95	3.16	**34.56**
	कुल	**170.07**	**77.07**	**155.94**	**117.26**	**99.3**	**180.46**	**19.96**	**80.92**	**900.98**

o"k 2018&19 d nkjku efgyk ykHkkfFk;k dk 'kkfey dju okyh fofHkUu Ldheka d vrxr miyfC/k;k

Ø-l-	Ldhek@dk;Øek d uke	mi&Ldhek d C;kj	iokUkj {k= lfgr vfre vunku 2018&19 ¼djkM #i, e½	irk yxku ;kX;] ekiu ;kX;] vkj fuxjkuh dju ;kX; fu"iknu@ifj.kke	çkIr y{;
1.	अनुच्छेद 275 (1) अनुदान	मंत्रालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु उपायों के लिए प्राथमिकता निर्धारित की है: (i) शिक्षा – (40–50%) (ii) स्वास्थ्य – (10–15%) (iii) कृषि, बागवानी, पशु–पालन, मछली पालन, डेयरी और अन्य प्राथमिक क्षेत्र (20–30%) (iv) जनजातीय परिवार की आय को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएं (10–15%) (v) प्रशासनिक संरचना (कार्य बल सहित)/संस्थागत ढांचा तथा अनुसंधान अध्ययन (5–10%)	1820.00	यह लिंग आधारित योजनाएं नहीं हैं तथा लाभ, पुरुष और महिला लाभार्थी दोनों के लिए है। अनुदान, अंतरालों को भरने की प्रकृति के हैं। किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकरों द्वारा समय–समय पर आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारण के अनुसार की जानी है। वास्तव में लक्ष्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, न ही कम अवधि में निगरानी योग्य परिणामों को दर्शाना संभव है।	दिनांक 31.03.2019 तक 1814.98 करोड़ रुपये अनुच्छेद 275(1) अनुदान के तहत राज्यों को निर्मुक्त किए गए हैं।
2.	टीएसपी को एससीए		1350.00		31.03.2019 तक 1350.00 करोड़ रुपये की राशि टीएसएस को एससीए के तहत राज्यों को निर्मुक्त की जा चुकी है।
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	स्कीम के अंतर्गत कोई पृथक बजट आवंटन नहीं है। "अ.ज.जा. के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के तहत संयुक्त निधि आवंटित की गई है"।	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या	वर्ष 2018–19 के दौरान 22.65 करोड़ रुपये 7 राज्यों में 10359 अ.ज.जा. बालिका लाभार्थियों को कवर करते हुए 74 शैक्षिक परिसरों के लिए निर्मुक्त किए गए हैं।
4.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन	जनजातियों द्वारा विनिमय यात्रा		जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य/देश के अन्य भागों के दौरों की व्यवस्था करेंगे। विभिन्न जनजातियों के लोगों द्वारा गठित यात्रा समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।	

Ø-l-	Ldhe@dk;ZØe dk uke	mi&Ldhe dk C;kjk	iokUkj {k= lfgr vfre vunku 2018&19 ¼djksM #i, esa½	irk yxkus ;kX;] ekius ;kX;] vkj fuxjkuh djus ;kX; fu"iknu@ifj.kke	çkIr y{;
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम – आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)		सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या।	एनएसटीएफडीसी ने वर्ष 2018–19 के लिए 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार 293.32 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है, जो 270.18 करोड़ के समझौता ज्ञापन के लक्ष्य से 8.57 प्रतिशत अधिक है। स्कीम के तहत कुल महिला लाभार्थियों की संख्या 52,892 (74.74%) है।
6.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) और पुस्तक बैंक की स्कीम	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और पुस्तक बैंक की स्कीम	1647.56	स्कीम के तहत शामिल विद्यार्थियों की संख्या	1647.56 करोड़ रुपये का अनुदान अ.ज.जा. बालक और बालिका लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए हैं।
7.	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिपूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम	311.50	स्कीम के तहत शामिल विद्यार्थियों की संख्या	311.50 करोड़ रुपये का अनुदान अ.ज.जा. के बालक और बालिका लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए हैं।
8.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)	विदेश में अध्ययन के लिए अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	2.00	स्कीम के तहत कवर किए गए विद्यार्थियों की संख्या	अ.ज.जा. बालक तथा बालिका लाभार्थियों के लिए स्कीम के तहत 2.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।
9.	अ.ज.जा. विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु अध्येतावृत्ति के रूप में उच्चतर शिक्षा। पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्टता के चिह्नित सरकारी तथा निजी संस्थानों में पाठ्यक्रम का अध्ययन।	100.00	स्कीम के तहत शामिल विद्यार्थियों की संख्या	अ.ज.जा. बालक तथा बालिका लाभार्थियों के लिए स्कीम के तहत 99.98 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

vuqyXud&17

vuqlwfpr tutkfr ds fo|kfFk;ksa ds fy, eSfVªdksÙkj Nk=ofÙk dh Ldhe ds rgr fn0;kax vuqlwfpr tutkfr ds fo|kfFk;ksa ds fy, vfrfjä çko/kku

¼d½ u´=ghu fo|kfFk;ksa ds fy, okpd HkÙkk½

पाठ्यक्रम का स्तर*	वाचक भत्ता (रुपए प्रति माह)
समूह I, II	240
समूह III	200
समूह IV	160

(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 160/– रुपए प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है,

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग दिवा छात्रों के लिए 160/– रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता,

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले, गंभीर रूप से हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के छात्रावास के इच्छुक किसी कर्मचारी को 160/– रुपए प्रतिमाह का विशेष वेतन लागू है,

(ङ.) मानसिक मंदता और मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240/– रुपए प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (ङ.) में प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हुए विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

ekU;rk çkIr futh vlgkf;r fo|ky;ksa esa d{kk IX rFkk x esa i<+ jgs vuqlwfpr tutkfr ds fn0;kax fo|kFkhZ eSfVªd iwoZ rFkk eSfVªdksÙkj Nk=ofÙk Ldhe ds rgr HkÙkks ds fy, ik= gksaxs] tks fuEukuqlkj gS%

vlgkf;r futh fo|ky;ksa esa i<+us okys fn0;kax fo|kfFk;ksa ds fy, HkÙks	jkf'k ¼#i, esa½
(i) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
(ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है, में नहीं रहते हैं।	160
(iii) गंभीर रूप से दिव्यांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी।	160
(iv) शैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रूप से गंभीर हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रावास के किसी इच्छुक कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत्य है।	160
(v) मानसिक मंदता तथा मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग।	240

fVIi.kh% दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

*विभिन्न समूहों के विवरण निम्नानुसार है:

lewg	ikBîØe
समूह I	(i) चिकित्सा (एलोपैथिक भारतीय और चिकित्सा की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान सहित स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री और पाठ्यक्रम। (ii) व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकॉप्टर पायलेट और बहु–इंजन रेटिंग सहित) (iii) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओँ में स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि (v) एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर कार्यक्रम (डि.लिट, डी.एस.सी.) आदि :– क) समूह– II के वर्तमान पाठ्यक्रमों में ख) समूह– III के वर्तमान पाठ्यक्रमों में (vi) एल.एल.एम.
समूह II	(i) फार्मेसी (बी–फार्मा), नर्सिंग (बी–नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस एवं पुनर्वास, जांच आदि जैसे अन्य पैरा मेडिकल शाखाएं, जन–संचार, होटल प्रबंधन और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, इंटिरियर डेकोरेशन, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, कर आदि) जैसे क्षेत्रों में जहां प्रवेश पात्रता कम–से–कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है, उनमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (ii) स्नातकोतर पाठ्यक्रम जैसे एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम/एम.एड/एम.फार्मा आदि समूह–I में शामिल नहीं है।
समूह III	अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के हैं जैसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम आदि समूह– I तथा II में शामिल नहीं हैं।
समूह IV	मैट्रिक के बाद के सभी गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक प्रमाण–पत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक दोनों विधाएं, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।

vuqyXud & 18

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 d rgr tutkrh; dk;Z e=ky; e dUæh; tulpuk vf/kdkjh ¼lhihvkbZvk½ d :i e dk;Z djus okys vf/kdkfj;k dh lwph

Ø-l-	vf/kdkjh dk uke	inuke	irk@nwjHkk"k
1	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	वैज्ञानिक सी (एनआईसी)	द्वितीय तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (टीएसपी)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष. 23343208
3	श्री मनोज झा	अवर सचिव (सतर्कता)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष. 23340466
4	श्री मनोज झा	अवर सचिव (एसटीडब्ल्यूजी)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष. 23340466
5	श्री पी.के. साहू	अवर सचिव (ईएमआरएस)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
6	श्री बी.बी. पाणिग्राही	उप–निदेशक (पीसी)	216–जे, द्वितीय तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115
7	श्रीमती रीमा शर्मा	अवर सचिव (स्था.)	कमरा सं. 400, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115 दूरभाष सं. 23387187
8	श्रीमती हीरा कटारिया	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
9	श्रीमती एस.के. जोली	अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)	कमरा सं. 217एफ, डी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115 दूरभाष सं. 23387007
10	श्री आर.एस. मीना	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा सं. 416, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115 दूरभाष सं. 23386952
11	श्री जोशी जोसेफ	अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)	कमरा सं. 400, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115 दूरभाष सं. 23387469
12	श्री एस. पदमनाभा	अवर सचिव (छात्रवृति / डीबीटी)	कमरा सं. 412, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

13	श्री आर.के. वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (जीविकोपार्जन)	प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
14	श्री धर्मबीर कुमार	अनुभाग अधिकारी (टीआरआई एवं मीडिया)	कमरा सं. 217एफ, डी–विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115 दूरभाष सं.–23389535
15	श्रीमती सस्मिता साहू	अनुसंधान अधिकारी (टीआरआई / मीडिया)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष–23340467
16	श्री राजेश कुमार	अनुभाग अधिकारी (एनसीएसटी)	प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
17	श्री सन्तोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (लोक शिकायत)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
18	श्री सन्तोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (नीति विशलेषण)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
19	श्री सत्येन्द्र कुमार	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
20	श्री के.सी. मीना	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	भूतल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष–23340463
21	श्री धीरज चन्द्र रे	अनुसंधान अधिकारी (सीएलएम)	प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष–23340472

vuqyXud&19

ys[kk&ijh{kk iSjk@ih,lh fjiksVZ dh fLFkfr ftudh —r dkjZokbZ fVIi.k yafcr gS

Øe l-	o"kZ	iSjk@ih,lh fjiksVZ dh la[;k] ftu ij ys[kk&ijh{kk }kjk fo/kh{kk dks mijkar —r dkjZokbZ fVIi.k tek dj fn, x, gSaA	ys[kk&ijh{kk iSjk@ih,lh fjiksVZ ftu ij —r dkjZokbZ fVIi.kh yafcr gS] dk C;kSjk			
			ea=kky; }kjk ,d ckj Hkh ugha Hkst h x;h —r dkjZokbZ fVIi.k dh la[;k	Hkstk xbZ fdUrq vkifÙk;ksa ds lkFk okil ykSVk;h xbZ —r dkjZokbZ fVIi.kksa dh la[;k ,oa tks fVIi.k ys[kk&ijh{kk gsrq ea=kky; }kjk iqu% çLrqrh ds fy, çrhf{kr gSA	Hkstsa x;s Ñr dkjZokbZ fVIi.k ijUrq fo/kh{kk@vkifÙk;ka lfgr ys[kk&ijh{kk }kjk ykSVk, ugha x,A	Ñr dkjZokbZ fVIi.k dh la[;k ftudh vafre fo/kh{kk gks pqdh gS fdUrq ea=kky; }kjk ih,lh dks çLrqr ugha fd;k x;k gSA
1.	2018	-	शून्य	-	6	-
	dqy	-	-	-	**6**	-

16–30 नवम्बर 2018, तक दिल्ली हाट, आईएनए में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ''आदि महोत्सव''

प्रथम अखिल भारतीय कोरिया–भारत मैत्री प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तथा एक हफ्ते के लिए दक्षिण कोरिया के निःशुल्क दौरे का प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार विजेता ईएमआरएस गेमनोम सपोरमैना, मणिपुर के दो विद्यार्थी

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मुद्रक : विबा प्रेस प्रा. लि., 9810049515